राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5 | चतुर्थ विधान सभा के पंचम सत्र का [illegible]वां दिवस | संख्या 7

मंगलवार, दिनांक 19-8-1969

विधान सभा की बैठक म. प. 11.02 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरन्जन नाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[वित्त, समाज कल्याण, वन, चिकित्सा, यातायात, सिंचाई, शिक्षा, अकाल सहायता, योजना परिवार नियोजन, पंचायत, आबकारी, देवस्थान-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न 176 ।

श्री परसराम गंगाराम।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)
प्रश्न संख्या 177
श्री देवेन्द्र कुमार मीणा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री नाथूराम।

चिप्स बोर्ड फैक्ट्री, बांसवाड़ा

178. **श्री नाथूराम** (बागीडोरा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा में कुछ वर्ष पहले एक पूंजीपति को लकडी कटाई का ठेका दिया गया था? क्या चिप्स बोर्ड फैक्ट्री स्थापित करने की स्वीकृति भी हुई थी? कृपया सम्बन्धित एग्रीमेंट व योजना की एक एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सत्य है कि इस फैक्ट्री में एग्रीमेंट के मुताबिक वहां कार्य भी प्रारम्भ कर दिया? यदि हां, तो कब तथा कितना क्षेत्रफल जंगल उन्होंने काटा, कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया व कितने रुपयों की लकडी जिले से बाहर भेजी गई?

(3) क्या यह भी सत्य है कि इस सम्बन्ध में स्थानीय जनता, जन प्रतिनिधियों द्वारा विरोध किये जाने के फलस्वरूप सरकार ने एग्रीमेंट खारिज कर दिया? यदि हां, तो कब? इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा एग्रीमेंट कैंसीलेशन आर्डर की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि बांसवाड़े के जंगलों की कटाई द्वितीय पंचवर्षीय योजना तक बुरी तरह की गई? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं? यदि नहीं, तो वहां की लकडी कहां गई? घने जंगल का क्या हुआ?

(5) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्षों से बांसवाडा जिले में सागवान के जंगल फिर से उगाये गये और कहां कहां तथा इनमें कितना धन व्यय हुआ व इन

(श्री नाथूराम)
नये जंगलों में पेड के तने डालियों की न्यूनतम व अधिकतम चौडाई औसतन क्या है ?

(6) क्या यह सत्य है कि बांसवाडा में राजकीय उद्योग इकाई (वन) को 30 अगस्त से बन्द कर वनों की लकडी का बडे पैमाने पर उपयोग करने के निमित्त एक फैक्ट्री खुलाई जा रही है तथा किसी व्यक्ति को ठेका दिया जा भी चुका है ? यदि हां, तो किस को, कब से कब तक के लिये ठेका दिया गया है ? उससे जिले के कितने व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा ? एग्रीमेंट व योजना की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें । यदि नहीं, तो इकाई को चालू रखने की क्या स्वीकृति दे दी गई है ? राजकीय उद्योग चालू रखने में क्या कठिनाई है ?

वन मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (1) ठेका नहीं दिया। एक मिली जुली (इन्टीग्रेटेड) सा मिल तथा चिप बोर्ड फैक्ट्री स्थापित करने तथा चलाने हेतु लाइसेन्स दिया गया था। लाइसेन्स की प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) जी हां। 1962-63 में 358 एकड जंगल काटा तथा लगभग 81000 रुपये मूल्य की चिरी हुई लकडी जिले से बाहर भेजी । कितने लोगों को रोजगार दिया इसकी जानकारी वन विभाग को नहीं है।

(3) कैंसिल नहीं किया गया । अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(4) जी नहीं । बांसवाडा में आदिवासी तथा कृषकों को वन उपज के उपभोग की अत्यधिक सुविधायें समय समय पर राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई जिनकी पूर्ति में आदिवासी व कृषकों द्वारा इस जंगल में वृक्षों की ठीक ठीक कटाई नहीं कर पाये । आदिवासियों द्वारा जंगलों की पैदावार तत्कालीन मध्य भारत की हाटों में निकास की गई जिसके कारण बांसवाडा के वनों को हानि पहुंची । वैसे जंगल अब भी बांसवाडा में हैं जो बिगडी अवस्था में हैं । और उनके उद्धार हेतु कार्यवाही द्वितीय योजना से आरम्भ की गई है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, आप कुछ कहें तो पल्ले पड़े, इनका तो कुछ पल्ले नहीं पड रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि मैं कहूं तो उनके कुछ पल्ले पड जाये और आप कह रहे हैं तो उनके पल्ले नहीं पड रहा है ।

श्री नारायणसिंह : मुझे ऐतराज नहीं ।

श्री अध्यक्ष : तो पद भी मैं ले लूं ?

श्री भैरोंसिंह : सप्लीमेंन्ट्री का जवाब विरोधी दल से कोई दे देगा।

श्री नारायणसिंह : इतना अगर सहयोग प्राप्त हो जाये तो बहुत ही स्वागत करूंगा।

(5) द्वितीय योजना के अंतिम वर्षों से बांसवाडा जिले में लगाये गये सागवान के वनों का विवरण निम्नानुसार है :

Page No 3

(श्री नारायणसिंह)

वर्ष	नाम रेंज	प्लान्टेशन	क्षेत्रफल	व्यय
1959-60	बांसवाडा	श्यामपुरा	50 एकड	5179.80
,, ,,	कुशलगढ	शिकारबाडी	100 एकड	8721.80
,, ,,	गढी	ठण्डाबेला	100 एकड	10036.19
1960-61	बांसवाडा	श्यामपुरा	100 एकड	4497.70
,, ,,	कुशलगढ	शिकारबाडी	100 एकड	4501.40
,, ,,	शेरगढ	बागीडोरा	100 एकड	4499.42
,, ,,	गढी	जोलाना	100 एकड	4499.50
	जोड		650 एकड	41925.25

इन वृक्षों में औसतन मोटाई 6 से 9 इंच तथा ऊंचाई 8 से 10 फीट है।

(6) इसकी जानकारी वन विभाग को नहीं है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने प्रश्न संख्या 3 के जवाब में कहा कि इसका एग्रीमेंट कैंसिल नहीं किया गया और अभी विचाराधीन है। इस पर मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि आपने इसी हाउस में डिक्लेयर किया था कि उसका ठेका कैंसिल कर दिया गया है?

श्री नारायणसिंह : इस इश्यू पर कैंसिलेशन का आदेश इस हद तक हुआ था, लॉ डिपार्टमेंट ने अपनी राय दे दी थी कि कैंसिलेशन हो सकता है यह नहीं।

श्री भैरोंसिंह : सुनाई नहीं दे रहा, अध्यक्ष महोदय। प्रश्न बहुत इम्पोर्टेन्ट है। इसकी कोई व्यवस्था कराई जाये।

श्री नारायणसिंह : यह पांच छः साल से इसका जिक्र विधान सभा में चला और बीस साल में ठेका बांसवाडा में दिया गया जिससे वन सम्पदा कम होगी ही।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। अभी तो आपको उत्तर सुनने जाने का प्रश्न है। आप इस प्रकार बोलें कि जो माननीय सदस्य दूर बैठे हैं वे भी सुन पायें।

श्री नारायणसिंह : माइक ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माइक तो ठीक है।

श्री नारायणसिंह : मैंने निवेदन किया कि कैंसिलेशन के बारे में आदेश देने के पहले लॉ डिपार्टमेंट से पूछा गया था और पार्टी को भी कहा गया कि आपका लाइसेन्स क्यों नहीं कैंसिल किया जाये।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप इधर आकर सुनें, कुछ सुनाई नहीं देता।

श्री अध्यक्ष : मैं आता हूं। माननीय मंत्री महोदय, जैसे आप पब्लिक मीटिंग्स में

(श्री अध्यक्ष)
बोलते हैं, उसी तरह से बोलें। दोनों माइक मिला दीजिये। आपका उप मंत्री नहीं है क्या?

श्री नारायणसिंह : मैं ही उप मंत्री हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कहते हैं कि आपने इस सदन में कहा था कि एग्रीमेंट निरस्त किया गया था।

श्री नारायणसिंह : मैंने निवेदन किया कि निरस्त करने के इश्यू पर नोटिंग हो गया था और ला डिपार्टमेंट की राय इसमें मांगी गई थी और पार्टी से भी यह मांग की गई थी कि इसको निरस्त किया जा रहा है, आपको कुछ कहना है क्या?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो बताया था वह यह तथ्य था कि यह लीज निरस्त कर दी गई है। यह नहीं कहा था कि पार्टी को नोटिस दिया गया है या लॉ डिपार्टमेन्ट को कन्सल्ट किया गया है बल्कि स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इस एग्रीमेन्ट को कैंसिल कर दिया गया है?

श्री नारायण सिंह : ऐसा कहा हो, यह मुझे याद नहीं।

श्री नाथूराम : हाउस की प्रोसीडिंग्स हैं। इसके सम्बन्ध में कहा था एग्रीमेन्ट निरस्त कर दिया गया है।

प्रश्न संख्या 6 में जवाब दिया था कि राजकीय उद्योग स्कीम चालू की है। बांसवाडा भी उसमें था। चिप्स बोर्ड फैक्ट्री जो अगस्त से बन्द कर दी थी उस बारे में क्या मन्त्री महोदय को मालूम है? राजकीय उद्योग की स्कीम में यह था वह फायदेमन्द है या नुकसानकारी है।

श्री नारायण सिंह : एग्रीमेन्ट में यह शर्त जरूरी थी कि इन्टीग्रेटेड सो मिल फैक्ट्री चालू हो तो अब ज्यादा रोजगार दिया जावे। इसकी परिपालना देखने के लिये और डिपार्टमेन्ट है, वन विभाग नहीं है।

श्री नाथूराम : क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि चिप्स बोर्ड फैक्ट्री के कारण बांसवाडा जिले में कितने जंगल बरबाद हो गये और अब कितने जंगल बचे हैं?

श्री नारायण सिंह : एग्रीमेन्ट साइन होते ही 62 में चालू किया था काम। 8 फरवरी 62 से शुरू करके 63 के अन्दर जब उन्होंने और इजाजत मांगी तो उस वक्त के वन मन्त्री ने और इजाजत नहीं दी। उस समय तक इन्होंने 328 एकड में काम किया था। इससे 507 टन करीब कबाडा निकाला था।

श्री नाथुराम : कितनी आरा मशीनें उसने लगाई थी कुल?

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह कबाड़ा किस काम आया? फैक्ट्री में काम आया या पार्टी ने बेच खाया?

श्री नारायण सिंह : इसके बाद देखा गया 63 में कि पार्टी कई शर्तें पूरी नहीं कर पा रही है तब उस वक्त के जो वन मन्त्री थे उन्होंने इस काम को बन्द करा दिया। इस के बाद फिर नेगोशियेशन्स चले। 65 में एक साल की और इजाजत दे दी जो फारिन एक्सचेन्ज से मशीनरी आने वाली है उसके आने में समय लगेगा इसलिये एक साल के लिये काम करने की इजाजत दी जावे इसलिये एक साल और

(श्री नारायण सिंह)

दे दी और फिर इस ने गोशियेशन्स में चीजें पड गई रिवाइज्ड एग्रीमेन्ट की बात हुई। इसके बाद उनको वर्क करने की इजाजत नहीं दी।

श्री नाथुराम : चिप्स बोर्ड फैक्ट्री वालों ने कितनी आरा मशीन लगाई थीं। और एग्रीमेन्ट के अनुसार प्लान्ट कब लगने को था?

श्री नारायण सिंह : एग्रीमेन्ट के अनुसार तो तीन साल के अन्दर काम शुरू हो जाना था। पर उन्होंने पहले जो सॉ मिल लगाई उसके बाद में उन्होंने एग्रीमेन्ट के साथ ही साथ फारेस्ट को एक्सप्लोइट करना शुरू किया और लकडी निकालना भी शुरू किया।

श्री भैरोंसिंह : इस फैक्ट्री के मालिक ने एग्रीमेन्ट की किन किन शर्तों का उल्लंघन किया था?

श्री नारायण सिंह : बुनियादी शर्त तो यह थी कि चिप्स बोर्ड फैक्ट्री तीन वर्ष के अन्दर वहां पर लगाकर काम शुरू कर देगा। वह नहीं कर सके।

श्री भैरोंसिह : एक तो बुनियादी शर्त का उल्लंघन हो गया। आगे बताइये।

श्री नारायण सिंह : और कोई ऐसी दूसरी बात नहीं थी।

श्री भैरोंसिह : और उल्लंघन नहीं किया?

श्री नारायण सिंह : यह जो माल निकला उसका उपयोग हुआ, कुछ बाहर भेजा गया कुछ दूसरी शिकायतें हुई जो एग्रीमेन्ट के खिलाफ थीं।

श्री अध्यक्ष : यह भी उल्लंघन हुआ।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि शर्त के अनुसार तोलने के लिये मशीन लगानी चाहिये थी ताकि लकडी कितनी काटी गई उसे तोला जा सके।

श्री नारायण सिंह : यह सही है।

श्री अध्यक्ष : यह उल्लंघन हुआ है। नम्बर तीन उल्लंघन।

श्री भैरोंसिह : क्या यह है कि आपने जो पार्टी को नोटिस दिया उसमें सात शर्तों के उल्लंघन की बात लिखी थी?

श्री अध्यक्ष : तीन का हो गया। चार और बताइये।

श्री नारायण सिंह : यह देखकर ही बता सकता हूं।

श्री भैरोंसिह: नोटिस में कितनी शर्तों का उल्लंघन करने के कारणों की जानकारी की है? मैं केवल नम्बर ही पूछना चाहता हूं। डिटेल नहीं।

श्री अध्यक्ष : तीन तक तो आ गया है।

श्री नारायण सिह : समय पर फैक्ट्री नहीं लगाई। इसके अलावा जो सामान निकाला उसको एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिये था। बाहर नहीं ले जाना चाहिये था। वह चीज भी। तोलने की मशीन भी नहीं लगाई। इस प्रकार की शर्त थी जिनके कारण उल्लंघन की बात आई। बाद में नेगोशियेशन्स की बात आई।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। आपको भी सन्तोष नहीं हुआ होगा।

(श्री भैरोंसिंह)

आपने नोटिस दिया, कि तुमने इन शर्तों का उल्लघंन किया। उस नोटिस में कितनी शर्तों के उल्लघन के बारे में एक्सप्लेनेशन काल किया आपने ?

श्री नाथूराम : इस प्रश्न को स्थगित किया जाय, अध्यक्ष महोदय। कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष : धैर्य रखिये। जवाब आ रहा है। आर्डर प्लीज। जवाब आने दीजिये। डिस्टर्ब न करिये।

श्री नारायणसिंह : मैं चैक अप कर लूंगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप उनको अनुमति दे दें ताकि अधिकारियों से पूछ लें।

एक माननीय सदस्य : ट्रेजरी बैंचेज पर हाजिर रहने चाहिये।

श्री अध्यक्ष : उनको एक्सचेन्ज आफ व्यूज करने दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : यह सरकारी अधिकारियों का दोष है। वे ऐसे नाकाबिल मंत्रियों को क्यों नहीं तैयार करते।

श्री नारायणसिंह : इस प्रश्न के मूल में यह है, यह नैतिक प्रश्न है कि चिप्स बोर्ड के फेक्ट्री वाले को इजाजत दी जावे या नहीं। परन्तु यह वन विभाग की क्षमता का प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न सारी केबिनेट का है और उसमें उद्योग मन्त्री भी हैं। दूसरे भी हैं।

श्री नाथूराम : करोड़ों का जंगल काट दिया है। खा गया है सारी लकड़ी बाहर ले जाकर बेच दी है।

श्री नारायणसिंह : करोड़ों का जंगल बिगड़ता है पर सहानुभूति है। पर मैं अकेला इससे निर्णय लेने वाला नहीं हूं। न निर्णय लिया गया है इस वक्त तक। इसलिये प्रीज्यूम करना किसी चीज का यह भी आवश्यक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न तो रह गया, अध्यक्ष महोदय।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आपकी बात मन्त्री मानना नहीं चाहते। क्या बात है ?

श्री नारायणसिंह : आपने यह पूछा कि नोटिस कितनी चीजों के लिए दिया गया। उन्होंने कई शर्तों का उल्लंघन किया है जिनकी कुछ तो गिनती कराई गई। पर बाकायदा नोटिस नहीं दिया। केवल नेगोशियेशन...

श्री भैरोंसिंह : बाकायदा नहीं तो बिना कायदा नोटिस दे दिया ?

श्री नारायणसिंह : बाकायदा और बिना कायदा में फर्क क्या है ? केवल नेगोशिसेशन्स के लिए पार्टी को बुलाया गया और नेगोशियेशन्स चालू हैं।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या वह केवल एक धमकी थी ताकि मंत्रियों के चरण चूमने के लिए तैयार हो जावें।

श्री नारायणसिंह : न तो बेकायदा न बाकायदा जैसी बात कोई थी।

Page No 7

श्री भैरोंसिंह : क्या वह नोटिस नियमित था ?

श्री नारायणसिंह : नियमितता का सवाल ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : फिर नोटिस क्या दिया · · ·

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। नियन्त्रण था। (विराम) उत्तर आने दीजिए।

श्री नारायणसिंह : मैं निवेदन करता हूं जिस समय ये सब बातें पाईं गई और उन्होंने एक्स्ट्रा एरिया को मांगा उसके बाद एक कमेटी मुकर्रर हुई। उसको एग्जामिन करने के लिए सहारिया और इन्डस्ट्री के साथ जो एग्रीमेंट हुआ उसकी क्या स्थिति है और कैसे कार्य करना चाहिये–उस कमेटी में रेवेन्यू सेक्रेटरी, सी. सी. एफ., एक फाइनेन्स डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव और एक लॉ डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है और यह अप्रेल 63 में मुकर्रर हुई। उस कमेटी ने रिकमन्डेशन दी और उसके अन्दर उसने यह कहा कि एक नया डीड दिया जाना चाहिये और इस फैक्ट्री द्वारा एक साल के अन्दर प्रोडक्शन शुरू कर देना चाहिये। सहारिया को डेमेजेज क्लेम करने का अधिकार नहीं रहना चाहिये और चौथा यह कि जब तक चिप्स बोर्ड फैक्ट्री न लग जाय तब तक अन्य सुविधा न दी जाय, यह रिकमन्डेशन थी। इसी के ऊपर गवर्नमेंट ने पार्टी को बुलाया और एक साल के अन्दर फैक्ट्री को चालू करने को कहा उनकी तीन साल की मांग थी · · ·

श्री अध्यक्ष : चार हो गये न ?

श्री नारायणसिंह : निवेदन सारी बातें कर देता हूँ। क्लॉज 13 और 26 का सारा झगड़ा खड़ा है। क्लॉज 13 को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया और पार्टी का यह था कि सर्वे आदि एक साल में खत्म कर लेंगे-इम्पोर्ट करके।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, यह स्थगित किया जाय तो अच्छा है · · ·

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) ऑर्डर, ऑर्डर।

(पुनः माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

माननीय सदस्य सम्भवतः सन्तोष हो जायेगा। प्रश्न न उठे और उठे तो अनेक उठे :

श्री रघुनाथ विश्नोई : 20 मिनिट में सन्तोष हुआ नहीं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): पूरा आधा घन्टा हो गया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय नेता।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं चिप्स बोर्ड फैक्ट्री की शरायत में से एक भी शर्त की पाबन्दी की है क्या ? दूसरा मैं यह जानना चाहूँगा कि बांसवाडा को अवशेष वन सम्पदा की यह स्थिति है स्ट्रा बोर्ड और चिप्स फैक्ट्री की यह स्थिति नहीं है वह आदिवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। ऐसी स्थिति के अन्दर क्या सरकार यह उचित समझती है कि बांसवाडा जिले में चिप्स बोर्ड फैक्ट्री कायम की जाय या नहीं की जाय ?

Page No 8

श्री नारायणसिंह : मैं निवेदन कर दूं चिप्स बोर्ड फैक्ट्री की एक शर्त का सवाल है उनमें क्लाज 13 और 26, जो उसके एग्रीमेंट में है, विवादग्रस्त है। उन पर विचार करने का प्रश्न है। अब चिप्स बोर्ड फैक्ट्री रखी जाय अथवा नहीं रखी जाय यह अलग बात है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मंत्री महोदय, ऐसे एन्टी सोल कदम को अवास्तविक कदम को उठाते हैं आप भावों में आकर जिसको पूरा नहीं कर सकते। एक चिप्स बोर्ड फैक्ट्री पर आपकी सरकार शरायत पूरी नहीं करवा सकी–पाबन्दी नहीं करवा सकी। मनमाने तौर पर काम करवाती है। आदिवासियों के हक हैं अनादिकाल से, उनका हनन करते हैं, यह सरकार की जो अवास्तविक नीति है उसकी निन्दा करता हूँ। क्या सरकार को ऐसी परिस्थितियों के अन्दर बन्द नहीं करानी चाहिए? जल्दी से जल्दी बन्द करानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : (कई सदस्यों के एक साथ खडे होने पर) आर्डर, आर्डर।

श्री नारायणसिंह : चिप्स बोर्ड फैक्ट्री अभी लगी नहीं है और उसका परिणाम अभी से फारकास्ट नहीं किया जा सकता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि वन विभाग में यह विचार जरूर कर रहे हैं कि रॉ मेटिरियल हम दे दें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय नता।

श्री नारायणसिंह : यह सवाल अलग है ..

श्री अध्यक्ष : अब मैं माननीय मंत्री महोदय को निवेदन कर दूं यह चिप्स बोर्ड फैक्ट्री सिर दर्द बन गया है सदन का ....

श्री नारायणसिंह : मैं निवेदन कर दूं यह जो प्रश्न आया है इसकी मौलिक भावनाओं के साथ मेरी सहानुभूति है। मैं मानता हूँ चिप्स बोर्ड फैक्ट्री लगनी चाहिए। उसमें जनता की देखने की बात है....

श्री रघुनाथ विश्नोई : जनता देखेगी या सरकार?

एक माननीय सदस्य : जनता क्या देखेगी?

श्री अध्यक्ष : आपके देखने की बात है, आप देख डालिये उसको।

श्री नारायण सिंह : एक बुनियादी प्रश्न आ जाता है।

श्री भैरोंसिंह : अब आपके जवाब से सन्तोष कर लिया–मजबूरी से। अब यह बता दें कि एक साल का एक्सटेन्शन दिया है, क्या यह उद्योग विभाग की सिफारिश के आधार पर दिया गया है?

श्री नारायण सिंह : यह अलग से प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : मूल प्रश्न तो यही है। डरने की क्या बात है? हाउस में कोई जांच आयेगी नहीं इस प्रश्न पर। आप बता दीजिये उद्योग विभाग की सिफारिश पर हुआ है।

श्री नारायण सिंह : साधारणतया अलग अलग विभागों से ....

Page No 9

श्री अध्यक्ष : पत्रावलियां बीच बीच में जाती हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि वन विभाग इस पक्ष में नहीं था। उद्योग विभाग की ओर यह विभाग झुका है ?

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : अन्तर आत्मा से कह दीजिए।

श्री नारायणसिंह : कौन क्या है, ये सब····

(शोरगुल, अश्रव्य)

एक माननीय सदस्य : सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप फर्मा रहे हैं हमारे यहां सबकी सलाह से काम किया जाता है और किस किस की सलाह किस किस अनुपात से हुई है यह लेखा जोखा नहीं है। मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा···

श्री नारायणसिंह : जानकारी मैंने पूरी द दी है। स्थगित करने से कोई नई बात नहीं आयेगी केवल रिपीटिशन होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्थानीय व्यक्ति उस फैक्ट्री को चाहते है या नहीं। बुनियादी प्रश्न यह है कि एक तरफ इन्डस्ट्री और एक तरफ फारेस्ट। फारेस्ट और इन्डस्ट्री दोनों के बीच में तय करना है-इस प्रकार की स्थिति है। उन सब बातो का निर्णय मैं नहीं कर सकता इसलिये मैं निवेदन करूंगा इसे स्थगित करने से कोई विशेष लाभ नहीं है। यह तो बुनियादी प्रश्न है। इस पर विवाद भले ही कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर आर्डर, आर्डर।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि फाइल पर आपके हस्ताक्षर हैं और नोटिंग में आपने लिखा है कि इस ठेके का एक्सटेन्शन किया जाय–इसको स्वीकार नहीं किया।

राज्य मन्त्री समाज कल्याण श्री विशम्भर नाथ जोशी : पाइन्ट आफ आर्डर सर।

श्री नारायण सिंह : उसे स्वीकार या अस्वीकार करने की नहीं (विराम) आप सुनिये तो सही। यह तो जब तक परिपक्वता होती है मिनिस्टर भी····

श्री अध्यक्ष : परिपक्वता मिनिस्टर की ?

श्री नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, सेक्रेटेरियेट और बिजनेस रूल्स की गलियों में होकर निकलती है तब तक उसको···

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब है आपको लिखा है लीज का एक्सटेन्शन नहीं किया जाय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री विशम्बरनाथ जोशी : पाइन्ट आफ आर्डर सर It has already become a Half an hour discussion

श्री भैरोंसिंह : क्या बोल गये हम समझे ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : अंग्रेजी में कुछ बोल गये हैं, जो यहां की भाषा नहीं है और मैं भी नहीं समझ पाया।

श्री भैरोंसिंह : फिर किसी साइबेरियन कन्ट्री की तो भाषा नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को माननीय मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त करते हैं—हल करने के प्रश्न पर बहुत कुछ विश्लेषणात्मक विवरण हो गया है, समय भी काफी हो चुका है। मैंने इसे स्थगित करने के लिए कहा है लेकिन स्थगित करने से इस प्रश्न का हल नहीं होगा यदि सदन की यह अनुमति हो तो इस प्रश्न पर माननीय मन्त्री महोदय स्वयं अपने चेम्बर में बैठकर कुछ माननीय सदस्यों के साथ विचार कर लें और देख लें कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े होने पर आर्डर, आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य (श्री प्रेमसिंह सिंघवी) स्थान ग्रहण करें। मैं अभी बोल रहा हूं।

इस प्रश्न को स्थगित करने से कोई लाभ नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय इस फैक्ट्री के सम्बन्ध में आप भी तो यही कह रहे थे कुछ आप और ज्यादा विचार इस पर व्यक्त करना चाहते हैं, ऐसा आपका अनुमान था। यदि विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो मैं दूसरे रूप से सदन के सामने इस प्रश्न को रख दूं···

श्री भैंरसिंह : अच्छा हो कि मन्त्री महोदय एक वक्तव्य दे दें और उस पर चर्चा हो जाये।

श्री अध्यक्ष : आप (श्री नारायण सिंह) इस पर सहमत हैं।

श्री नारायण सिंह : मैं वक्तव्य दे दूंगा। मैं एक बार अर्ज कर दूं कि यह वक्तव्य एकांकी होगा।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर): एकांकी होगा पर नौट की नहीं होगा।

श्री नारायण सिंह : और फारेस्ट विभाग से सम्बन्धित होगा उसका तो उत्तर दे दूंगा लेकिन इसके अन्दर इन्डस्ट्रियल पक्ष है, फाइनेन्स पक्ष है और दूसरे पक्ष हैं वह नहीं आ सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : (कुछ माननीय सदस्यों के बोलने पर) आर्डर, आर्डर !

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): अध्यक्ष महोदय जब इसको स्थगित करने का निर्णय दे दिया गया है··

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय एक सिद्धान्त का प्रश्न है। मन्त्री महोदय का परम सज्जन स्वभाव है उसकी तो मैं कद्र और इज्जत करता हूँ लेकिन मेरा निवेदन है कि बांसवाडा जिले की वन सम्पदा इस स्थिति के अन्दर है कि इस चिप्स बोर्ड फैक्ट्री की क्षमता रखता है ? क्या जनहित के सिद्धान्त के ऊपर इस चिप्स बोर्ड फैक्ट्री का बांसवाडा जिले के किसी जगह के अन्दर स्थित होना उचित है या जनता के अधिकार के हनन के उपरान्त यह चिप्स बोर्ड फैक्ट्री वहां पर स्थापित की गई है और चिप्स बोर्ड फैक्ट्री अगर स्थापित की गई है और चिप्स बोर्ड फैक्ट्री वालों ने शरायतनामे की बिलकुल पाबन्दी नहीं की है तो सरकार के पास बिलकुल सरल रास्ता है कि इस एग्रीमेंट को खतम करे। इसको खतम नहीं करने का कारण मेरी समझ के बिलकुल बाहर है। सरकार से मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या जनहित के अन्दर इस

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
फैक्ट्री के बांसवाड़ा जिले के अन्दर जारी रहना उचित है या नहीं है ?

श्री नारायण सिंह : इस बात पर सरकार पूरी तसल्ली करेगी कि उसकी क्षमता इतनी है या नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! (कुछ माननीय सदस्यों के बोलने पर) आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य । चूंकि इस प्रश्न ने अत्यधिक समय ले लिया है, मैंने माननीय सदस्यों को अपने सुझाव भी दे दिये थे । इसका एक ही हल है कि मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूं मुख्यतः उनसे कि जिन्होंने यह प्रश्न रखा है । हाफ एन आवर डिस्कशन की वह एक सूचना दे दें । माननीय मन्त्री महोदय को व अन्य मंत्री भी जिनका इससे सम्बन्ध है उनको भी सूचना दे दी जाये ताकि सामूहिक रूप से इस प्रश्न पर हाफ एन आवर डिस्कशन हो सके । मैं अब आगे लेता हूँ ।

श्री मदनसिंह : (दांता रामगढ़) जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि यह संबंधित है, मैं समझता हूँ कि कोई भी डिस्कशन हाउस के अन्दर आ जाये और उसके लिए मंत्री को डिक्टेशन देना कि वह सम्बन्धित रहें सदस्यों से, जब कि वह सम्बन्धित प्रश्न नहीं है ··

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री भैरोंसिंह : पाइन्ट आफ आर्डर सर, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए एक रिपोर्ट के कुछ रेफरेन्सस इस हाउस में दिये हैं । जिस रिपोर्ट के रेफरेन्सैस उन्होंने यह दिये हैं उसके सम्बन्ध में उन्होंने यह भी कहा है कि उसमें अमुक अमुक प्रकार की सिफारिशें हैं और अमुक अमुक प्रकार की शिकायतें हैं । मैं समझता हूँ कि जब रिपोर्ट के किसी अंश को यहां रैफर किया गया है तो वह रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाये ताकि मैम्बर्स उस रिपोर्ट को अच्छी तरह से देख सकें । यह मेम्बर्स का राइट है और नियमों के अनुकूल है ।

श्री नारायण सिंह : यह तो परिपाटी रही है । यह हाउस कमेटी की रिपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की है । उसका लुब्बे लुबाब यहां पर प्रस्तुत कर दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष : वह लुब्बे लुबाब तो रख दिया लेकिन उसको कान्ट्रेडिक्ट माननीय सदस्य करना चाहें तो उनके पास क्या आधार है ?

श्री नारायण सिंह : रिपोर्ट में जो भी बातें हैं· ··

श्री भैरं सिंह : क्या कहा ?

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : दूसरा लुब्बे लुबाब यह है कि एग्रीमेंट तो कम से कम सदन की मेज पर रखा जाये जिसको हम देख सकें ।

श्री अध्यक्ष : एग्रीमेंट है ।

श्री भैरोंसिंह : रिपोर्ट के बारे में क्या कहा ?

श्री अध्यक्ष : मेरी यह व्यवस्था है कि मंत्री महोदय ने जितना अंश रिपोर्ट में से कहा है उस अंश को सदन की मेज पर रख दें ।

श्री भैरोंसिंह : अंश में तो है ही क्या फिर ?

श्री अध्यक्ष : इतना ही है।

श्री भैरोंसिंह : नियमों में है कि रिपोर्ट का रेफरेन्स आता है तो उसको सदन की मेज पर रखा जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : प्रिवलेज सारी रिपोर्ट के बारे में क्लेम करते हैं। मैं फोर्स नहीं कर सकता।

श्री भैरोंसिंह : चैम्बर में देखना चाहते हैं क्या ? मंत्री महोदय यह तो मन्जूर करते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री देवीदत्त गाडिया : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर दे दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामकिशन।

अकाल क्षेत्र में रोगों से मृत्यु

179. **श्री रामकिशन (वैर)** : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में इस वर्ष अकालग्रस्त क्षेत्रों में रोगों के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई तथा यह मौतें किन किन रोगों से हुई ? जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ?

(2) अकालग्रस्त क्षेत्रों में रोगों की रोकथाम के लिये राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की और किस तिथि से की ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) सूची संलग्न है।

(2) अकालग्रस्त क्षेत्रों में उपचार आदि के लिये माह नवम्बर, 1968 से रोगों की रोकथाम के लिए पूर्ण चिकित्सा व्यवस्था का प्रबन्ध किया गया। इसके अतिरिक्त अप्रेल, 69 से मोबाइल टीमें व स्टेटिकल पोस्ट बनाई गई। तथा इन जिलों के लिए स्वीकृत स्टाफ के अलावा डाक्टर कम्पाउण्डर, सहायक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और भेजे गये।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : पहले प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सूची संलग्न है।

श्री रामकिशन : मैंने यह पूछा था कि अकालग्रस्त इलाकों में कितने लोग मरे तो आपने जिलेवार सूची दी है वह केवल 8 जिलों की है जैसलमेर, जालौर, नागौर, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, बाडमेर और पाली तो क्या राजस्थान में यही अकालग्रस्त जिले थे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इन अकालग्रस्त क्षेत्रों में जो रोग आया और जिनकी मृत्यु हुई और जिनकी विभाग को सूची प्राप्त हुई वह सूची रख दी।

श्री रामकिशन : जहां जहां अकालग्रस्त क्षेत्र था और जहां जहां मृत्यु हुई है उसके कम्पेरेटिव मुकाबले के लिए पूछा था। यह प्रश्न ही अधूरा है। आपने जो

Page No 13

(श्री राम किशन)
सूची दी है उसमें 3185 लोगों की मृत्यु हुई रोगों से और साथ ही साथ रोगों का नाम भी दिया है लेकिन एक रोग के लिए कह दिया 'अन्य' तो यह 'अन्य' रोगों में क्या है ? आंत्रशोथ, बुखार मिजिल और इसके अलावा 'अन्य' लिखा है तो 'अन्य' में कौन से रोग हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : पूरा डाइनोसिस नहीं हुआ हो या दूसरे रोग भी हो सकते हैं, कुछ आपरेशन से मृत्यु हो सकती है कुछ और भी हो सकता है ।

श्री देवीदत्त गाडिया : भूख रोग भी शामिल है इसमें ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वह शामिल नहीं है ।

श्री रामकिशन : इस सूची के अनुसार कुल कितने आदमी मरे हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह तो आप गिनती कर लें । सूची मैंने हर जिले की पेश कर दी है ।

श्री भैरोंसिह : इसमें बताया है 3,185 आदमी मरे हैं 8 जिलों में । क्या मंत्री महोदय को याद है कि उन्होंने आज के दो महीने पहले एक वक्तव्य दिया था जिसमें रोग से मरने वालों की संख्या 5637 बताई थी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वह डाक्टर ने जो स्टेटमेंट दिया था उसका प्रोपोर्शन निकाल कर सारे जिले का प्रोपोर्शन निकाल कर उसमें बताया गया था ।

श्री भैरोंसिह : मरे थे 5,637 लोग लेकिन उसका जो प्रोपोर्शन आपने निकाला है मरने वालों की संख्या का तो वह घटकर 3,184 हो गया है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उस वक्त जैसी जरूरत थी निकाला था । उस वक्त मेडिकल स्टाफ ने जा जा कर गांवों में इत्तिला प्राप्त करनी चाही थी वह की थी । जो मेडिकल आफिसर्स ने जानकारी की थी उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से निकाला गया था । यह सूची पर आया है । मेडिकल रजिस्टर में जो उनकी सूची दी है उसके हिसाब से आया है ।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि केवल मेडिकल रजिस्टर की एन्ट्री के आधार पर आंकडे बताये हैं या इसमें पंचायत समितियों के आंकडे या और किसी तरह से जो आंकडे इकट्ठे किये गये वे शामिल नहीं हैं या उनके आधार पर नहीं हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: यह मेडीकल डिपार्टमेंट में जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर है ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या राज्य सरकार ने मरने वालों के आंकडों का सर्वे कराया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: - जहां तक सर्वे का प्रश्न है इसका उत्तर दूसरा विभाग दे सकता है ।

श्री रामकिशन : आपने जैसलमेर जिले में फुलसून्ड गांव में मरने वालों की कुल संख्या 75 बताई है, लेकिन जब माननीय मुख्य मंत्रीजी उस गांव में गये थे तो उस

(श्री रामकिशन)
समय गांव वालों ने 460 की लिस्ट दी थी, तो क्या आपने उसकी जानकारी करवाई है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक फूलसून्ड का ताल्लुक है उस क्षेत्र में मैं खुद भी गया हूं, और मुझे जो रिपोर्ट बताई गई है उस रोज 75 थे और उसी के अनुसार दर्ज किये गये हैं। इस गांव में जाकर टेस्ट चैकिंग किया गया है। एक डाक्टर और टीम को भेजकर घर घर जाकर चैकिंग किया गया था उसके अनुसार 75 ही मौतें वहां पर हुई थीं।

श्री रामकिशन : मैं यह कह रहा था कि मुख्य मंत्रीजी जो गये थे तो उनको 460 मौतें बताई गई थीं। तो क्या वहां पर मौजूद नहीं हैं गांव वाले। वे चले गये हैं और मरने वालों की संख्या भी ले गये? तो क्या मुख्य मंत्रीजी को जो सूची दी गई थी तो उस गांव में जाने के बाद आपने जांच कराई है। अगर जांच कराई है तो किस अधिकारी के द्वारा किस तारीख को और किन के सामने?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मुख्य मंत्रीजी को क्या सूची दी गई है इस बात को मैं नहीं जानता हूं। जहां तक मेरा ताल्लुक है फूलसून्ड में गया था और मैंने टैस्ट चैकिंग कराया था। उसके पहले की मौतों का प्रश्न है तो सरपंच ने पहले की भी मौतें उस रजिस्टर में दर्ज कर रखी हैं इसलिए ज्यादा लिखी हुई बतलाई।

श्री भैरोंसिंह : मौतों का टेस्ट चैकिंग क्या होता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : फूलसून्ड गांव में मैंने डाक्टर की टीम भेजी थी और घर घर उनको भिजवाया था चैकिंग करने के लिए। उस पार्टिक्यूलर गांव की, जिसका चैकिंग हुआ है की बात करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : कौन सी तारीख को करवाया था?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : तारीख तो मैं अभी नहीं कह सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत।

श्री रामकिशन : माननीय अध्यक्ष, यह ऐसा प्रश्न नहीं है। प्रश्न गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न बड़ा गम्भीर है। अकाल की जो बहस हो उसमें भी यह प्रश्न किया जाता है। अभी तक 3–4 ही प्रश्न पाये हैं और समय समाप्त होता जा रहा है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाडमेर) : नवम्बर 1968 से मार्च, 1969 तक किन किन रोगों की रोकथाम के लिए मेजर्स लिये गये हैं? उसके बारे में जानकारी दें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : नवम्बर से मेडिशन सप्लाई करना शुरू किया। जहां पर डाक्टर्स नहीं थे कम्पाउन्डर्स नहीं थे वहां पर भेजे गये। जहां पर 10 हजार की बस्ती थी वहां पर आक्जीलरी हैल्थ वर्कर्स और वेक्सीनेटर्स की टीमें भेजी गई और दवाइयों का वितरण करना शुरू किया?

Page No 15

श्री रामकिशन : आपने यह कहा कि डाक्टरों और कम्पाउन्डरों को भेजा तो उनके लिए आपने कितने आदेश किये और कितने आदेश रद्द किये ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! दूसरा सवाल आ रहा है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : भूख से मरने वालों की संख्या कितनी है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : भूख से कोई भी नहीं मरा ।

श्री राम किशन : अन्य रोगों का नाम बता दीजिये । अपौष्टिक भोजन से नहीं मरे हैं तो फिर अन्य रोग क्या हैं ? नहीं तो यही माना जायगा कि अपौष्टिक भोजन से मरे हैं । रोगों के नाम बताइये । डाक्टर ने रिपोर्ट जो दी है तो उसमें रोगों के नाम आये हैं और विभाग के पास कई नाम हैं । नामों की गिनती नहीं है ।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ): माननीय अध्यक्ष, यह एक ऐसा सवाल है कि अकाल से पहले क्या उस गांव में कोई मरा ही नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसमें हमने कई केटगरीज की हैं । मैं सदन के सामने उसको पढ़कर सुना देता हूं ।

श्री रामकिशन : वह हमने समझ लिया है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : डायरिया, डिसेन्ट्री, कोढ़, उलटी, निमोनिया, बुखार हाइपर पाइरेक्स, टाइफाइड, कन्वलशन, खसरा, एन्ट्रीक फीवर, आन्त्रशोथ, वृद्धावस्था, टी. बी., हिस्टीरिया, पी. यू. ओ., डिहाइड्रेशन, अस्थमा और एनीमिया ।

श्री रामकिशन : अब इसके बाद 'अन्य' का बताया गया है । वे 'अन्य' क्या हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : डाक्टर जानते हैं । मैं क्या कोई टेक्निकल आदमी हूं कि 'अन्य' रोगों में क्या क्या थे ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत ।

श्री रामकिशन : उसमें लिखना चाहिए कि किस किस बीमारी से मरे हैं । अन्य बिमारी होती है तो उसका नाम देना चाहिए ।

श्री देवीदत्त गाडिया : जमीन हड़पने का भी कोई रोग होता है क्या ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो मौतों के आंकड़े सरकार के पास हैं मैं समझता हूं कि वे विश्वस्त नहीं है । मैं यह जानना चाहूंगा कि आपकी जानकारी की बुनियाद क्या है ? अध्यक्ष महोदय, सरकार भली भांति जानती है कि आज राजस्थान के अन्दर दुष्काल के कारण चन्द लाख आदमी ऐसे हैं कि जिनको 24 घन्टों में मुश्किल से एक दफा भोजन मिलता होगा । उसके कारण से, अपौष्टिक भोजन, भुखमरी के कारण से कई हजार आदमी राजस्थान के अन्दर मर चुके हैं । सरकार की इच्छा है, अगर सरकार यह कहे कि एक भी भुखमरी से आदमी नहीं मरा है । यह सरकार कह सकती है । लेकिन हम कैसे इस बात को मान सकते हैं ? यह एक सामान्य बुद्धि की बात है । तो मैं यह जानना चाहता

Page No 16

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

हूं कि केवल मात्र मेडिकल सोर्स से आपको जो कुछ भी जानकारी मिली है उसी आधार पर आपके ये आंकड़े निर्भर करते हैं या पंचायतों को इस सम्बन्ध में सरकार ने कार्य संकेत दिया है कि वे रेकार्ड रखें और मौतों के सम्बन्ध में जानकारी जिला वाइज दें ? अगर ऐसी कोई व्यवस्था हुई हो तो मंत्री महोदय उस पर प्रकाश डालने की कृपा करें।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, एक उत्तर दिला दें। क्या मंत्री महोदय ने जिन लोगों के मरने की सूची दी है उसके अलावा भी लोग मरे हैं और उसकी सूची अकाल सहायता मंत्री जी देंगे ?

एक माननीय सदस्य : वे मंत्री नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : उसका भी उत्तर दे देंगे।

श्री दौलतराम सारण : यह जानकारी तो दिला दें।

श्री अबगलाल (हिन्डौन) : जो सूची दी है उसके अन्दर मरने वालों की संख्या जो 3185 बताई है वह क्या संख्या हास्पिटल के अन्दर मरने वालों की है और देहातों और गांवों में मरने वालों की अलग और संख्या है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसके अन्दर हास्पिटल में मरने वालों की संख्या भी शामिल है और जिनको मेडिकल स्टाफ ने सम्हाला हैं उनकी संख्या भी शामिल है और जिन्होंने मेडिकल स्टाफ को रिपोर्ट किया है उनकी संख्या भी शामिल है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री श्रवणलाल : क्या यह माना जाय....

श्री दौलतराम सारण : जो लोग मरे हैं उनकी सूची इसमें कहीं नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यातायात मंत्रीजी। (कुछ माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर) आर्डर, आर्डर। मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है।

श्री रामकिशन : 1700 में से 75....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

उप-मंत्री यातायात (श्री समरथलाल) : जी हां, भीम एस. डी. ओ. का हैड क्वार्टर है....

कई माननीय सदस्य : वापस बुलाइये।

श्री अध्यक्ष : वापिस बोल दें शुरू से।

भीम जाने वाली बसों का समय

180. **श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भीम एस. डी. ओ. का हैडक्वार्टर है और अपना महत्व रखता है ?

(2) क्या यह सही है कि वहां जाने वाली बसों का टाइम टेबल इतना खराब बांध रखा है कि जनता को बड़ी तकलीफ होती है ?

(3) क्या यह सही है कि ब्यावर से भीम केवल 35 मील है और बस जाने में पूरे तीन घण्टे लगाती है ?

Page No 17

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत)

(4) क्या सरकार उचित समय निर्धारित कर जनता की तकलीफ मिटाने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री यातायात (श्री समर्थलाल) : (1) जी हां, भीम एस. डी. ओ. का हैडक्वार्टर है।

(2) जी नहीं।

(3) ब्यावर से भीम 35 मील है। बस जाने में समय सारिणी के अनुसार 2। से 2॥ घण्टे लगते हैं।

(4) समय पूर्व से निर्धारित हैं। यदि समय में परिवर्तन करने हेतु कोई प्रार्थना-पत्र, सुझाव प्राप्त होंगे तो उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : आपने भाग (2) में जवाब दिया "जी नहीं" तो क्या जनता को तकलीफ नहीं होती है ? "जी नहीं" किस आधार पर आपने कहा है ?

श्री समर्थलाल : माननीय अध्यक्षजी, यह जो समय तय किया गया था वह वहां के विधायक और वहां के सरपंच और वहां के उप-खण्ड अधिकारी हैं उनसे विचार-विमर्श करने के बाद किया गया है। समय सारिणी 1968 में तैयार की गई है। इतने अल्प समय के अन्दर यदि कोई तकलीफ हो और यदि माननीय सदस्य का कोई सुझाव हो तो उस पर विचार किया जायगा।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : कोई तकलीफ है तभी तो असेम्बली में प्रश्न रखा गया है। क्या यातायात विभाग इसको सुझाव, प्रार्थना-पत्र या शिकायत नहीं मानता है ?

श्री समर्थ लाल : मैंने निवेदन किया है कि अभी तक इस सम्बन्ध में कोई सुझाव नहीं आया है। अब आया है तो इस सुझाव पर विचार कर लिया जायगा।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : अध्यक्ष महोदय, एक घन्टे में 12 मील की स्पीड से गाड़ी चलती है नेशनल हाईवे पर, आखिर आपने जो समय बांधा है तो वह कैसे बान्धा है वह मैं आपसे पूछना चाहती हूं।

यातायात मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा): आपसे पूछ कर बान्धा है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : बिल्कुल गलत बात है। मुझ से नहीं पूछा गया है। मैं बारबार इसका विरोध करती रही हूं। आपने यह कहा है कि प्रार्थना-पत्र आना चाहिए तो क्या मोटर-मालिकों का प्रार्थना-पत्र चाहते हैं या जनता का ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपका प्रश्न ही प्रार्थना-पत्र समझ लिया गया है। इस पर अवश्य कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री केसरीसिंह हाड़ा।

श्री फतेहसिंह (ब्यावर) : ब्यावर से भीम जाने वाली बसें किस किस समय रवाना होती हैं और कब भीम पहुंचती हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सुना नहीं।

श्री फतेहसिंह : ब्यावर से भीम जाने वाली बसें कब कब रवाना होती हैं और कब कब पहुंचती हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग से प्रश्न है।

Page No 18

श्री फतेहसिंह : अलग से नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरे पास यह पूरी समय सारिणी है। मैं यह समय सारिणी रख देता हूं। इसमें जितनी बसें रवाना होती हैं और कब पहुंचती हैं, यह सारा इस समय सारिणी में है।

एक माननीय सदस्य : यह मन्त्री जी पता नहीं लगा पायेंगे ?

श्री फतेहसिंह : पहली बस 7॥ बजे रवाना होती है। क्या वह 6-6॥ बजे रवाना करने की कृपा करेंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया, यह समय-सारिणी है। यह माननीय सदस्यों के सुझाव पर बनाई गई थी। आज आपका सुझाव आया है। कुछ और सुझाव आये हैं, उनके अनुसार व्यवस्था की जाएगी।

श्री फतेहसिंह : क्या मन्त्री महोदय इस सवाल पर विचार करेंगे कि ब्यावर से भीम प्रति एक घण्टे में बस रवाना हो।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो भी सुविधा दी जा सकती है, उस पर विचार किया जाएगा।

श्री फतेहसिंह : आप यह देखें, जनता कितना सफर करती है। पहले भी यह प्रश्न आया था।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मामले पर विचार करके जो हो सकता है वह अवश्य किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : श्री हाड़ा।

समाज कल्याण केन्द्र की ग्राम सेविकाओं का वेतन

181. **श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डौली)** : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) राजस्थान में अलग अलग समाज कल्याण केन्द्रों पर ग्राम सेविकाएं उद्योग शिक्षिकाएं व दाइयां कितनी काम कर रही हैं और उनके नाम क्या हैं ?

(2) क्या यह सत्य है कि यह ग्राम सेविकाएं 6-6 माह से बिना वेतन कार्य कर रही हैं ? वेतन समय पर न मिलने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या सरकार इस विभाग को बन्द करने का विचार रखती है ?

(4) क्या सरकार ने इस विभाग की अब तक की आडिट रिपोर्ट प्रकाशित कराई है ? यदि हां, तो कब ? आडिट रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्य मन्त्री, समाज कल्याण (श्री विशम्बर नाथ जोशी) : (1) राजस्थान की विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं में 111 ग्राम सेविकाएं 36 उद्योग शिक्षिकाएं और 62 दाइयां कार्य कर रही हैं ? उन कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

समाज कल्याण योजनाओं को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा राज्य सरकार से धनराशि प्राप्त होती है। धनराशि समय पर प्राप्त न होने के फलस्वरूप कर्मचारियों

(श्री विशम्बर नाथ जोशी)
को वेतन मिलने में देरी हो जाती है। वेतन समय पर प्राप्त हो इस दिशा में प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(3) ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

(4) समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित किसी भी संस्था की ग्राडिट रिपोर्ट विभाग द्वारा प्रकाशित नहीं कराई जाती। अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री केसरीसिंह हाडा : प्रश्न खण्ड दो में यह उत्तर दिया है 'जी नहीं'। कई ग्राम – सेविकायें हैं जिनको कि 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है क्या आपने इसकी इन्क्वायरी की है? मैं पूछ सकता हूं, 6 महीने से उनको कितनी राशि दी गई है?

श्री विशम्बर नाथ जोशी : 0 हजार रु. की धनराशि ग्रामों के आधार पर है। अब हमने दुगुनी हर एक केन्द्र के लिए कर दी है। जब कि प्राविजन होता है 40 हजार का।

श्री केसरीसिंह हाडा : क्या ग्राम सेविकाओं के समान ही उच्च स्तर के अधिकारियों को भी वेतन समय पर नहीं दिया जाता है?

श्री विशम्बर नाथ जोशी : मैं समझ नहीं पाया।

श्री केसरीसिंह हाडा : आप नहीं समझ पाये तो मैं समझा दूं।

ग्राम सेविकाओं के समान ही क्या उच्च-स्तर के अधिकारियों को भी वेतन नहीं दिया जाता है?

श्री विशम्बर नाथ जोशी : ऐसा है, 75 प्र. श. धनराशि केन्द्रीय सोशल बोर्ड से मिल जाती है। राज्य से 1/4 मिलता है। केन्द्र से मिलने में कभी-कभी देर हो जाती है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री महेन्द्रकुमार।

श्री केसरीसिंह हाडा : विभाग की ग्राडिट रिपोर्ट क्यों नहीं तैयार होती हैं?

श्री विशम्बरनाथ जोशी : आटोनोमस बाडी है। ग्राडिट चेकिंग जरूर होता है। पर वह प्रकाशित नहीं होती है।

श्री केसरीसिंह हाडा : यह प्रकाशित क्यों नहीं होती है?

श्री विशम्बर नाथ जोशी : वह आटोनोमस बाडी है। अगर वह चाहेंगे तो करेंगे। ग्राडिट रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करते।

श्री केसरीसिंह हाडा : उसे प्रकाशित करके सदन की मेज पर रखेंगे? लास्ट ईअर की।

श्री वि म्बरनाथ जोशी : अगर चाहेंगे तो रख दी जायेगी। It shall be placed.

श्री रावतराम (छापर सु.) : इन ग्राम सेविकाओं का कार्य क्या है समाज कल्याण विभाग में? दूसरे यह परामर्शदात्री ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): काम क्या करती हैं, ग्राम सेविकाएं यह तो बताना चाहिए।

डूंगरपुर जिले में चल रहे उद्योग कार्य

182. श्री महेन्द्रकुमार (पाड़वा सु.) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) डूंगरपुर जिले में विभाग द्वारा कहां-कहां क्या क्या उद्योग कार्य किये जा रहे हैं? फैमिन कार्य बन्द होने पर इनमें से कितने उद्योग बन्द हो जायेंगे?

(2) डूंगरपुर जिले में कितने क्षेत्रफल वन की कटाई की गई व कहां कहां? लकड़ी कोयले के विक्रय से चालू वित्तीय वर्ष में कितनी आय हुई, उस पर कितना व्यय हुआ तथा 3C-C-69 को कितने मूल्य का लकड़ी कोयला पोते है?

(3) अकाल राहत कार्यों आदि की देख-रेख के लिए वन मंडल के किस किस अधिकारी ने कहां कहां व कब कब डूंगरपुर जिले में निरीक्षण दौरे किये तथा उन्होंने काम के सुधार के निमित्त क्या क्या सुझाव दिये और उनकी अनुपालना कहां तक कराई गई?

(4) मुख्य वन संरक्षक ने इस जिले में चल रहे कार्यों को विगत 6 माह में कितनी बार देखा व उसका कार्य पर क्या असर पड़ा?

वन मंत्री (श्री नारायण सिंह) : (1) वन विभाग द्वारा कोई उद्योग नहीं चलाये गये अतः बन्द होने का प्रश्न नहीं होता।

(2) डूंगरपुर जिले में विभागीय कटाई नहीं की गई। अतः अन्य प्रश्न नहीं उठते।

(3) मण्डल वन अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा किये गये डूंगरपुर जिले के दौरे की तालिका संलग्न है। मंडल वन अधिकारी द्वारा मौके पर डीफैंसिंग, पत्थर की दीवार चैक डैम सिगलिंग तथा कूप्स कटाई के जो तकनीकी निर्देश स्थानीय कर्मचारियों को दिये गये उसकी अनुपालना सन्तोषजनक हुई है।

(4) विगत 6 माह में एक बार कार्य सन्तोषजनक रूप से चले।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री महेन्द्रकुमार : अध्यक्ष महोदय क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डूंगरपुर में वन सम्बन्धी उद्योग क्यों नहीं चलाये गये हैं? क्या आगे भी विचार नहीं रखते हैं?

श्री नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, वनों के आधार पर उद्योग खोलने का विचार बड़ा पेचीदा है। एक जगह खोले गये तो यह वादविवाद हो रहा है। दूसरी जगह खोलेंगे तो और भी वाद-विवाद होगा। फिर भी कुछ विचार हो रहा है उन आधारों पर उद्योग खोल सकें और उनमें कुछ आदिवासी लग सकें।

श्री महेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि उद्योग इसलिए नहीं खोले जा रहे हैं कि वहां के जंगल नष्ट हो गये हैं?

श्री नारायण सिंह : मैंने सुना नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : वन नष्ट हो गये हैं इसीलिए उद्योग नहीं खोल रहे हैं ?

श्री नारायण सिंह : वन नष्ट हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह तो सारे संसार की समस्या है। हमें इसका खेद है।

एक माननीय सदस्य : इस सम्बन्ध में आप क्या कदम उठा रहे हैं ?

(12 मध्यान्ह)

श्री नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि पृथ्वी के जंगल बहुत नष्ट होते जा रहे हैं। डूंगरपुर के वन की जो स्थिति है उसको देख कर मुझे खेद होता है।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : आपको खेद होता है तो वनों को नष्ट होने से रोकने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं ?

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : आपने खेद व्यक्त किया है, तो खेद व्यक्त करने से काम कैसे चलेगा ? जंगलों को फिर से हरा भरा करने के लिए कौनसा सक्रिय कदम आप उठा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : (श्री नारायण सिंह से) दूसरा प्रश्न भी आ रहा है।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : जो कोयला बनाने के लिए जंगलों का ठेका दे रहे हैं, तो क्या राजस्थान की रिक्वायरमेंट के लिए कोयला बना रहे हैं या कोयला बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राजस्थान से बाहर भेज रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न। माननीय सदस्य, अलग से प्रश्न। प्रश्नकर्त्ता ?

श्री जुझारसिंह : इसमें कोयले के बारे में पूछा है, क्योंकि जंगलों की····

श्री रोशनलाल शर्मा : आपने खेद तो व्यक्त कर दिया लेकिन वनों को नष्ट होने से रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : खेद रोकने के लिए खेद प्रगट कर रहे हैं।

श्री रोशनलाल शर्मा : खेद आप भी प्रगट कर रहे हैं और दूसरे मंत्रियों ने भी किया, लेकिन वनों को नष्ट होने से रोकने का क्या उपाय कर रहे हैं ?

श्री नारायण सिंह : खेद प्रगट किया है, जो वस्तुस्थिति है उसके ऊपर और इनको नष्ट होने से रोकने के लिए हर चन्द कदम उठाया जा रहा है। जिस प्रकार की स्थिति आज मौजूद है, इन्फ्लक्स आफ पोपूलेशन, और दूसरी दूसरी बातें–हंगर इत्यादि–उसको देखते हुए प्लान्टेशन और वनों का पुनरुद्धार करने के लिए जो कदम उठाये जा रहे हैं, वह इससे रिफ्लेक्ट होते हैं कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इसके लिए काफी प्रावधान रखा जा रहा है।

श्री जुझारसिंह : मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है···

श्री रोशनलाल शर्मा : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि कितने क्षेत्र में वनों की कटाई हुई है और कितने क्षेत्र में वन लगे हैं?

श्री अध्यक्ष : (श्री जुझारसिंह से) मैं आपको मौका दे दूंगा।

Page No 22

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर जिले के वन उद्योग के सम्बन्ध में और वन रक्षण के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्या सरकार यह अनुभव नहीं करती है कि वहां पर वन उद्योग के नाम की एक ही वस्तु बाकी रह गई है, मेरी हथेली जैसा तो बिल्कुल पहाड़ साफ हो गया है और जब इस पहाड़ के चारों तरफ लाखों रुपया खर्च करके कोट बनवाया है। यह अवास्तविकता की पराकाष्ठा है या नहीं है ? वन उद्योग अब जो कुछ बाकी रह गया है, उसकी तो ऐसी स्थिति है कि बाड़ ही खेत को खा गई है, अब लाखों रुपया खर्च करके अवास्तविक रूप से जिस चीज के संरक्षण के लिए कोट बना रहे हैं वह तो गायब है, फिर यह क्या योजना है ? यह सब मडल हैडेड थिंकिंग है।

श्री नारायण सिंह : विरोधी दल के नेता महोदय ने फरमाया, मुझे इस संदर्भ में निवेदन करना है कि जिस समय डूंगरपुर में सन् 1938 में गया था, वहां बड़े अच्छे वन थे, दिल हरा हो जाता था उन जंगलों को देख कर···

श्री देवीदत्त गाड़िया : अब दिल कैसा हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री नारायणसिंह : लेकिन अब मैं जाता हूँ तो वहां हरा भरा जंगल नहीं देखता ···· (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री नारायण सिंह : जिस प्रकार से धीरे धीरे बाल झड़ जाते हैं किसी के सिर पर से उसी प्रकार से सारी पृथ्वी पर वन नष्ट होते जा रहे हैं। इसमें मैं नहीं जानता कि पोपूलेशन के प्रेशर का कितना असर है, परिस्थितियों का कितना असर है, परन्तु महारावल साहब स्वयं इस बात का अनुभव करते होंगे कि उनके स्वयं के वनों की क्या दशा है। उसी प्रकार की राज्य सरकार के जो वन हैं उनकी भी दशा है। इसलिए मैं तो सहानुभूतिपूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि नेता महोदय की पीड़ा के साथ साथ मेरी पीड़ा भी जुड़ी हुई है।

श्री अध्यक्ष : आपकी विनम्रता से उनकी पीड़ा दूर हो जाती है।

श्री नारायण सिंह: जो मानव समाज ने जंगलों का संहार शुरू किया है उसको देखते हुए समझ में नहीं आता कि आगे क्या होने वाला है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या सही है कि राजस्थान में···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! श्री जुझार सिंह।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, वन मंत्री ने स्वीकार किया है कि जंगलों की कमी हो रही है तो इस पृष्ठभूमि में मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कोयले के लिए जो जंगलों को ठेके पर दिया जाता है, वह राजस्थान की रिक्वायरमेंट के लिए तैयार कर रहे हैं और दूसरे क्षेत्रों को, दिल्ली आदि को एक्सपोर्ट कर रहे हैं ? दूसरा प्रश्न यह है कि इस डिपार्टमेंट को एज युटिलिटी डिपार्टमेंट रन कर रहे हैं या कामर्शियल रूप में रन कर रहे हैं ?

श्री नारायण सिंह : प्रश्न तो अलग है . .

श्री अध्यक्ष : सामान्य ज्ञान का है। जनरल नालेज का है।

श्री नारायणसिंह : स्टेट सेक्टर में कोई व्यापार को शुरू किया जाय तो वह एक सोशलिस्टिक भावनाओं से शुरू किया जाय, तो उसमें बुनियादी तौर पर लाभ के साथ में अप्रत्यक्ष लाभ जनता को हो--यह सन्निहित रहता है। यह दृष्टिकोण इस विभागीय कार्य प्रणाली में है। और कोयला इस दृष्टि से बनाया जाता है कि उसमें लाभ की दृष्टि तो है ही, साथ ही कन्ज्यूमर के लाभ की दृष्टि से उसको उपलब्ध कराया जाय और बाहर भी भेजा जाय। यह आधार इसमें रखा जाता है, दोनों ही दृष्टिकोण इसमें रखे जाते हैं। इस दृष्टिकोण से यह चीज चल

श्री देवीदत्त गाडिया : क्या यह सही है कि वन विभाग जंगल से सम्बन्धित चीजों का ठेका वन उपज सहकारी समितियों को नहीं देकर वन श्रमिक सहकारी समिति को देता है? अगर हां, तो····

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इससे सम्बन्धित है

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री देवीदत्त गाड़िया : जंगलों का ठेका जो डूंगरपुर में दिया गया है···

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न। श्री चुन्नीलाल जेलिया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या उसमें यह राज्य सरकार की नीति है··

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जंगलों से सम्बन्धित जितनी सहकारी समितियां हैं···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री देवीदत्त गाड़िया : उनको ठेका नहीं देकर··

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री देवीदत्त गाडिया : नीति के विरुद्ध वन श्रमिक सहकारी समिति को ठेका दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! सिंचाई मंत्री।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी सु.) : प्रश्न इस बात का है कि दो सौ, ढाई सौ सहकारी समितियां बेकार पड़ी हुई हैं और इसलिए माननीय मन्त्री··

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! सिंचाई मंत्री ! माननीय सदस्य !

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह उचित है कि एक ही सहकारी समिति को बनों का ठेका देकर उसकी मोनोपोली की जाय ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य !

सवाई माधोपुर के नालों पर बंध बनाने की योजना

183. **श्री चुन्नीलाल जेलिया** (खण्डार सु.) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) सवाई माधोपुर नगर के पूर्व दक्षिण तथा उत्तर पूर्वी दिशा में जो दो बड़े

(श्री चुन्नीलाल जेलिया)

नाले बहते हैं उनका पानी रोक कर क्या सरकार दो बन्ध बनाने की योजना तैयार कर रही है ?

(2) क्या इस सम्बन्ध में पहले मौकों की जांच की जा चुकी है ?

(3) क्या सरकार अब वहां इन्जीनियरों को भेज कर उक्त योजनाओं को क्रियान्वित करने का विचार रखती है ? जहां बहुत भूमि की सिंचाई सम्भव है ?

(4) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप मन्त्री सिंचाई (श्री जसराज) :

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

श्री जयनारायण सालोदिया : ऐसा मंत्री होना चाहिये, ना कभी कहे नहीं।

श्री जसराज : (4) योजना की पूर्ण जांच पड़ताल करने पर व धन की व्यवस्था पर कार्य किया जा सकेगा।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा सु.) : नम्बर 4 के उत्तर में क्या बताया ?

श्री श्रवणलाल : नम्बर चार का जवाब दुबारा पढ़ दें।

श्री अध्यक्ष : नम्बर चार का जवाब दुबारा पढ़ दीजिए।

श्री जसराज : (4) योजना की पूर्ण जांच पडताल करने पर व धन की व्यवस्था पर कार्य किया जा सकेगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : वाह वाह ! फिर पहले 'जी हां' क्यों कहा ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री चुन्नीलाल जेलिया : नम्बर चार में तो आपने कहा है वह सही नहीं है। मैंने यह प्रश्न रखा था कि सवाई माधोपुर चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है और पूर्व दक्षिण तथा उत्तर पूर्वी दिशा में बड़े नाले बहते हैं, उनको अगर बांध दिया जाय तो जो काफी जमीन काबिल काश्त पड़ी हुई है, उसका उपयोग हो सकता है . . .

श्री जसराज : सुनाई नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : सिंचाई मंत्री जी समझ रहे हैं।

श्री चुन्नीलाल जेलिया : क्या उन पर सरकार बांध बनाने का विचार रखती है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : अध्यक्ष महोदय, इसकी डिटेल्ड सर्वे अभी तक नहीं हुई थी। सबसे पहले 1958 में एक सर्वे हुई थी, प्रारम्भिक प्रिलिमिनरी सर्वे, लेकिन उसके बाद कोई प्रगति नहीं हुई है। अब इसकी डिटेल्ड सर्वे कराई जा रही है। इसके बाद माइनर स्कीम बनेगी, कार्यान्वित करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकुमार नन्दवाना !

तहसील एवं पंचायत समिति मुख्यालयों पर सेकेण्डरी तथा हायर सेकेण्डरी स्कूल

184. **श्री रामकुमार नन्दवाना** : (चित्तौड़गढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा

(श्री रामकुमार नंदवाणा)
करेंगे:—

(1) सरकार द्वारा इस वर्ष कहां कहां नये हायर सेकेन्डरी व सेकेन्डरी स्कूल खोले गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखन की कृपा करें।

(2) राज्य के अन्तर्गत कहां कहां ऐसे हाई स्कूल व हायर सेकेन्डरी स्कूल हैं जहां पर तहसील मुख्यालय एवम् पंचायत समिति मुख्यालय हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या ऐसे भी तहसील मुख्यालय व पंचायत समिति मुख्यालय हैं जहां पर हाई व हायर सेकेन्डरी स्कूल नहीं हैं ? यदि हां, तो उसकी लिस्ट देने की कृपा करें। क्या सरकार वहां पर हाई स्कूल खोलने का इरादा रखती है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह):

(1) सूची संलग्न है।

(2) तहसीलवार सूचना एकत्रित नहीं की जाती। आजकल विकास की इकाई पंचायत समिति में है। पंचायत समितियां में जहां जहां हाई/हायर सेकेन्डरी स्कूल हैं उनकी सूची संलग्न है।

(3) अब कोई पंचायत समिति ऐसी नहीं है जिसमें एक भी हाई/हायर सेकेन्डरी स्कूल न हो। अतः इस कारण अब नये हाई/हायर सेकेन्डरी स्कूल खोलने का प्रश्न ही नहीं उठता। तहसील मुख्यालयों में 4 तहसीलों के मुख्यालयों पर कोई हाई/हायर सेकेन्डरी शाला नहीं है परन्तु इनसे लगते वाली पंचायत समिति में प्रत्येक में कम से कम एक हाई। हायर सेकेन्डरी शाला उपलब्ध है जो निम्न प्रकार है :

तहसील	जिला	तहसील की पंचायत समिति जहां हायर सेकेण्डरी स्कूल हैं
अनूपगढ़	गंगानगर	हनुमानगढ़
पंचपहाड़	झालावाड़	पचपदरा
दीगोद	कोटा	सुल्तानपुर
पीपल्दा	कोटा	इटावा

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि पंचायत समिति हैड क्वार्टर पर, पंचायत समिति एरिया में हाई स्कूल सब जगह पर हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि पंचायत समिति छबड़ा में कोई हाई स्कूल नहीं है।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : उदयपुर जिले के बडगांव पंचायत समिति क्षेत्र के अन्दर हायर सेकेन्डरी या हाई स्कूल नहीं है। वहां पंचायत समिति का मुख्यालय है लेकिन हायर सेकेन्डरी या हाई स्कूल नहीं है।

राव श्री धीर सिंह : एक हाई स्कूल या हायर सेकेन्डरी स्कूल अवश्य है, कोई पंचायत समिति ऐसी नहीं है जहां नहीं है।

श्री रोशनलाल शर्मा : यह गलत है। उदयपुर जिले के बडगांव पंचायत समिति क्षेत्र के अन्दर हायर सेकेन्डरी या हाई स्कूल नहीं है।

Page No 26

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मंत्री महोदय जवाब गलत दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता !

श्री रोशन लाल शर्मा : वहां पर प्राईवेट स्कूल भी नहीं है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : सिर्फ एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता। माननीय सदस्य।

श्री रोशन लाल शर्मा : एक प्रश्न का जवाब तो देने दीजिये।

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : बडगांव पंचायत समिति में देलवाडा गवर्नमेंट हायर सेकेन्डरी स्कूल है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : हमारे एरिया में कोई हाई स्कूल नहीं खोला गया है।

श्री अध्यक्ष : इसका भी उत्तर दे दें।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या यह सही है कि पंचायत समिति छबडा में कोई हाई स्कूल नहीं है ?

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करें।

पंचायत समिति क्षेत्रों का प्रश्न आ गया है, जिन जिन पंचायत समिति क्षेत्रों में नहीं हैं उन सब सवालात के जवाब दिये जायेंगे। पहले प्रश्न कर्ता पूछ लें।

श्री रामकुमार नंदवाना : प्रश्न तीन के उत्तर में आपने बताया कि कोई पंचायत समिति ऐसी नहीं है जिसमें एक भी हाई। हायर सेकेन्डरी स्कूल नहीं हो। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि पीपलदा तहसील के हैडक्वार्टर में जो मिडिल स्कूल है जहां 450 लड़के हैं वहां एक भी हाई स्कूल नहीं खोला गया।

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : जैसा अभी निवेदन किया गया कुछ स्थान ऐसे हैं जहां तहसील हैडक्वार्टर पर हाई/हायर सेकेन्डरी स्कूल नहीं है लेकिन कोई पंचायत समिति ऐसी नहीं है जहां कहीं न कहीं हाई स्कूल या हायर सेकेन्डरी स्कूल नहीं है। इस साल 6 स्कूल ऐसी जगहों पर खोले गये जहां पंचायत समिति में स्कूल नहीं था।

जहां तक दूसरा सवाल है पीपलदा मुख्यालय पर स्कूल खोलने का सवाल है इस वर्ष किसी भी जगह हाई स्कूल खोलने का विचार नहीं है धनाभाव के कारण। अगले वर्ष सम्भव हो सकते हैं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या यह सही है कि छबड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में भी हाई स्कूल नहीं है ?

श्री शिवचरण माथुर : मेरे पास पूरी सूची है। इसको आप देख सकते हैं। 6 पंचायत समितियां ऐसी थीं जिनमें एक भी हाई स्कूल नहीं था। बाकी सब जगह खोल दिये हैं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मैं दावे के साथ कहता हूं कि पंचायत समिति-छबड़ा में हाई स्कूल नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : छबड़ा खास में है।

श्री देवीदत्त गाडिया : वह म्यूनिसिपल एरिया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। श्री फूलचन्द बाफना।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मंत्री महोदय कैसे कह रहे हैं कि वहां है?

श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : सुमेरपुर पंचायत समिति में हायर सेकेन्डरी स्कूल है? हायर सेकेन्डरी स्कूल खोलने का आधार क्या है? जहां विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा हो?

श्री शिवचरण माथुर : मैंने कैटेगोरीकली कहा 6 पंचायत समितियों के हैडक्वाटर्स पर नहीं थे। मेरे पास लम्बी सूची है। अगर कोई माननीय सदस्य देखना चाहें तो मैं बता दूंगा कि कहां कहां हैं।

श्री अध्यक्ष। अभी नहीं।

श्री शिवचरण माथुर : मेरे पास डाइरेक्टरी है, जितनी जानकारी चाहें मेरे पास है।

श्री फूलचन्द बाफना : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया कि आधार क्या है?

श्री अध्यक्ष : इस साल नहीं खोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस वर्ष हाई स्कूल या हायर सेकेन्डरी स्कूल नये रूप से न खोला जाय या मिडिल स्कूल को अपग्रेड किया जाय यह राज्य सरकार ने निर्णय किया है? क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि यदि प्राइवेट स्कूल अपने खर्चे पर, जैसी सरकार की शर्तें हैं, एक या दो साल खर्च देने के बाद हायर सेकेन्डरी स्कूल तक मिडिल स्कूल को अपग्रेड कराना चाहें तो करा सकते हैं और इस आधार पर राज्य सरकार ने नये हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले हैं?

श्री शिवचरण माथुर : खर्चा देने के आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह निर्णय किया गया है कि यदि कोई पंचायत समिति किसी प्राथमिक शाला को यदि अपने खर्चे से, जब तक सरकार अपने प्लान में न लेले तब तक वह खर्चा करने के लिए तैयार है तो एक एक पंचायत समिति के पीछे एक प्राथमिक शाला अपग्रेड कर सकते हैं उच्च प्राथमिक शाला में।

श्री भैरोंसिंह : मै अपग्रेड करने का प्रश्न पूछ रहा हूं—मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में या हायर सेकेन्डरी में। क्या यह सही है कि हाल ही में झुंझुनू जिले में इसलामाबाद में इस प्रकार मिडिल स्कूल को अपग्रेड किया गया है।

श्री शिवचरण माथुर : नहीं।

श्री दौलत राम सारण : क्या यह सही है कि किसी सेकेण्डरी स्कूल को हायर सेकेन्डरी स्कूल में परिवर्तित किया गया है?

श्री शिवचरण माथुर : सूची में मैंने निवेदन किया कि केवल दो स्कूल ऐसे हैं जिनको हाई स्कूल से हायर सेकेन्डरी स्कूल बनाया गया है—खेतड़ी और आबू रोड।

श्री दौलतराम सारण : खेतड़ी में इस लिए बनाया गया क्योंकि वहां चुनाव में आश्वासन दिया गया था।

श्री शिवचरण माथुर : जी नहीं। खेतड़ी का राजस्थान का सबसे पुराना हाई स्कूल है।

श्री दौलतराम सारण : 60 वर्ष बाद इस साल इस स्कूल को अपग्रेड करने का मुहूर्त कैसे आया ?

श्री अध्यक्ष : नेता महोदय।

श्री दौलतराम सारण : खेतड़ी के अन्दर हायर सैकेन्डरी स्कूल बनाने का आश्वासन चुनाव से पहले दिया गया था और उसकी हमने चुनाव आयोग को शिकायत की थी वहां हायर सेकेन्डरी स्कूल अब बनाया है वोट लेने के लिए। 60 वर्ष तक नहीं बनाया गया सबसे पुराने स्कूल को...

श्री रामानन्द अग्रवाल : हिंडौन में बनाया गया ?

श्री अध्यक्ष ! आर्डर ! आर्डर !

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : मेरा निवेदन है कि क्या सरकार इस सम्बन्ध में अपनी नीति निर्धारित करना चाहती है कि पंचायत समिति तथा तहसील मुख्यालय पर हायर सेकेन्डरी या हाई स्कूल की अवश्य स्थापना हो ?

श्री शिवचरण माथुर : यह हमारी नीति है और उसी आधार पर हमने 6 पंचायत समितियों के मुख्यालयों पर जहां आज तक नहीं थे इस साल खोले हैं। हैडक्वार्टर्स पर नहीं एक जगह पर पंचायत समिति में खोला है। मुख्यालय पर खोलने में कई दिक्कतें आती हैं। जैसे शिव तहसील का मुख्यालय है। गत वर्ष वहां केवल प्राइमरी स्कूल था, लास्ट ईअर मिडिल स्कूल बनाया गया है। उसके बाद में सम में रामगढ़ में हाई स्कूल बनाया गया है, सम में नहीं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री देवीदत्त गाडिया : व्यवस्था का प्रश्न है। जब से सदन चालू हुआ है, अनेक सदस्यों के जिनमें मैं भी एक हूँ एक भी प्रश्न अभी तक नहीं आया और जितने भी तारांकित और अतारांकित प्रश्न आए, पता नहीं लगता कि स्थगित हो गए या उत्तर दिया जायगा। अभी तक मेरे एक प्रश्न के अलावा किसी का उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष ! आर्डर आर्डर !

श्री देवीदत्त गाडिया : अन्त में यही...

श्री अध्यक्ष : यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री देवीदत्त गाडिया : है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, यह तो आंतरिक व्यवस्था का प्रश्न है। सदन की व्यवस्था का नहीं।

श्री देवीदत्त गाडिया : अध्यक्ष महोदय :

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री रामकिशन : हिंडौन वाली बात साफ हो जाय।

श्री देवीदत्त गाडिया : मेरा शार्ट नोटिस क्वेश्चन था जयसमन्द के बारे में वह तारांकित न रखकर अतारांकित किया गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मदनसिंह : क्या यह सही है कि आपने विश्वास दिलाया था और आपकी सरकार ने निश्चय कर रखा है कि अगर अकाल की स्थिति ठीक हो जाय तो नए स्कूल खोले जायेंगे !

श्री अध्यक्ष : हाइपोथेटिकल। आर्डर प्लीज!

श्री रामकिशन : मन्त्री महोदय ने खेतड़ी और सिरोही का जिक्र किया है और आधार बताया है कि पुराने स्कूल हैं। हिंडौन पुराना स्कूल है, छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा है, सरकार को क्या आपत्ति है जो भौगोलिक स्थिति है और जिस प्रकार से जनता की मांग है, क्या मन्त्री महोदय सहानुभूति पूर्वक उस पर विचार करेंगे ?

श्री शिवचरण माथुर : खेतडी से पुराना नहीं है।

श्री रामकिशन : छात्रों की संख्या की दृष्टि से ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री श्रवण लाल : एक जानकारी

श्री अध्यक्ष : 12 बजकर 20 मिनिट हो गए हैं, कोई जानकारी नहीं।

श्री विजयसिंह : On a point of order, Sir.

श्री श्रवणलाल : एक जानकारी चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करें। उधर से पोइन्ट आफ ओर्डर आया है।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय श्री रामानन्दजी ने ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एक प्रश्न पूछा है कि जिसने रक्षा कोष का गबन किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न एक साल के बाद बडी मुश्किल से आया है। रक्षा कोष को जिन्होंने बचाया उनको तो विक्टिमाइज कर दिया और जिन्होंने रक्षा कोष का गबन किया उनको प्रमोट कर दिया।

श्री अध्यक्ष : इसी प्रश्नावली में है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जी हां।

श्री अध्यक्ष : उसको मैं ले लेता हूँ। और कोई प्रश्न नहीं लूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : प्रश्न के घंटे को बढ़ा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : वह बढ ही रहा है।

विद्यालय निरीक्षिका भरतपुर के विरुद्ध शिकायत

193. **श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि श्रीमती एल. टी. रैम्से विद्यालय उप निरीक्षिका,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

भरतपुर के विरुद्ध 24-2-69 को कोतवाली पुलिस भरतपुर में राष्ट्रीय रक्षा कोष के कुछ रुपया गबन करने की रिपोर्ट श्री जगदीश प्रसाद गौड़, सदस्य विभागीय आडिट पार्टी द्वारा दर्ज कराई गई थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पुलिस ने क्या कार्यवाही की है ? क्या यह सही है कि पुलिस ने इस केस में फाइनल रिपोर्ट दे दी है ? यदि हां, तो पुलिस की फाइनल रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि श्रीमती रेम्से के विरुद्ध इस आरोप की विभागीय जांच के लिये विद्यालय निरीक्षिका, अजमेर श्रीमती विमला शर्मा को नियुक्त किया गया था ? क्या यह सही है कि श्रीमती विमला शर्मा ने अपनी जांच रिपोर्ट पेश कर दी है और इसमें श्रीमती रेम्से के विरुद्ध गबन के आरोप को सही माना है ? कृपया श्रीमती विमला शर्मा द्वारा दी गई जांच की रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि श्री शिवचरण माथुर तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने दिनांक 16-7-68 को श्रीमती एल. टी. रेम्से को इस आरोप की दोषी मानते हुए चार्ज शीट देने और सस्पेन्ड करने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या यह सही कि श्रीमती रेम्से को शिक्षा मंत्री के आदेश के बावजूद केवल चार्जशीट दी गई और सस्पेन्ड नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? कृपया श्री शिवचरण माथुर, शिक्षा मंत्री के 16-7-68 के आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि श्रीमती एल. टी. रेम्से को गबन के आरोप की शिकायत दर्ज होने के बाद सस्पेन्ड करने की बजाय पदोन्नत किया गया अर्थात् उन्हें प्रधानाध्यापिका राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक शाला, ब्यावर जो उनका होम डिस्ट्रिक्ट है, में लगाया गया जहां उन्हें 50) रु. मासिक वेतन अधिक मिलने लगा ?

(5) क्या यह सही है कि शिकायत करने वाले श्री जगदीश प्रसाद गौड को 30-4-68 को जैसलमेर ट्रान्सफर कर दिया गया तथा अन्य सम्बन्धित चार लिपिकों को बाडमेर, डूंगरपुर, नागौर और राजसमन्द (उदयपुर) ट्रान्सफर कर दिया गया ?

(6) क्या यह सही है कि इन लिपिकों को वापिस होम डिस्ट्रिक्ट में भेजने के विजिलेन्स कमिश्नर के कहने पर शिक्षा सचिव ने 4-9-68 को आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या सही है कि इनमें से तीन को अभी तक वापिस अपने जिलों में नहीं भेजा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(7) क्या यह सही है कि इनमें से श्री जगदीश प्रसाद गौड और रामेश्वर दयाल लिपिकों को क्रमशः अगस्त 1968 और मई 1968 से वेतन भी नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप मंत्री शिक्षा (श्री धीरसिंह) : (1) जी हां। पुलिस की फाइनल रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(2) विद्यालय निरीक्षिका अजमेर द्वारा प्रारम्भिक जांच की जाकर रिपोर्ट सरकार के पास प्रस्तुत की गई जिस पर

Page No 31

(श्री धीरसिंह)

सी. सी. ए. रूल्स के तहत विभागीय जांच के लिये सरकार द्वारा 22-11-68 को आदेश दिये गये।

(3) इस प्रकार के कोई आदेश नहीं दिये गये।

(4) जी हां। वरिष्ठता के आधार पर राजकीय उच्च कन्या माध्यमिक विद्यालय, ब्यावर में प्रधानाध्यापिका के पद पर अस्थायी पदोन्नति की गई।

(5) जी हां।

(6) जी हां। संयुक्त निदेशक, जयपुर ने इन्हें अपने जिलों में स्थानान्तरण करने के आदेश निकाल दिये हैं जो इस प्रकार हैं:—

1. श्री नत्थीलाल का स्थानान्तरण विद्यालय निरीक्षक अजमेर से अलवर।

2. श्री सुखदेव मुखिया का विद्यालय निरीक्षक सीकर से अजमेर।

बाकी जो एल. डी. सी. हैं उनके लिए विद्यालय निरीक्षक, अलवर व भरतपुर को लिख दिया गया है कि इन कर्मचारियों को अपने ऐच्छिक स्थानों पर स्थानान्तरण कर दिया जावे।

(7) वेतन समय पर नहीं मिलने के कारण इन कर्मचारियों का लम्बी छुट्टी पर रहना है। जिसकी वजह से बिल ट्रेजरी में देरी से गये और अब ट्रेजरी से पास होने पर भुगतान कर दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय उप मंत्री महोदय आपने तो उत्तर दे दिया लेकिन मेरे पास उत्तर नहीं आया है।

राव श्री धीरसिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी यह देरी से आया है और सीधा मेरे पास आया है।

श्री अध्यक्ष : मैं आप से क्या कहूं? बार बार क्या कहूं? मैं तो आपके उत्तर से वंचित हूं।

राव श्री धीरसिंह : देरी के लिए क्षमा चाहता हूं और आयन्दा के लिए व्यवस्था करा दी जायगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रतियां भेजी हैं?

श्री अध्यक्ष : आरम्भ रखिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि श्रीमती विमला शर्मा, उप निरीक्षिका, अजमेर ने श्रीमती रेम्से के विरुद्ध इस आरोप को सही माना है?

राव श्री धीरसिंह : जो रिपोर्ट श्रीमती शर्मा ने दी है उसके आधार पर सी. सी. ए. रूल्स के अन्तर्गत डिटेल्ड इन्क्वायरी के आदेश दे दिये गये हैं। यह तो प्रारम्भिक रिपोर्ट है। प्राइमा फेसी केस एस्टेब्लिश हो गया तब ही तो फाइनल इन्क्वायरी के आदेश दिये हैं। फाइनल रिपोर्ट आवेगी तब ही कह सकेंगे कि कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि इस मामले में कुछ इस श्रीमती जी की हाथ की रसीदें, पत्र आदि मिले हैं और उनके डाक्यूमेन्टरी एविडेन्स हैं प्रत्यक्ष में गबन के?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : उस रिपोर्ट की एक लाइन पढ़ कर सुना देत

Page No 32

(श्री शिवचरण माथुर)

हूं। "श्रीमती रेम्से की भूल हो या ऐसा किया गया हो यह कहना संभव नहीं है।" इसलिए सी. सी. ए. रूल्स के अन्तर्गत डिटेल्ड इन्क्वायरी के आदेश दिये गये हैं और वह इन्क्वायरी चल रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : चार स्थानों में से दो स्थान वे हैं जिसके लिए रिपोर्ट की गई है और नंदवई और रामगढ़ जिसकी सूचना बाद में दी गई, इन चारों स्थानों पर राष्ट्रीय कोष के लिए इकट्ठा किया गया धन राष्ट्रीय कोष रजिस्टर में नहीं पाया गया और गबन माना गया है। क्या यह सही है ?

राव श्री धीरसिंह : प्रारम्भिक रिपोर्ट भेजी है वह पढ़ कर सुना दी। जो प्राइमा फेसी केस बनता है उस पर कम्पलीट ओपिनियन नहीं बनायी जा सकती। अधिक इसमें कुछ कहना फाइनल इन्क्वायरी को प्रिज्यूडिस करना होगा। इसलिये जब तक फाइनल इन्क्वायरी न होजाय तब तक नहीं कहा जा सकता है कि क्या गलत है और क्या सही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि सरकार ने खुद के जो क्लर्कस हैं उनको चार्जशीट जारी की है कि उन्होंने वह रकम गबन की है ? उन्होंने असली रोकड़ फाड़ दी और दूसरी रोकड़ बना ली और जो रकम आई वह रेम्से ने जमा नहीं की ?

राव श्री धीरसिंह : दोनों पर चार्ज लगाया गया है और दोनों के लिए डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी के आदेश दिये गये हैं। रेम्से को भी जवाब देना पड़ेगा। केवल उस क्लर्क को ही उस इन्क्वायरी में ट्राई कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है और रेम्से की भी ट्रायल हो रही है। प्राइमा फेसी केस बना है और डिटेल्ड इन्क्वायरी की जा रही है। क्लर्क के खिलाफ और रेम्से के खिलाफ हो यह अलग बात है।

श्री रामकिशन : क्लर्क के खिलाफ किस प्रकार से चार्ज शीट दी गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : क्लर्क को सस्पेन्ड कर दिया और आफिसर को सस्पेन्ड क्यों नहीं किया ? आफिसर को प्रमोशन दिया गया !

श्री शिवचरण माथुर : इन्क्वायरी चल रही है इस वक्त क्या सही है और क्या गलत है यह कहना उचित नहीं है। गवर्नमेंट इन्क्वायरी आ जाय तो ही कह सकते हैं। आज जब कि इन्क्वायरी हो रही है तो क्या कहना सही है और क्या गलत है, रेम्से की गलती हो या क्लर्क की।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि क्लर्क के खिलाफ यह आरोप लगाया है कि उन्होंने यह डाइवल्ज करके विभाग की और श्रीमती रेम्से की बदनामी की है इस कारण उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है ? श्रीमती रेम्से की और विभाग की उन्होंने बदनामी की इसलिये चार्जशीट दी उसका यह एक मुद्दा है क्या यह सही है ?

राव श्री धीरसिंह : यह चार्जशीट की बात नहीं है। जो बात आयी उसके लिये क्लर्क या रेम्से दोषी है या कौन दोषी है ? आज तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि अमुक दोषी है। इन्क्वायरी चल रही है। आज क्लीयर तौर से सरकार नहीं कह सकती कि कौन

(श्री धीर सींह)

दोषी है। डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी पूरी होने पर ही कहा जा सकता है। शिकायत क्यों कि यह कोई आरोप नहीं है।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है····

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि श्री जगदीश प्रसाद गौड की इस प्रकार की शिकायत है विजिलेन्स कमिश्नर के पास, विभाग के पास और उसने अपने ज्ञापन में कहा है कि मेरे को इस बात के लिये विक्टीमाइज किया जा रहा है और यह कहा कि तुमने इस तरह की बात क्यों डाइवल्ज की? इस तरीके से उन्होंने विजिलेन्स कमिश्नर और गवर्नमेंट को रिप्रेजेन्ट किया है और विजिलेन्स कमिश्नर ने बीच में इन्टरवीन करके उसके ट्रांसफर करने के आदेश दिलाये, क्या यह सही है?

श्री शिवचरण माथुर : जानकारी दी थी। पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज है। इस पर उन्हें चार्जशीट दी जाय, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय, यह सवाल नहीं है। पुलिस में एफ. आई. आर. रूल्स के अनुसार विभाग के सिनियर आफिसर द्वारा विभाग में जो गड़बड हो, वह कर सकता है। सिनियर आफिसर ने न करके यह कार्य एक क्लर्क ने किया है, यह एतराज विभाग का हो सकता है। जगदीश प्रसाद गौड ने रिपोर्ट दर्ज की है, इसलिये उस बात की चार्जशीट का एक कारण बनाया जाय, यह बात सही नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नगर के अन्दर जो गबन की रिपोर्ट की है, उसके बारे में आडिट पार्टी ने सन् 1966 में इस बात को कहा है। इस तरह से कच्ची रसीद मिलती है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं? इसके बाद जब दूसरे स्कूल बाडी के अन्दर इस तरह की कच्ची रसीद पकडी गई तब उन्हें सन्देह हुआ। सीनियर आफिसर इस तरह मालूम होने पर भी एक्शन नहीं लेते हैं। डिपार्टमेंट को कहें तो रसीदों को फड़वा दें और इसलिये इनकी पुलिस को रिपोर्ट करनी पडी और इसके सीनियर आफिसर को इसकी रिपोर्ट की है और उन्होंने इसको सुना है। फिर भी कोगनीजेन्स नहीं लिया तब जा कर एस. पी. को रिपोर्ट की गयी है।

श्री शिवचरण माथुर : सब बातों का जवाब इस मौके पर नहीं दे सकता, अध्यक्ष महोदय। इसकी जानकारी की जा रही है कि क्या सही है और क्या गलत है? जो भी तथ्य है और जो तथ्य आप देना आवश्यक समझते हैं और आपने यहां कहा है उन पर गौर किया जायेगा। यही मैं यहां कह सकता हूं।

(व्यवधान-शोर गुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री श्रवणलाल : नत्थीलाल के खिलाफ 1½ साल से······

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रवणलाल : उसको परेशान करके इसको मुअत्तिल कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है। स्थान ग्रहण करें। अब समय नहीं है। दूसरा बिजनैस है, उसको

(श्री अध्यक्ष)
लेना है, उसको रेगुलेट करना है। मैं माननीय सदस्यों से सहयोग चाहता हूं।

श्री श्रवणलाल : सुरक्षा कोष में गबन और·········

श्री अध्यक्ष : इसीलिए इस प्रश्न को लिया है।

श्री श्रवणलाल : 1½ साल से किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य···

श्री श्रवणलाल : गबन करने वाले को··

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री श्रवणलाल : जिसने गबन किया है उनको संरक्षण किया जा रहा है··

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दूसरा बिजनेस है, कई एडजोनमेंट मोशन्स हैं, शार्ट नोटिस क्वेश्चन्स हैं, मैं माननीय सदस्यों से यह चाहता हूं।

(शोरगुल, अश्रव्य) आर्डर प्लीज !

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसे किसी दूसरी तरह से, अध्यक्ष महोदय, लिया जाये।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि डिप्टी डाइरैक्टर ने आज अपनी सर्विस से रिटायर हो जाने के बाद···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप चार दफा से अधिक बोल चुके हैं।

श्री रामनन्द जी।

श्री शिवचरण माथुर : मैं यह कहना चाहता हूं···

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! शिक्षा मन्त्री जी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपकी जो डिफिकल्टी है कि टाइम खत्म हो गया, यह मैं महसूस करता हूं परन्तु सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और अधिक लोगों की मंशा को देखकर मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी इस पर स्टेटमेंट हाउस में कल दे दें।

श्री शिवचरण माथुर : स्टेटमेंट के तथ्य जो आज है, वही कल होंगे। इसलिए जब तक इसकी इन्क्वायरी पूरी नहीं हो जाती तब तक कहना, क्या उचित होगा ?

एक माननीय सदस्य : इन्क्वायरी कब तक पूरी हो जायेगी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम-का-थाना) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न सन् 68 का है। 68 में रिपोर्ट हुई है और आज तक रक्षा कोष के गबन के मामले पर कोई कार्यवाही नहीं होती है, इसलिए यह प्रश्न बहुत ही आवश्यक है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मन्त्री जो यह कहते हैं कि जांच रिपोर्ट कम्पलीट हो जाय तब उसके ऊपर बात हो, परन्तु इसके पहले, अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों को, जिन्होंने कि इसकी शिकायत की है, विक्टी-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
माइज किया जाकर जैसलमेर, बाडमेर ट्रान्सफर कर दिया है फिर उनको वापिस बुलाया है। यह नत्थीलाल हैं इसको रिइन्स्टेट करके फिर सस्पेन्ड कर दिया हैं। आपको शायद मालूम नहीं है He has been suspended जिस नत्थीलाल को स्पेशल आर्डर करके बुलाया है। हुकुमत आपकी नहीं चलती हैं। जो वहां पर नीचे हैं, उनकी चलती है, माथुर साहब।

श्री शिवचरण माथुर : नत्थीलाल, जहां तक मेरी जानकारी है, दो दिन पहले मुझसे मिलने यहां आये थे। उसका यह कथन था कि उनकी पत्नी का नागौर क्षेत्र में कहीं अपाइन्टमेंट हो गया है, इसलिए उनकी पत्नी का यहां पर ट्रांसफर कर दिया जाये। जहां तक उनके ट्रांसफर का सवाल था, वह उचित स्थान पर कर दिया गया है। यह मेरी जानकारी आज की हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: जांच इस बात की हो रही है, उसके तमाम तथ्य, सारी स्थिति को स्टेटमेंट के रूप में यहां रख देंगे। चाहे तो कल दे दें, परसों दे दें ताकि हमें भी उस पर कहने का मौका मिल जाय।

श्री शिवचरण माथुर : स्टेटमेंट कल या परसों हो, उसमें कौनसी बात सामने आयेगी, यह मेरी समझ में नहीं आता। हां, जांच की कोई तिथि निश्चित हो, कितने दिनों में रिपोर्ट आ जाय, यह मैं कह सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री चौधरी।

श्री राम नारायण चौधरी (मंडावा) : अध्यक्ष महोदय, यह मामला गम्भीर है। श्री जगदीशप्रसाद गौड को, जिन्होंने आडिट करके रक्षा कोष में हुए गबन की शिकायत की है, पेनेलाइज किया गया है। राज्यपाल महोदय ने जो डी. ओ. लेटर...

श्री अध्यक्ष : क्या डी. ओ. लेटर है, किसका है ?

श्री रामनारायण चौधरी : राज्यपाल महोदय ने श्री जगदीश प्रसाद गौड को एक डी. ओ. लेटर लिखा है। वह मैं इस सदन में पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

Dear Mr. Gaur,

"I have received your letter dated 3rd June. It is not correct that I have no time for hearing petty cases. I am prepared to give as much time as may be required. But you must appreciate that I can only advise, suggest and discuss.

You explain that enquiries are not being conducted fairly and therefore you want to see me. You are welcome, I shall be in Mt. Abu till the end of this month and there after in Jaipur".

यहां तक कि राज्यपाल महोदय तक यह मामला गया है। जो आदमी रक्षा कोष के मामले में शिकायत कर रहा है, उस आदमी को आप उठा कर जैसलमेर ट्रान्सफर कर देते हैं। इन्क्वायरीं हुई है और इन्क्वायरी में यह मामला एस्टेब्लिस हो गया है कि गबन हुआ है, यह एलीगेशन दिया है डिपार्टमेंट इन्क्वायरी ने, जिसमें लिखा है

(श्री राम नारायण चौधरी)

"Shri Nathi Lal while working as accounts clerk in the office of the DIGS Bharatpur did not check up the inspection report of the Government Girls Middle School, Nagar in time and allowed the irregularities to continue. Had he checked up the report in time and called for the compliance the embazzled amount of the National Defence Fund could have come to light much earlier".

इतना स्ट्रांग मामला है, उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री शिवचरण माथुर : आप सब लोगों की चिन्ता को मैं समझता हूं. जो एतराज है, वह सही है। मेरी कठिनाई यह है कि इन सब बातों पर चर्चा करना, फैसला होने के बाद, जांच रिपोर्ट मेरे पास आने के बाद ही सम्भव है। बाकी जो कुछ आप कह रहे हैं, वह गलत है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं।

श्री राम नारायण चौधरी : जिस आदमी ने डिफेन्स फन्ड में गबन किया है, राज्यपाल महोदय तक गया है, और कोई कार्यवाही न हो · · ·

श्री श्रवणलाल : यह सही बात है। उसको जैसलमेर से उठाकर डूंगरपुर के पुनाली गांव में भेजा गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनको विक्टीमाइज किया है · · · ·

श्री श्रवणलाल : उसको हरियाणा से लगती हुई बोर्डर पर भेजा गया है, उसको परेशान किया गया है। यह मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि नत्थीलाल आज भी सस्पेंड है जब कि डिप्टी डाइरेक्टर सेवाकाल से मुक्त हो गये हैं मुक्त होने के पहले अपने हस्ताक्षर करके उसको सस्पेंड करके गये हैं।

श्री विजयसिंह : इसकी शिकायत की तो उसे जैसलमेर भेज दिया, उसके ऊपर वह वहां 12 महिने बैठा रहा, उसको तनख्वाह नहीं मिली। यह राजस्थान सरकार की व्यवस्था है। और उसको संरक्षण दिया गया जिन्होंने सुरक्षा कोष का गबन किया, उनको फेसिलिटी दी। ऐसे डिप्टी डाइरेक्टर, एजूकेशन को गोली मार देनी चाहिये · · · ·

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मामला यहीं तक नहीं है · · · ·

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर! माननीय सदस्य!

श्री विजयसिंह : आप चाहते क्या हैं? इस प्रकार से इसको टाला जा रहा है · · ·

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर! माननीय सदस्य। भाषण नहीं।

श्री विजयसिंह : मैं अध्यक्ष महोदय · · ·

श्री अध्यक्ष : आर्डर। आर्डर। श्री रामानन्द जी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस जगदीश प्रसाद ने, जिसने यह रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई, को किस तरह से

Page No 37

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
तंग किया गया, उसके बारे में गवर्नमेंट खुद का आर्डर है ट्रान्सफर का, उसकी तनख्वाह के बारे में जो आर्डर है वह मैं पढ़ कर सुनाता हूं।

श्री जगदीश प्रसाद कार्यालय वरिष्ठ लिपिक जो जैसलमेर में नियुक्त किया गया उनको 1-5-68 से 27-7-68 तक का उपार्जित अवकाश स्वीकार किया जाता है। उपर्युक्त कनिष्ठ लिपिक का स्थानान्तर अपर निदेशक, शिक्षा विभाग निरिक्षणालय, अलवर द्वारा जैसलमेर किया गया था। जैसलमेर में उक्त कनिष्ठ लिपिक का पद रिक्त नहीं होने से उसका वेतन राजकीय माध्यमिक विद्यालय खीचन के वरिष्ठ लिपिक के पद से उठाये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय, यह पढ़कर बताने का उद्देश्य यह है कि अलवर से उसका ट्रान्सफर इमीडियेटली जैसलमेर कर दिया गया वहां पर कोई पद भी खाली नहीं था उसको तनख्वाह नहीं मिली। झगड़ा चलता रहा उसके एक साल के बाद तय हुआ खीचन में वरिष्ट लिपिक का पद खाली है उसकी जगह से यह वेतन एडजस्ट कर लिया जाय। उसको तनख्वाह का पेमेन्ट चार छः महीने बाद किया गया। मुझे बड़ा आश्चर्य है उप मंत्री जी शिक्षा हंस रहे है, उनको शर्म आनी चाहिये एक कर्ल्क को, जिसने राष्ट्रीय रक्षा कोष के फण्ड के मिसयूज करने की बात को बताया है, विक्टिमाइज किया जाय और उस बेचारे को एक जगह से दूसरी और तीसरी जगह ट्रान्सफर कर दिया जाय। जगदीश प्रसाद वास्तव में दोषी था क्या? उसकी क्या गलती है जिसके कारण उसको विक्टिमाइज किया गया।

राव श्री धीरसिंह : उसको वापिस ट्रान्सफर करने के आदेश दे रहा हूं ....

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्री जी ...

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है ?

श्री अध्यक्ष : यह गंभीर मामला है माननीय सदस्य। माननीय शिक्षा मंत्री जी, इस प्रश्न पर सदन ने चिन्ता व्यक्त की है खास कर डिफेन्स फण्ड के कोष के बारे में। मैं जानना चाहता हूं इसकी इन्क्वायरी कब से चल रही है, और कब समाप्त हो गई ? किस स्टेज पर ये तीन बाते हैं। आप कोई ऐसा रिप्लाई दीजिये जिससे माननीय सदस्यों की चिन्ता समाप्त हो जाय, और यह प्रश्न समाप्त हो जाय और आगे का बिजनेस लिया जा सके।

श्री रामकिशन : एक प्रश्न मेरा है। मंत्रीजी आप एक बात बता दीजिये, नत्थीलाल क्लर्क सस्पेण्ड किया गया उसके लिये यह सुना गया है कि श्री सौभाग्य चन्द्र माथुर जो रिटायर्ड हो गये हैं उनके द्वारा सस्पेण्ड किया गया है।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (बानसुर): वह मामला पुलिस में चला गया था जिसको मिनिस्टर के कहने से वापिस विथड्रा कर दिया गया एज्यूकेशन डिपार्टमेंट ने एस. पी. के पास उचित कार्यवाही के लिये उस पर विजीलेन्स कमिशन ने इन्टरवीन करके सुपरिन्टेन्डेन्ट के पास डिपार्टमेंट ने वापिस कर दिया और 182 के तहत पुलिस कार्यवाही कर रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके विभाग के सेक्रेटरी और अधिकारी पर्सनलो

[redacted]

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
उसको अटेन्ड कर रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर: 24-2-67 को जगदीशप्रसाद ने शिकायत की थी उसके बाद इन्क्वायरी कराने की बात की थी उसमें समय लग गया वह मैं मानता हूं।

अब मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि एक महीने के अन्दर इस सारे मामले की जांच करवा कर, अध्यक्ष महोदय, आप कहें तो आपके पास रिपोर्ट भेज दूंगा। आप उसको देख लीजिये। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इसमें किसी के बचाने का सवाल नहीं है। रक्षा कोष के पैसे के गबन करने वाले को बचाने का सवाल नहीं। जिसके साथ ज्यादती हुई है उसको ठीक करने का इरादा है। माननीय सदस्य जानते हैं इसका ट्रान्सफर मैंने ही वापिस करा दिया था।

श्री देवीदत्त गाड़िया: श्रीमती रेम्से को सस्पेण्ड करके इन्क्वारी कराइये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: क्या माननीय मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री यह उचित नहीं समझते हैं कि कोई गवर्नमेंट-मनी का मिस एप्रोप्रियेशन करे और उसकी सूचना चाहे छोटा अधिकारी दे या बड़ा अधिकारी दे राज्य सरकार को उसके इस कार्य को एक्ट ऑफ इनडिसीप्लीन नहीं माना जायगा?

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि किसी सीनियर आफिसर के खिलाफ कोई एल.डी.सी. पैसे के मिस-एप्रोप्रियेशन के बारे में सूचना दे इस बारे में आप पॉलिसी डिसीजन लेकर सभी विभागों को सूचित करें कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट इस प्रकार के एक्ट को एक्ट ऑफ इनडिसीप्लीन नहीं मानेगा। इस प्रकार का सरक्यूलर इश्यू करने के बारे में कार्यवाही की जायगी।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): मैं समझता हूं अगर कोई इस प्रकार की सूचना भेजता है वह एक्ट ऑफ इनडिसीप्लीन न होकर पब्लिक इण्ट्रेस्ट में वह करता है यह समझकर चला जा सकता है। इसी लिहाज से इसको देखकर करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे इस नीति की अनुपालना उप-मन्त्री ने की जिन्होंने इस सवाल का जवाब दिया। जिस व्यक्ति ने डिफेन्स फण्ड के मिस-एप्रोप्रियेशन की रिपोर्ट दी उस जगदीशप्रसाद जो उस आडिट पार्टी का मेम्बर था, के सूचना देने पर उसको इनाम देने के बजाय उसको तंग किया गया और उसका अलवर से जैसलमेर, फिर तिजारा, फिर भरतपुर और फिर बोर्डर पर तबादला किया। क्या उसको आप उसके साथ ग्रेट इनजस्टिस नहीं मानते? मंत्री महोदय आपको तो यह भी पता नहीं कि उसको सस्पेण्ड भी किया या नहीं?

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, कामेश्वरप्रसाद को जो चार्ज-शीट दी गई उसका नम्बर 6 पढ़कर सुनाता हूं।

"श्री कामेश्वरदयाल ने जगदीश के साथ मिल कर रेम्से को डिफेम करने का काम किया है।"

This is Charge-sheet जगदीशप्रसाद और रामेश्वरप्रसाद ने रोकड़ देखी, पैसा जमा किया या नहीं। इससे स्पष्ट है आप उसको

Page No 39

(रामानन्द अग्रवाल)
एक्यूज्ड मानकर चारों तरफ से तंग कर रहे हैं। आपका वश चले तो उसका मर्डर हो जाय।

श्री शिवचरण माथुर : मैं इस मामले को स्वयं देख लूंगा और यह भी देखूंगा कि उसको किसी प्रकार भी पेनेलाइज नहीं किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने तो उस बेचारे को अलवर से जैसलमेर ट्रान्सफर कर दिया और 12 महिने तक उसको तनख्वाह नहीं दिलायी।

श्री शिवचरण माथुर : मैंने तो उसे जैसलमेर से वापिस करवाया था। इसमें देर हुई यह मैं स्वीकार करता हूं। किसी को शील्ड करने की बात आती नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्र ा : शिक्षा मंत्री अक्टूबर 1969 में एक पत्र बरकततुल्ला खां की ओर से लिखा गया कि मिस-एप्रोप्रियेशन हो रहा है। तो अक्टूबर से 26 फरवरी 1969 पांच महीने तक हालत क्या थी, वह इस पत्र से मालूम होगा।

There is a particular allegation that you want to murder him.

पांच पांच महीनों तक आपके सेक्रेटरी मिनिस्टर को सूचना ही नहीं देते। उनको लोअर लेवल पर इतना इन्ट्रेस्ट है इस मामले में। मैं इस बारे में अधिक नहीं कहना चाहता मामला स्पष्ट है। आपके स्टाफ के लोग और सेक्रेटरी आपकी चिन्ता ही नहीं करते आपको यह भी मालूम नहीं है कि उनको सस्पेण्ड कर दिया है या नहीं।

श्री शिवचरण माथुर : एक महीने के अन्दर सारी जानकारी करवा लूंगा।

श्री भगवानदास शास्त्री : ऐसे आदमियों को भी आपके यहां डिफेण्ड किया जा रहा है।

श्री देवीदत्त गाडिया : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी को ज्ञान होगा। आपके बिजोरा के सरपंच और डी. वाई. एस. पी. . . .

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री देवीदत गाडिया के लगातार बोलते जाने पर)

श्री अध्यक्ष : इनके कथन को नोट नहीं किया जावे। XXX

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ठ 1 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

सहायक वाणिज्य कर अधिकारों की नियुक्ति

176. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर सु.):–क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) 1964 से लेकर आज तक कितने सहायक वाणिज्यक-कर अधिकारी नये नियुक्त

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया

(श्री परस राम मगांराम)
(सीधी भर्ती द्वारा) किये गये हैं व प्रमोशन द्वारा लिये गये हैं ?

(2) इन सहायक वाणिज्य कर अधिकारियों की नई नियुक्ति व प्रमोशन में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के कितने अधिकारी सीधी भर्ती द्वारा व कितने को विभागीय प्रमोशन दिये गये हैं ?

(3) क्या ये नई नियुक्तियां व प्रमोशन कुल नियुक्तियों की व प्रमोशन की बारह प्रतिशत हैं ? यदि नहीं, तो नई नियुक्तियां व प्रमोशन्स में इस कोटे से कितने अधिकारी कम रहे हैं ?

(4) क्या अब इस कोटे की पूर्ति के लिये सरकार कोई कदम उठाने का विचार कर रही है तथा अनुसूचित जाति के निरीक्षकों का प्रमोशन देने अथवा सीधी भर्ती करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और पहले क्यों नहीं कोटा पूरा किया गया और अब कब पूरा करने का विचार है ?

उत्तर

(1) सन् 1964 से अब तक 52 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की आज्ञा हुई।

(2) उपरोक्त समय में वाणिज्यिक कर निरीक्षकों में से 97 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी तदर्थ अस्थायी नियुक्ति पर लिये गये।

जिन 52 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की आज्ञा हुई थी, उनमें से 7 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के थे।

वाणिज्यिक कर निरीक्षकों में जो तदर्थ नियुक्तियां हुई हैं उनमें से दो अनुसूचित जाति के थे।

(3) जो नई नियुक्तियां हुई उनमें अनुसूचित जातियां/जन जातियों के 12½% व्यक्ति थे।

नई नियुक्तियों के कोटे में संख्या कम नहीं थी। वाणिज्यिक कर निरीक्षकों में से जो अस्थाई तदर्थ नियुक्तियां हुई हैं वे वरिष्ठता व योग्यता (Seniority-Cum-merit) के आधार पर है इनमें। 12½% रिजर्वेशन का नियमों में प्रावधान नहीं है।

(4) भविष्य में जब भी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियां होंगी नियम का उस समय भी ध्यान रखा जायगा विभागीय प्रमोशन में 12½% रिजर्वेशन का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है।

राजस्थान सेवा संघ डूंगरपुर

177. **श्री देवेन्द्र कुमार मीणा** (गोगुन्दा सु.):—क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान सेवा संघ, डूंगरपुर के अन्तर्गत कितने होस्टल व प्राइमरी स्कूलें चलाई जा रही हैं ?

(2) समाज कल्याण विभाग की ओर से सेवा संघ, डूंगरपुर को कितना अनुदान होस्टलों व स्कूलों हेतु दिया जाता है ? कितना उनमें से देना बाकी है तथा कब और कौन से

(श्री देवेंद्रकुमार मीणा)

सन् का कितना रुपया बाकी है ?

(3) संस्था के अन्दर काम करने वाले कितने कार्यकर्ता हैं ? कृपया इसकी सूची सदन की मेज पर रखी जावें ।

उत्तर

(1) राजस्थान सेवा संघ, डूंगरपुर के अन्तर्गत 10 छात्रावास व 43 प्राईमरी स्कूलें चलाई जा रही है ।

(2) छात्रावासों में अनुदान स्वीकृत छात्र संख्या में से उपस्थिति के अनुसार दिया जाता है वर्ष 1968 69 में छात्रावास के लिये 1,58,647-81 पै. तथा शालाओं व पुनर्वास कार्य हेतु 73481-58 का अनुदान दिया गया । नियमित अनुदान देने के पश्चात अब किसी वर्ष का कोई अनुदान देना शेष नहीं है ।

(3) सूची सदन की मेज पर दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

डूंगरपुर बांसवाडे में अकाल का स्थाई हल

2 1. श्री महेन्द्रकुमार (पाड़वा मु.) क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: -

(1) क्या यह सत्य है कि डूंगरपुर-बांसवाड़े में एक फसली जमीन बहुत है, वर्षा के अभाव व अधिक होने से वहां अकाल की स्थिति का हमेशा खतरा रहता है, यदि हां, तो सरकार के समक्ष उसके स्थाई हल के लिए क्या कोई योजना है ? प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि इन जिलों में चावल, सोपस्टोन, कपास आदि की अच्छी पैदावार होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कच्चे माल की दूसरी ओर निकासी को बन्द कर क्षेत्र में ही पब्लिक अण्डरटेकिंग' में कारखाने खोलकर रोजगार के साधनों में वृद्धि करने की और कोई योजना बन रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बकरे व घेटे पर टेक्स एवं बढोतरी

212. जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या अधिकारी एवं कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में छोटे बकरे पर क्रय टैक्स कब से लगा और उस समय घेटे बकरे की कीमत क्या आंकी गई थी और कितने प्रतिशत टैक्स लगाया गया था ?

(2) क्या यह सच है कि उसके बाद समय समय पर सरकार ने उन बकरों की कीमत बिना मवेशीदार यूनियन से बात किए मनमाने ढंग से बढा दी ? यदि हां, तो कितनी और किस आधार से ?

(3) क्या यह भी सच है कि यह कीमत सिर्फ मांस के बढ़ते भाव को देखकर ही बढ़ाई हैं और चमड़े, ऊन, हड्डी आदि की कीमतों का ध्यान नहीं रखा गया है जब कि अन्य से 55 प्रतिशत आय होती है व मांस से सिर्फ 45 प्रतिशत ही होती है ?

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(4) क्या यह भी सच है कि घेटे बकरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ज्यादातर ट्रकों व पैदल ले जाए जाते हैं और टैक्स ज्यादा होने से व्यापारी लोग टैक्स की चोरी करते हैं ?

(5) क्या यह भी सच है कि पहले कुछ घेटे बकरे रेल से जाते थे, पर जब से टैक्स बढ़ा है रेल से जानवरों का जाना कम होता गया है यदि हां तो क्या सरकार मवेशीदार यूनियन से बात करके कोई ऐसा निर्णय करेगी जिससे टैक्स ज्यादा नहीं रहे और सरकार को भी नुकसान न हो ?

उत्तर

(1) घेटे बकरे पर क्रय-कर दिनांक 26–3–62 से 5 प्रतिशत से लगाया गया तथा उस समय राज्य से बाहर भेजने वाले घेटे बकरे का औसत मूल्य 20 रुपये आंका गया था।

(2) सन् 62 में औसत कीमत निर्धारित करते समय तथा सन् 64 में यह कीमत बढ़ाते समय मवेशीदार यूनियन से बातचीत की गई थी। इसके पश्चात् सन् 67 में वृद्धि भावों की आम वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए की गई। सन् 64 में 30 रुपये और सन् 67 में 50 रुपये निर्धारित की गई।

(3) सभी बातों को ध्यान में रखकर वृद्धि की गई।

(4) यह सही है कि घेटे बकरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ज्यादातर ट्रकों से लाये जाते हैं तथा यदि दूरी कम हो तो पैदल भी ले जाये जाते हैं। किन्तु विभाग द्वारा चैक पोस्ट तथा फ्लाइंग स्काड लगाकर कर की चोरी रोकने का प्रयास किया जाता है।

(5) रेलों के द्वारा घेटे बकरों के कम जाने के कारणों की मिली जानकारी से यह कहा जा सकता है कि कुछ स्थानों पर तो रेल से घेटे बकरे ले जाने की सुविधा नहीं है, तथा जहां कहीं है, वहां वेगनों का समय पर अलाटमेंट नहीं होता। टैक्स के कारण रेल से जाना कम हुआ, यह मानने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है। सरकार व्यापारिक यूनियनों से बातचीत करने को सदैव तैयार हैं। निर्णय सभी पहलुओं तथा आय की आवश्यकताओं पर विचार करके लिया जाता है।

राजस्थान के भागों में शराब बन्दी एवं उसका पालन

243. श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या आबकारी एवं कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के किन किन जिलों तथा तहसीलों में पूर्ण रूप से शराब बन्दी है ?

(2) जिन जिन जिलों में शराब बन्दी की गई है, क्या वहां शराब पीना कानूनन अपराध है ?

(3) क्या शराब बन्दी को सफल करने के लिए सरकार ने राज्य के सब विभागों से यह अनुरोध किया है कि वे ड्राई जिलों में ऐसे अधिकारी न भेजें जो शराब पीते हों ? यदि अनुरोध किया गया तो किस हद तक पालन हुआ है ?

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

(4) आबकारी विभाग में कितने लोग ऐसे हैं जो शराब पीते हैं ?

(5) ऐसे शराब पीने वाले अधिकारियों को ड्राई एरिया में तो कहीं भेजा गया है ?

(6) क्या ड्राई एरिया में किसी भी विभाग के अधिकारी शराब पीते हुए पाये गये हैं या उनके घर पर शराब की बोतलें पाई गई हैं ? यदि पाई गई हैं, तो उनके विरुद्ध क्या एक्शन लिया गया ?

उत्तर

(1) राज्य के गुजरात राज्य से लगने वाली सीमा के 25 किलोमीटर क्षेत्र तथा जिला बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही (आबू क्षेत्र को छोड़कर) और जिला उदयपुर की तहसील झाडोल, खेरवाडा व कोटडा में पूर्ण मद्य–निषेध है।

(2) जी हां,

(3) जी हां।

(4) इस प्रकार के कोई आंकड़े आबकारी विभाग में नहीं रखे जाते हैं।

(5) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(6) ऐसा कोई मामला पंजीकृत नहीं हुआ है।

सेल्स टेक्स की चोरी करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही

244. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) क्या आबकारी एवं कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि कर विभाग के अधिकारी सेल्स टैक्स की चोरी करने वाले व्यापारियों को पकडते हैं ? यदि हां, तो जिला नागौर में से इस वर्ष और गत वर्ष में किन किन व्यापारियों को कब कब कितने कितने सेल्स टैक्स की चोरी के अपराध में किस किस अधिकारी द्वारा पकडा गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त व्यापारियो के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) पकडे गये व्यापारियों को किस किस वर्ष में सेल्स टैक्स की चोरी करते पाया गया ?

उत्तर

यह सत्य है कि इस विभाग के अधिकारी सेल्स टैक्स की चोरी करने वाले व्यापारियों के बहीखातों को पकडते हैं। जिला नागौर में वर्ष 1967-68 व 1968-69 में जिन जिन व्यापारियों के बही खाते कब कब, कितने कितने सेल्स टैक्स की चोरी के अपराध में किस किस अधिकारी द्वारा पकडे गये, सूची संलग्न है।

(2) इसका उत्तर संलग्न सूची में कालम नं. 3 व 6 में दिखाया गया है। वर्ष 1967-68 में दस केसेज बनाये गये है इन सब का निर्णय किया जा चुका है। 1968-69 में 12 केसेज बनाये गये है जिसमें 6 केसेज का निर्णय किया जा चुका है। बाकी 6 निम्नलिखित मामले पेंडिंग है।

(आबकारी मंत्री)

1. मैसर्स पूनमचन्द राठी एण्ड कम्पनी, नागौर

2. मैसर्स मूलचन्द नन्दलाल, लाडनूं

3. मैसर्स रामनिवास लादूराम, लाडनूं

4. मैसर्स देवीदत्त विमलकुमार, लाडनूं

5. मैसर्स मूलचन्द लक्ष्मीराम, लाडनूं

6. मैसर्स रंगलाल अग्रवाल, लाडनूं

(3) केस नं. 1 मैसर्स पूनमचन्द राठी एण्ड कम्पनी, नागौर में पार्टी ने इसको 1500) रु. में प्रथम न कराने की दरखास्त की है तथा 1500) रु. जमा भी करा दिये हैं। पार्टी की रकम बढ़ाने के लिये कहा गया है। बाकी पांच मामलों की जांच की जा रही है। शीघ्र ही निर्णय कर दिया जावेगा।

(4) जिन व्यापारियों को जिस जिस वर्ष में कर की चोरी करते पाया गया वह संलग्न सूची कालम नं. 7 में दिखाया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

अनुदान एवं अन्य धन राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र

24. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 31 मार्च, 1968 तक राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुदान एवं अन्य धनराशि जिसके सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, के बाबत कितने मामलों में और कितनी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र अभी तक भी प्राप्त नहीं हुए हैं ? इसका पूर्ण विवरण विभागानुसार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) खंड एक में चाही गई सूचना में ऐसे कितने मामले हैं जो सन् 62 से पूर्व के हैं ? उसका विवरण अलग से सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 307 में यह प्रावधान है कि जो अधिकारी सहायतानुदान की राशि स्वीकार करता है वह ही उसके प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी है। अतः सहायतानुदान की कितनी राशि स्वीकार की गई, उसमें से कितनी राशि के सहायतानुदान के प्रमाण-पत्र ड्यू हुवे, कितने महालेखाकार को भेजे गये तथा कितने बकाया रहे। इस प्रकार की सूचना सम्बन्धित स्वीकृति प्रदानकर्ता अधिकारियों के पास ही रहती है। वित्त विभाग में इस प्रकार की सूचना नहीं रखी जाती।

(2) महालेखाकार से जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार सहायतानुदान जो 31-3-68 तक दिया है उसमें से 5643.28 लाख रुपये के 52,476 प्रमाण-पत्र बकाया हैं। इस रकम में से अधिकतर रकम के प्रमाण-पत्र निम्न विभागों से सम्बन्धित हैं:—

(वित्त मंत्री)

विभाग का नाम	उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि (लाख रुपयों में)
पंचायत एवं विकास विभाग	10353	603 86
शिक्षा विभाग (निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक)	11037	2887.42
सहकारिता विभाग	8797	179.72
कृषि विभाग	5751	58.80
पशुपालन विभाग	3673	82.09
सार्वजनिक जनस्वास्थ्य विभाग	294	74.38
समाज कल्याण विभाग	3124	244.93

कामां-जुरहड़ा एवं कोसी सड़कों की खराब हालत

246. श्री मजलिस खां (कामा): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कामां, जुहरड़ा और कामां, कोसी मार्गों पर हरियाणा रोडवेज, उत्तर प्रदेश रोडवेज और प्राईवेट मालिकों की बसें चलती हैं? क्या यह भी सही है कि सड़कों की हालत खराब होने के कारण गुडगांवा-भरतपुर मार्ग वाया जुरहड़ा पर चलने वाली राजस्थान रोडवेज बन्द करदी गई है?

(2) क्या यह सही है कि कामां जुरहड़ा मार्ग पर चलने वाली बसें भी वर्षाकाल में बन्द हो जावेंगी? यदि हां, तो क्या जनता की एक बहुत बडी असुविधा को दूर करने के लिये उक्त सडक की फौरन मरम्मत करा दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां यह सही है।

ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा अस्थायी परमिटों पर स्थगन आज्ञा के कारण, राजस्थान रोडवेज की बसें बन्द की गई थीं।

(2) जी यह सही नहीं है। वर्षाकाल में भी इन मार्गों पर बसें बन्द नहीं होती हैं।

राजस्थान रोडवेज निगम को बसों पर घाटा–नफा

247. श्री हंसराज आर्य (भादरा): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान रोडवेज निगम की बसें मुनाफे में चल रही हैं? यदि हां, तो सालाना मुनाफा कितना है? यदि नहीं तो क्यों नहीं?

Page No 46

(श्री हंसराज आर्य)

(2) क्या गंगानगर जिले में चलने वाली रोडवेज की बसें घाटे में चल रही हैं ? यदि हां, तो कितने घाटे में ?

(3) राजस्थान के किन किन जिलों में रोडवेज की बसें चल रही हैं ?

(4) क्या अन्य स्थानों पर भी सरकार रोडवेज की बसें चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस किस जिले की किस किस रूट पर ?

(5) क्या सरकार को विदित है कि गंगानगर जिले में चलने वाली रोडवेज की बसों पर वे ही ड्राईवर नियुक्त किये गये हैं जो निजी बसों को, जिनके स्थान पर रोडवेज की बसें चलाई गई हैं, चलाते थे और वे निजी बस मालिकों से मिल कर रोडवेज की बसों की फेल कराने के प्रयत्न कर रहे हैं।

उत्तर

(1) जी हां, सन् 1968-69 में 1?,91,000 रुपये का (प्रोविजनल लाभ) हुआ है।

(2) जी नहीं।

(3) राजस्थान के जिन जिलों में निगम की बसें चल रही हैं उनकी सूची "अ" संलग्न है।

(4) निगम द्वारा जिन मार्गों की राष्ट्रीयकरण की योजना प्रकाशित करदी गई है उनकी सूची "ब" संलग्न है। इसके अतिरिक्त निगम झालावाड़ व. सिरोही जिलों के सहाय मार्गों के राष्ट्रीयकरण की योजना भी बना रहा है।

(5) जी नहीं, कुछ ड्राईवर अवश्य ऐसे हैं जो निजी मालिकों की बसें चलाते थे परन्तु फेल करने का कोई प्रश्न नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

राज्य पथ परिवहन निगम स्टाफ में अनुसूचित जाति व जन जाति

248. श्री परसराम गंगाराम (परवतसर सु.) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य पथ परिवहन निगम में मेकेनिकल इन्सपैक्टर, ट्रेफिक इन्सपैक्टर, ड्राइवर, खलासी व चपरासी के पद कुल कितने कितने हैं ?

(2) उपरोक्त पदों में से अनुसूचित व जन-जातियों के लिये कितने कितने पद सुरक्षित हैं ?

(3) क्या 12.5 प्रतिशत सुरक्षित कोटा पूरा कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक पूरा किया जायेगा ?

(4) क्या निगम के अधिकारियों में कोई अनुसूचित जाति व जन जातियों का कोई अधिकारी है ? यदि नहीं है, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इन पदों के कुल स्थान निम्न प्रकार हैं:—

मेकेनिकल इन्सपैक्टर	2	स्थान रिक्त हैं)
ट्राफिक इन्सपैक्टर	20	
ड्राइवर	400	

Page No 47

(यातायात मन्त्री)

खलासी 143

चपरासी 107

नाम पद	कुल संख्या	संख्या पद जो सुरक्षित हैं
मेकेनिकल इन्सपेक्टर	2	—
ट्राफिक इन्सपेक्टर	20	2
ड्राइवर	00	42
क्लीनर	143	15
चपरासी	107	13

(2) सुरक्षित कोटा पूरा नहीं हो पाया है। वर्तमान तक राज्य कर्मचारी निगम में प्रति नियुक्ति पर थे, उनके समय समय पर राज्य सरकार में लौट जाने पर कर्मचारियों की नियुक्तियां अस्थाई तौर पर कर ली गई। अब नियमित रूप से चयन किया जा रहा है, उस समय पद विज्ञापित किये जायेंगे एवं चयन के समय इस सुरक्षित कोटे को पूर्ण कर लिया जावेगा।

(3) जी नहीं। निगम में समस्त राजपत्रित अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं सिवाय—

डिपो मेनेजर्स— 6

जन सम्पर्क अधिकारी— 1

सांख्यिकीकार— 1

इन्जीनियर्स— 1

(4) इन पदों पर अनुसूचित जाति, जन जाति के उम्मीदवारों को भर्ती न करने के कारण निम्नलिखित हैं:—

डिपो मैनेजरः— इन पदों पर कोई नई भर्ती नहीं की गई है। ये समस्त अधिकारी राज्य सरकार से निगम की सेवा में विकल्प देने पर इन पदों पर समावेश हुये हैं।

जनसम्पर्क अधिकारी:—इस पद पर वातानुकूलित बस के पद का विलयन करके जन सम्पर्क अधिकारी के पद पर समावेश किया गया।

सांख्यिकीकारः—यह एक ही पद है।

यान्त्रिक अभियन्ता:— राष्ट्र के प्रमुख समाचार पत्रों में इन पदों को विज्ञापित किया गया, लेकिन अनुसूचित जाति/जन जाति के किसी भी उम्मीदवार ने अपना प्रार्थना-पत्र नहीं दिया। यान्त्रिक शाखा बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके पदों को रिक्त रखना उचित नहीं था। अतः रिक्त स्थान अन्य जाति के उम्मीदवारों से पूरे कर लिये गये।

राज्य बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने से पूर्व सर्वे

249. श्री हुरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने के पूर्व राज्य पथ परिवहन निगम बस मार्गों का सर्वे करता है कि अमुक बस मार्ग पर बस चलाने से निगम को लाभ होगा? यदि हां, तो निगम ने इस प्रकार की सर्वे राज्य में किन किन मार्गों की कब कब की और लाभ की दृष्टि से किस किस मार्ग को राष्ट्रीयकरण में प्राथमिकता दी जावेगी? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(2) बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है और राष्ट्रीयकरण में प्राथमिकता किस आधार पर दी जाती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि राष्ट्रीयकरण किये गये बस मार्गों पर बस चलाने से हाई कोर्ट ने निगम को कभी रोका है ? यदि हां, तो अब तक किन किन मार्गों पर बस चलाने से रोका और कितने कितने समय तक रोक जारी रही और आज दिन तक कौन कौन से मार्गों पर निगम को बस चलाने से रोक रखा है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) अब तक राष्ट्रीयकृत मार्गों के मामलों में हाई कोर्ट में हुई रिटों की पैरवी में कितना खर्चा निगम का हुआ है ?

(5) राज्य में किस किस जिले में कितने कितने माइल का राष्ट्रीयकृत मार्ग है और उन पर कब कब से बसें चलाई जा रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां, निगम जिन मार्गों की राष्ट्रीयकरण योजना बनाता है उन मार्गों के राष्ट्रीयकरण की योजना बनाने से पहले आर्थिक लाभ की दृष्टि से भी सर्वेक्षण किया जाता है।

जिन मार्गों का सर्वेक्षण कर राष्ट्रीयकरण किया गया है उसकी सूची 'अ' संलग्न है। जिन मार्गों की राष्ट्रीयकरण योजना विचाराधीन है उसकी सूची 'ब' भी संलग्न है। जिस क्रम में राज्य सरकार के संयुक्त विधि परामर्शदाता द्वारा इन योजनाओं की वैधता स्वीकार करते हैं वही प्राथमिकता होगी ?

मोटर व्हीकल एक्ट के चेप्टर 4 (ए) के तहत अगर कोई राज्य सरकार अपने राज्य में ट्रांसपोर्ट अण्डरटेकिंग की व्यवस्था करना चाहे तो वह (ट्रांसपोर्ट अण्डरटेकिंग) उपरोक्त चेप्टर के सेक्शन 68 सी के अनुसार जनता को उत्तम आर्थिक रूप से लाभकारी व पूर्ण सेवायें प्रदान करने की दृष्टि से यातायात राष्ट्रीयकरण की योजना बना सकती है। यह योजना सम्पूर्ण राज्य के मार्गों या कुछ मार्गों या निश्चित मार्ग के लिये हो सकती है।

स्टेट ट्रांसपोर्ट अण्डरटेकिंग किस प्रकार की सेवायें राज्य के किन किन मार्गों पर चलाना चाहती है उसकी एक प्रारूप योजना तैयार कर सरकारी गजट में प्रकाशित करा सकती है। (या किसी अन्य तरीके से जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जावे)

उपरोक्त योजना जो सेक्शन 68 (सी) के अनुसार प्रकाशित की गई है उससे किसी व्यक्ति विशेष पर असर पड़ता है तो वह व्यक्ति विशेष सेक्शन 68 (डी) के तहत राज्य सरकार के सामने 30 दिन के अन्दर आपत्ति-पत्र पेश कर सकता है। 68 डी के सब-सेक्शन (2) के अनुसार राज्य सरकार आपत्तिकर्ता व स्टेट अण्डरटेकिंग के प्रतिनिधि को उचित समय की सुनवाई देकर अगर चाहे तो योजना को स्वीकृत या उसमें संशोधन कर सकती है।

68 डी के सब-सेक्शन (2) के अनुसार जो योजना राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत

(यातायात मंत्री)

की जाती है या संशोधित की जाती है। सेक्शन 68 (डी) के सब-सेक्शन (3) के अनुसार किसी क्षेत्र विशेष या मार्ग की योजना राज्य सरकार द्वारा ही गजट में प्रकाशित की जावेगी।

जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों की सेवाये चलाने का प्रश्न है उन मार्गों की अन्तिम राष्ट्रीयकरण योजना राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के बाद ही प्रकाशित की जा सकती है। सेक्शन 68 ई के अनुसार राज्य ट्रांसपोर्ट अण्डरटेकिंग अपनी पूर्व चलाई जा रही राष्ट्रीयकरण योजना में किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहे तो कर सकती है लेकिन उसे हर स्थिति में उसे उपरोक्त प्रणाली का पालन करना पडेगा। राष्ट्रीयकरण में प्राथमिकता जन सुविधा, आर्थिक रूप से लाभकारी पूर्ण सेवाओं के आधार पर दी जाती है। जी हां, निगम द्वारा राष्ट्रीयकरण किये गये मामलों में से उदयपुर-डूंगरपुर बस मार्ग पर राजस्थान हाई कोर्ट ने बसों को चलने से रोका है। निगम की बसें इस मार्ग पर 15-8-65 को चली थीं और हाई कोर्ट की आज्ञा से 28-8-65 को बन्द हो गई। तदुपरान्त यह योजना राजस्थान हाई कोर्ट ने रद्द करदी। अतः अब तक इस मार्ग पर निगम की बस नहीं चल रही हैं। अब पुनः दिनांक 9-1-68 को इस मार्ग की नई योजना प्रकाशित की गई हैं।

इसका कोई अलग से हिसाब नहीं रखा गया लेकिन अब तक कानूनी फीस के रूप में 16,231) रु. खर्च हुए लेकिन अन्य खर्च इसमें शामिल नहीं हैं।

राष्ट्रीयकरण की योजना जिलावार नहीं बनाई जाती है। राष्ट्रीयकरण की योजना बस यातायात मार्ग के लिये बनाई जाती हैं। जो मार्ग राष्ट्रीयकृत हैं उनकी सूची 'स' मय लम्बाई व राष्ट्रीयकरण की तारीख के संलग्न है। प्रत्येक जिले में जो राष्ट्रीयकृत मार्ग उनकी सूची 'ढ' भी संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

राजस्थान स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन में खराब एव बेकार गाड़ियां

250. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन की गाड़ियां खराब हालत में बेकार पडी हैं ? यदि हां, तो कौन कौन सी गाड़ी कब से खराब है ?

(2) उक्त गाड़ियों के खरीदने की तारीख तथा कीमत, खराब होने की तारीख तथा खराब होने तक कितने माइल चली उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) कारपोरेशन द्वारा गाड़ियें चलाना शुरु करने की तारीख से लेकर आज तक किस किस माह में कितनी कितनी गाड़ियां कारपोरेशन के पास कुल रही थीं और अभी कितनी चालू हालत में हैं तथा बेकार कितनी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No 50

(श्री हरजीराम बुरडक)

(4) क्या यह सही है कि कारपोरेशन ने जब जब नई गाडियें खरीदी हैं उस समय पहिले वाली गाड़ियें काफी संख्या में बेकार पडी हुई थीं ? यदि हां, तो कब कब कितनी कितनी नई गाड़ियां खरीदी गई और खरीदने की तारीखों में पहिले की गाड़ियों की संख्या क्या थी तथा उनमें चालू हालत में कितनी थीं तथा खराब हालत में कितनी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह भी सही है कि कारपोरेशन के पास अपना खुद का वर्कशाप होते हुए भी प्राईवेट वर्कशापों से गाड़ियों की मरम्मत का कार्य करवाया जाता है ? यदि हां, तो कब कब कौन कौन सी गाड़ी किन किन वर्कशापों में ठीक करवाई गई और उन पर कितना कितना व्यय हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) क्या यह सही है कि गाड़ियां खराब रहने के कारण सरकार को गाड़ियों के मूल्य के ब्याज के रूप में ही बहुत बड़ी हानि हुई है ? यदि हां, तो इसका उत्तरदायित्व किस पर है ?

(7) क्या यह सही है कि जो मार्ग कारपोरेशन के पास गाड़ियें चलाने के लिये हैं उन पर चलने वाली गाड़ियों के अलावा और भी गाड़ियें कारपोरेशन के पास हैं ? यदि हां, तो कितनी और कौन कौन सी गाड़ियें हैं तथा वे कब से हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी नहीं। निगम के पास कुल 560 वाहन हैं। इनमें से आज 366 वाहन चालू हालत में हैं और 194 वाहन मरम्मत हेतु पड़े हैं।

खराब वाहनों की सूची 'अ' संलग्न है।

(2) सूची संलग्न है। जो परिशिष्ट 'अ' पर है।

(3) कारपोरेशन द्वारा गाडियां चलाना शुरू करने की तारीख से आज तक जितनी गाडियां कारपोरेशन के पास चालू हालत में रहीं व जितनी बेकार रहीं इसकी वर्ष वार सूची 'ब' संलग्न है। माहवार सूची बनाना कठिन है।

(4) जी हां। जब जब नई गाड़ियां खरीदी गई उनकी संख्या मय वर्ष खरीद के संलग्न 'स' कर दी गई है। जब नई गाड़ियां खरीदी गई उस समय निगम के पास जितनी गाड़ियां चालू या खराब थीं उसकी सूचना भी संलग्न कर दी गई हैं।

(5) जी नहीं। वर्तमान में निगम द्वारा प्राईवेट वर्कशापों से गाड़ियों की मरम्मत का कार्य नहीं कराया जाता है।

(6) जी नहीं। राज्य सरकार को ब्याज के रूप में हानि होने का प्रश्न ही नहीं होता। गाडियां खडी रहने से निगम को अवश्य हानि हुई है। यह हानि कुछ तो अवश्यंभावी है जो सभी निगमों में होती है और कुछ कार्यशाला की पूर्ण सुविधा नहीं होने के कारण हुई है।

(7) जी नहीं। निगम के पास कुल 560 वाहन हैं। उनमें से 194 मरम्मत हेतु पड़े हैं शेष 366 चालू वाहनों को रूट पर

Page No 51

(यातायात मंत्री)

चलाने की आवश्यकता है। इस प्रकार निगम के पास कोई अतिरिक्त गाडी नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखदी गई)।

राज्य पथ परिवहन निगम में चलने वाली बसें एवं स्टाफ

251. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य पथ परिवहन निगम की बसें किस किस रूट पर चल रही हैं? प्रत्येक रूट पर रोजाना बसें प्लाई करती हैं?

(2) कितने रूट ऐसे है जिन पर उक्त बसें राजस्थान से बाहर जाती हैं और इन रूटों पर रोजाना कितनी बसें प्लाई करती हैं?

(3) रोडवेज के कुल कितने डिपो हैं? हर डिपों पर कितने डिपो इन्चार्ज, मिस्त्री व खलासी काम कर रहे हैं तथा उनके क्या वेतन हैं? इसके अतिरिक्त और कितना स्टाफ काम कर रहा है?

(4) हर बस के रूट से लौटने के बाद व दुबारा लाइन पर लगने से पूर्व क्या बसों की सफाई इंजिन व दीगर सारा चैकिंग किया जाता है? क्या मिस्त्री की ओ. के. की रिपोर्ट के पश्चात् ही बसों को लाइन पर लगाया जाता है?

(5) ड्राईवरों को क्या तनख्वाह दी जाती है और माईलेज व नाइट का भत्ता किस हिसाब से दिया जाता है?

(6) निगम अपने कर्मचारियों को क्या साल के आखिर में बोनस देता है? यदि हां, तो अब तक किस किस साल में कितना बोनस दिया गया?

(7) निगम के गत पांच साल के नुकसान-नफे के क्या आंकड़े रहे हैं?

उत्तर

(1) निगम की बसें चलने वाले मार्गों की सूची (अ) मय उन पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या के संलग्न है।

(2) मार्गों की सूची (ब) मय उनपर चलने वाली बसों की संख्या के संलग्न है।

(3) निगम में 6 डिपो कार्यालय, 3 सब डिपो और 1 स्टेशन कार्यालय है। निगम में विभिन्न पदों पर कार्य करनें वाले कर्मचारियों की डिपोवार सूची 'स' मय वेतनमान संलग्न है।

(4) जी हां। फोरमैन की ओ. के. रिपोर्ट के बाद ही बस को मार्ग पर भेजा जाता है।

(5) ड्राईवरों को 75—3—90—110—120—5—145—एस. बी. ई. बी. 155—5—175 की दर से वेतन दिया जाता है तथा रात्रि भत्ता निम्न दर से दिया जाता है:—

1. राजस्थान के बस स्टेशनों पर—2 रुपये रात्रिभत्ता

2. राजस्थान से बाहर के स्टेशनों पर 2½ रुपये।

3. देहली के लिये 3 रुपये।

(यातायात मंत्री)

(5) जहां पर गाड़ियों की रक्षा के लिये चौकीदारों का इंतजाम नहीं है वहां 50 पैसे प्रति रात्रि चौकीदारी भत्ता मिलता है।

(6) जी नहीं। केवल 1-10-64 से 31-3-65 तक के समय का 4 प्रतिशत (एक्स ग्रेसिया) अवश्य दिया गया था।

(7) गत पांच साल के लाभ व हानि के आंकड़े निम्न प्रकार है।

सन्	लाभ	हानि
1964-65	--	--
1-10-64 से 31-3-65	2,70,318	--
1965-66	--	13,24,815/-
1966-66	--	21,41,957/-
1967-68	--	10,89,000/-
1968-69	12,91,000/- (प्रोवीजनल)	(प्रोवीजनल)

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

राजस्थान में होने वाली बस दुर्घटनाएं

252. श्री देवीदत्त गाड़िया बारां: क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार ने राजस्थान के विभिन्न जिलों में आये दिन होने वाली बस दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करवाई है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या सरकार ने दुर्घटनाओं की रोक-थाम के लिये कोई कदम उठाये हैं? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) दुर्घटनाओं की जांच का सम्बन्ध पुलिस विभाग से है। जब कभी भी दुर्घटना होती है तो सम्बन्धित पुलिस कर्मचारी अधिकारी नियमानुसार कार्यवाही प्रत्येक मामले में करते हैं।

(2) बस दुर्घटनाओं के रोक-थाम के लिये सरकार ने समय समय पर विभिन्न सम्बन्धित नियमों, अधिनियमों का कठोरता से पालना करने के लिये आदेश दिये हैं। साथ ही साथ बस दुर्घटनाओं के रोक-थाम के लिए राजस्थान राज्य परिवहन सलाहकार समिति ने एक समिति गठित की है जिसके गृह आयुक्त अध्यक्ष हैं और उक्त कमेटी विशेषरूप से दुर्घटनाओं की रोक-थाम के सम्बन्ध में दो महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। यह समिति की दिनांक 5-8-69 की बैठक में गठित की गई है।

यातायात निगम चेयरमैन के दौरे एवं टी. ए.; डी. ए.

253. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर सु.): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) यातायात निगम के वर्तमान चेयरमैन ने अब तक कितने दौरे किये हैं? और उनका टी. ए., डी. ए. कितना लिया है?

(2) कार द्वारा यात्रा करने पर पेट्रोल पर कितना व्यय हुआ है?

Page No 53

(यातायात मंत्री)

उत्तर

(1) निगम अध्यक्ष श्री ज्वाला प्रसाद ने दिसम्बर 67 से 1-8-.9 तक 245 दौरे किये हैं जिन का टी. ए., डी.ए. 15483- 4 पैसे लिये हैं।

(2) दिसम्बर सन् 1967 से जून 1969 तक 11,815-00 रुपये का पेट्रोल खर्च हुआ।

ओवरसीयर की गैर-जिम्मेदारियां

254. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या राजस्थान नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर की रावतसर शाखा की बुरजी नम्बर 56 पर ता. 20-9-68 को नहर का कट हुआ था ?

(2) क्या यह सही है कि ओवरसियर जगदीश प्रसाद द्वारा कनवाणी माइनर के हेड में ज्यादा कडी लगाने से यह कट हुआ था ?

(3) क्या यह सही है कि बुरजी 56 के पास 15 किला सरकारी भूमि में कट करवाकर ओवरसीयर द्वारा उस भूमि में चनों की फसल काश्त करवाई है ? यदि हां, तो क्या उस फसल को जब्त करने की कार्यवाही करेगी ?

(4) क्या यह सही है कि नहर बन्धाई पर काफी खर्चा सरकार का लगा था ? यदि हां, तो कुल कितना खर्चा लगा ?

(5) क्या यह सही है कि कनवाणी हैड पर पानी का मीटर दर्ज करने वाले रजिस्टर के पन्ने फाड़ कर उक्त कट को छुपाने की कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(6) क्या यह सही है कि ओवरसीयर जगदीश प्रसाद को रिश्वत नहीं देने पर काश्तकारों को झूठे मुकदमों में फसाने के प्रयास करता है ? यदि हां, तो पुलिस थाना रावतसर में व हनुमानगढ़ में कितने मुकदमें इस प्रकार के उक्त ओवरसियर पर दर्ज कराये गये ? तालिका, नाम काश्तकारान सहित सदन की मेज पर रखें। कितने काश्तकारों पर पुलिस में केस दर्ज करवाये हैं। तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) नाके को नहर के बेलदारों ने स्थानीय काश्तकारों के सहयोग से बांध दिया था। नाके को बांधने में अलहदा कोई राशि व्यय नहीं हुई।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं। इस ओवरसीयर द्वारा झूठे मुकदमें बनाने की कोई भी जानकारी सरकार को नहीं है।

पंचायत समिति पीपलखूंट के अकाल राहत कार्य

55. श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट सु.): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा की पंचायत समिति पीपलखूंट में

(श्री विट्ठल भाई)

अकाल राहत में तालाबों के कार्य चल रहे हैं ? यदि हां, तो कितने और किस किस गांव में ?

(2) क्या यह सही है कि जिन तालाबों का कार्य चल रहा है उनका प्लान एस्टीमेंट बनाया गया है ?

(3) यदि हां, तो प्रत्येक तालाब का कितने का ऐस्टीमेट बना है और अब तक हर तालाब पर कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

उत्तर

1. अकाल के राहत जिन तालाबों पर कार्य चल रहा था उसकी सूची संलग्न है जो अब बन्द हो चुके हैं।

2. प्लान एस्टीमेट बनाने की कार्यवाही जारी है।

3. संलग्न सूची में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

बीगोद को लिफ्ट इर्रिगेशन

256. श्री मन हरसिंह मेहता (माडलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या बीगोद भीलवाड़ा जिले के बड़े कस्बों में से एक है ? क्या यह सही है कि नदियों के कारण किसी भी तरफ से पानी पहुंचने की सम्भावना नहीं है ? यदि हां, तो क्या लिफ्ट इर्रिगेशन द्वारा बीगोद को पानी देने की योजना चल रही है ?

उत्तर

(अ) जी हां।

(ब) जी हां।

(स) बीगोद को लिफ्ट सिंचाई द्वारा पानी देने की योजना की प्रिलीमीनेरी सर्वे की गई तो पता लगा कि नदी बहुत ही गहरी है और काफी ऊंचाई तक पानी को लिफ्ट करना पड़ता है जिससे पिलाई की दरें बड़ी ऊंची आती हैं यदि काश्तकारान इन ऊंची दरों पर लिफ्ट सिंचाई से पानी लेने को तैयार हो तो सरकार उस तरफ विद्युत् 11 के. वी. लाईन बिछाने के बाद ही इस योजना को धन की उपलब्धि पर कार्यान्वित कर सकती है। इस समय इस योजना के नजदीक 11 के. वी. लाईन नहीं बिछी हुई है अतः आगे कार्यवाही स्थगित है।

मीठड़ी बांध का कमांड क्षेत्र

257. श्री पृथ्वीसिंह देवड़ा (बाली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मीठडी बांध (सेवाड़ी जिला पाली) का कमांड क्षेत्र कितना होगा ?

(2) क्या कमांड क्षेत्र निर्धारित कर लिया है ? यदि हां, तो सूची एवं नक्शा सदन की मेज पर रखें।

(3) यदि नहीं, तो उसका प्रोपोज्ड प्लान जो विचाराधीन हो वह क्या है ?

(4) क्या कमान्डेड एरिया निर्धारित करने हेतु तहसील अथवा जिला स्तर की कोई कमेटी नियुक्त की गई थी ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(सिंचाई मन्त्री)

उत्तर

(1) कमाण्ड क्षेत्र सी. सी. ए. 3753 एकड़ है।

(2) जी हां। सूची एवं नक्शा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) जी नहीं।

(सूची एवं नक्शा विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

ग्राम मुण्डारा में सादडी बांध से पानी

258. श्री पृथ्वीसिंह देवड़ा (बाली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मुण्डारा तहसील बाली के निवासी बड़े अर्से से सादडी बांध से पानी की मांग कर रहे हैं?

(2) यदि हां, तो उनकी इस मांग के संबंध में सरकार का क्या निर्णय है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सादड़ी बांध का जल इसके स्वयं के काबिल काश्त क्षेत्र (सी. सी. ए.) के लिए काफी नहीं होता है। इसलिए उससे मुण्डारा गांव को पानी देना सम्भव नहीं है।

ग्राम भराड़ी के तालाब को ऊंचा उठाना

259. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सच है कि ग्राम भराड़ी तहसील बूंदी के तालाब को ऊंचा कराने की योजना है? यदि हां, तो इस पर कितना खर्चा आने का अनुमान है?

(2) इसको सरकार कब तक ऊंचा कराना चाहती है और इसके ऊंचा हो जाने के कारण कितनी भूमि काश्त सुदा और कितनी पडत भराव में आवेगी।

(3) इसमें कितने कुए डूबेंगे और सरकार उनका क्या मुआवजा देगी?

(4) जिन काश्तकारों की जमीनें इसके कारण डूबेगी उनको सरकार कहां पर बसाना चाहती है? जमीन का क्या मुआवजा देगी?

(5) अभी इस तालाब से कोई सिंचाई कार्य होता है अथवा नहीं? ऊंचा करने के बाद में कितनी भूमि सिंचित होने का अनुमान है? इसके कमाण्ड एरिया में जमीनें किस-किस ग्राम की आवेंगी?

उत्तर

ग्राम भराड़ी तहसील बून्दी में कोई सिंचाई का तालाब नहीं है अतः प्रश्न नहीं उठता।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

(5) प्रश्न नहीं उठता।

चम्बल घाटी योजना-अन्तर्गत भूमि को समतल करना

260. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) चम्बल घाटी विकास योजना के अन्तर्गत भूमि को समतल करने व खेतों में पानी का निकास कराने का क्या प्रावधान है?

(2) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र की मिट्टी भारी होने के कारण बैलों से चलाये जाने वाले उपकरणों से भूमि समतल नहीं की जा सकती? यदि हां, तो सरकार

में भूमि समतल करने की मशीन यूनिटों को किराये पर उपलब्ध कराने का क्या प्रबन्ध किया है ?

(3) क्या सरकार ने इस बात की सर्वे करवाया है कि कितनी भूमि को सिंचाई दृष्टि से समतल कराने की आवश्यकता है और यह भूमि कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत है ? कृपया यह भी बतावें कि इस भूमि को समतल कराने में कितना समय व खर्चा लगाने का अनुमान है ?

(स्थगित किया गया)

शहरिया कालेज कालाडेरा के छात्रों पर जुर्माना

261. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सन् 66-67 व 67-68 के शिक्षा सत्र में छात्रों पर शहरिया कालेज कालाडेरा में जुर्माना किया गया ? यदि हां, तो कितना ? और क्या उस जुर्माने की रसीद दी गई थी ?

उत्तर

जी, हां । 1966-67 में 772.04 रु. व 67-68 में 229.40 रु- जुर्माना वसूल किया गया और उनकी रसीद दी गई ।

बी. एस. टी सी. स्कूलों को कम करना

262. श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष बी. एस. टी. सी. स्कूल तोड़े जाने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो राज्य में कितने स्कूल तोड़े गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि कुछ ऐसे बी. एस. टी. सी. स्कूल चालू रखे हैं जिनमें रिफैरेशर कोर्स तीन तीन माह का चलाया जावेगा ।यदि हां, तो कहां किस जिले में कितने स्कूल रखे हैं ? सूची देने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी हां । 29 सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) यह सही है । ऐसे बी. एस. टी. सी. स्कूल चालू रखे हैं जिनमें रिफरेशर्स कोर्स एक माह का चलाया जावेगा । सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिए)

सैनिक स्कूल चित्तौडगढ में अन्य प्रान्त के छात्र

263. श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ में सैनिक स्कूल है ? यदि हां, तो कितने छात्र उसमें शिक्षा प्राप्त करते हैं ? क्लास वाइज आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि इस सैनिक स्कूल में राजस्थान के अलावा अन्य प्रदेशों के छात्र हैं ? यदि हां, तो कितने ? क्या अन्य प्रदेशों के छात्रों को छात्रवृत्ति मिल रही है । यदि हां, तो कितनी कितनी किस किस छात्र को ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या राजस्थान के रहने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा रही है ? यदि हां, तो कितने छात्रों को तथा किस किस को कितनी दी जा रही है ? छात्रवृत्ति देने का क्या माप दण्ड है ?

(शिक्षा मन्त्री)

उत्तर

(1) जी, हां। दिनांक 14-8-69 से इसमें 442 छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जिनका कक्षा अनुसार व्यौरा इस प्रकार है:—

कक्षा 5	71
कक्षा 6	72
कक्षा 7	71
कक्षा 8	72
कक्षा 9	57
कक्षा 10	55
कक्षा 11	44
योग	442

(2) जी, हां। 137 छात्र दूसरे प्रान्तों के हैं। इन छात्रों को छात्रवृत्ति उन्हीं प्रान्तों द्वारा वहां के नियमानुसार दी जा रही है जिसका व्यौरा इस प्रकार है :—

	पूरी	तीन बटा चार	आधी	चौथा	
रक्षा मंत्रालय	9	—	1	—	10
गृह मंत्रालय	18	—	—	—	17
उत्तर प्रदेश	1	—	—	—	1
हरियाना	42	5	—	—	47
जम्मू कश्मीर	31	3	—	—	3
पंजाब	3	1	1	—	5
योग					115

(3) जी, हां। 298 छात्रों को दी जा रही है।

241 छात्रों को पूरी
51 छात्रों को तीन बटा चार
3 छात्रों को आधी
3 छात्रों को चौथाई

298

400) रु. की आमदनी वाले अभिभावकों के बच्चों को पूरी

400-600 तक की आमदनी वालों को तीन बटा चार

601-800 तक आधी

801-1000 तक चौथाई।

जिला केन्द्रों पर कालेजों का अभाव

264. श्री चुन्नीलाल जलिया (खण्डार सु.): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में ऐसे कौन कौन से जिला केन्द्र हैं जहां अभी तक किसी भी प्रकार की पढाई के लिए कालेज नहीं हैं ?

(2) जहां जहां अब तक कालेज नहीं खुले वहां कब तक सरकार कालेज स्थापित करने जा रही है ?

(3) क्या सरकार सवाई माधोपुर ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र में कालेज खोलने की सोचती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जैसलमेर।

(2) कालेज भवन की व्यवस्था तथा छात्रों की निर्धारित संख्या एवं आर्थिक

Page No 58

(शिक्षा मन्त्री)
सुविधा उपलब्ध होने पर इस पर विचार किया जा सकता है।

(3) जी नहीं।

युनिवर्सिटी में अधिक होस्टल खोलना

265. श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार सु.): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान यूनिवर्सिटी में कितने होस्टल कितने कितने बोर्डर्स के लिए हैं ?

(2) इस वर्ष कितने विद्यार्थी होस्टल में स्थानाभाव से वहां भर्ती नहीं हो सके ?

(3) क्या सरकार उक्त यूनिवर्सिटी में अधिक होस्टल निर्माण करवायेगी ?

(4) यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय में कुल 10 होस्टल हैं जिनमें सीट्स की व्यवस्था सम्मुख अंकित है :—

(1)	वसन्त होस्टल	100
(2)	छात्र सदन	52
(3)	दादाभाई नारोजी होस्टल	60
(4)	गोखले होस्टल	.00
(5)	जगदीशचन्द्र बोस होस्टल	60
(6)	मालवीया होस्टल	96
(7)	ललित निवास होस्टल	38
(8)	विवेकानन्द होस्टल	७4
(9)	वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विस होस्टल	24
(10)	न्यू वीमान होस्टल (निर्माणाधीन) (96 छात्राओं के लिए)	

(2) 230 छात्रों को स्थानाभाव के कारण भर्ती नहीं किया जा सका।

(3) आर्थिक कठिनाई के कारण फिलहाल सरकार के लिए सम्भव नहीं है।

(4) यदि विश्वविद्यालय द्वारा कोई प्रस्ताव प्राप्त होगा तो सहायता देने के प्रश्न पर आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख कर विचार किया जा सकता है।

सवाई माधोपुर हायर सेकेन्डरी की शिक्षण स्थिति सुधारना

266. चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार सु.):— क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई माधोपुर हायर सेकेन्डरी स्कूल की आठवीं कक्षा का गत 5 वर्षों में प्रति वर्ष उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या प्रतिशत रही ?

(2) उक्त स्कूल में इतनी कम उत्तीर्ण छात्रों की संख्या रहने का क्या कारण है ?

(3) सरकार इस स्कूल की शिक्षण स्थिति सुधारने के लिए क्या प्रयत्न करेगी ?

उत्तर

(1) स्कूल का आठवीं कक्षा का पिछले पांच वर्ष का प्रतिशत परिणाम इस प्रकार है।

64-65	97 प्रतिशत
65-66	83 ,,

(शिक्षा मन्त्री)

66-67	79 प्रतिशत
67-68	98 ,,
68-69	84 ,,

(2) स्कूल का परीक्षा परिणाम सन्तोषजनक रहा है।

(3) स्कूल की शैक्षणिक स्थिति पूर्ण रूपेण सन्तोषजनक है।

जयपुर शहर के कालेजों में शिक्षा सुधार

267. **चुन्नीलाल जेलिया** (खण्डार मु.) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर शहर में कुल कितने कालेज हैं तथा उनके क्या क्या नाम हैं ?

(2) उक्त कालेजों में गत ग्रीष्मकालीन वार्षिक परीक्षाएं प्रति कालेज में अलग अलग किस किस प्रतिशत में बी. ए., बी. एस सी. बी. काम. तथा एम. ए., एम. एस सी. व एम. काम. विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए ?

(3) भविष्य में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बढ़े इस दृष्टि से सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1 व 2) शिक्षा विभाग से सम्बन्धित निम्नलिखित कालेज हैं। परीक्षा फल प्रत्येक के आगे अंकित है—

विश्वविद्यालय के अन्तर्गत	परीक्षा फल प्रतिशत
1. महाराजा कालेज	68.4 प्र.श. साईन्स
2. महारानी कालेज	78.4 प्र.श. साइन्स
	84.8 प्र.श. आर्ट्स
3. कामर्स कालेज	62.5 प्र.श. बी. काम
	97.29 प्र.श. एम.काम
4, राजस्थान कालेज	80.00 प्र.श. आर्ट्स
सहायता प्राप्त	
1. सुबोध कालेज	70. प्र.श. बी.एससी.
2. पारीक कालेज	61.54 प्र.श. बी.ए.
	47.36 प्र.श. बी.काम
3. अग्रवाल कालेज	60.85 प्र.श. बी.ए.
	71.03 प्र.श.बी.एस सी.
	43.8 प्र.श. बी. काम
4. लाल बहादुर शास्त्री रात्रि कालेज	68.70 प्र.श. बी.ए.
5. कानोडिया महिला कालेज	86. प्र.श. बी. ए.

(स्नातकोत्तर परीक्षाओं के नतीजे की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है)

(3) वाचनालय व प्रयोग शालाओं की व्यवस्था सरकार द्वारा विकसित की जा रही है जिसका उत्तीर्ण छात्रों की संख्या पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा पीरियोडिकल टैस्ट और अधिक सुदृढ़ किये जाने का प्रयास किया जा रहा है तथा महा विद्यालयों में विभिन्न शैक्षणिक प्रवृत्तियां और अधिक प्रोत्साहित करने की चेष्टा की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

ग्राम खेड़ा सुल्वा में माध्यमिक पाठशाला

268. श्री **जुझारसिंह** (रामगंज मंडी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजस्थान में सत्र में कहां कहां कितने मिडिल स्कूल, हाई स्कूल व हायर

(श्री जुझारसिंह)
सेकेन्डरी स्कूल खोले गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम "खेड़ा सूच्चा" समिति चेचट जिला कोटा में सरकार द्वारा राजस्थान में मिडिल स्कूल खोले जाने की सूरत में सबसे पहले मिडिल स्कूल खोलने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो यहां मिडिल स्कूल नहीं खोलने के क्या कारण हैं तथा इस स्थान पर कब तक मिडिल स्कूल खोल दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) इस वर्ष 6 मिडिल स्कूलों को हाई व 2 हाई स्कूलों को हायर सेकेण्डरी स्तर पर क्रमोन्नत किया गया। सूची संलग्न है।

(2) इस सत्र में कोई मिडिल स्कूल खोलने का प्रावधान नहीं है। अगले वर्ष यदि प्रावधान हुआ तो औचित्यता के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिए)

अध्यापकों को बी. एड. ट्रेनिंग में भेजने अनियमितता

269. श्री गंगासहाय कोली (रूपबास सु.) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1967 में सीनियर ग्रेजुएट टीचर्स की उपेक्षा करके जूनियर ग्रेजुएट टीचर्स को बी. एड. की ट्रेनिंग को भेजा गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) ऐसे अध्यापकों की संख्या राजस्थान में कितनी है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) प्रशिक्षण में भेजे गए उक्त अध्यापकों में ऐसे अध्यापकों की संख्या कितनी थी जिन्हें पूर्ण वेतन मिला और ऐसे अध्यापक कितने हैं जिन्हें केवल स्टीपेन्ड मिला ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम देई कन्या मिडल स्कूल की भवन व्यवस्था

270. श्री केशरी सिंह हाडा (हिन्डोली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम देई, तहसील नेनवा, जिला बून्दी में कन्या मिडिल स्कूल है ?

(2) इस मिडिल स्कूल में कितनी छात्राएं पढ़ती हैं और किस स्थान पर बैठ कर पढ़ती हैं ?

(3) क्या यह सत्य है कि छात्राओं के लिए स्थान की बहुत कमी है ? क्या सरकार इस कमी को दूर करने का विचार रखती है ?

(4) क्या सरकार देई का जो गढ़ है उसे इस कन्या पाठशाला के लिए लेने का विचार रखती है ताकि स्कूल सुचारू रूप से चल सकें ?

(शिक्षा मन्त्री)

उत्तर

(1) जी हां।

(2) 95 छात्राएं पढ़ती हैं व इस समय स्कूल जैन नसियां में चलता है। छात्राएं बरामदें और कमरों में बैठती हैं।

(3) जी हां। स्थानाभाव दूर करने का उत्तरदायित्व वहां की जनता का है।

(4) गढ़ के भवन को स्कूल के लिये देना सम्भव नहीं हो सका।

लोक भारती शिवदासपुरा बुनियादी तालीम को मान्यता

271. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लोक भारती शिवदासपुरा जिला जयपुर में सात वर्षों से बुनियादी तालीम का काम चलता है ?

(2) क्या यह सही है कि डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स तथा इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स ने भी समय समय पर इसका निरीक्षण किया है तथा सरकार को अपनी रिपोर्ट की है ?

(3) क्या निरन्तर 7 वर्षों तक गांधी के सिद्धान्त पर चलाते रहने के बाद भी इसे स्थाई रूप से मान्यता नहीं मिली है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार ऐसे विद्यालय को स्थायी मान्यता तथा विशेष सहायता देने का इरादा रखती है ?

(5) क्या सरकार ऐसा भी महसूस करती है कि इस प्रकार के स्कूल अध्यापकों को ट्रेनिंग देने के सेन्टर बन सकते हैं और बुनियादी तालीम के प्रसारण में बड़े मददगार हो सकते हैं ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) जी हां, विभाग द्वारा लगाई गई आवश्यक शर्तों की पूर्ति न करने के कारण संस्था को स्थाई मान्यता नहीं मिली है।

(4) आवश्यक शर्तों की पूर्ति होने पर ही स्थाई मान्यता देने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

(5) जी, हां, यदि ऐसी संस्थाएं बुनियादी तालीम के वास्तविक सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करें।

बोरुंदा साहित्य प्रकाशन से राजस्थानी साहित्य की खरीद

272. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सन् 62 से लेकर अब तक राज्य सरकार ने राजस्थानी साहित्य की पुस्तकों की खरीद की है ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत प्रति वर्ष कितनी कितनी पुस्तकों की खरीद की ?

(2) क्या यह सही है कि बोरुंदा साहित्य प्रकाशन नामक संस्था से राजस्थान साहित्य की खरीद करने के आर्डर्स दिये गये थे ? यदि हां, तो किस किस तारीख को कितने कितने रुपयों की पुस्तकों के ?

(शिक्षा मन्त्री)

उत्तर

(1) सन् 62 से 65 तक समय समय पर राज्यादेश पर राजस्थानी साहित्य का केन्द्रीय क्रय किया जाता रहा। इस व्यवस्था को सन् 65 से राज्यादेश क्रमांक एफ 2 (70) शिक्षा (4) 65 दिनांक 19-7-65 की अनुपालनार्थ नियमित रूप दिया गया इस व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य विद्यालयों के पुस्तकालयों के लिए समय समय पर उपयोगी एवं उपयुक्त पुस्तकें क्रय करने एवं राजस्थान साहित्यकारों व प्रकाशकों को उचित मात्रा में प्रोत्साहन प्रदान करता रहा है। सन् 62 से राजस्थान साहित्य का जो केन्द्रीय क्रय किया गया है उसकी प्रकाशन एवं लेखक के अनुसार सूची अवलोकनार्थ संलग्न की जा रही है। पुस्तकों की उपयुक्तता एवं विभिन्न स्तर के विद्यालयों के लिए उनकी सिफारिश की जांच का आधार है विषयवार समीक्षा समितियां जिनकी उपयोगिता पर विभाग द्वारा केन्द्रीय क्रय किया जाता रहा है।

(2) हां, रूपायन संस्थान बोरूंदा से जिस राजस्थानी साहित्य का केन्द्रीय क्रय समय समय पर किया गया है उसका विवरण जैसा कि चाहा गया है संलग्न विवरण पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

एस. पी. यु. कालेज फालना की निरीक्षण रिपोर्टस

273. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पिछले पांच वर्षों (तारीख 31-3-69 तक के) में डाईरेक्टर, शिक्षा विभाग (कालेज विभाग) ने एस. पी. यू. कालेज फालना जिला पाली का कब कब निरीक्षण किया? क्या उन्होंने अपने निरीक्षण की निरीक्षण रिपोर्ट कालेज के मंत्री को भेजी?

(2) क्या राज्य सरकार इन निरीक्षण रिपोर्ट्स की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

राजस्थान में विदेशी गेहूं व जुआर पर सरकार को लाभ

274. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में विदेशी गेहूं व जुवार (माइलो) काफी मात्रा में आयात होता है? यदि हां, तो सन् 1968 से 14 मार्च 1969 तक कितना क्विन्टल कहां से आया, कहां पर रखा गया तथा कीमत क्या थी और आम जनता को किस रेट पर दिया जाता है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि जनता को उक्त अनाज वितरण करने से सरकार को काफी प्रोफिट रहता है? यदि हां, तो प्रति क्विन्टल कितना प्रोफिट रहता है और कुल कितना प्रोफिट आज तक रहा है? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) सालाना कोटा राजस्थान के हिस्से का कितना है? प्राप्त कितना होता है।

(श्री रामचन्द्र आर्य)
बाकी कितना रहता है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि बाहर से आने वाले अनाज में घटोती लगाई जाती है ? यदि हां, तो कुल कितनी घटोती इस अर्से में रही है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) राजस्थान में अनाज का सरकार के पास कुल कितना स्टाक है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां, सन् 1968 से 14 मार्च 1969 तक आयात किये गये विदेशी गेहूं तथा माईलो (ज्वार) की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। आयातित खाद्यान्न विभिन्न जिलों में उपलब्ध सरकारी गोदामों में रखा गया। जहां पर सरकारी गोदाम उपलब्ध नहीं थे वहां खाद्य निगम व भंडार गृह निगम से उपलब्ध किये गये गोदामों का उपयोग किया गया। जिन स्थानों पर उपरोक्त सुविधायें उपलब्ध नहीं हो पाई वहां किराये के मकान लेकर खाद्यान्न रखा गया। ...द्यान्नों की खरीद को कीमत तथा जिस ... पर जनता को दिया गया, की सूची सदन ... मेज पर रख दी गई है।

(2) यह अनाज वितरण कार्य लाभ ...हित उद्देश्य (No Profit no Loss ... पर चलाया जाता है जिस कारण ...में केवल वास्तविक व्यय व प्रशास- ...को जोड़कर बिक्री दर निर्धारित ... है। अतः इसमें प्रोफिट का प्रश्न ...ता।

(3) राजस्थान के लिये सालाना कोटा निर्धारित नहीं है आवश्यकता का अनुमान लगाकर प्रति मास भारत सरकार से विभिन्न खाद्यान्नों की मांग की जाती है जिसकी जांच कर भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न आवंटित किये जाते हैं जो मांग की तुलना में कम होते हैं। ऐसी स्थिति में बाकी रहने का कोई प्रश्न नहीं रहता।

(4) जी हां, निम्न मात्रा में घटोती आंकी जाती है–

मार्गीय छीजत	2% तक
गोदाम छीजत	½% तक

कुल घटौती बाबत सूचना विभिन्न जिलों से मंगवाई गई है।

(5) दिनांक 1-8-69 को राजस्थान के विभिन्न जिलों में खाद्यान्नों का जो स्टाक उपलब्ध है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

राजस्थान में इस वर्ष ट्यूबवेल्स एवं पंपिंग सेटस का निर्माण

275. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में इस वर्ष फेमिन के अन्तर्गत वे अन्य योजनाओं से कितने ट्यूब वेल्स खोदे गये पंपिंग सेट लगाये गये ? किस किस गांव से यह ट्यूब वेल खोदे गये व पंपिंग सेट लगाये गये वहां पानी की क्या हालत है। सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(अकाल सहायता मन्त्री)

उत्तर

राजस्थान में इस वर्ष फेमिन के व अन्य योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष सन् 68-69 व सन् 69-70 में दिनांक 31-1-69 तक 8 नलकूप खोदे जा चुके हैं, और 12 पर कार्य चालू था। जिन गांवों में यह नलकूप खोदे गये, वहां पर ट्यूब वैल्स की क्षमता का विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

अकाल राहत कार्यों के मजदूरों को निर्धारित दरों पर अनाज

276. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) क्या यह सत्य है कि जालोर जिले के अकाल सहायता केम्पों पर सस्ते अनाज की उचित व्यवस्था नहीं की गई? अगर हां, तो क्यों? अगर नहीं, तो क्या क्या व्यवस्था की गई? क्या मजदूरों को सब केम्पों पर निर्धारित दरों पर अनाज वितरण किया गया था?

(2) क्या यह भी सत्य है कि सरकारी आदेश के अनुसार 12 किलो प्रति मजदूर की दर से अकाल सहायता केम्पों पर अनाज वितरण नहीं किया गया? अगर हां, तो क्यों नहीं? अगर नहीं, तो किस किस केम्प पर कब कब अनाज वितरण किया गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) मजदूरों का अकाल सहायता केम्पों पर अनाज वितरण करने की क्या प्रणाली थी?

उत्तर

(1) जी नहीं। जालोर जिले में अकाल सहायता केम्पों पर या केम्पों से नजदीक के दुकानों से अनाज वितरण की उचित व्यवस्था की गई थी, जहां पर मजदूरों को उचित दरों पर अनाज वितरण किया गया।

(2) राज्य सरकार के आदेशानुसार 11-4-69 से 12 किलो अनाज प्रति मजदूर प्रति माह देने हेतु सम्बन्धित तहसीलदारों को निर्देश दिये गये। माह जुलाई-अगस्त, 1969 में आवंटन मोटा अनाज प्राप्त न होने के कारण 10 किलो प्रति मजदूर की दर से अनाज का वितरण केम्पों के पास की सस्ते गल्ले की दुकानों से कराया गया था। केवल तहसील सांचोर व भीनमाल में अनाज वितरण की व्यवस्था केम्पों पर चलती फिरती दुकानों के द्वारा कराई गई थी।

केम्पों पर कब कब अनाज वितरित किया उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) मजदूरों की सहायता केम्पों पर अनाज ओवरसियर, सुपरवाईजर व मेट द्वारा जारी की गई स्लिप पर ही वितरण किये जाने की प्रणाली थी।

(कृपया परिशिष्ट 21 देखिये)

बैल व ऊंट खरीदने पर तकावी

277. श्री हंसराज आर्य (भादरा[illegible]) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बता[illegible] कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के अकालग्र[illegible] में बैल तथा ऊंट खरीदने के लि[illegible] कितनी कितनी तकावी भेजी गई[illegible]

Page No 65

(श्री हंसराज आर्य)

(2) इस तकावी में भारत सरकार से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

1—राजस्थान के अकालग्रस्त गांवों में तथा ऊंट खरीदने के लिए निम्न प्रकार से जिलेवार आवण्टन किया गया है।

1—बीकानेर	12,00,000 रु.
2—जोधपुर	10,00,000 रु.
3—बाड़मेर	13,00,000 रु.
4—जैसलमेर	13,00,000 रु.
5—चूरू	1,00,000 रु.
6—नागौर	[illegible],00 000 रु.
योग:—	50,00,000 रु.

2—भारत सरकार से इस तकावी हेतु पचास लाख रुपये तक व्यय करने की अनुमति दी गई है। जिलेवार आवण्टन भारत सरकार नहीं करती यह कार्य राज्य सरकार के स्तर पर किया जाता है।

इन्द्रगढ़ क्षेत्र के अकालराहत कार्यों पर खर्च

278. श्री महेन्द्रसिंह (पीपल्दा) : क्या अकाल सहायता मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे:—

(1) कोटा जिले की नायन तहसील इन्द्रगढ़ क्षेत्र में कितने राहत कार्य किस किस किस्म के किस किस ग्राम में चालू किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जाये।

(2) किस किस कार्य पर कितने रुपये का खर्चा किया गया ? तथा कितना कार्य हुआ ?

उत्तर

(1) कोटा जिले की नायन तहसील इन्द्रगढ़ में जो राहत कार्य किस किस गांव में चलाये गये, उनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ?

(2) खर्चे की राशि भी प्रत्येक कार्य के आगे अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

अकाल से मरने वाले मनुष्यों की संख्या

279. श्री रामकिशन (बैर) —क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य में इस वर्ष पड़ने वाले अकाल के कारण भूख से मरने वाले लोगों की कितनी संख्या है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

राज्य में इस वर्ष पड़ने वाले अकाल के कारण भूख से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। इसलिये जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

भीलवाड़ा में अकाल सहायता पर व्यय की गई धनराशि

270. श्री रामकिशन (बैर):—क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) भीलवाड़ा जिले में अकाल सहायता के लिये वर्ष 1968-69 में कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितनी धन-

Page No 66

(श्री रामकिशन)

राशि किन किन कामों में व्यय की गई? सूची सदन की मेज रखें।

(2) क्या उक्त व्यय की गई राशि में से इस जिले में डाक बंगला व डामर की सड़कों का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो कितनी राशि व्यय की गई और किस नियम के अधीन व्यय की गई?

उत्तर

(1) वर्ष 1968-69 में सहायता कार्य हेतु भीलवाड़ा जिले के लिये निम्नलिखित राशि आवंटित की गई तथा व्यय की गई:—

वर्ष	अधिकरण	आवंटित राशि	व्यय राशि
1968-69	सिचाई विभाग	1362301.00	1362301
	सार्वजनिक निर्माण विभाग	1089000.00	1609000
	पंचायत समिति	388773.00	338773

(2) उक्त राशि में से किसी डाक बंगले के निर्माण अथवा डामर की सड़कों का निर्माण नहीं किया गया।

भारत सरकार द्वारा राजस्थान में सूखे की स्थिति का अध्ययन करने हेतु टीम

281. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भारत सरकार द्वारा राजस्थान में सूखे की स्थिति का [अध्ययन] करने हेतु श्री सी. एस. रामचन्द्रन की अध्यक्षता में स्टेडी टीम भेजी गई थी? यदि हां, तो इस अध्ययन दल द्वारा राज्य सरकार को शार्ट टर्म व लांग टर्म क्या सुझाव दिये गये हैं? कापी सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त अध्ययन दल द्वारा बताये गये इसी वर्ष में पूरे किये जाने वाले प्रोग्राम में से कितना कार्य पूरा किया जा चुका है और कितना पूरा हो जाने की उम्मीद है?

(3) राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर कुल कितने ट्यूब वेल्स खोदे जा चुके हैं और उनसे अलग अलग कितना कितना रकबा सिंचित किया जाने वाला था और कितना किया जा रहा है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) राजस्थान में ट्यूब वेल आर्गेनाइजेशन को कामयाब बनाने हेतु राज्य सरकार ने मौजूदा प्रशासनिक ढांचे में क्या परिवर्तन का विचार किया है?

उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार द्वारा राजस्थान में सूखे की स्थिति को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने केन्द्र द्वारा दी जा सकने वाली सहायता की राशि की अध्ययन में स्टेडी टीम भेजी थी। इस स्टेडी टीम द्वारा राज्य सरकार को कोई लांगटर्म अथवा शार्ट टर्म सुझाव नहीं दिये गये। अतः सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) उक्त अध्ययन दल द्वारा कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया। अतः उन्हें पूरा करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(अकाल सहायता मंत्री)

(3) राजस्थान में वर्ष 68-69 अकाल के अकाल सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत 43 मुख्यतः ट्यूब वैल्स खोदे जा चुके हैं। इनको पेयजल उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से खोदा गया है अतः इनसे कोई रकबा सिंचित नहीं किया गया। ट्यूब वैल्स की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(4) इस प्रश्न का सम्बन्ध इस विभाग से नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

अकाल पर खर्च राशि

282. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान सरकार ने सन् 1968-69 एवं 1969-70 के अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में सड़कों के निर्माण भू-संरक्षण कार्य एवं जल संकट एवं चारे की समस्या हल हेतु, विभिन्न मदों पर क्या क्या राशि व्यय की का विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

अकाल ग्रसित क्षेत्रों में वसूलियां

283. श्री दिग्विजयसिंह (अनियारा): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1968-69 में किन किन जिलों में अकाल घोषित किया गया? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) अकाल घोषित करने से राज्य को कितनी भू-राजस्व सस्पेण्ड करनी पड़ी है? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार ने केवल भू-राजस्व ही स्थगित किया है और अन्य वसूलियों को स्थगित नहीं की? यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया?

(4) क्या यह सही है कि 1966-67 के अकाल के समय सभी प्रकार की वसूलियां स्थगित की गई थी?

उत्तर

(1) वर्ष 1968-69 में जिन जिन जिलों में अभावस्थिति की घोषणा की गयी थी, उनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) अभाव स्थिति की घोषणा से राज्य को रु. 4,66,64,838 की भू-राजस्व की वसूली स्थगित करनी पड़ी है। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) यह सही नहीं है कि केवल भू-राजस्व की वसूली ही स्थगित की गयी है, और अन्य वसूलियां स्थगित नहीं की गयी। भू-राजस्व के अतिरिक्त सभी प्रकार के राजकीय एवं पंचायत समितियों के कृषि ऋण एवं तकावी वसूली को बकाया की वसूलियां भी स्थगित की गयी थीं। केवल ट्रैक्टर और पम्पिंग सेट्स के लिये दिये गये ऋण की किश्तें तथा ब्याज तथा कुओं के निर्माण के लिये दिये ऋण व ब्याज की किश्तें आदि ऐसे कुए सम्बत् 2025 की रबी की फसल

Page No 68

(अकाल सहायता मंत्री)

के सिंचन के उपयोग में लिये गये हों, तो उनकी वसूली किये जाने के आदेश थे, किन्तु उनसे भी सिर्फ 2 किश्तें ही वसूल हुई थी। सहकारी संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋणों की वसूली के लिए सहकारी विभागीय नियमों के अन्तर्गत जिसमें अल्पकालीन ऋण को मध्य-कालीन ऋण में परिवर्तित करने का प्रावधान है, कार्यवाही करनी थी।

(4) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

ग्राम पंचायत गंधेली द्वारा सात लाख ईंटों की खरीद

284. श्री रामचन्द्र आर्य : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत गंधेली पंचायत समिति नोहर के सरपंच ने विकास कार्यों के लिये सिंचाई विभाग से 7 लाख पक्की ईंट खरीदी थीं ? यदि हां, तो किस भाव पर और गांव गंधेली में कौन कौन से विकास कार्यों में ईंटे खर्च की गई है ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि सरपंच द्वारा सरकारी ईंटें ब्लेक में बेच दी गई है ? यदि हां, तो किस भाव पर किस को बेची है और किसकी स्वीकृति से ईंटे बेची गई है ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। ईंट 40) 25 पैसे प्रति हजार से सिंचाई विभाग से क्रय की थी ये ईंटे गांव गंधेली में स्कूल व कुण्डों आदि विकास कार्यों पर खर्च की गई।

(2) ईंटों के उपयोग के सम्बन्ध में जांच के लिये 18-3-69 को जिलाधीश गंगानगर को लिखा गया। जांच उप-जिलाधीश नोहर द्वारा की जा रही है।

छापा बड़ोद पंचायत समिति के सरपंचों द्वारा पंचायती रकमों का निजी कार्यों में खर्च

285. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

क्या यह सही है कि छीपा बड़ोद पंचायत समिति के अधीनस्थ आने वाली ग्राम पंचायतों के अनेक सरपंचों ने पंचायती रकम अपने निजी काम में रखकर खर्च कर डाली है ? सन् 1965 से 1968 तक इस प्रकार से सरकारी रकम का दुरुपयोग करने वाले कौन कौन से सरपंचों पर अदालती, विभागीय या पंचायत समिति द्वारा कार्यवाही की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(परिशिष्ट 12 देखिये)

पंचायत खजवाना द्वारा कुए पर मशीन

286. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री हरखीराम बुरडक)

(1) क्या यह सही है कि ग्राम खजवाना पंचायत समिति मूंडवा जिला नागौर की पंचायत ने उक्त गांव के कुए पर मशीन लगवाकर पानी सप्लाई करने का कार्य अपने हाथ में लिया ? यदि हां, तो कब से और उसमें कितने रुपये खर्च हुए जो कहां से प्राप्त किये गये ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत द्वारा पानी पिलाई का शुल्क गांव वालों से वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो किस प्रकार से और इस सम्बन्ध में कोई उप-नियम बनाये हों तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(3) क्या उस पानी पिलाई के शुल्क की वसूली के सम्बन्ध में कोई शिकायतें गांव वालों की जिलाधीश व राज्य सरकार को प्राप्त हुई थीं ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां । पानी सप्लाई का कार्य 27-1-67 से चालू किया गया । कुए पर मशीन लगाने में 11,638) 27 पै. खर्च हुए और अनुमानित 5,000) रु. का सामान दानस्वरूप प्राप्त किया गया । 11,638) 27 पै. में से 10,800) रु. पंचायत समिति द्वारा विकास कार्यों के मद से तथा 838) 27 पै. पंचायत ने कर्जा लेकर कार्य किया ।

(2) जी हां । पानी पिलाई शुल्क निम्न प्रकार वसूल किया जा रहा हैं:—

1. प्रत्येक आदमी पर शुल्क 0.70 पै.
2. भैंस का शुल्क 0.15 पै.
3. भैसा का शुल्क 0.25 पै.
4. ऊंट ऊंटनी का शुल्क 0.50 पै.
5. रेवड़ का प्रत्येक 100 भेड़ों पर 5) 00 रु.

पंचायत द्वारा उप-नियम नहीं बनाये गये । ग्राम वासियों ने उपरोक्त शुल्क देना निश्चित किया उसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) जी नहीं । केवल सरपंच ने शुल्क की वसूली में कठिनाइयां बताई जिसके निवारण के लिये दिनांक 7-2-69 को कुआ कमेटी बनाई गई जो कुए का प्रबन्ध, देखभाल एवं शुल्क वसूली करेगी और राशि पंचायत कोष में जमा कराई जावेगी ।

पंचायत सामपुरा को दी गई धनराशि

287. श्री नाथूलाल करोल (जमवा रामगढ़)—क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम पंचायत सामपुरा, पंचायत समिति, जमवा रामगढ़, जिला जयपुर को किस किस कार्य के लिये, कितनी कितनी धनराशि जनवरी सन् 1965 से जुलाई सन् 1969 तक कब कब दी गई ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) यह धनराशि जिस जिस कार्य के लिये दी गई है वह यूटीलाइज की गई या नहीं ? अगर यह धनराशि यूटीलाइज नहीं हुई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

Page No 70

(पंचायत मंत्री)

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सदन की मेज पर रखी गई सूची में यह सूचना भी दी हुई है।

(कृपया परिशिष्ट 14 देखिए)

प्रशासनिक अधिकारियों को विकास अधिकारी पद से हटाना

288. श्री रामकिशन (वैर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में राजस्थान प्रशासनिक अधिकारियों को विकास अधिकारी के पद से हटाने का फैसला कब किया गया था।

(2) अब किस व्यवस्था तथा नियम के अन्तर्गत विकास अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है ?

(3) क्या यह सही है कि इन नियुक्तियों में वरिष्ठता तथा अनुभव का कोई ख्याल न रखते हुए काफी कृषि प्रसार अधिकारी, एवं पशुपालन प्रसार अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है ?

(4) विकास अधिकारियों की नियुक्तियां सम्बन्धी नियम अभी तक बने या नहीं ? यदि नहीं, तो कब तक बन कर अमल में लाये जायेंगे ?

उत्तर

(1) मई 1967 में लिया गया था।

(2) विकास अधिकारियों की नियुक्ति राजस्थान पंचायत समिति (विकास अधिकारियों के चयन) नियम 1968" के अन्तर्गत की जाती हैं।

(3) जी नहीं। कुछ समय पहले तक पशुपालन प्रसार अधिकारी एवं विकास अधिकारी के वेतन श्रृंखला समकक्ष थी और उसमें वरिष्ठता का कोई प्रश्न नहीं उठता था। अब इसमें परिवर्तन हो गया है। अतः नियमों में आवश्यक संशोधन किया जा रहा है। कृषि प्रसार अधिकारियों की विकास अधिकारी के पद पर नवीन नियुक्तियां वरिष्ठता के आधार पर ही की जाती है पूर्व में जब यह व्यवस्था आरम्भ की गई थी पंचायत समितियों में उस समय नियुक्त कृषि प्रसार अधिकारियों में से वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकारियों को वहीं पर अस्थाई तौर पर विकास अधिकारी नियुक्त कर दिया गया था। और शनैः शनैः उनमें से ऐसे अधिकारी जो वरिष्ठता में नीचे है हटाया जा रहा है। नियमों के अन्तर्गत अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी आरम्भ कर दी गई है।

(4) राजस्थान पंचायत समिति विकास अधिकारियों का चयन) नियम 1968 बन चुके है।

विकास अधिकारी, सिकराय के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें

289. श्र. देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सिकराय के विकास अधिकारी के

(श्री देवीदत्त गाडिया)

विरुद्ध प्रधान द्वारा गम्भीर भ्रष्टाचार से संबंधित एवं फर्जी टी. ए. डी. ए. आदि के जाली रेकार्ड बनाने एवं जीप का दुरुपयोग करने आदि के आरोपों से संबंधित शिकायतें की गई थी ? यदि हां, तो विकास अधिकारी के विरुद्ध क्या क्या आरोप लगाये गए हैं तथा उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति एवं प्रशासन स्थायी समिति ने विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई प्रस्ताव पास किये हैं ? यदि हां, तो किस तारीख को क्या प्रस्ताव पास किये ?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति का सोनारा 64 के गेहूं का बीज जो कि करीब सो बोरी था खराब हो गया ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त विकास अधिकारी ने कुछ कर्मचारियों को कुछ माह का वेतन नहीं दिया और कुछ कर्मचारियों के वेतन में अनुचित ढंग से कटौती कर दी है ? यदि हां, तो किस किस की और क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, सिकराय को शिक्षा, वेटेरिनरी एवं सामुदायिक विकास के मद में सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि नहीं दी गई है ? यदि हां, तो कितना कितना रुपया किन किन कारणों से नहीं दिया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां । आरोपों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । जांच की जा रही है ।

(2) जी हां । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) जी हां ।

(4) श्री रामस्वरूप ग्रामसेवक को स्थानान्तरण पर दिनांक 5-8-68 को मुक्त कर दिए जाने के कारण वेतन भुगतान नहीं किया गया है । इसी प्रकार श्री कैलाश कुमार अध्यापक का वेतन रोका गया व उनके बिना स्वीकृति मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण कटौती की गई ।

(5) जी नहीं ।

(कृपया परिशिष्ट 15 देखिये)

गैर कानूनी चौक का निर्माण

290. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बावरा तहसील रायपुर, जिला पाली में बोहूलाल मूथा महाजन ने एक चौकी आम रास्ते पर गैर कानूनी तरीके से बनाली है और उस विषय में मंगलदास वल्द मिश्रीदास वैष्णव निवासी बावरा ने कानूनी कार्यवाही की थी और उसके फलस्वरूप जिलाधीश पाली ने ग्राम पंचायत को आदेश दिये कि चौकी को फौरन हटवा दिया जावे ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत ने जिलाधीश के आदेश का पालन नहीं किया और जिलाधीश ने अपने पत्र दिनांक 24-12-66 के द्वारा सरपंच को नोटिस दिया कि या तो आदेश का पालन फौरन किया जाये अथवा पंचायत अधिनियम की

(श्री दिग्विजय सिंह)
धारा 17 (4) के तहत कार्यवाही के लिये राज्य सरकार को लिखा जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि जिलाधीश के उपरोक्त आदेश और नोटिस का ग्राम पंचायत ने कोई पालन नहीं किया और जिलाधी ने ग्राम पंचायत के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की ?

(4) क्या राज्य सरकार पंचायत और जिलाधीश के विरुद्ध उपरोक्त मामले में कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) पंचायत ने दिनांक 30-5-66 को श्री मोहनलाल को चौकी की जमीन बेचने का निर्णय ले लिया इससे पंचायत अथवा जिलाधीश के विरुद्ध किसी कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं रहती।

गांवों के मन्दिरों की माफियां

291. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली) : क्या देवस्थान विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या सरकार की जानकारी में है कि गांवों के जिन मंदिरों के साथ माफियां थीं जिनकी माफियां समाप्त हो गई हैं उनकी सेवा पूजा में पुजारियों ने गफलत करना शुरू कर दिया है ?

(2) सरकार की ऐसी कौनसी मशीनरी है जो इस बात की जानकारी करती है कि भगवान की पूजा विधिवत् हो रही है या नहीं ?

(3) यदि इस प्रकार की मशीनरी नहीं है तो क्या सरकार इसका प्रबन्ध करने का विचार रखती है ?

(4) क्या सरकार की जानकारी में है कि ग्राम रैठोदा तहसील नैनवा के मंदिर की मूर्तियों को लेकर उसका पुजारी बूंदी भाग गया था ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) देवस्थान विभाग जहां तक हो सके यह जानकारी करता है।

(3) सरकारी मंदिरों का प्रबन्ध तो राज्य सरकार देखती है बाकी पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत प्रबन्ध होता है।

(4) विभाग को इसकी जानकारी नहीं है।

सरकारी काम काज में हिन्दी का प्रचलन

292. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम) :--क्या भाषा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) सरकारी काम काज में पूरी तौर से हिन्दी का प्रचलन कर देने की कौनसी तिथि राज्य सरकार ने तय की थी ?

(2) क्या यह सही है कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सरकारी काम काज में

Page No 73

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)
हिन्दी का प्रयोग अभी तक नहीं किया जा सका है ?

(3) क्या यह सही है कि अभी तक कई विभागों में अंग्रेजी का बोलबाला योंही जारी है ?

(4) क्या केवल हिन्दी में हस्ताक्षर करा कर ही सरकार सन्तुष्ट है ?

उत्तर

26-1-1968

जी नहीं।

जी नहीं।

जी नहीं।

अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में रोगियों की चिकित्सा

293. श्री रामकिशन (वैर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अकालग्रस्त क्षेत्रों के रोगियों की चिकित्सा के लिए कुल कितने डाक्टरों को नियुक्त किया गया ? जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) अकालग्रस्त क्षेत्रों में कुल कितने डाक्टरों को अन्य क्षेत्रों से नियुक्ति के स्थानान्तरण आदेश दिये गये ? तथा किन डाक्टरों के स्थानान्तरण आदेश बाद में निरस्त कर दिए गए ? आदेश निरस्त करने के क्या कारण थे ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) प्रश्न भाग (1) की सूची दर्शायी गई है। कुछ डाक्टरों के स्थानान्तरण निरस्त करने के प्रमुख कारण प्रशासनिक थे। महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने कुछ डाक्टरों के स्थानान्तरण निरस्त इसलिए कराये कि वे लोग एनेस्थिया (निश्चेतन प्रशिक्षित) में ट्रेन्ड थे एवं क्योंकि इस विषय में प्रशिक्षित अनुपलब्ध थे अतः इनका स्थानान्तरण निरस्त किया गया।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

आयकर देने वाले डाक्टर

294. श्री रामकिशन (वैर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या सरकार ने आय कर देने वाले डाक्टरों की सूची तैयार की थी ? यदि हां, तो कब और किस आदेश के अनुसार ? आयकर देने वाले डाक्टरों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

राज्य सरकार द्वारा आयकर देने वाले डाक्टरों की कोई सूची नहीं बनाई गई है। शेष प्रश्न नहीं उठता। प्रश्न नहीं उठता।

15 अगस्त के नाम पर 25-25 रुपयों का चन्दा

295. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनू): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा

(श्री हरजीराम बुरडक)
करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि चूरू में गत वर्ष 15 अगस्त के नाम से मांगीलाल फूड इन्सपेक्टर और तहसीलदार ने प्रत्येक दुकानदारसे 25–25 रुपया चन्दा वसूल किया और कोई रसीद नहीं दी गई और रसीदें मांगने पर उन्होंने कहा कि कलेक्टर साहब के हुक्म से कर रहे हैं ?

(2) यदि हां, तो कुल कितने रुपये वसूल हुए, वह किस काम में लिये गये तथा रसीदें क्यों नहीं दी गई ?

(3) क्या उन्होंने चन्दा वसूल करने की राज्य सरकार से इजाजत ले ली थी ? यदि नहीं, तो उन्होंने किस अधिकार से चन्दा वसूल किया ?

(4) यदि चन्दा वसूल करना अनियमित था, तो इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

( ) श्री मांगीलाल फूड इन्सपेक्टर चूरू में कब से हैं ? इनके कितनी बार ट्रान्सफर आर्डर हुए और कितने बार कैन्सिल हुए और क्यों ?

उत्तर

1 जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

2 प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ?

3 प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

4 प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

5 दिनांक 30–5–64 से। इनका स्थानान्तरण चूरू से बीकानेर दिनांक 22–4–69 को किया गया था परन्तु जनता की मांग व जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की सिफारिश पर दिनांक 12–5–69 को अग्रिम आदेश तक स्थगित करा दिया गया।

प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स और सब सेन्टरों का स्टाफ

296. श्री जुझार सिंह (रामगंज मंडी): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रामगंज मंडी चुनाव क्षेत्र के रामगंज मंडी व सांगोद क्षेत्र में प्राइमरी हेल्थ सेन्टर व सब सेन्टर्स किन किन स्थानों पर स्वीकृत किये हुए हैं, उन पर कितना कितना स्टाफ स्वीकृत है व कितना कितना फिलहाल लगाया हुआ है ? अलग अलग स्थानों का बताने का कष्ट करें ? यदि पूरा स्टाफ उपलब्ध नहीं कराया गया, तो क्यों ?

(2) क्या स्वीकृत स्थानों के सेन्टर्स व सब सेन्टर्स पर मकानात अभी तक नहीं बनाये जा सके हैं ? यदि हां, तो क्यों और सरकार ने उन्हें पूरा करवाने की दिशा में क्या प्रयास किये हैं ?

(3) क्या यह सही है कि चेचट की जनता से चेचट में प्राइमरी हेल्थ सेन्टर बनाने के लिये रकम जमा करवाई गई थी ? यदि हां तो कितनी और कब ? क्या यह भी सही है कि रकम जमा कर देने के बावजूद इस स्थान को सेन्टर खोलने के लिये नहीं

(श्री जुझार सिंह)
चुना गया है और न ही जमा शुदा रकम वापिस की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) चेचट की जनता द्वारा जमा की गई प्राइमरी हेल्थ सेण्टर की रकम कब तक वापिस कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) रामगंज क्षेत्र में स्वा. केन्द्र मोडक स्टेशन तथा आंवा में क्रमशः 18-5-66 व 10-4-65 से चालू हैं। तथा इनके उपकेन्द्र नीचे लिखे स्थानों पर इनके सम्मुख लिखी तारीखों से चालू हैं:-

प्राथमिक स्वा. केन्द्र मोडक स्टेशन | प्रा. स्वा. केन्द्र आंवा

उपकेन्द्र के स्थानों के नाम	चालू होने का दिनांक	उपकेन्द्र के स्थानों के नाम	चालू होने का दिनांक
खोरारडा	4-7-66	बन्दयपुर	9-1-66
गोपवा	24-4-66	ढेवेलट	1-1-36
उन्डवा	24-7-66	टालखालब	23-11-65

(2) इन प्रा. स्वा. केन्द्रों के लिए स्वीकृत किया गया स्टाफ व कार्यरत का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

प्रा. स्वा. केन्द्र मोडक स्टेशन

क्रमांक	पद	स्वीकृत	कार्यरत	
1.	चिकित्सक	1	1	चिकित्सक के पद के विपरीत प्रथम श्रेणी कम्पाउन्डर कार्य कर रहा है।
2.	कम्पाउन्डर प्रथम श्रेणी	1	1	
3.	कम्पाउन्डर तृतीय श्रेणी	2	2	
4.	ए. एच. डब्लू	3	3	
5.	स्वा. निरीक्षक	1	1	
6.	ए. एन. एम.	4	4	
7.	एल. एच. वी.	1	1	
8.	चतुर्थ श्रेणी			

(चिकित्सा मंत्री)

कर्मचारी 7 7

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आंवा

क्र. सं.	पद	स्वीकृत	कार्यरत	
1.	चिकित्सक	1	1	चिकित्सक के पद के विपरीत प्रथम श्रेणी कम्पाउन्डर कार्य कर रहा है।
2.	कम्पाउन्डर ग्रेड प्रथम श्रेणी	1	1	कम्पाउन्डर श्रेणी द्वितीय कार्य कर रहा है
1	,, द्वितीय श्रेणी	1	1	
4	,, तृतीय श्रेणी	2	2	
5	,, ए. एच. डब्लू	3	3	
6	स्वा. निरीक्षक	1	1	
7	ए. एन. एम.	4	4	
8	एच. एल. वी.	1	1	
9	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	7	7	

प्रा. स्वा. केन्द्र आंवा के उप केन्द्रों में भवन अभी निर्माणाधीन हैं। जन सहयोग की धनराशि तो प्राप्त हो चुकी है परन्तु विकास विभाग से मिलने वाला अनुदान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। प्रा. स्वा. केन्द्र भवन में कमियां हैं जिनको दूर करने के लिए अधिशासी अभियन्ता झालावाड़ व प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा के बीच पत्र-व्यवहार चल रहा है। प्रा. स्वा. केन्द्र मोडक से अभी धना भाव के कारण भवन निर्माण नहीं हो सका है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में प्रा. स्वा. केन्द्रों के भवन के लिए 50 लाख रुपये के निर्माण हेतु प्रावधान रखा गया है? जिसके उपलब्ध होने पर निर्माण कराया जाना सम्भव होगा।

3 जी हां। ग्राम पंचायत चेचट ने रसीद नं. 1087 दिनांक 4–9–65 को ग्राम पंचायत मोडक स्टेशन (उदयपुर) में चालान नं. 2 दिनांक 11–10–65 के द्वारा पंचायत समिति कोष में दस दस हजार रुपये अमानत जमा करवाये थे पंचायत समिति की सामान्य बैठक दिनांक 22–10–65 निर्णय क्रमांक 53 के अनुसार चेचट मोडक स्टेशन पर प्रा0 स्वा. केन्द्र खोलने का निर्णय हुआ। ग्राम पंचायत चेचट के नाम शुदा राशि वापस कर दी गई हैं।

4 ग्राम पंचायत चेचट द्वारा जमा की गई धनराशि के दस हजार रुपया दिनांक 4–2–67 को श्री लक्ष्मण सरपंच ग्राम पंचायत चेचट को वापस दी जा रही है।

बारां अस्पताल में 50 बेड्स की व्यवस्था

297. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बारां अस्पताल में 50 बेड्स की व्यवस्था की जाने के बारे में कोटा

Page No 77

(श्री देवीदत्त गाडिया)

के पी. एम. ओ. ने सिफारिश की है ? यदि हां तो किस तारीख को भेजी और इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया ?

(2) क्या यह सही है कि बारां अस्पताल में रोगियों के साथ आने वाले व्यक्तियों से ठहरने व बैठने के लिए कोई शैड व पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी व्यवस्था करने का विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रमुख चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी कोटा ने उनके पत्र क्रमांक 715-17 दिनांक 8-4-65 द्वारा सिफारिश की। परन्तु चालू वित्तीय वर्ष में 50 बेड्स करने का प्रावधान नहीं है।

(2) जी हां। फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है इस सम्बन्ध में विचार किया जावेगा।

रेंजरों की सुविधा के लिए ऊंट

298. श्री भ.णलाल हिन्डौन, : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि रेन्जरों को सुविधा को ध्यान में रख कर उन्हें ऊंट दिये गये है ?

(2) क्या यह सच है कि उपरोक्त ऊंटों के लिए विभाग द्वारा सालाना खर्चा भी दिया जाता है ? यदि हां, तो किस किस को कितना कितना खर्चा कब चुकाया गया है ?

3) क्या यह सच है कि रेन्ज नीम-का-थाना में वहा के अधिकारी द्वारा ऊंट को बेच दिया गया है ? यदि हां, तो उस राशि का क्या हुआ ? कब बेचा गया था और कितने में ? यदि नहीं, तो ऊंट कहां गया ? क्या इसकी कोई उच्च अधिकारी द्वारा जांच कराई गई है ? यदि हां, तो कब और उसका क्या नतीजा हुआ है ?

उत्तर

(1) वर्तमान में किसी रेन्जर को विभागीय ऊंट नहीं दिये गये हैं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) जी नहीं। नीम का-थाना रेन्ज में एक ऊंट पहले था जिसका क[illegible]र खराब हो गया था एवं सारे शरीर में [illegible]जली होने से बदन फटा हुआ था। इस लिये यह काम में नहीं लिया जाता था और रेन्ज के अहाते में खड़ा रहता था। यह ऊंट 18-3-6[illegible] को चोरी चला गया था। इसकी रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करा दी गई थी और मण्डल वन अधिकारी ने भी जांच की है। परन्तु इसका अभी तक कोई पता नहीं चला है।

गांव की तल भूमि को सवाई चक में परिणित

299. श्री चुन्नीलाल जेलिया खण्डार सु., : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1) खंडार व सवाई माधोपुर तहसीलों में से कितनी कितनी भूमि किस किस गांव की तल में कौन कौन से खसरा नम्बर वन विभाग से मुक्त की जाकर सवाई चक काबिले काश्त करार दी गई है ?

Page No 78

(श्री चुन्नीलाल जेलिंग)

2 उक्त पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में कोई भी वन भूमि इन तहसीलों में सवाई चक काबिले काश्त घोषित नहीं की गई।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

घास [illegible] की [illegible]

30. श्री [illegible] (पाड़वा सु.) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(1) राजस्थान में फेमिन के अन्तर्गत घास के बीड़ों की कटाई का कार्य कहां कहां करवाया गया ?

(2) क्या यह सत्य है कि घास के बीड़ों में से कटे हुए घास की निगरानी की पूरी व्यवस्था नही रखी गई ? यदि हां तो क्यों ? यदि नहीं, तो किस किस बीड़ में कितना कितना घास काटा गया, कितना बिका व कितना घटा ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। घटत सुदा चारे की वसूली के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई व उसके क्या परिणाम रहे ?

उत्तर

1 सूची संलग्न है।

2. जी नहीं। कटे हुए घास की निगरानी की पूरी व्यवस्था र[illegible] गई थी। प्रत्येक बीड में काटे गए घास एवं उसके वितरण की सूचना की सूची बताई गई है। जो घास निष्क्रमित मवेशियों द्वारा अथवा आग से नष्ट हो गया था छीजत से कम हुआ उसकी विस्तार से जांच की जा रही है। परिणाम जांच पूर्ण होने पर मालूम हो सकेगा। इस कमी अथवा हानि के लिए किसी वन कर्मचारी का उत्तरदायित्व प्रकट नहीं हो सका है अतः वसूली का प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रख दी गई।)

वनों की पत्थर गढी

30. श्री महेन्द्र कुमार [पाड़वा सु.]: क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) राज्य में वनों की पत्थर गढी की विभाग द्वारा एप्रूव्ड जनरल रेट क्या है ? सबसे अधिक व सबसे कम रेट किस किस जिले की है तथा एप्रूव्ड रेट का आधार क्या है ?

(2) पत्थर गढी से पूर्व वनों से प्राप्त होने वाली आय व बाद की आय में औसतन कितना अन्तर पड़ गया है। उससे आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

उत्तर

(1) वनों की पत्थर गढी की एप्रूव्ड रेट नहीं है प्रत्येक स्थान पर समय समय पर टेन्डर प्राप्त करके सीमा पत्थर (मोनोलिथ) खरीदे जाते हैं तथा वन सीमा पर पत्थर गढी दैनिक मजदूरी से कराई जाती है।

(2) पत्थर गढ़ी से वनों की आय में वृद्धि होने का कोई संबंध नहीं है क्योंकि वनों की पत्थर गढ़ी केवल वन सीमा दिखाने हेतु ही की जाती है।

जंगल मड़वड़ की लकड़ी एवं बांस का ठेका

302. श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (गोगुन्दा सु.) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि जंगल मड़वड़ फोरेस्ट उदयपुर तहसील झाडोल मे किसी ठेकेदार को लकड़ी एवं बांस का ठेका दिया गया है ? यदि हां तो कितने एकड़ का ठेका दिया है ?

(2) क्या इस जंगल का ठेका पहले भी दिया गया था ? यदि हां, तो कौन से सन् में ?

(3) क्या यह सही है कि ओबरिया जंगल को सन् 1968 में किसी ठेकेदार को दिया गया था ? यदि हां, तो उसमें कितना जंगल नाजायज तौर पर काटा गया है ?

(4) क्या यह सही है कि हल्का रेन्जर ने उस ठेकेदार के खिलाफ शिकायत की थी ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) 1967-68 में बांस के कूप का ठेका दिया जिसका क्षेत्रफल 1600 एकड़ था इस ठेके की अवधि 1968-69 में चार मास की बढ़ाई गयी। लकड़ी का ठेका नहीं दिया गया।

(2) जी हां। 1965-66 व 67-68 में।

(3) ओबरिया नाम का जंगल नहीं है। खोखरिया जंगल से सालर का ठेका 1967-68 में दिया गया था। नाजायज तौर पर जंगल नहीं काटा गया।

(4) जी नहीं। कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

बून्दी के वन ब्लाक्स एवं शूटिंग ब्लाक्स का निर्माण

303. श्री केशरसिंह हाडा (हिन्डोली) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) बून्दी राज्य के राजस्थान में विलय के बाद में कितने वन ब्लाक्स और कितने शूटिंग ब्लाक्स बनाये गये ? हर शूटिंग ब्लाक में कितने फोरेस्ट ब्लाक्स हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) कौन कौन से फारेस्ट ब्लाक्स को किस किस साल में किस ठेकेदार को कितने पर ठेका दिया गया ?

(3) ठेके की शर्तें क्या थीं ? लकड़ी जलाऊ, कोयला किस अनुपात से राजस्थान से निकास की शरायत रखी गई थी ?

(4) क्या ठेके की रकम किसी ठेकेदार में बकाया है ? यदि हां, तो कितनी और किसमें ?

(5) वसूली की प्रगति अब तक क्या रही है ?

(6) सरकारी समितियों को ठेका किन किन शरायतों से दिया जाता रहा है ?

(7) सुरक्षित वन समस्त जिले में कितने हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें। इन जंगलों की क्या स्थिति है ?

उत्तर

(1) 70 वन ब्लाक्स तथा 7 शूटिंग ब्लाक्स बनाए गए। प्रत्येक शूटिंग ब्लाक्स

(वन मन्त्री)
आने वाले वन खंडों की सूची संलग्न है ।

(2) ब्लाक्स ठेके पर नहीं दिये जाते। केवल कूप ठेकेदारों को दिए जाते हैं जो कुल ब्लाक्स का एक छोटा भाग होता है।

(3) शर्तें इकरारनामें के अनुसार होती है। बाहर निकासी की शर्त पर कूप नहीं बेचे गये।

(4) जी हां, सूची संलग्न है ।

(5) वसूली भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत की जा रही है ।

(6) ठेका नियमों तथा शरायतनामें के अनुसार ।

(7) वनों को आरक्षित (रिजर्व) तथा रक्षित (प्रोटेक्टेड) की श्रेणी में बांटा गया है। 22 वन खंड आरक्षित तथा 48 रक्षित है। स्थिति सामान्यतया ठीक है जिन पर स्थानीय लोगों की आवश्यकता पूर्ति एवं चराई का अत्यधिक भार है।

(कृपया परिशिष्ट 16 देखिये)

वन विभाग से छीपा बड़ौद पंचायत समिति के फार्म हेतु अप्राप्त भूमि

304. श्री जुझारसिंह--क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या पंचायत समिति छीपाबड़ोद ने वन विभाग से समिति के फार्म हेतु भूमि अवाप्त करने की कार्यवाही चलाई हुई है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति स्तर की कमेटी ने उक्त जमीन को समिति के सुपुर्द कर देने की सिफारिश की हुई है? यदि हां, तो इसके अब तक नहीं बदले जाने के क्या कारण है?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति द्वारा मांगी गई जमीन से लगती हुई सारी जमीन काश्त हो रही है और इस जमीन पर भी वृक्ष नहीं रहे हैं?

(4) तहसील छीपाबड़ोद में हांका, पीपल्या व दूसरे किन किन स्थानों पर कितने कितने क्षेत्र में नाजायज काश्त की जा रही हैं और कब से?

(5) वन विभाग द्वारा नाजायज काश्त करने वालों में से किन किन स्थानों पर केस चलाए हुए हैं?

(6) समिति द्वारा मांगी गई भूमि कब तक उनके नाम तब्दील कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। 9-1-67 से।

(2) जी हां। जिला स्तरीय कमेटी के निर्णय न होने के कारण यह भूमि स्थानान्तरण अभी तक नहीं हुई है।

(3) जी नहीं।

(4) संलग्न सूची के अनुसार लगभग 5200 बीघा क्षेत्र में सन् 1956 से 1967 तक।

(5) छीपा बड़ोद रेन्ज द्वारा एस. डी. एम. छबड़ा प्रथम श्रेणी दण्डनायक, तहसीलदार छीपाबड़ोद मे केस चलाये हुए हैं।

(वन मंत्री)

(6) निर्णय होने के पश्चात् उक्त भूमि हस्तान्तरित कर दी जावेगी।

(कृपया परिशिष्ट 17 देखिये)

फारेस्ट इन्क्वारी कमेटी द्वारा लेंड कैपेबिलिटी

305. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि फारेस्ट इन्क्वायरी कमेटी 1959 की रिपोर्ट में लैंड कैपेबिलिटी सर्वे करने का सुझाव दिया गया था जिसे राजस्व विभाग की सलाह से कुछ संशोधनों सहित सरकार ने स्वीकार कर लिया है ? यदि हां तो कब ?

2 लैंड कैपेबिलिटी सर्वे के तहत कोटा व झालावाड जिले की तहसीलवार कितनी कितनी जमीनों की अदला बदली की जाने की सिफारिश की गई है ?

3 चम्बल कमान्डेड एरिया में नदी के किनारों व खालों की कितनी जमीन फोरेस्ट इन्क्वायरी कमेटी के सुझावों के तहत वन विभाग को स्थानान्तरित हो चुकी है और उसमें वन लगाने या बीड घास प्लान्टेशन करने की दिशा में अब तक क्या क्या और कहां कहां कोशिश की गई है ?

(4 क्या यह सही है कि 'चम्बल के किसानों से नाम की पुस्तिका' कृषि विभाग द्वारा तैयार की गई थी और उसमें किस्म 5 व 6 की 2.30 लाख एकड जमीन केवल घास लकड़ी व जंगल के लिए उपयुक्त मानी गई थी ? उक्त जमीन को अपने कब्जे में लेने की दिशा में वन विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(5) सरकार द्वारा बनाई जाने वाली एक्सपर्ट कमेटी व उनकी मंजूर शुदा सिफारिशों के अमल में ढिलाई या लापरवाही के कारण वन विभाग को कितनी जमीन से हाथ धोना पड़ा है और उसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1 जी हां, 19-12-60 को।

2 कोटा तथा झालावाड जिलों में अदला-बदली होने वाली भूमि की तहसीलवार सूची संलग्न है।

3 अभी केवल 6132 बीघा 8 बिस्वा ऐसी भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित की गई है जिसमें से 2470 एकड भूमि दीगोद तथा इटावा तहसीलों में वन विभाग को हस्तांतरित की गई जिसमें 1960 से 1967 तक प्लान्टेशन एवं भू-संरक्षण कार्य किये गये है।

(4) यह पुस्तिका वन विभाग में प्राप्त नहीं हुई है। पुस्तिका में घास लकड़ी व जंगल के लिए उपयुक्त मानी गई जिसमें 2.30 लाख एकड जमीन किस किस स्थान पर उपलब्ध है इसकी जानकारी होने पर उस क्षेत्र को वन विभाग में स्थानान्तर करने हेतु कार्यवाही की जायगी। वन विभाग द्वारा कन्दरा भूमि के सर्वेक्षण से कोटा जिले में कृषि के अनुपयुक्त 5336.126 हेक्टर कन्दरा युक्त भूमि के 12 वन खण्डों के योग्य भूमि राजस्व विभाग को हस्तांतरित करके प्रस्ताव जिलाधीश कोटा को भेजे गये है जहां ये प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(वन मन्त्री

(5 सिफारिशों के अमल में ढिलाई या लापरवाही नहीं हुई है और न इस कारण वन विभाग को किसी जमीन से हाथ धोना पड़ा है।

(कृपया परिशिष्ट 18 देखिये)

प्रतापगढ में आदिवासी छात्रों का छात्रावास

306. श्री हरलाल मीणा प्रतापगढ़ सु.) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1 क्या यह सच है कि जिला चित्तौड़गढ़ तहसील प्रतापगढ़ में आदिवासी छात्रों का छात्रावास विभाग द्वारा 55 लडकों का चलाया जा रहा है और एक अरनोद में आदिम जाति सेवक सघ द्वारा 25 लड़कों का चलाया जा रहा है? लेकिन आदिवासी कन्याओं का एक भी छात्रावास यहां नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(2 क्या प्रतापगढ आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी कन्याओं का छात्रावास खोलने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक खोल दिया जायगा?

उत्तर

(1) जी हां प्रतापगढ में 55 तथा अरनोद में 25 लडकों के छात्रावास चल रहे हैं पर छात्राओं का नहीं है। उदयपुर बांसवाडा, डूंगरपुर आदि स्थानों में कन्या छात्रावासों की सुविधा होने के कारण आदिवासी कन्याओं के लिए छात्रावास नहीं खोला गया। क्योंकि छात्रायें वहा रह कर अध्ययन कर सकती हैं जहा शैक्षणिक सुविधा भी अच्छी है।

(2) अर्थाभाव के कारण वर्तमान में ऐसा कोई विचार नहीं है।

आदिवासी एवं हरिजनों के छात्रावास

307. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

( ) राजस्थान में आदिवासियों के हरिजनों के और बेकवर्ड क्लास के अलग अलग कुल कितने छात्रावास हैं और कहां कहां पर हैं?

(2) क्या आदिवासी और हरिजनों का कोई ऐसा छात्रावास भी है जो कि छात्राओं का है? यदि हां तो वह कहांकहां?

(3) छात्रावास एक नम्बर के कितने और दो नम्बर के यानि एडेड कितने हैं?

(4) हर छात्रावास का सालाना खर्चा व वहां की छात्र संख्या क्या है?

(5) सालाना कुल कितनी धनराशि खर्च होती है जिसमें राजस्थान सरकार कितना खर्च करती है और भारत सरकार से कितना मिलता है?

6 क्या राजस्थान का कोई ऐसा हरिजन वा आदिवासी छात्र है जो कि भारत से बाहर किसी अन्य देश में पढ़ता हो और उसे राजस्थान सरकार या भारत सरकार वजीफा देती है?

उत्तर

(1 राजस्थान में आदिवासियों के 104 हरिजनों अनुसूचित जातियों के 92 विमुक्त जाति के 24 तथा घुमक्कड़ जातियों

(समाज कल्याण मन्त्री)
के 3 इस प्रकार कुल 223 छात्रावास हैं। स्थानों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

2 जी हां, उपरोक्त में से 16 छात्रावास छात्राओं के लिये हैं। स्थानों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3 एक नम्बर के अर्थात् राजकीय छात्रावास 12 हैं और अनुदानित यानी एडेड 111 हैं।

4 खर्चे का हिसाब योजना अनुसार जिलेवार रखा जाता है अतः प्रत्येक छात्रावास का खर्चा अलग से देना संभव नहीं है। छात्र संख्या की सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) गत वर्ष विभागीय छात्रावासों पर कुल 31,86,922 रु. खर्च हुआ इसमें 26,57,843 रु. राज्य का तथा 5,29,079 रु. केन्द्र का है।

(6 जी नहीं।

सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई।)

अनुसूचित जाति एवं जन जाति
की दशा में सुधार

308. श्री शरीसिंह (हिन्डोल): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान सरकार गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति की दशा सुधारने में अलग अलग कितनी कितनी धनराशि खर्च कर चुकी है?

(2) इसमें कितनी रकम इन पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए खर्च की गई और कितनी कर्मचारियों पर तथा कितनी प्रचार पर व अधिकारियों के टी. ए. व डी. ए. पर?

(3) इन दोनों जातियों के लिए भवनों के निर्माण, अनुदान छात्रवृति पर अलग अलग जिलेवार कितना व्यय किया गया है?

(4) सरकार तीन पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इन दोनों पिछड़ी जाति की दशा सुधारने में कहां तक कामयाब हुई है?

(5) चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकार इनकी दशा सुधारने के लिए कितनी धनराशि खर्च करने का अनुमान रखती है? और किस प्रकार?

(6) चौथी पंचवर्षीय योजना में विकास सम्बन्धी कौन कौन सी योजनाएं चालू की जावेगी?

(7) क्या सरकार ने कोई समिति बना रखी है जो इनके कल्याण कार्यक्रम का ध्यान रखती है और अपने सुझाव सरकार को देती है?

(स्थगित किया गया)

दैनिक नव ज्योति अखबार को अनिवार्य
सदस्यता

309. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विभाग के संचालक ने ऐसा कोई आदेश जारी किया

(श्री हरजीराम बुरडक)

है कि समाज कल्याण विभाग के सारे ऑफिसों व अन्य इकाइयों में दैनिक नवज्योति अखबार को अनिवार्य रूप से मंगाया जावे ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

(2) क्या अन्य अखबारों के लिये भी कोई आदेश जारी किया है ? यदि हां, तो कब और किस अखबार के लिये।

(3) इस प्रकार का आदेश जारी करने की आवश्यकता क्यों हुई ?

(स्थगित किया गया)

ह ी छब ा में ा ी कज ें की कोलो ी

310. **श्री देवीदत्त ग ि य** (बारां) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील छबडा के ग्राम चांचोडा में सांसी कंजरों की एक काल नी करीब गत 10 वर्ष के अन्दर बनाई गई है ?

(2) यदि हां, तो कितने रुपयों की लागत से कितने घरों की कालोनी बनाई गई है ?

(3) क्या यह सही है कि इस कालोनी के निर्माण कार्य में हुए घोटाले आदि मामलों को जांच किसी अधिकारी से कराई थी? यदि हां, तो किस अधिकारी ने जांच की और उस पर क्या कार्यवाही हुई ? जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। पर यह कालोनी 12 साल पूर्व में स्वीकृत की गई थी।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) यह जांच जिलाधीश कोटा द्वारा की गई थी। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। परगना अधिकारी एवं तहसीलदार ने जांच करके उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के लिये लिखा है। राजस्व मन्डल द्वारा लिखा गया है कि विभागीय जांच के लिये विशिष्ठ सचिव नियुक्ति विभाग ही सक्षम है। नियुक्ति विभाग द्वारा उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध चार्जशीट बनाने के लिये समाज कल्याण विभाग को लिखा गया था। नियमानुसार चार्जशीट वही विभाग देने में सक्षम है जिनके अन्तर्गत वे अधिकारी कार्य करते हैं। ये अधिकारी जिलाधीश कोटा के अन्तर्गत कार्य करते हैं और उनके द्वारा ही जांच की गई है। अतः विशिष्ठ सचिव, नियुक्ति विभाग को लिखा गया है कि अधिकारियों के विरुद्ध जिलाधीश कोटा को चार्जशीट बनाने के लिये लिखे और तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करे।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

ग्राम डिकोला में 20-25 घरों की कोलोनी

311. **श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा तहसील के ग्राम डिकोला में गत 6-7 वर्ष पूर्व करीब 20-25 घरों की कोलोनी बनाई गई थी ?

(2) यदि हां, तो उस पर कुल कितना रुपया किस किस काम के लिये खर्च हुआ ?

Page No 85

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इस कोलोनी में कितने समय से कौन कौन और किस किस जाति के लोग रहते हैं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

जयपुर जिले की समाज सेवी संस्थाओं को सरकार द्वारा अनुदान

312. **श्री लदूराम सुलनिया** (फागी): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि जयपुर जिले में समाज सेवी संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा अनुदान आदि दिया जाता है? यदि हां, तो वर्ष 68-69 में किन किस संस्था को कितना कितना अनुदान किस किस योजना हेतु दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि समाज सेवी संस्थाओं को उनके कार्यालय भवन हेतु राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि का आवंटन किया जाता है? यदि हां, तो 66-67 से वर्ष 68-69 तक किस संस्था को जयपुर जिले में भूमि का आवंटन किया गया? सूची मय संस्था का नाम, पंजीकृत संख्या, ग्राम, तहसील के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त समाज सेवी संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा सहयोग दिये जाने की योजना है? यदि हां, तो उस योजना का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर मय बजट प्रोवीजन के रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां।

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) भूमि आवंटन का कार्य समाज कल्याण विभाग नहीं करता है। अतः सूची रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) योजनाएं समय समय पर योजना आयोग तथा भारत सरकार के निर्देशों पर चालू की जाती हैं। स्वंय सेवी संस्थाओं को अनुदान देने के नियम सदन की मेज पर रख दिये गये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)।

परिवार नियोजन मद में खर्च

313. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) परिवार नियोजन के मद में गत वर्ष कुल कितना खर्चा किया गया और इस वर्ष कितना खर्चा करने का प्रावधान है?

(2) गत वर्ष इस योजना के अन्तर्गत कितने आपरेशन एवं लूप लगाने का लक्ष्य रखा गया और उसमें कहां तक उपलब्धि हुई?

(3) 1967-68 में जो परिवार नियोजन पखवाड़ा राज्य भर में मनाया गया

Page No 86

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
उसके अन्तर्गत प्रत्येक जिले के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये और उसकी उपलब्धि कहां तक हुई ? इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या सरकार को कोई इस प्रकार की शिकायतें भी मिली हैं कि परिवार नियोजन के जो आंकड़े विभिन्न जिलों से भेजे जाते हैं वे सही नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस योजना का सर्वेक्षण कराने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) गत वर्ष 1968-69 में परिवार नियोजन मद में 1,45,93,532.21 रु. खर्च हुए उक्त खर्च में भवन निर्माण व अनुदान तथा लेखन सामग्री आदि की राशि भी सम्मिलित है।

इस वर्ष 1969-70 में परिवार नियोजन के अन्तर्गत 286.94 लाख की राशि खर्च करने का प्रावधान है। लेकिन भारत सरकार ने केवल 167.75 लाख रु. ही स्वीकृत किए हैं। और उसी के हिसाब से द्रव्य वितरण किया गया है।

(2) गत वर्ष 1968-69 में भारत सरकार द्वारा राजस्थान राज्य के लिये 1,50,235 आपरेशन व 1,00,157 लूप लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसमें से 37,830 आपरेशन व 21,060 लूप लगाये गये।

(3) राज्य में सन् 1967-68 में तीन परिवार नियोजन पखवाड़े, पहला माह सितम्बर, 67, दूसरा माह दिसम्बर, 67 और तीसरा माह मार्च, 68 में मनाये गये। लक्ष्य एवं उनकी उपलब्धि संबंधी तालिका ध्वज "क" पर संलग्न है।

(4) प्रथम परिवार नियोजन पखवाड़ा माह सितम्बर, 67 के प्रगति के आंकड़े जोधपुर जिले से असामान्य व सन्देहपूर्ण प्राप्त हुए थे। जांच पड़ताल पर मालूम हुआ कि वास्तव में प्रगति के आंकड़े गलत सूचित किए गए थे।

चूरू जिले में परिवार नियोजन संबंधी गलत रिकार्ड बनाने की शिकायत भी प्राप्त हुई थी। जिसकी जांच पड़ताल अभी चालू है। माह फरवरी, 69 में पंचायत समिति स्तर पर मनाये गये विशेष अभियान के क्रम में प्रधान, पंचायत समिति मसूदा ने पंचायत समिति रानीवाड़ा के विरुद्ध शिकायत की थी कि इस दौरान उन के द्वारा किए गए आपरेशनों की संख्या गलत बताई गयी है किन्तु जांच करने पर ज्ञात हुआ कि उनके द्वारा (रानीवाड़ा) किये गये केसेज बिल्कुल सही थे।

जहां तक सर्वेक्षण कराने का प्रश्न है राज्य सरकार ने इस कार्य के लिये वांछित स्टाफ स्वीकृत कर रखा है, चूंकि भारत सरकार के निदेशानुसार सर्वेक्षण का कार्य भी परिवार नियोजन कार्य-क्रम का एक अंग है। गलत आंकड़ों की सूचना मिलने पर अथवा आवश्यक समझा जाने पर सर्वेक्षण कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(कृपया परिशिष्ट 19 देखिये)

परिवार नियोजन की प्रगति

314. **श्री चुन्नीलाल इंदलिया** (नोखा) : क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में परिवार नियोजन किस तारीख से लागू किया गया और आज

Page No 87

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

तक कितने लूप लगाये गये व कितनों की नसबन्दी की गई ? सूची सदन की मेज पर जिलावाइज रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि लूप लगाने से काफी महिलाओं की मृत्यु भी हुई है ? यदि हां, तो इसकी नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखी जाये।

(3) क्या यह सही है कि नसबन्दी व उसका प्रचार करने वालों को सरकारी तौर पर इनाम भी वितरण किया गया है ? यदि हां, तो आज तक कुल कितने रुपयों का इनाम वितरण किया गया है ?

उत्तर

(1) भारत सरकार के निदेशानुसार राजस्थान में परिवार नियोजन कार्यक्रम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से अर्थात् सन् 1956 से लागू किया गया। राजस्थान में जून, 69 तक 77,302 लूप लगाए गए व 1,32,561 नसबन्दी की गई। जिला वाईज सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) प्राप्त सूचना के अनुसार राजस्थान में लूप लगाने से किसी स्त्री की मृत्यु नहीं हुई है।

(3) जी हां, अब तक कुल पांच हजार छः सौ अठानवें रुपये अड़सठ पैसे के इनाम वितरण किये गये।

(कृपया परिशिष्ट 20 देखिये)

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री मूलचन्द डागा।

प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री मूलचन्द डागा (सभापति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के आठवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक। श्री हरिदेव जोशी। राजस्थान भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1969।

श्री भीमसेन (उप मंत्री उद्योग) : मैं भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1962 में राजस्थान भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1969 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : मैं राजस्थान बिक्री कर (संशोधन तथा विधि मान्यकरण) विधेयक, 1969 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मथुरादास माथुर : मैं राजस्थान बिक्री कर (संशोधन तथा विधि मान्यकरण) विधेयक, 1969 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अध्यादेश को जारी करने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मथुरादास माथुर

श्री म ्रादास माथर : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मद्यनिषेध विधेयक, 1969 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मद्यनिषेध विधेयक, 1969 को सदन में पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मथुरादास माथर : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मद्यनिषेध विधेयक, 1969 को पुरःस्थापित करता हूं।

मैं मद्यनिषेध विधेयक को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने दी महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, ब्यावर में रूई, कपड़ा, सूत व अन्य सामान की खरीद तथा बिक्री में अनियमितता तथा मिल को होने वाले नुकसान के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री भैरोंसिंह व श्री श्रवणलाल, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने केन्द्रीय कारागार जयपुर में एक कैदी की कल रात कई दिनों से की जा रही भूख हड़ताल के कारण हुई मृत्यु का उल्लेख किया है।

इन दोनों मामलों में राज्य सरकार से जानकारी चाही जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर मैं माननीय सदस्यों को यथासमय सूचित कर दूंगा।

इनके अतिरिक्त जो स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, वे इस प्रकार हैं --

(1) श्री विश्वनाथसिंह, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें झुंझुनू जिले के गुढ़ा गौड़जी गांव के पास पानी के बहाव को रोकने के लिये सिंचाई विभाग द्वारा जो बांध बनाया गया था और जिसमें राज्य सरकार का काफी खर्चा हुआ था, का निर्माण ठीक ढंग से न होने के कारण अचानक हुई भारी वर्षा से बान्ध टूट गया है और रास्ते बन्द हो गये हैं व खड़ी फसल पानी में डूब गयी है। बाढ़ की स्थिति पर माननीय सिंचाई मंत्री महोदय द्वारा एक वक्तव्य दिया जायेगा जिसमें इस पर भी प्रकाश डाला जा सकेगा।

(2) श्री भगवानदास शास्त्री, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें जयपुर, जोधपुर आदि नगरों में नगर परिषद् एवं यू. आई. टी. द्वारा दुकानें बनायी जाकर दुकानदारों को जो मालिकाना हक दिया गया है उसी तरह का हक अजमेर में नहीं दिये जाने का उल्लेख किया है।

(3) श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, श्री रामचन्द्र आर्य, श्री केदारनाथ व श्री हरजीराम बुरडक ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें बीकानेर जिले की तहसील लूणकरणसर के ग्राम हापासर के एक व्यक्ति को

(श्री अध्यक्ष)
तहसील व राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा समय पर सहायता न देने से तहसील हैडक्वार्टर पर उसकी भूख व प्यास से मृत्यु होने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है। यह मामला एक व्यक्ति विशेष से संबंधित है।

(4) एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री हरलालसिंह खर्रा, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें तहसील श्री माधोपुर जिला सीकर में कई वर्षों से जमीनों के इन्तकाल के मामले पड़े रहने से कृषकों को ऋण न मिलने के कारण उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है।

(5) श्री जयनारायण सालोदिया, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 10-8-69 को हरिजन सम्मेलन के बाद कुछ व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति के कुछ लोगों को डराने, धमकाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

ये स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित किया जाकर आज इन पर विचार किया जाय अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

इनके अलावा तीन पैण्डिंग स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गयी है जो इस प्रकार है :

(1) टीथवाल के शहीद हवलदार मेजर पीरूसिंह की वृद्धा माता को सहायता देने से संबंधित श्री मदनसिंह दांता, श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, व श्री राम चन्द्र आर्य द्वारा दिया गया स्थगन प्रस्ताव। इस विषय में मेजर श्री फतेहसिंह ने भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है। राज्य सरकार से जो उत्तर मिला है उसमें रुपया 200) मासिक सहायता की घोषणा नहीं किया जाना बतलाया गया है। केवल रुपया 600) बैनीवोलेन्ट फण्ड से स्वीकृत हुआ था और वह रुपया उन्हें दिया जा चुका है।

(2) जोधपुर में जनसंघ के उपाध्यक्ष श्री गुमानमल लोढ़ा आदि की गिरफ्तारी से संबंधित श्री देवीदत्त गाड़िया व श्री ओमदत्त भाटी का स्थगन प्रस्ताव–इस संबंध में बतलाया गया है कि नगरपालिका के कार्यालय में जबर्दस्ती घुसने व कर्मचारियों के काम में रोक टोक करने, शोरगुल मचाने व जोर जबर्दस्ती करने के कारण पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया था और जमानत नहीं दिये जाने के कारण उनको जूडीशियल लॉक अप में रक्खा गया था। पांचों व्यक्तियों को सजा दी जा चुकी है और बाद में इन्हें आजाद कर दिया गया है।

(3) श्री रामकिशन, श्री नत्थीसिंह व श्री मुकुटबिहारी द्वारा भरतपुर में बाढ़ नियन्त्रण के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई है। बाढ़ के संबंध में सिंचाई मंत्री महोदय द्वारा कल ही एक वक्तव्य दिया जावेगा जिसमें इस पर भी प्रकाश डाला जायेगा।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त सभी स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्री द्वारा वक्तव्य। उदयपुर विश्वविद्यालय में अव्यवस्था,

(श्री अध्यक्ष)
शिक्षण नीति आदि के बारे में।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, ब्यावर में महालक्ष्मी मिल के बारे में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर प.): अध्यक्ष महोदय, जोधपुर, जयपुर, और अजमेर एक ही स्टेट के जिले होते हुए भी एक दूसरी जगह भेदभाव क्यों बरता जाता है। सब जगह थड़ी होल्डर्स के लिये सरकार ने दुकानें बनाई और उन दुकानों का अलाटमेंट मालिकाना हक के आधार पर किया, जयपुर और जोधपुर में उनको मालिकाना हक दे दिया। आज उनका इसी आधार पर अलाटमेंट किया। आज वे उन दुकानों के मालिक हैं। और निश्चिन्त होकर अपना सारा काम काज करते हैं, व्यापार करते हैं। जोधपुर में स्वयं वित मंत्री महोदय ने अभी चन्द दिनों पहले दुकानों का उद्घाटन किया था और लोगों को अलाटमेंट किया था, मालिकाना हक दिया था। ऐलान किया था कि मालिकाना हक के रूप में अलाटमेंट किया जावेगा।

तो इस आधार पर मेरी स्पष्ट मांग है, मुख्य मंत्रीजी भी यहां उपस्थित हैं कि अजमेर में यह सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? वहां अलाटमेंट मालिकाना हक के आधार पर क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसके बिना वहां नगरपालिका के कर्मचारी प्रति मास दुकानों का किराया लेने आते हैं और जिसका किराया पचास रुपया होता है उसका 75) और 100) ले लेकर जाते हैं जिसका सौ रुपया है उसका सवा सौ, डेढ़ सौ ले जाते हैं। ऊपर का रुपया अपनी जेब में रखते हैं। इससे भ्रष्टाचार भयंकर रूप से पनप रहा है। सरकार की इस सौतेली नीति के कारण और अकर्मण्यता के कारण भ्रष्टाचार से वहां की जनता पीड़ित है। इसे समाप्त करने के लिये जैसी सम्पूर्ण राजस्थान में सरकार की नीति है, जयपुर और जोधपुर में जैसी नीति अपनाई गई है, वैसी ही अजमेर में भी अपनाई जावे। उन लोगों को किरायेदार न मानकर मालिक माना जावे।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): अध्यक्ष महोदय, आपने जोधपुर के संबंध में स्थगन प्रस्ताव पर अपना निर्णय दिया। मैं उसको शिरोधार्य करता हूं। पर जनसंघ ने और उसके उपाध्यक्ष श्री गुमानमलजी लोढ़ा ने जिन कारणों से प्रेरित होकर प्रदर्शन किया उस संबंध में सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई। अध्यक्ष महोदय, जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने जिन उद्देश्यों को लेकर जोधपुर की नगरपालिका के अन्दर व्याप्त भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के खिलाफ जो आन्दोलन किया उस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। वहां के टैलीफोन और डाक तार विभाग ने टेलीफोन की लाइनें डालने के लिये सड़कों को खोदा।

(1 म. प.)

खोदने के बाद उनका पैसा प्रशासक महोदय को नगरपालिका में जमा करा दिया। जनसंघ की मांग है कि जो पैसा निर्माण के लिये दिया गया है उसकी तुरन्त तामील कराई जाय लेकिन नगर परिषद् ने कोई मरम्मत नहीं कराई। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) दूसरा गन्दगी के बारे में था। इस न्यायोचित मांग को लेकर जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) उनको इस तरह

श्री देवीदत्त गाडिया)
घसीटा गया और ऐसे जेल के सींखचों में बन्द किया गया जहां जहरीले कीड़े थे....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर ।

(श्री देवीदत्त गाड़िया बोलते रहे—अश्रव्य)

माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उनका यह व्यवहार अशोभनीय है, अमान्य है । प्रदर्शन करने का उनको अधिकार है..

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्य !

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह मामला बड़ा गम्भीर है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह न्यायोचित मांग है, उस पर वक्तव्य दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! मेजर श्री फतेह सिंह ।

श्री फतेह सिंह (ब्यावर) : 18 जुलाई सन् 1948 को श्री पीरू सिंह शहीद हुए थे । उनको परम वीर की उपाधि मिली थी और यह परमवीर चक्र की उपाधि मरणोपरान्त मिली थी । 20 वर्ष हो गये, उनकी माता 85 वर्ष की है । गये साल जुलाई 68 को पीरूसिंह के गांव में वहां पर एक समारोह आयोजित किया गया था । हमारी राज्य मन्त्री श्रीमती सुमित्रा जी वहां पर थीं । उनकी अध्यक्षता में यह समारोह आयोजित हुआ था । वीर सैनिक मृत्यु को प्राप्त हुए थे । मेजर बृजेन्द्र सिंह ने उनकी माता को पीरूसिंह की माता को 200 रु. प्रति माह आर्थिक सहायता दिलाने की घोषणा की थी। ये दो सौ रुपये, अध्यक्ष महोदय, उनको तीन महीने तक दिये गये और उसके बाद किन्हीं कारणों से, जिनको मैं कहना नहीं चाहता हूं, वह सहायता बन्द कर दी । 85 वर्ष की माता है । पीरूसिंह ने अपना सर्वस्व बलिदान कर देश की रक्षा की और आज यह हमारे लिये, राज्य सरकार के लिये अशोभनीय बात है कि उसकी सहायता बन्द कर दी गई। इसलिये मैं राज्य सरकार से विशेषकर सैनिक कल्याण मन्त्री जी से और मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि राजनैतिक आधारों पर नहीं जाकर उनकी माता को यह सहायता पुनः दिलाये चाहे वह दो महीने जीती है या 9 महीने जीती है । (समय समाप्ति-सूचक-घंटी) यह विशेष सहायता दीजिये नहीं तो भूतपूर्व सैनिकों में और वर्तमान सैनिकों में मोरल डाउन हो जायगा और हो रहा है क्योंकि वे जानते हैं देश के लिये शहीद होंगे और शहीद होने के बाद उनके पीछे वालों के लिये खाने पीने की व्यवस्था नहीं रहेगी। तो यह देश के लिये शर्म की बात है, (समय समाप्ति-सूचक-घंटी) पीरूसिंह ने खून दिया और डैमोक्रेसी को जिन्दा रखा जिससे आज हम यहां बैठे हैं और आज हमारी यह हालत है कि उनकी माता को जिन्दा नहीं रख पा रहे हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) उनके खाने पीने की सुविधा नहीं कर रहे हैं। यह मेरे ख्याल से राजस्थान की जनता के लिये अशोभनीय बात होगी और अगर यह राजस्थान सरकार नहीं कर पाती है तो हम चन्दा करें और उन लोगों की सहायता करें जो देश के लिये

(श्री फतेहसिंह)

बलिदान हो गये हैं अगर यह सरकार भिख-मंगी होगई हैं। झुन्झुनूं जिले में····

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

मेजर फतेह सिंह : मैं चाहता हूं हमारे मुख्य मन्त्री जी और उधर बैठने वाले इस सदन में विचार करेंगे और उस विधवा को सहायता दिलाने की चेष्टा करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय,

मेजर फतेह सिंह : अश्रव्य।

श्री अध्यक्ष : भाषण का समय नहीं है। स्थान ग्रहण करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने महालक्ष्मी मिल, ब्यावर के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया था। यह मिल पिछले वर्ष से····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जानकारी के लिये यथा शीघ्र लिखा है। जानकारी और यथा नियम ····

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था जेल के सम्बन्ध में। जेल में एक व्यक्ति की मृत्यु होगई···

श्री अध्यक्ष : उसकी शीघ्र जानकारी की जा रही है।

कल मैं माननीय सदन के सदस्यों को··

श्री मदन सिंह (दांतारामगढ़) : पीरूसिंह की माता की सहायता के बारे में, अध्यक्ष महोदय, मैं भी दो शब्द कहना चाहूंगा। पहले तो दुर्भाग्य से पीरूसिंह की माता का 18 वर्ष बाद निर्णय हुआ। यहां के भूतपूर्व अध्यक्ष थे जिन्होंने यह केस फाइट आउट किया था और अनाउन्समेन्ट हुआ था कि 200 रु० माहवार पीरूसिंह की माता को दिये जायेंगे। मैं आयन्दा के लिये मन्त्रियों से यह निवेदन करूंगा कि वे अपने दिल दिमाग और भाषा को कन्ट्रोल में रखकर बात करें। हम यह कहते हैं कि उनको 600 रु. बेनवोलेन्ट फन्ड से दे देते तो यह बात नहीं होती। उस समय तो ऊंची ऊंची बात कह देते हैं और अब उसे बन्द किया गया तो उस मां को कितना बुरा लगा होगा। आपके प्रति उसकी कितनी अश्रद्धा हुई होगी। मन्त्री लोग झूंठे और गलत वायदे करते हैं। मुझको इसका बहुत दुःख हुआ है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस आर्डर की स्पष्ट तारीख और किस ढंग से आर्डर हुआ है उसको सही ढंग से देखने की चेष्टा करें।

श्री अध्यक्ष : कल मैं माननीय सदस्यों को एक सूचना देना चाहता था वह यह कि दिनांक 18-8-69 को पंचायत समिति जिला कोटा में लिफ्ट सिंचाई के पर्याप्त साधन न होने से उत्पन्न स्थिति के बारे का एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कार्य सूची में था। इसके बारे में उप मन्त्री सिंचाई ने सदन में व्यक्त किया कि यह उनको 18-8-69 को सुबह ही मिला इससे उसका जवाब देने में असमर्थ हैं। मैंने कल इसके बारे में कहा था कि मैं अपने घर को सम्भालूं, मैंने इसमें जानकारी करली है। और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे घर में कोई गड़बड़ी नहीं है परन्तु सरकार के अधिकारियों में मालूम पड़ती है। इस प्रस्ताव की सूचना श्री विष्णु दत्त शर्मा सचिव, सिंचाई विभाग को और

Page No 93

(श्री अध्यक्ष)

सिंचाई मंत्रीजी के निजी सचिव को 16-8-69 को ही दे दी गई थी। मुझे खेद है कि उप मन्त्री जी ने तथ्यों की जानकारी किये बिना ही ऐसी सूचना सदन में दी।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : यह मैटर ऑफ प्रिविलेज होगया।

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन आप क्लेरिफ़िकेशन

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : असेम्बली सेक्रेटेरियट पर····

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में बाद मे विचार कर लेंगे।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : हमें क्या मालूम पड़ता है आपके यहां क्या हो रहा है। सेक्रेटेरियट में क्या हो रहा है?

श्री अध्यक्ष : यहां कोई गड़बड़ नहीं है। उदयपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में शिक्षा मन्त्री वक्तव्य देंगे।

श्री सुवा लाल चौरासी (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न ·····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर।

(श्री सुवालाल के बराबर बोलते रहने पर)

कहीं तो हद रखा करें भाई जान! आर्डर, आर्डर।

श्री सुवा लाल : एक स्टेटमेन्ट दिया गया था····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य।

श्री शिवचरण माथुर (शिक्षा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं····

श्री लालूराम सुलानिया (फागी-सु) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर! माननीय सदस्य।

(श्री लालूराम सुलानियां बराबर बोलते रहे अश्रव्य)

श्री लालूराम सुलानिया : अध्यक्ष महोदय, कल भी रह गया था····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री लालूराम सुलानिया : बृजसुन्दर शर्माजी के मामले को लेकर कल····

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। भाषण अंकित नहीं किया जाय।

श्री लालूराम सुलानिया : + + +

शिक्षा मंत्रीजी (श्री शिवचरण माथुर) : माननीय अध्यक्ष जी इस वक्तव्य को देने को मैं चार दिन बाद अनुमति चाहता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जो माननीय मन्त्री जी वक्तव्य देने वाले थे, मेरा निवेदन है कि इसमें दो पाइन्ट हैं— एक तो जनरल प्रशासन के सम्बन्ध में हैं उसके बारे में तीनों विश्वविद्यालयों का डिस्कशन एक

+ + + अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

साथ कराने का निश्चय किया है इसलिये मेरा निवेदन है कि वह डिस्कशन एक साथ हो जाय और दूसरा पोइन्ट है यदि मन्त्रीजी आज जवाब दे सकें तो ठीक है और आज नहीं तो बाद में लेकिन उसको मिक्स-अप नहीं किया जाय। प्रशासन सम्बन्धी जो गड़बड़ी है उसका डिस्कशन अलग हो, जोधपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय का अलग अलग है इसलिये उसको एक जगह कर दिया जाय। एक पर्टिक्यूलर प्रश्न है जो यह उठाया है....

श्री अध्यक्ष : वही तो है पर्टीक्यूलर प्रश्न ! जहां तक प्रशासन का और यूनिवर्सिटीज की गड़बड़ियों का प्रश्न है वह विचाराधीन है। यूनिवर्सिटी के प्रश्न को किसी दिन डिबेट के लिये रख दिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : यह तो स्पेसिफ़िक मैटर है। इसका स्टेटमैन्ट अलग होगा। हमारी इच्छा है तीनों विश्वविद्यालय पर कई दिनों से हाउस में डिबेट नहीं कर पाए हैं। इनका डिस्कशन करना आवश्यक है इसलिये निवेदन यह है कि उस पर वाद-विवाद हो जाय ऐसा समय निश्चित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : मैं उस विषय पर वाद-विवाद होजाये बिजनेस ऑफ दी हाउस से कह कर एडजस्ट कर रहा हूं लेकिन मैं यूनिवर्सिटी के मसले को ले रहा हूं।

साप्ताहिक आर्गेनाइजर के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, कल यह व्यवस्था थी कि बृजसुन्दर जी वाला मोशन आज फिर लिया जायेगा और वह अधूरा है।

श्री अध्यक्ष : अभी तो दूसरा काम आ रहा है।

श्री रामकिशन : पहले ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को लेंगे या उसको लेंगे ?

श्री अध्यक्ष : पहले ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

श्री रामकिशन : मेरा इस पर फिर एक पाइन्ट ऑफ आर्डर है ! अध्यक्ष महोदय, यह जो आपने नाम लिये हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर बोलने वालों के इसमें यशवन्तसिंह नाहर, दीपचन्द छंगानी, रामकिशन, महारावल श्री लक्ष्मण सिंह और श्री मोहनलाल मोदी आदि को 'सदस्या' लिख दिया है। हमारा तो बेमतलब ही लिंग परिवर्तन कर दिया गया है। यह तो बड़ा गम्भीर मामला है सदस्यों को सदस्य बना दिया गया है, अध्यक्ष महोदय।

श्री नत्थी सिंह (भरतपुर) : श्री मोहनलाल जी मोदी को तो कोई ऐतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपको तो विश्वास सैक्स में है ही नहीं इधर से हो या उधर से हो।

श्री रामकिशन : लक्ष्मणसिंहजी, यशवन्त सिंह नाहर—सिंह को सिंहनी बना दिया इसलिये ऐतराज है। मेरे बारे में तो विशेष ऐतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं निवेदन कर रहा हूं कि कल व्यवस्था दी थी कि गृह मन्त्रीजी मथागांव में हत्या के सम्बन्ध में····

श्री अध्यक्ष : क्या करें इनका ? माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करें।

माननीय सदस्या।

श्री लादूराम सुलानिया : हरिजन की मृत्यु हो गयी है····

श्री अध्यक्ष : होगयी है तो उसको मैं देख लूंगा।

माननीय सदस्या।

श्री देवीदत्त गडिया : हरिजन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठने वाले को फिर उठा दिया।

(श्री लादूराम सुलानिया के बोलते रहने पर) माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गडिया : हरिजन है।

श्री अध्यक्ष : आप हरिजन कैसे कहते हैं वह सदस्य हैं सदन के!

श्री लादूराम सुलानिय : आप वक्तव्य नहीं दिलवाना चाहते हैं····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान हण करें।

हां, आप (श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत) : आरम्भ रखिये।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, भारतीय संस्कृति में मातृजाति को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है। हमारे देश के पिछले हजारों वर्षों के इतिहास में न जाने कितने युद्ध हुए, भयंकर खून हुआ, रक्तपात हुआ, क़त्लेआम हुआ। अध्यक्ष महोदय, कई प्रकार की राजनीतियां आई, कई प्रकार की रण नीतियां आई लेकिन सारी की सारी बातों में हमारी महिला जाति के लिये हमेशा एक गौरव का दर्जा रखा गया, उसको सम्मान दिया गया और प्रतिष्ठा के स्वरूप में उसकी पूजा की गयी।

अभी हाल ही में हुई एक घटना जिसनें महिला जगत के ऊपर और नारी जाति के ऊपर कुछ आक्षेप किया है, और मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। पिछले महीने जुलाई की 26 तारीख को साप्ताहिक अंग्रेजी पत्र आर्गेनाइजर" "Women rulers are disastrous" ने एक बड़ा सारा लेख लिखा। उसमें उसका शीर्षक दिया और शीर्षक के अन्तर्गत उन्होंने ऐसी शब्दावली स्त्री जाति के प्रति और एक मातृ शक्ति के प्रति इस्तेमाल की और जो उन्होंने शब्द लिखे, अध्यक्ष महोदय, यह मेरे लिये सम्भव नहीं कि मैं सदन में उनको कहूं। उन्होंने जिस तरह से बुरे लांछन लगाये हैं, जिस तरह से नारी जाति के चरित्र के ऊपर आक्षेप किया उससे हमारे भारत की सारी नारी जाति को, स्त्रियों को जिस प्रकार का क्षोभ हुआ है, दुःख हुआ है, अपमान अनुभव हुआ है शायद है इसके बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं कि मैं व्यक्त कर सकूं। उसी नारी जाति के क्षोभ और दुःख को प्रकट करने के लिये हमारा आपसे निवेदन है कि इस पत्र के ऊपर राजस्थान में प्रवेश के ऊपर पाबन्दी लगानी चाहिये। इसके बारे में कि क्या शब्द उन्होंने लिखे हैं और मैं इनका विस्तृत विवेचन करूं और

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)

महिला होते हुए नारी जाति की वकालत करूं उसके बजाय सोचती हूं कि यह सारा का सारा मामला सदन के सामने रखदूं। यह सदन जिसमें पुरुष बैठे हैं यह उन्हीं के हाथ की बात है कि महिलाओं का सम्मान किस तरह से रखा जा सकता है, उसका गौरव कैसे रखा जाना चाहिये और उसकी प्रतिष्ठा क्या है? तो आज सदन में पुरुष वर्ग बैठा है वह खुद सोचेगा जो अपनी मां का बेटा होगा वह कहेगा कि उनके लिए कैसे शब्द इस्तेमाल करने चाहिये, जो भाई होंगे बहिन के वह खुद सोचेंगे कि कैसे शब्द उनके लिये इस्तेमाल करने चाहिये, जो पत्नी के पति हैं वह उनकी इज्जत का सवाल सामने रखेंगे। इसलिये मैं और दूसरी महिलाएं कुछ नहीं कह कर अपने भाइयों से निवेदन करेंगी कि वह इसके बारे में आपसे निवेदन करें कि जो स्त्री जाति के ऊपर और नारी जाति के ऊपर इतना लांछन लागाया गया है और उनके प्रति इतने खराब शब्दों का उपयोग किया है उस पत्र के राज्य में आने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये।

श्री रामकिशन (बैर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत ने जो प्रश्न सदन के सामने प्रस्तुत किया है यह कोरे विवाद का प्रश्न नहीं है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में जिस दिन चर्चा हो रही थी मैंने जिक्र किया था कि जनसंघ औरतों के मामले में अनुदार दल है, गैर-क्रान्तिकारी दल है और उसका जो दृष्टिकोण है वह अपनी उसकी राजनीति की पृष्ठभूमि की देन है।

जिस प्रकार के शब्दों का इस अखबार में इस्तेमाल किया गया है उन शब्दों के लिये मैं जनसंघ के माननीय सदस्यों से ही निवेदन करूंगा कि उन पर वह विचार करें। जहां तक उन्होंने सदन में प्रस्ताव रखा है कि उस अखबार पर राज्य में आने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये इसका तो मैं समर्थक नहीं हो सकता क्योंकि राजनैतिक प्रश्नों का निराकरण राजनीति के द्वारा ही होना चाहिये मगर इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया तो राजस्थान के सैंकड़ों लोग, जो कि जनसंघ की आर्थिक और दूसरी नीतियों में विश्वास करते हैं, उसको पढ़ने से वंचित रह जायेंगे लेकिन जहां तक अखबार का सम्बन्ध है और जो कुछ नारी के सम्बन्ध में लिखा गया है मैं समझता हूं कि अगर जनसंघ के सदस्य अंग्रेजी का ज्ञान रखते होंगे तो उनके लिये लेख के बारे में और जो सामग्री लिखी गयी है उसके बारे में दुःख प्रकट करने के अलावा कुछ रास्ता नहीं हो सकता। मुझे, अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा अफ़सोस तो यह है कि जनसंघ के अखबार ऑर्गनाइज़र ने नारी के सम्बन्ध में जहां जिक्र किया है। उन्होंने भारतीय संस्कृति को भुलाकर उसका सारा दृष्टिकोण पश्चिम वाला दिया है एक तरफ़ जब भी चर्चा होती है जनसंघ के माननीय सदस्य और जनसंघ कहता है कि हम भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं लेकिन उन्होंने प्लेटो और नैपोलियन की ही मिसाल दी है और किसी भारतीय विचारक के स्त्री के बारे में विचार हैं उसके सम्बन्ध में कोई जिक्र नहीं किया है। इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जनसंघ न तो भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है और न उसके बारे में ज्ञान रखता है। महिलाओं के लिए कुछ कहना था, उन्हें प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की नीतियों से ना-

Page No 97

(श्री रामकिशन)

नाराजगी होती तो प्रधानमन्त्री की नीतियों की और उसके कामों की आलोचना करते लेकिन उनको टारगेट बनाकर असली दुःख इस बात का था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद हिन्दुस्तान के पूंजीपतियों के ऊपर चोट पड़ी तो निश्चय ही इसको साफ करना चाहिये और बजाय साफ कहने के उन्होंने सारी नारी समाज को बदनाम करने की कोशिश की है। अगर श्रीमती इन्दिरा जी के सम्बन्ध में और उनके प्रधान मन्त्रित्व के सम्बन्ध में कोई जिक्र करते तो मेरे जैसा आदमी उससे खुश होता लेकिन जब सारी नारी जाति को चाहे वह नारी यूरोप की हो चाहे एशिया की हो और चाहे हिन्दुस्तान की हो, जब सारी नारी जाति को बदनाम किया गया है तो मैं समझता हूं कि इससे बुरा किसी जाति विशेष के बारे में लेख और हो नहीं सकता।

अध्यक्ष महोदय, नीतियों की चर्चा नहीं करके उस अखबार में यह कहा गया कि जहां जहां नारियां शासक बनी हैं वह देश की तबाही का कारण बनी हैं और इस मामले में फ्रान्स का केस मिलेगा, और इंग्लैन्ड का केस मिलेगा, और रूस की मलिका का जिक्र किया। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि इंग्लैन्ड की कोई मलिका कुशासित रही होगी, फ्रान्स की कोई मलिका का शासन अच्छा नहीं रहा होगा लेकिन हिन्दुस्तान की 3 नारियां जिन्होंने देश में राज्य किया है उनका राज्य हमारे इतिहास में सबसे ज्यादा प्रशंसनीय राज्य कहलाता है और उसके सम्बन्ध में जनसंघ के माननीय सदस्यों को, जिनकी वे बड़ी पूजा करते हैं, मैं रानी लक्ष्मीबाई के राज्य के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। उन्हें रूस की रानी और फ्रान्स की रानी तो याद आगयी लेकिन बहादुरी के मामले में, शासन के मामले में, जनता के कल्याण के मामले में और उस समय जो काम रानी लक्ष्मीबाई ने किये उनका जिक्र करना ठीक नहीं समझा। मैं उनको ताराबाई की याद दिलाना चाहता हूं। ताराबाई, लक्ष्मीबाई और रजिया बेगम की याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने हिन्दुस्तान पर जिस प्रकार का शासन किया है उसके लिये इतिहासकार गवाह हैं। उनका जिस प्रकार का शासन था उस सारे शासन का यहां पर जिक्र नहीं करूंगा। दो-तीन रानियों को लेकर सारी नारी जाति को कलंकित करने की कोशिश की गई है। लंका में प्रधानमन्त्री हुई तो लंका को बरबाद कर दिया और अब हिन्दुस्तान की प्रधानमन्त्री हुई हैं तो सारे राष्ट्र को करप्ट कर रही है। इस लेख में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वे अंग्रेजी में है। उनका हिन्दी अनुवाद के रूप में यहां पर जिक्र कर रहा हूं। अगर आप पढ़ें सारे अखबार को तो पढ़ने के बाद हमारा मन टूट जाता है। हमारी आकांक्षाएं कमजोर बन जाती हैं। उन्होंने कहा है कि जब पुरुष राष्ट्र पर आता है तो सत्ता उसको करप्ट कर देती है, लेकिन जब नारी राष्ट्र की मालिक बनती है वह सारे राष्ट्र को करप्ट करती है। यह संविधान की भावनाओं के विपरीत लगता है। उन्होंने फ्रायड को लेकर यौन सम्बन्धों से इसको जोड़ने की कोशिश की है।

तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का प्रयत्न इस देश में बराबर किया जाता रहा है, है वह य

Page No 98

(श्री रामकिशन)

के खिलाफ हो, चाहे जाति के खिलाफ हो। यह एक उनकी राजनीति का अंग है। यह जो लेख लिखा गया है वह आकस्मिक लेख नहीं है। इस देश में आज दिन तक चन्द लोग ऐसे रहे हैं जो हरिजनों को नीचा समझते हैं, औरतों को नीचा समझते हैं, पूंजीपतियों को ऊंचा समझते हैं, दलितों को जो नीचा समझते हैं। इस देश में हमेशा इनकी राजनीति का यह रूप रहा है और उसी राजनीति के माध्यम से इस प्रकार के लेखों का ज़िक्र किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, उस लेख में यह कहा गया है कि 50 साल की नारी आकर्षक नहीं रहती है। जनसंघ के लोगों की दृष्टि नारी किस उम्र में आकर्षक होती है और किस उमर में आकर्षक नहीं रहती है उसका फ़ैसला तो वे करें, लेकिन उनका इशारा किसकी तरफ़ है यह बुद्धि वाला समझता है कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ़ है। वे 50 साल की उम्र की हैं। तो इस मामले में और अजीब लिखा जाता है कि 50 साल की विधवा कैसी होती है। वह आकर्षक नहीं होती है। जनसंघ के लोग इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो बुरा लगता है। हम लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते जिनका कि पश्चिमी संस्कृति का कुछ स्तर है तो कोई बुरा नहीं लगता। जनसंघ तो उस संस्कृति का मानने वाला नहीं, पूजने वाला है जिसमें लक्ष्मण से यह पूछा गया कि यह अंगूठी किस की है तो उसने कहा कि मेरा इससे क्या काम पड़ता है। मैंने तो वर्षों से और जन्म से ही सिर्फ़ पैरों को देखा है। लेकिन जनसंघ उस आकर्षण को देखता है और जिसके आकर्षण को देखता है उसके लिए उन्होंने लिखा है कि इस तरह की जो विधवा औरत हैं वह आकर्षणहीन हो जाती है और आकर्षणहीन हो जाने में उसमें एक विशेष बायोलाजिकल डेवलपमेंट होता है कि वह क्रूर होजाती है, विनाशकारी हो जाती है। इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करके सारी नारी जाति को कलंकित करने की कोशिश की है। मैं जानना चाहूंगा कि यह कौन सी भारतीय संस्कृति थी? अगर प्राइम मिनिस्टर की किसी नीति से निराश थे तो उसकी आलोचना करते तो हम जैसे लोगों को नाराजगी नहीं होती बल्कि सहयोग होता। नारी जाति को इस आधार पर कलंकित करना आकर्षण के कारण अपने आपमें अपमानजनक भी है। नारी 50 साल की हो, 70 साल की हो, 16 साल की हो सब में आकर्षण होता है बहन के रूप में मां के रूप में, सखा–सखी के रूप में पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में। कभी उसका आकर्षण समाप्त नहीं होता है। मैं समझता हूं कि जनसंघ के माननीय सदस्य इस तथ्य को समझते तो उनको लिखने की आवश्यकता नहीं थी।

आज इस सदन में जिस प्रकार का प्रस्ताव आया है जनसंघ के खिलाफ या किसी आर्गेनाईजर के खिलाफ यह ऐसा नहीं है कि एक ही मिसाल हो। इस देश में चन्द वर्ग के लोग जाने कब से चले आ रहे हैं जो यह चाहते हैं कि इस देश में वर्ग विहीन समाज की रचना हो, जो यह चाहते हैं कि वर्णविहीन समाज की रचना हो, उसमें स्त्री-पुरुष के नाम का फर्क नहीं किया जा सके। इन सारी नीतियों को अमान्य करने वाले भी इस देश में हैं जो चाहे नाम न लें लेकिन वे चाहते हैं कि पददलित लोग ऊपर न आयें और जो हमेशा से पिछड़े हुए रहे हैं, पददलित रहे उनको पददलित ही रहने दिया जाय। अगर उनको विरोध व्यवहार देना

(श्री रामकिशन)

चाहते हैं, व्यवस्था देना चाहते हैं तो उसके अनुसार महात्मा गांधी की बात को स्वीकार करते हुए उनके भाग लेने की बात कही है कि ऊंचे ऊंचे पदों पर औरतों को नियुक्त किया गया और औरतों को नियुक्त करने में विजयलक्ष्मी पंडित को नियुक्त किया गया है जो कि न तो पढी लिखी है और न उनमें कोई योग्यता है । उन्होंने राजदूत की हैसियत से जो काम किया है उन दिनों में, उसकी प्रशंसा करने की स्थिति में मैं नहीं हूं क्योंकि वे उस समय की हिन्दुस्तान की विदेश निति को रिप्रेजेन्ट करती थीं। लेकिन उस आधार पर उन्होंने लिखा है कि यूरोप की कोई नारी, एशिया की कोई नारी ऊंचे पद पर • •

श्री **कृष्णकुमार गोयल** : आप उस पैरेग्राफ को पढ़िये कि विजय लक्ष्मी पंडित के लिए क्या कहा है ?

श्री **रामकिशन** : अखबार अंग्रेजी में लिखा गया है इसलिए मैं उसका सदन में उपयोग नहीं कर रहा हूं। उसका हिन्दी अनुवाद कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सदन को जानकारी के लिए कि कोई बड़े पदों पर नहीं ली गई हैं तो हिन्दुस्तान में बर्मा की राजदूत कौन है ? बर्मा की राजदूत स्वर्गीय यू. आंगसैन की पत्नी ह जिनके पति बर्मा के राष्ट्रीय आन्दोलन के नेता थे । तो केवल नारी होने के कारण राजदूत के काबिल नहीं हैं, कोई प्रधान मंत्री के काबिल नहीं है, कोई मंत्री के काबिल नहीं हैं, इस मान्यता को दूर करने के लिये सदन में इस प्रस्ताव को लाया गया है । किसी से व्यक्तिगत नाराजगी हो तो साफ तौर पर कहना चाहिए कि हम बैंकों के राष्ट्रीय करण की वजह से इन्दिराजी से नाराज हैं । इन्दिराजी ने पूंजीपतियों पर चोट की है और हम पूंजीपतियों का समर्थन कर रहे हैं। ये सब बात राजनैतिक हैं तो साफ तौर पर कहें तो हम जैसे लोग भी उनके कई मामलों में डिफेन्स में आजाते। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से सारी नारी जाति को कलंकित करने की कोशिश की गई है, उससे इस सदन में यह प्रस्ताव आया है, और मैं इस पर अपनी सहमति प्रकट करता हूं, और सरकार से निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के प्रकाशन का जहां तक ताल्लुक है—मैं पाबन्दी लगाने का पक्षपाती नहीं हूं, मैं नहीं चाहता कि इस पर पाबन्दी लगे—सरकार को चाहिए कि ऐसे मामलों में लोक-शिक्षण के लिए आगे आ जाना चाहिए । जबकि मंत्रियों के इस प्रकार के बयानों का प्रकाशन होता है जिनमें न कोई दर्शन होता है, न कोई अर्थनीति होती है; केवल यह होता है कि मंत्री कहां से कहां गये और उद्घाटन किस तरह से किया है, उसका प्रकाशन हो जाता है, तब जब कि इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो राजस्थान का प्रकाशन विभाग, राजस्थान का सार्वजनिक सम्पर्क विभाग चुप बैठा हुआ है । राजस्थान के सार्वजनिक सम्पर्क विभाग इस मामले में सरकारी नीति को प्रकाशित करे । यह किसी व्यक्ति के खिलाफ बात नहीं थी, किसी प्रधान मंत्री के खिलाफ बात नहीं थी, यह संविधान के विपरीत बात थी, उसके खिलाफ सरकार की तरफ से प्रकाशन होना चाहिए था, और जिन प्रश्नों को लेख में उठाया गया है उनका तर्कसंगत ढंग से, ऐतिहासिक ढंग से दार्शनिक ढंग से उसका खंडन किया जाना चाहिए था ।

(श्री रामकिशन)

अध्यक्ष महोदय, यह नारी की अवस्था आज की अवस्था नहीं है । मैं जानता हूं कि इस देश में हजारों वर्षों से यह प्रचार किया गया है कि "ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी" किस संदर्भ में तुलसीदास जी ने यह लिखा है, वह संदर्भ उचित था या नहीं था, उसका और मौका जब आयेगा तो विवेचन हो सकता है । तुलसीदास जी हिन्दी के बहुत बड़े कवि थे यह मैं मानता हूं उनकी तरह से कोई बड़ा कवि लोक भावनाओं को व्यक्त करने वाला काफी दिनों से नहीं हुआ है । उनका जो अनुभव था, उनकी जो अनुभूति थी उसको उन्होंने चित्रित किया है । वे खुद नारी द्वारा सताये गये थे, लेकिन उनका जो प्रतीक था, जिनकी वे पूजा किया करते थे वह राम था और उनकी मर्यादा की रक्षा करना चाहते हैं । हम अपनी गलती दूसरों पर डालना चाहते हैं । भगवान राम से पूछना चाहते हैं और "ढोल, गंवार, शूद्र, पशु नारी" वाला दोहा कह देते हैं राजनीति के लिए, लेकिन समाज-कल्याण और समाज-परिवर्तन के लिये तुलसीदासजी की क्या भावना थी उसकी जानकारी नहीं होने के कारण तुलसीदासजी का दोहा इतना ही कहकर चुप हो जाते हैं नारी को बदनाम करने के लिये दूसरों पर डालकर कहना चाहते हैं । जिस समय मैना जा रही थी और उसको पिता विदा कर रहे थे उस समय "नारी परतन्त्र सुख सपनेहु नाहीं" । परतन्त्र, आधीन का मतलब आज की तरह का नहीं समझना चाहिये । उस समय तुलसीदासजी ने किस कुशलता के साथ में नारी की व्यवस्था के बारे में किस तरह की स्थिति बताई है और वह चाहते हैं कि वह बन्धन-मुक्त हो । नारी संस्कृति का, उसकी बुद्धि का, उसके जीवन की हर दिशा का एक तरह से विकास हो और विकास निश्चित रूप से हो, चाहे वह हिन्दुस्तान की नारी हो, चाहे यूरोप की नारी हो, इस संबंध में सारी दुनिया की नारियों का जीवन समुन्नत करने की कोशिश की है ।

इस प्रकार से इस अखबार में कम्युनिस्ट देशों की नारियों का भी जिक्र किया है कि कम्युनिस्ट देशों में कोई अधिकार नारी को नहीं है । वे दूसरे नम्बर की नागरिक होती हैं और उनको ज्यादा से ज्यादा सांस्कृतिक अधिकारी बनाया जाता है । जिस समय माननीय सदस्य कम्युनिस्ट देशों का जिक्र कर रहे थे उस समय वे अपने देश के इतिहास को, उसकी सारी तवारीख को भूल गये । उस तारीख को भूल गये । मैं मानता हूं कि एक पक्ष इस देश में हमेशा से रहा है जो उदारवादी नहीं है । इस देश में उदारता और अनुदारता का संघर्ष निरन्तर चलता आ रहा है । वह वर्ग के मामलों में रहा है, वह जातियों के मामले में रहा है । अध्यक्ष महोदय, आप तो संस्कृत के आचार्य हैं और विद्वान हैं, लेकिन मैं तो संस्कृत का विद्वान नहीं हूं, लेकिन नारी के सम्मान में ऋग्वेद की पहली ऋचा में नारी के सम्मान के लिए कहा गया है कि संतति और नदी के श्रोत की जांच नहीं की जाय, अगर जांच की जाय तो वहां पर गंदगी हो सकती है, लेकिन नारी की पवित्रता की जांच नहीं की जानी चाहिए । इतनी बात उनकी सुरक्षा के लिये होना चाहिये ।

कुछ एक बातें इस देश में हुई हैं जो नारियों को कलंकित करने की हुई हैं । वैसे

(श्री रामकिशन)

भारतीय हमेशा उदार दृष्टिकोण वाले रहे हैं, जिन्होंने इस बात की चिन्ता नहीं की है कि इसके बाप का नाम क्या है? केवल इस बात की जानकारी करते थे कि इसकी मां कौन है। हमारे देश में ऐसी परम्परा रही है। अभी माननीय सदस्य चुन्नीलाल जी कह रहे थे कि अमुक बात से पता चल जाएगा कि असल बाप के हो। मैं कहता हूं कि हमें इस विषय में अपने दृष्टिकोण को बदलना चाहिए। गल्तियां किससे नहीं होती हैं। शिव और राम से भी गल्तियां हुई हैं। हमें गल्तियों का निराकरण करने के लिये, गल्तियों के बावजूद हमें समाज को आगे लाना होगा। हमें अपने दृष्टिकोण को उदार बनाना होगा। मैं यह नहीं कहता हूं कि हम उच्छृंखल हों। यौन संबंधों के लिये सतर्क हों। मैंने इस संबंध में जनसंघ के सदस्यों को लिखा है। वे रात में जाकर एक कमरे में इकट्ठे हों और इस पर विचार करें। इस समाचार-पत्र ने ऐसे शब्दों का अनुवाद किया है इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि इस बारे में सदन विचार करे। जनसंघ के माननीय सदस्य जो विधान सभा के भी सदस्य हैं, वह अखबार को प्रोटेस्ट भेजें क्योंकि उन्होंने इतिहास को गलत दिखाया है। यूरोप के इतिहास से जिनको अधकचरा ज्ञान मिला है वह हिन्दुस्तान को गलत बताते हैं। चाहे वह नैपोलियन हो या और कोई उन्होंने अधूरा ज्ञान प्राप्त किया है। मैं जनसंघ के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस तरह के प्रकाशन को वह बन्द करें। और श्रीमती इन्द्रा गान्धी के खिलाफ शिकायत है तो प्रकाशित करें। लेकिन बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण जो नारियों को बदनाम करने का रवैया है, उसकी मैं निन्दा करता हूं। कई माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। मैंने जानबूझ कर लम्बा नहीं किया है। अब तक हिन्दुस्तान की नारियों ने अनेक महान कार्य किये हैं। पुराने समय में हमारी सभ्यता के बारे में, शिक्षा के बारे में, राज्य के मामले में बड़े बड़े कार्य किये हैं। जिन जिन नारियों ने श्रेष्ठ काम किये हैं। जिन्होंने गलत काम किये हैं, उनकी निन्दा करें। लेकिन इसमें सारी नारी जाति की निन्दा की गई है, ऐसे प्रयास की मैं निन्दा करता हूं।

श्री अध्यक्ष : महारावल श्री लक्ष्मणसिंह :

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : (डूंगरपुर) अध्यक्ष महोदय, इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के प्रति मेरी भी एक हद तक सहानुभूति है। हमारी सभ्यता और हमारी प्राचीन संस्कृति को देखते हुए जो यह लेख निकला है—"Women Rulers are Disastrous".. शीर्षक से, उसमें बड़े निम्न स्तर के शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह मैं निश्चित रूप से अनुभव करता हूं। और जिन माननीय सदस्या की इच्छा थी कि सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाय, उसके ऊपर मैंने भी हस्ताक्षर इसी सिद्धान्त को लेकर किये हैं कि चाहे किसी पद पर हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है लेकिन नारी समाज को हमारी संस्कृति के नाते, हमारे समाज में एक विशेष आदर का स्थान प्राप्त होना चाहिए। अगर हम नारी को आदर देते हैं, तो हम स्वयं को आदर की पवित्रता का पात्र बनाते हैं, इस देश का गौरव बढ़ाते हैं और हमारी संस्कृति के अनुसार चलते हैं। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता हूं कि आज कल देश के अन्दर अनियन्त्रित वातावरण फैला हुआ है। इस तरह से निम्न स्तर की गुण्डा प्रथा बढ़ेगी

Page No 102

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

तो यह हमारे देश के लिये अशोभनीय होगी। इन्हीं शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव का मैं समर्थना करता हूं और सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव जो माननीय सदस्या रानी लक्ष्मीकुमारी जी ने रखा है, मैं इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं मानता कि यह लेख लिखा गया है और जो इसमें विचार व्यक्त किये गये हों, वह बैंकों के राष्ट्रीयकरण से विक्षुब्ध होकर और अपनी भावना व्यक्त करने के लिये लिखे गये हैं। उन्होंने लिखा है, मैं समझता हूं कि इस लेख में नारी जाति के संबंध में, नारी का समाज में क्या स्थान होना चाहिए, एक पूरा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। और समाज में और हमारे संविधान में जो स्थान हम नारी को देना चाहते हैं, संविधान ने जिसको स्वीकार किया है और जिसके अनुसार हम समाज का निर्माण कर रहे हैं, उसके विरुद्ध अपनी भावना, अपने विचार इस लेख के अन्दर प्रस्तुत किये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की आजादी हमने सन् 1947 में प्राप्त की। इस आजादी का उद्देश्य केवल अंग्रेज जाति और उसके शासन को यहां से निकाल कर अपने हाथ में सत्ता प्राप्त करना ही नहीं था, बल्कि देश को राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दासता से निकाल कर, उसकी स्वाधीनता हम चाहते थे। पुरानी दासता जिस प्रकार से राजनैतिक, जिस प्रकार से आर्थिक आधार से थी उसी प्रकार सामाजिक आधार से हमारे विभिन्न सामाजिक अंग और विशेष तौर से पिछड़ी जातियां दासता की जंजीरों में जकड़ी हुई थीं। अध्यक्ष महोदय, स्त्री समाज ने पुरुष के बराबर अधिकार प्राप्त करने के लिए दुनियां के दूसरे मुल्कों में जहां संघर्ष किये, हमारे मुल्क में भी उसी प्रकार से संघर्ष हुआ है। हमारे देश के अन्दर जो राजनैतिक आन्दोलन चला, राष्ट्रीय आन्दोलन चला उस राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्दर भी स्त्रियों को पुरुषों के समान दर्जा देने के उद्देश्य से किया जाने वाला आन्दोलन भी उसका अंग रहा है। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनसंघ, जिस प्रकार से आर्थिक नीति के संबंध में जो हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन था और जो हमारा दृष्टिकोण समाजवाद की तरफ जाने का था, उसके खिलाफ रहा और देश में रूढ़िवादी व्यवस्था को, पुरानी अर्थव्यवस्था, पुरानी निहित स्वार्थ की नीति को कायम रखने की वकालत को अपना एक दृष्टिकोण बना कर चल रहा है, उसी प्रकार से उसी के अनुरूप समाज व्यवस्था के अन्दर, सामाजिक तौर पर जो अंग दासता के शिकार बने रहे हैं उस व्यवस्था को, उस पुरानी दासता की व्यवस्था को जारी रखने, उत्पीड़न को जारी रखने, डीफेक्टो स्टेट को जारी रखने के दृष्टिकोण को अपनी राजनीति में प्रतिबिम्बित करता है। इस रूप में यह जो लेख है, इस विचारधारा का पूरी तरह से प्रतिबिम्ब है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि न केवल 26 जुलाई के अंक में ही इस प्रकार का लेख भारतीय जनसंघ के मुख पत्र आर्गेनाइजर में लिखा गया, बल्कि इसके पहले भी सन् 1961 में 30 जनवरी को

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, माफ करें इन्टरप्ट करने के लिए। आपको इस लेख के संबंध में जो विचार प्रगट करने हों, आप करें, इससे आप असहमति प्रगट करें, और मैं भी अधिकार रखता हूं असहमति व्यक्त करने का, परन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस आपत्तिजनक लेख के संबंध में विचार व्यक्त करें अगर इससे जनसंघ को मिलाने के लिये, एक क्रिटिकल प्रोपेगण्डा करने के लिये इसका यूज करना चाहते हैं, तो मैं इतना स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह ऑर्गेनाइजर अखबार जनसंघ का नहीं है। अगर कम्युनिस्ट पार्टी जनसंघ को बदनाम करने के लिये इस लेख का सहारा लेकर इसका उपयोग करना चाहती है तो आप करें, मुझे इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं सदन के माननीय सदस्यों के सामने यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं और आसन से भी निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी अखबार किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, कुछ अखबार को कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिशियल अखबार बताया जाता है, कुछ अखबार ऑफिशियल आर्गन कम्युनिस्ट पार्टी के हो सकते हैं, दूसरी पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजर अखबार भारतीय जनसंघ का नहीं है। यह बात स्पष्ट रूप से अपने सामने रखते हुए आपको जो कुछ, कहना है, वह आप कहें, less of politics, more of Condemnation of the article.

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आप यह समझते हैं कि आर्टिकल पालिटिकल, पालिटिकल विचारधारा के अलावा कुछ कुछ नहीं ......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : होगा, उससे क्या हुआ ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : उस आर्टिकल से जनसंघ का पर्दाफाश हो, उसकी असलियत सामने आये और जो जनता को ग्राह्य नहीं हो तो उससे माननीय सदस्य अपने आपको अनकम्फर्टेबल महसूस करें तो उनके साथ मेरी सहानुभूति है.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं आपको इस संबंध में स्पष्ट कर देता हूं कि मैं आपसे ज्यादा प्रोग्रेसिव रहा हूं। रामकिशन जी अपनी बीवी को लेकर कभी कहीं जाये नहीं, सिनेमा देखने नहीं जाये, रामनिवास बाग में लेकर नहीं जायें और खुद यहां विधान सभा में आकर बैठ जायें और वह भरतपुर में पड़ी 2 सड़ती रहें। आप यहां बैठे रहें और कहें कि आप बड़े प्रोग्रेसिव विचार रखते हैं। इसी तरह आपकी बीवी अलवर में रहें, कभी साथ लेकर सिनेमा जाते नहीं, कभी साथ लेकर बाजार में घूमते नहीं और आप कहते हैं कि आप प्रोग्रेसिव विचार धारा रखते हैं। हम आपसे ज्यादा प्रोग्रेसिव विचार रखते हैं, बराबर अपनी बीवी को साथ रखते हैं, पढी-लिखी बीबी रखते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे है ? आपने अपनी पत्नी को पेट्रोल पम्प का काम दे दिया और खुद असेम्बली के काम को हाथ में ले रखा है। आप पार्टी की नीति के सम्बन्ध में कहते हैं, म आपको कहना चाहता हूं कि अगर कोई महिला सदस्या चुन कर विधान सभा में आई है तो वह जनसंघ के टिकिट से आई है, आपको पार्टी से कोई महिला सदस्या नहीं आई, किसी ने आपकी पार्टी का टिकट नहीं लिया, न चुनाव लड़ा और न जीत कर

Page No 104

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आई। फिर आप प्रोग्रेसिवनेस की बात कहते हैं। अगर किसी महिला ने चुनाव लडा और चुनाव में जीत कर आई तो वह जनसंघ पार्टी से आई, जनसंघ ने कोटा की महारानी को टिकिट दिया, उनसे चुनाव लड़ाया और उनको जिता कर विधान सभा में लाये। जनसंघ ने नारी को सम्मान दिया है। संसोपा ने नारी को सम्मान नहीं दिया, कम्युनिस्ट पार्टी ने नहीं दिया, उन्होंने नारी को घर में घुसा कर रखा है, भेड की तरह ट्रीट किया है, बस कुआं पूज आओ और घर में रहो।

श्री मदन सिंह: मैं समझता हूं कि जनसंघ पार्टी ने।

श्री रामकिशन: अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं कहना चाहता हूं।

श्री मदन सिंह: जनसंघ पार्टी नारी के प्रति सम्मान रखती है और ऊंचे चरित्र का आदर्श रखती है। लेकिन नारी जाति का जो कम्युनिस्टों ने कलकत्ता में खुला नाच कराया, वह इस बात का सबूत है कि इनके द्वारा नारी का कितना सम्मान होता है?

श्री रामानन्द अग्रवाल: माननीय सदस्य को बोलने का अवसर मिलेगा। मैं समझता हूं कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य एक वकील हैं। चोरियों के केसेज में चोरी के खिलाफ या पक्ष में भी लडना पडता होगा, तो उन्होंने आम रूप में देखा होगा कि चोरी के अन्दर पकडे जाने से बचने के लिये आम तौर पर, जब कहीं घर में जमा हो जाय; तो खुद चोर शोर करना शुरू कर देता है, चोर आ गये, चोर आ गये, चोर आ गये। वह इसलिए करता है कि इकट्ठा होने वाले लोगों में मिल जाय और पकड़ा न जा सके। माननीय सतीशचन्द्र जी उसी तरह की बात तो नहीं कर रहे हैं। जब उन्होंने इस बात को देखा कि माननीय सदस्यों ने यह प्रस्ताव रखा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मैं आपको कहता हूं कि आप इस लेख से असहमत हैं, तो मैं भी असहमत हूं, आप इसको डिस्लाइक करते हैं तो मैं भी डिस्लाइक करता हूं, आप इसको कन्डेम करते हैं तो मैं भी इसको कन्डेम करता हूं। फिर डिफरेन्स कहां है? जनसंघ कहां है इसमें?

श्री रामानन्द अग्रवाल: मैं यही बताना चाहता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: इसमें जो दृष्टिकोण की बात है, उस पर आपको पाबन्दी लगानी है तो आप लगायें। आप इस तरह के लेख से डिसएग्री करते हैं, मैं भी करता हूं। मैं भी अखबारों का रीडर हूं,

I dislike this article more than you dislike it.

इसका मतलब यह तो नहीं है। फिर आप जनसंघ को बीच में क्यों घुसेड़ रहे हैं। आपको बात करनी है तो आप करिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल: मैं इस बात के लिए तो धन्यवाद देता हूं कि सतीशचन्द्र जी इस लेख को डिस्लाइक करते हैं···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: यह बात तो आप पहले ही मुझसे पूछ लेते तो मैं पहले

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
आपको कह देता। आप प्रस्ताव मेरे पास लाते तो मैं उस पर दस्तखत कर देता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जनसंघ के जो माननीय सदस्य हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लेकिन आपने तो प्रस्ताव बनाया और उस पर लक्ष्मी कुमारी जी के दस्तखत करा लिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल: वह इस लेख को डिस्लाइक करते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर आप कन्सिस्टेन्ट रहेंगे और सिसिअर रहेंगे तो फिर तो संस्था इसको फीड कर रही है, नरसर कर रही है, जो इसको पालिटिकली प्राटेक्शन दे रही है, उसको भी आप डिस्लाइक करने लगेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें तो निराश ही होयेंगे। मैं जनसंघ छोड़ दूं और कम्युनिस्ट पार्टी में आजाऊं वह तो कभी हो नहीं सकता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं कहता हूं...

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनिट के लिये निवेदन करना चाहता हूं। सतीशचन्द्र जी ने कहा कि हमने नारियों का सम्मान नहीं किया, तो जिस समय आप सदन में नहीं आये थे, उस समय यशोदाजी थीं जो नारी थीं...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इतनी देर के बाद अक़ल म आया है।

श्री रामकिशन : दूसरे आपने मेरी पत्नी के बारे में कहा कि मैं उन्हें सिनेमा नहीं ले जाता, असेम्बली में नहीं लाता, और सतीश जी कहते हैं कि वह अपनी पत्नी को राम बाग़ ले जाते हैं, जगह जगह उनके साथ घूमते हैं, सिनेमा ले जाते हैं। तो उन्होंने जो आकर्षण की बात कही, तो मेरी पत्नी में जब आकर्षण था, मैं भी साथ साथ घूमता था। जनसंघ के माननीय सदस्य सतीशचन्द्र जी की ही भाषा में मैं कहूं तो उनकी पत्नी ज्यादा आकर्षक है, मेरी पत्नी आकर्षक नहीं रही हैं, इसलिये मेरी मजबूरियां हैं।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यहां भी नर और नारी में भेद करने की कोशिश की जा रही है। यहां पर तो नारी और नर की समानता की बात करनी चाहिये, दोनों बराबर हैं, दोनों ही उच्च हैं, न तो किसी का नीचा दर्जा है और न किसी का ऊंचा दर्जा है। नर और नारी में विभेद करने की बात इस सदन में तो नहीं होनी चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा निवेदन यह करना है...

श्री रघुनाथ विश्नोई : यही इस प्रस्ताव में लिखा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह माननीय सदस्य ने कहा कि न तो ऑर्गेनाइज़ेशन जनसंघ का मुख पत्र है...

एक माननीय सदस्य : ऑर्गेनाइज़र!

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऑर्गेनाइजर जनसंघ का मुख पत्र नहीं है, इस घोषणा के लिये तो धन्यवाद, लेकिन जिस पार्टी के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

माननीय सदस्य हैं, उनकी पार्टी का मुख पत्र आम जनता अभी तक मानती रही है, और वह आपकी पार्टी के मुख पत्र के रूप में काम करता रहा है। अब आप उसको मुख पत्र के रूप में नहीं मानते हैं, लेकिन आपके पार्टी के मुख पत्र के रूप में जनता उसको मानती थी। अब आप इस अनकम्फर्टेबल सिचुएशन से बौखला कर इस हाउस को डाउट और सन्देह में भी डालें-तो आपकी मर्जी, लेकिन इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता, अध्यक्ष महोदय, कि ऑर्गेनाइज़र पत्र हिन्दुस्तान में भारतीय जनसंघ की राजनीति का स्पाक्समैन बना हुआ है, और जो जनसंघ की राजनीति है, जो विचारधारा है--यह पत्र उसको प्रतिपादित करता है। अब यह आपकी ऑफिशियल आथोरिटी है या नहीं यह दूसरी बात है। अध्यक्ष महोदय, इस रूप में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो लेख लिखा हुआ है, यह कोई अचानक लिखा हुआ नहीं हैं, अचानक किसी लेखक ने किसी बात से चिढ़ कर इस बात को इस लेख में लिख दिया हो--यह बात नहीं है, लेकिन यह एक बाक़ायदा कन्सिस्टेन्ट विचारधारा है। जो एक सामाजिक तन्त्र हमारे देश में किस प्रकार का होना चाहिये और उसमें महिलाओं का क्या स्थान होना चाहिये, उनके क्या अधिकार होने चाहियें उसको पूरे रूप से सामने यह पत्र रखता है, उसी तरह से जिस प्रकार से, अध्यक्ष महोदय, आर्थिक तन्त्र किस प्रकार का होना चाहिये-उसके बारे में अपने विचार यह पत्र लगातार रखता रहा है उसी के मुताबिक यह सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी रखता रहा है और उन दोनों बातों में, अध्यक्ष महोदय, चाहे वह अर्थ व्यवस्था हो और चाहे वह समाज व्यवस्था हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था में मज़दूर और किसानों के स्थान और पूंजीपतियों के स्थान का सवाल हो, और चाहे सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों के उत्पीड़न, हरिजनों के उत्पीड़न और उसके अन्दर स्त्री का पुरुष के द्वारा उत्पीड़न, पुरुष के ऊंचे दर्जे को मानने और स्त्रियों के नीचे दर्जे को मानने का सवाल हो--उन पर यह पुरानी विचारधारा, रूढ़िवादी विचारधारा, डिफेक्टों और पुरानी व्यवस्था को प्रतिबिम्बित करता है और उसको प्रोटैक्ट करता है और उसको देश के सामने रखता है। और जो नई व्यवस्था, समाज व्यवस्था हम बनाने जा रहे हैं, जो राष्ट्रीय आन्दोलन का आधार रही है, जिसको हमने अपने संविधान में स्वीकार किया है उसके विरोध में दूसरे यह विचार रखने वाला यह आर्टिकल है। अध्यक्ष महोदय, इसी सन्दर्भ में मैं निवेदन कर रहा था कि यह नहीं कि 26 जुलाई को यह आर्टिकल इसलिये लिखा गया क्योंकि 19 जुलाई, को बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, यह बात हो सकती है कि इमीजियेट ज्यादा प्रवोकशन होकर जो उनके अन्दरूनी विचार थे, अन्दरूनी ख़यालात थे, वह उभर कर बहुत ज्यादा सामने आगये हों, लेकिन इससे पहले जब श्रीमती इन्द्रा गांधी प्रधानमन्त्री चुनी गईं, इस पत्र के अन्दर 30 जनवरी, 1966 में मूविंग फिंगर के नाम से, कैप्शन से एक लेख लिखा गया, मैं आपके सामने उसका एक अंश उद्धृत करता हूं।

"इन्दरा गांधी के प्रधान मन्त्री बनने के बाद 30 जनवरी, 1966 के ऑर्गनाइज़र

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
के काल में" मूविंग फ़िंगर····राइट्स न लिखा है····

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : कौनसी किताब को रेफर कर रहे हैं?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपका पत्र नहीं है। यह मेरे पास पुस्तक है "राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और लोकतन्त्र" साम्प्रदायिकता विरोधी कमेटी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : बाई हूम ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : श्रीमती सुभद्रा जोशी। इसके अन्दर कोटेशन है, आपके आर्गेनाइज़र पत्र का।

श्री कृष्णकुमार गोयल : राष्ट्रपति के चुनाव के बाद जिस मन्शा से प्रेरित होकर यह प्रस्ताव रखा गया था, मैं समझता हूं, वह बात खत्म हो चुकी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लिखा है "इस सप्ताह में यह कालम उन तमाम बिके पत्रकारों–अपनी आत्माओं का सौदा कर चुके कांग्रसियों तथा उन तमाम लोगों के प्रति अपनी नफ़रत का प्रदर्शन करते हुए लिख रहा हूं जो एक औरत को प्रधान मन्त्री के रूप में हमारे सिरों पर थोपकर फूले नहीं समाते। हिन्दू होने के नाते मुझे सब आने वाली तबाहियों का पता लग जाता है। जहां पर भी औरत ने राज्य किया है, वहां मूढ़ता, पापकर्म, अनर्थ, विकृति बढ़ी है। अन्तिम उदाहरण श्रीमती भन्डारनायके का है जो विधवा थी और जिसने अपने देश का सब मटियामेट किया। परन्तु ठीक ही समय पर लोगों न हस्तक्षेप किया और उसे बाहर निकला फैंका और अपने देश को चीनियों के फन्दे से बचा लिया।"

इस प्रकार से यहां पर 30 जनवरी, 1966 को इसी प्रकार का यह विचार महिलाओं के बारे में कि उनके हाथ में देश की सत्ता नहीं होनी चाहिये, देश की सत्ता उनके हाथ में होने से देश पर भारी तबाही आजायगी, ये विचार न केवल बैंक राष्ट्रीयकरण से पैदा हुए हैं, बल्कि इस पत्र के और जिस विचारधारा का वह प्रतिपादन करते हैं भारतीय जनसंघ के और जिस संस्कृति का प्रतिपादन करते हैं, उसके ये मौलिक विचार हैं कि क्या स्थान देना चाहिये स्त्रियों को, वह इस आर्टीकल में लिखा है····

श्री कृष्णकुमार गोयल : कांग्रेस पार्टी ने सप्लाई किया था ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : हिंदू रस्म के मुताबिक भी हिंदू विधवा महिलाओं को परिवार के घेरे में ही सुख पाने की सलाह ठीक दी जाती रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल: यह आर्गेनाइज़र के उसी लख का हिन्दी अनवाद है। अंग्रेजी चाहे तो वह भी पढ़ दूं लेकिन मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य हिंदी में ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकेंगे। आपके आर्गेनाइज़र के लेख की हिन्दी है तो अध्यक्ष महोदय··

श्री कृष्णकुमार गोयल : सुभद्रा जोशी ने जो किताब लिखी है उस पर बोल रहे हैं। क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह तो सिर्फ 30 जनवरी, 1966 वाला था। अभी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आपका लेटेस्ट डिजाइन है जो आपके अभी विचार हैं जिससे आप बचना चाहते हैं, आप इस लेख को घर पर अपनी धर्मपत्नी को पढ़ाइये और बहन को पढ़ाइए, उनको क्या प्रतिक्रिया होती है।

श्री भगवानदास शास्त्री : माननीय सदस्य सीमा से बाहर जा रहे हैं और अध्यक्ष महोदय, आपके प्रति इशारा करते हैं कि अपनी पत्नियों, माताओं और बहनों को पढ़ाइये। मुझे आपत्ति है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : स्त्री भी समाज का अंग है। समाज का अंग होते हुए भी हरेक महिला चाहे मेरी माता बहन है चाहे आपकी है चाहे इधर बैठने वालों की मातायें और बहनें है, जो भी महिला इस लेख को पढ़ेगी, उनके दिल को क्षोभ पहुंचेगा पुरुष समाज के प्रति, इस लेखक के प्रति और यह लखक द्वारा प्रतिपादित जो विचारधारा है जो पोलिटिकल पार्टीज़ को नर्स करती है, उनके प्रति क्षोभ होगा। यह सारे का सारा इस लेख के अन्दर है कि दरअसल भारतीय जनसंघ जिस प्रकार के समाज का निर्माण करना चाहता है, जिस प्रकार का स्थान महिलाओं को देना चाहता है, वह स्थान रसोईघर में, मकान के अन्दर घर की व्यवस्था करने में, वह स्थान सिनमा की सैर, अपने साथ ल जाने या सैर के लिए बम्बई या अहमदाबाद ले जाने तक सीमित समझता है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 115 की तहत जिस तरह बराबरी के अधिकार चाहे राजनैतिक हों चाहे आर्थिक अधिकार हों चाहे दूसरे अधिकार हों, समान अवसर देने का संविधान में बताया गया है, उसके विपरीत यह सारी की सारी विचारधारा है। इसलिये यह जो लेख है, जिसका इस प्रस्ताव से सम्बन्ध है, यह लेख हमारे संविधान के विरुद्ध है, हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन की कल्पना में जिस तरह का समाज बनना चाहिये उसके विरुद्ध है, स्त्री समाज के विरुद्ध है और पुरुष समाज जो वास्तव में समाजवाद का निर्माण करना चाहता है, बराबरी का समाज जिसमें शोषण न हो, उसके विरुद्ध है। इसलिये यह तमाम उन नई वल्यूज़, नए आधार का जिस प्रकार वह निर्माण करना चाहते हैं, उनके विरुद्ध है। इसलिये लेखक में की सख्त निन्दा करता हूं, इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और सरकार से उम्मीद करता हूं कि वह इस प्रकार के लेख और इस प्रकार की विचारधारा के विरुद्ध उचित कदम उठाएगी।

श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, 26 जुलाई के आर्गेनाइज़र में "वुमेन रूलर्स आर डिजास्टरस" शीर्षक से एक लेख प्रकाशित हुआ है। इस लेख से भारत की महिलाओं के सम्मान पर कड़ा आक्षेप किया गया है। महिलाओं ने जिस किसी क्षेत्र में काम किया है, उसका उत्तर-दायित्व उन्होंने पूरी तरह निभाया है। घर के काम काज से लेकर शासन प्रबन्ध और यहां तक कि लड़ाई के मैदान तक में भी उन्होंने अपनी असाधारण योग्यता का परिचय दिया है और हमारा इतिहास इसका साक्षी है। अध्यक्षजी, महिलायें, मां, बेटी और बहिनों के कर्तव्यों को चिरकाल से निभाती रही है। परन्तु स्वतन्त्रता संग्राम के समय से हमारे पूज्य राष्ट्र पिता गांधीजी से प्रेरणा पाकर सार्वजनिक क्षेत्र में भी आने लगी हैं और आज जब पुरुषों के साथ कंधे से

Page No 109

(श्रीमती मदन कौर)

कंधा लगाकर देश की तरक्की में हाथ बंटा रही हैं, ऐसे समय में इस लेख को प्रकाशित करके सम्पादक ने हमारे पुरुष समाज के दिमाग में एक शंका का बीज बोकर एक तरह से देश की तरक्की में बाधा पहुंचाने का प्रयत्न किया है।

इसके साथ ही साथ संविधान में दिये हुए समानता के अधिकार को भी प्रत्यक्ष रूप से चुनौती दी है। इस लेख में विधवा महिलाओं के चरित्र व्यवहार और उनकी कार्य कुशलता पर निर्दय प्रहार किया है। ऐसा लगता है कि वह समाज में उनके अस्तित्व को ही समाप्त कर देना चाहते हैं अगर अखबारों का यही रवैय्या रहा तो विधवा बहनें जिन पर सारे परिवार के पालनपोषण का भार अचानक आ पड़ता है, वे अपने पावों पर खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकेंगी।

(2 म. प.)

इससे होगा क्या ? वह अपने परिवार के दूसरे सदस्यों पर भार बनेंगी और शायद उनके कटु तानों के बीच में शेष जीवन दुःख में व्यतीत करने को बाध्य होंगी। अध्यक्ष महोदय, जो विशेषण वृद्ध महिलाओं और खास तौर से विधवा महिलाओं के लिये प्रयोग किये गये हैं वे सामान्य रूप से न तो महिलाओं पर ही लागू होते हैं और न पुरुषों पर ही। एक्सेप्शन्स तो दोनों ही Cases में हो सकते हैं। हमारे समाज में महिला और पुरुष तो एक दूसरे के पूरक हैं और इस लेखक ने समाज के एक अंग को दूसरे अंग के प्रति भड़काने और दुर्भावना पैदा करने का प्रयास किया है जो वास्तव में निन्दनीय है। इस लेखक ने पाश्चात्य देशों से उदाहरण लेकर अपने कथन को पुष्ट करने की चेष्टा की है। परन्तु इसके साथ साथ अनायास ही एक बात की भी पुष्टि कर दी है कि वे पाश्चात्य विचारधारा से प्रेरणा पाते रहे हैं और उनका मन और मस्तिष्क आज भी उसका गुलाम है। ऐसे संपादक जिनकी विचारधारा ही परतंत्र है उनके अखबार का चलन देश के लिये घातक है।

महिलाओं की इन्टलीजेन्स के लिये भी इस लेख में आलोचना की गई है जो सचाई से परे है। कालेज और विश्व विद्यालयों के परीक्षा परिणाम इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। महिलाओं में मानसिक शक्ति की कमी है भी तो इस कारण से कि हजारों वर्षों से पुरुषों ने शारीरिक शक्ति के आधार पर महिलाओं को दबाये रखा और उसको घर की चार दीवारी में बन्द रखा। आधुनिक काल के महान और उदार हृदय महापुरुषों ने महिलाओं की इस बुद्धि से वंचित रहने का आभास किया और उन्होंने महिलाओं की बुद्धि के विकास के लिये ठोस प्रयास किये और उसके कारण छात्राएं आज विश्व विद्यालय की ऊंची (मेरिट) लिस्ट पर उच्च स्थान पर हैं। लेकिन नारी का उदार दिल है। इसने अपनी मानसिक शक्ति के आधार पर पुरुषों को कभी चुनौती नहीं दी।

इन संपादक महोदय को देखिये कि कुछ महिलायें जगह जगह कुछ स्थानों पर आ गई हैं उससे उनको द्वेष और ईर्ष्या हुई है और उसके कारण उन्होंने सारी महिलाओं के लिये द्वेषी, ईर्ष्यालु और न जाने क्या क्या शब्दों का प्रयोग कर लिया।

(श्रीमती मदन कौर)

अध्यक्षजी, यहां यह कहना भी अनुचित नहीं होगा कि जिस पृष्ठभूमि में यह लेख छपा है उससे यह स्पष्ट है कि यह सम्पादकजी पूंजीपतियों के एजेन्ट होने के नाते हमारी प्रधान मंत्री ने जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया उससे झल्ला कर यह जहर उगला है और उनको यह सद्बुद्धि भी नहीं रही कि वह आक्षेप किस पर लगा रहे हैं। उनकी मां भी पचास वर्ष से ऊपर हो सकती है। भगवान न करे विधवा भी हो सकती हैं। मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि इस अखबार का चलन तुरन्त बन्द कर दिया जाय और भारत सरकार और अन्य दूसरे प्रान्तों को भी यह सिफारिश की जाय कि "आर्गेनाइजर का चलन बिल्कुल बन्द कर दिया जाय।

श्री शिवना सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस लेख को लेकर कई विचार सुनने को मिले। महिलाओं की फटकार और आलोचना सुनने को मिली और माननीय सदस्यों के चेहरों पर खुशी भी देखने को मिली जो अपनी अर्धांगिनियों को साथ लेकर बाजार में जाते हैं और सिनेमा में जाते हैं। माननीय रामकिशनजी जो अपनी उस अवस्था को पार कर चुके हैं फिर भी अपनी अर्धांगिनी को लेकर सिनेमा जाते हैं।

इस लेखक ने यह लेख उस समय निकाला जब कि देश में उथल पुथल मची हुई थी बैंकों के राष्ट्रीयकरण को लेकर और हमारी प्रधान मंत्री देश को एक मोड़ देने वाली थी। इस लेख को यदि उस दृष्टिकोण से देखते हैं तो कई बातें देखने को मिलती हैं। इस लेख में हमारी प्रधान मंत्री का उस महिला के में चित्र खींचा है और इसका संबंध उस बात से जोड़ा गया है जिसे पढ़कर कोई भी व्यक्ति शर्म से आँखें झुकाये बिना नहीं रहेगा। महिलाओं पर जो आक्षेप लगाये गये हैं वे निम्नस्तर के हैं। जो भारतीय संस्कृति के पुजारी हैं वे इस लेख की भर्त्सना और आलोचना किये बिना नहीं रहेंगे। यह आर्गेनाइजर ऐसे दल से संबंधित है जो भारतीय संस्कृति का अपने आपको पुजारी कहता है। यदि इस प्रकार का यह अखबार महिलाओं पर कीचड़ उछाले तो यह तो दिल ही स्वयं सोचे कि ऐसे अखबार से उनका क्या संबंध है। जिस प्रकार से आलोचना महिला समाज की की गई है वह निन्दनीय है। पुराने युग से ही महिलाओं के लिये इस देश में बड़ा आदर है। सीता और राम की कहानी, राधा और कृष्ण की कहानी। पुरुषों से पहले महिलाओं का नाम लिया जाता है। यह स्त्री समाज को माता रूप में मान कर चलता है। महिलाओं ने बड़े बड़े काम किये हैं पुराने जमाने में भी और इस जमाने में भी। इस लेख को देखें तो वर्तमान समय में यह असत्य ठहरता है। हमारी प्रधान मंत्री महिला भी हैं और विधवा भी हैं। इस लेख में चित्र जो खींचा है वह उनसे संबंधित है। दुनिया में किसी ने ऐसा स्टेप लिया है जो हमारी प्रधान मंत्री ने लिया है? उस अखबार को चाहिये था और दल को चाहिये था कि वह उनकी सराहना करते। प्रधान मंत्री द्वारा जो स्टेप लिया गया है यह लेखक उसका विरोध करते हैं और प्रधान मंत्री को प्रतीक मानते हुए उनकी आलोचना की है। दल को अपनी रीति नीति और विचारधारा को सोचना चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के अखबार जो गैर जिम्मेदाराना बात लिखते हैं उनको बन्द करना चाहिये।

(श्री शिवनाथसिंह)
ऑर्गेनाइजर को हमारे प्रान्त में मान्यता नहीं मिलनी चाहिये और दूसरे प्रान्तों में भी मान्यता है तो उसको रद्द किया जाय इस प्रकार का प्रयत्न किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री नाहर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, ऑर्गेनाइजर अखबार जनसंघ से संबंधित है यह गलतफहमी थी। मेरे दिमाग में भी इस लेख से रोष था। लेकिन सतीशचन्द्र जी ने बिलकुल स्पष्ट कर दिया कि ऑर्गेनाइजर से जनसंघ का कोई संबंध नहीं है। उनकी इस स्थिति को मानते हुए मैं इस लेख को लेखक के व्यक्तित्व के साथ जोड़ने का प्रयत्न कर रहा हूं। मेरा निवेदन यह है कि जिसने भी इस लेख को लिखा है मेरे खयाल से वह मानसिक रोगी है। यह सब जानते हैं कि घर में स्त्री का राज होता है। उससे कोई इंकार नहीं करता है। उस स्त्री राज से दुखी हुआ और घर में बैठे बैठे अपने को लानत मारता है। यह दुख की बात है कि ऐसे लेखक का जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो किसी पार्टी विशेष से उसका संबंध हो और उस के पक्ष में इस प्रकार का लेख छापे। यह दुःख की बात है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि महिलाओं को इस लेखक के खिलाफ विद्रोह करना चाहिये। भगवान भी स्त्री का आदर करते हैं। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। हमारे यहां शास्त्रों में भी यह बात बडे आराम से कही गयी है कि जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता है वह घर नर्क के समान है। इसलिये मैं इस लेख के लेखक के बजाय, इसकी आलोचना करने वालों से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वे अपने आपको देखें। वे खुद अर्द्धनारीश्वर हैं। इस आदमी ने जिसने इन परिस्थितियों में यह लेख लिखा है, यह तो उसके दिमाग का बिगडापन है। नहीं तो हर पुरुष अपने में आधा नारी है और आधा पुरुष है यह आज के वैज्ञानिकों का भी स्पष्ट मत है। इतना बडा सम्मोहन, इतना प्यार, गहराई और आपस का समन्वय आपस में स्त्री-पुरुष में होता है। स्त्री, पुरुष की भगिनी, पत्नी, स्नेहमयी मां है और मैं तो यह मानकर चलता हूँ कि 50 वर्ष के पश्चात् वह मेरे ख्याल से पुरुष की कम्पेनियन है और मैं समझता हूँ यहां जितने लोग हैं, स्त्री उनकी स्नेहमयी होगी। जिसने सारी जिन्दगी में अपने को कष्ट में डाला और अन्तिम वर्षों में वह पुरुष की सच्ची कम्पेनियन होती ह। इसलिये मैं रामकिशन भाई से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इन्कार मत करिये, जब सतीशजी ने कहा तो मैं बडे ध्यान से सुन रहा था, अपनी पत्नी को साथ इसलिये नहीं लाते कि स्नेह खतम हो गया।

श्री रामकिशन: यह नहीं कहा था। असल में जयपुर में जनसंघ के सदस्य आकर्षण को देखते हैं इसलिये मैं नहीं लाता हूं। दरअसल यह कहा था।

श्री यशवन्त सिंह नाहर: आप कुछ भी कहिये। इस अर्द्ध-नारीश्वर को।

श्री रामकिशन: कल लाऊंगा साहब, जरूर लाऊंगा, वह प्रेममयी आकर्षक ही नहीं बहुत आनन्दमयी भी है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर: सुनिये, रामकिशन जी। एक ग्रेजुएट था····

श्री रामकिशन : क्या अपने आप में निराश हैं क्या ?

श्री यशवन्त सिंह नाहर : यहां हमारा अभिमान कितना बोलता है । देखिये ! एक ग्रेजुएट था, उससे पूछा कि नन्दा कौन है । उस वक्त ये नन्दाजी हमारे भारत वर्ष के गृह मन्त्री थे । उस लडके ने बताया कि यह नन्दा जी जब छोटे थे तब बेबी नन्दा थे । उसके बाद कुमारी नन्दा और जब बडे हो गये तब गुलजारी लाल नन्दा हो गये । यह हमारा अर्द्ध-नारीश्वर ही है जो इस ग्रेजुएट में विद्यमान है और आप, हम में विद्यमान हैं । आज एक और कहानी याद आ गयी । बचपन में मेरा एक मित्र था, उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी । हम साथ साथ पढे हैं । पता नहीं उनके दिमाग में क्या बात सवार हो गई । दूषित दिमाग को और क्या कहा जा सकता है । यह नहीं कहता कि मेरे मित्र के दिल का दोष था या उसके दिमाग का दोष था । मैं अभी तक उसे उसी श्रेणी में रखता हूं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं उसने मुझे आकर कहा कि मेरी पत्नी बडी खूबसूरत है और उसके बालों से और खूबसूरत दिखती है । मैंने अपने सन्तोष के लिये उसके बाल कटवा दिये हैं । क्या इस तरह हम स्त्री के सौन्दर्य को मिटा सकते हैं । इससे सौन्दर्य मिटता नहीं है वह द्विगुणित हो गया । इसलिये जिस लेखक ने यह लेख लिखा, उसके दिल में इतनी कड़वाहट है, दर्द है, स्त्री जाति के प्रति विद्रोह है कि वह इसे राजनीति में और जनहित में बिखेरना चाहता है । परन्तु मैं यह निवेदन करूंगा कि सौन्दर्य; स्त्री सौन्दर्य को वह नहीं मिटा सकते । मातृत्व का सौन्दर्य, मां का सौन्दर्य, पत्नी का स्नेह, सम्मोहन हमारे जीवन में जो कटुता है, उसको समाप्त करता है । इस कटुता, कड़वाहट को समाप्त करने के लिये हमारे जीवन में एक ही मार्ग है, और वह मार्ग स्त्री ही प्रशस्त करती है । मैं तो यह मानता हू कि जिसने यह लेख लिखा है वह मानसिक विद्रोही है, सेक्स परवर्टेड आदमी है इसलिये आप इस भाई को माफ कर दें और जिस पत्र ने ऐसे लेख को प्रकाशित किया है, उसे लिखें कि वह अपने पत्र में ऐसे लेख को न छापें, यही मेरा निवेदन है ।"

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : ऑर्गेनाइजर पत्र को लेकर के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर विभिन्न-विभिन्न विचार यहां आये हैं । अध्यक्ष महोदय, इस लेख पर यह आपत्ति है और उसके सम्बन्ध में जिस प्रकार के विचार रखे गये हैं, उनके दो आधार हैं । एक आधार है, राजनैतिक और दूसरा है सामाजिक । राजनैतिक आधार इसको किस प्रकार बनाया गया है और जिस सन्दर्भ के अन्दर, शायद ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को लेकर के इस पत्र और इस पत्र को लेकर के उसके लेख को जनसंघ के साथ जोड़ने की जिस प्रकार से यहां कोशिश की गयी है, उस सन्दर्भ में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान राष्ट्रपति के चुनाव की ओर खींचना चाहता हूं । यह ठीक है या गलत इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है । बराबर इसका संबंध जनसंघ के साथ जोडने की कोशिश की जा रही है । यह कहा गया है कि जनसंघ क्या है, वह रूढ़िवादी है, नारी के बारे में उसके सी प्रकार के विचार हैं ? पर मैं इसको स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिस सन्दर्भ में यह कालअटेन्शन यहां लाया गया है, जिन माननीय सदस्य ने इसको उठाया है उसके पीछे राष्ट्रपति

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)
के चुनाव की भूमिका थी। ये व्यक्ति चाहते थे कि उनके मंशा के व्यक्ति को चुन दिया जाये जो अन्तरात्मा की अवाज और संगठन के अनुशासन को भंग करके अपना मत···

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : मगर आपकी अन्तरात्मा शायद मर गयी है।

श्री न थी सिंह: सिंडीकेट की अन्तरात्मा प्रवेश कर गयी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: जो सेकेन्ड प्रिफरेंस दिया है, उसके बेस पर कांग्रेस वालों से अपने लिये सहानुभूति पाना चाहते हैं?

श्री कृष्ण कुमार गोयल: निश्चित रूप से। जो भी, जसा भी, हमने निर्णय किया है, उसको कहने में हमको संकोच नहीं है। हम उसको सिण्डीकेट कहें या कांग्रेस का एक पक्ष परन्तु हम साम्यवादियों से हाथ मिलाने वाले नहीं हैं। जिन्होंने यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है, मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि उनकी नारी के बारे में क्या मंशा है? वरना मैं यह जानना चाहूंगा कि नारी समाज के बारे में जो कलकत्ता के अन्दर रवीन्द्र सरोवर काण्ड हुआ, उस प्रश्न को लेकर किस ने आलोचना यहां की? जो यह पत्र आर्गनाइजर था, नारी समाज पर हुए आघात को उठाने वाला यह आर्गनाइजर पत्र था। किस ने उस सारे चित्र को नंगा करके पेश किया था? वह आर्गनाइजर पत्र था। इस रवीन्द्र सरोवर कांड के बारे में किसी ने प्रश्न नहीं उठाया, जो नारी की बात यहीं उठाते हैं, वे कहां थे, यह मैं पूछना चाहता हूं। खैर, इसके बाद जो राजनैतिक आधार है, उसके पीछे, उस पर कहना चाहता हूं, आपने पत्र लिख कर सुभद्रा जोशी की एक पुस्तक ले आये। मेरी मान्यता तो यह है कि शायद इनमें से कोई भी आर्गनाइजर को पढ़ने वाला नियमित ग्राहक नहीं है। नियमित नहीं है। योजना के अनुसार यह पत्र, उनकी कटिंग कराकर, हिन्दी, अंग्रेजी में सब को भेजी गयी है। वरना मैं यह जानना चाहूंगा कि इसी पत्र ने, इसी साप्ताहिक पत्र ने इस लेख के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण लिखा है वह यह है, अध्यक्ष महोदय। यह 9 अगस्त का लेख है। जिसमें लिखा है:

"The issue of July 26 seems to have voked contrary responses. 'Best' and 'worst' were some of the many comments. While some friends considered it 'anti-woman' others looked upon it as 'revealing'.

Man can be no more anti-woman than he can be anti-God. While others talk of a 'Fatherland', we in India has a 'Motherland'—Bharat Mata. A childhood proverb taught me "One girl is equal to a hundred Brahmins". Such is Indian appreciation of woman hood.

I must say I was surprised by some ladies and gentleman considering the piece 'Women Rulers are Disastrous' as anti-women. It was critical of women rulers like Indira, Elizabeth and Catherine and not anti-woman. Nobody need wear a cap meant For somebody else.

Incidentally this piece was done by a well-known professor of international relations, author of many books and a distinguished freedom fighter."

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

मैं समझता हूं इस बारे में जिस तरह की हवा बनायी गई अगर इस बारे में निष्पक्ष होते तो निश्चित रूप से यह जो बाद में स्पष्टीकरण दिया नारी के बारे में जो इस पत्र के सम्पादक ने अपने विचार प्रकट किये वह छिपाने का प्रयत्न नहीं करते। एक ऐसी हवा बनायी गई और जिस प्रकार से इसके साथ जनसंघ को जोड़ा गया मैं नहीं समझता कि इस प्रश्न को जहां सामाजिक रूप दिया जाना था वहां इसको राजनैतिक रूप दिया गया। जो जो चीजें यहां नहीं कहनी चाहियें थीं वे भी कही गई। मैं निवेदन करना चाहूंगा इस प्रश्न पर अपने अपने विचार प्रकट करते हुए माननीय सदस्यों का दृष्टिकोण राजनैतिक था, सामाजिक नहीं था। जहां तक इस लेख का संबंध है मैं इसकी हर पंक्ति से सहमत नहीं हूं जैसे कि माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आप हो भी नहीं सकते।

श्री कृष्णकुमार गोयल : माननीय सदस्य आप मुझे बोलने दीजिये। इस के पीछे क्या पृष्ठभूमि थी इस प्रश्न को यहां उठाने का बैंकों का राष्ट्रीयकरण का विरोध करते करते इस हद तक चले गये। यह लाने का मकसद तो राष्ट्रपति के चुनाव से पहले था लेकिन अब तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिये वोट भी गिर गये वह खेल तो खत्म हो गया। इस पत्र का नारी समाज के प्रति किस प्रकार का आक्रमण है जब कि यह किसी व्यक्ति विशेष को लेकर लिखा गया है। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा यह लेख सम्पादकीय नहीं है। जैसा कि उन्होंने अपने नोट में लिखा है, दूसरे व्यक्ति का लेख है। इस लेख को एक व्यक्ति विशेष को टारगेट बनाकर लिखा गया है। बैंक राष्ट्रीयकरण की भूमिका में नारी समाज पर आक्रमण करना चाहते हैं ऐसी मान्यता है। जनसंघ ऐसी संस्था है जिसका राजनैतिक एप्रोच के साथ सामाजिक एप्रोच भी है। जहां तक इस लेख का सम्बन्ध है इसमें कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी दिये गये हैं साथ साथ अपने देश की जो नारियां हैं उनके सम्मान में भी दो शब्द लिखे गये हैं उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा :—

"Reasons why women have given so much preference in India in matters of service are many. One reason is Mahatma Gandhi had championed the cause of women in pre-independent India. Second reason is the large scale participation of Indian women in India's struggle for freedom. The third reason is that in the twenties and thirties, India indeed, produced some outstanding women. Very few Countries had equals of Mrs. Naidu, Leela Roy and many others."

श्री लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : इसके आगे का भी पढ़ दीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नायडू की जगह लक्ष्मीकुमारी का नाम थोड़े ही जुड़वा देंगे।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : इसमें कहां सारी नारी समाज को कलंकित करने के लिये लिखा है? इसी पत्र ने इस अंक में नारी समाज की प्रशंसा की है उसने बताया कि पहले भी इस प्रकार की नारियां हुई हैं जिन्होंने इस देश के मस्तक को ऊंचा किया है। इस लेख में सारी नारी समाज को क्रिटिसाइज किया हो यह बात नहीं है।

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

जनसंघ की नारी समाज के प्रति जो मान्यता है वह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं इस आदि शक्ति को हमने पूजनीय माना है जिसने समूचे समाज को जन्म दिया। भारतीय जनसंघ जहां भारतीय संस्कृति की बात करता है, भारत राष्ट्र की बात करता है उसके दिल में ? इस राष्ट्र को केवल पत्थर और मिट्टी के रूप में नहीं मानता। उसने इस राष्ट्र का भारत मां के रूप में दर्शन किया है। हम भारत मां की बात करते हैं और उसी मां के साक्षात दर्शन करते हैं। ऐसा दल नारी समाज की उपेक्षा करेगा, नारी समाज के लिये अपशब्द कहेगा यह असंभव है ? नारी समाज की आलोचना या उपेक्षा करके कोई चलता है तो वह देश की उपेक्षा करता है। ऐसे देश की न संस्कृति ही रह सकती है और न वह राष्ट्र के रूप में जीवित रह सकता है।

अध्यक्ष महोदय, जहां आपने यह प्रश्न सदन के सामने रखा है उसमें आप सामाजिक नजरिया रखें, राजनैतिक नजरिया न रखें। लेख के अन्दर आगे जाकर कुछ पक्तियां हैं जिनमें जनरेलाइज किया गया है। वह कर सकते हैं लेकिन मैंने उनका समर्थन नहीं किया और न हम कर सकते हैं। यह लेख किस भूमिका में आया? बैंकों के राष्ट्रीयकरण का विरोध लेकर एक व्यक्ति विशेष को टारगेट बनाया गया है। 9 अगस्त के पत्र में सम्पादक ने स्वयं ने स्पष्टीकरण कर दिया है, वह अपने आप में साफ है उसमें कहा गया है, उसकी मन्शा किसी प्रकार भी नारी के अपमान करने की नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय, जितने भी विचार इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सुने उनसे यह साफ पता चलता है कि बैंक राष्ट्रीयकरण के आधार को मानकर नहीं आना चाहिये। वह इसी भूमिका में आया है लेकिन बहुत लेट आया। जिस मकसद से यह लाया गया वह पूरा नहीं हो पाया। राष्ट्रपति का चुनाव हो गया और वोट भी पड़ गये।

लेख के लिखने की जो मन्शा है वह किसी नारी के अपमान की नहीं, यह 9 अगस्त के बाद के पत्र से साफ है। केवल इसी आड़ में जनसंघ को लपेटकर कुछ लोग राजनैतिक रोटी सेकना चाहते हैं, बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं उनकी किस प्रकार की नीति है वह सारा भारत जानता है। साम्यवादी दल का आजादी के समय क्या इतिहास था वे मुझ से कहलवाना चाहते हैं। साम्यवादी महात्मा गांधी को पूंजीपतियों का दलाल कहते थे, सुभाषचन्द्र बोस को देशद्रोही मानते थे। जिस समय साम्यवादी चीन का भारत पर आक्रमण हुआ उस चाइना के आक्रमण को आक्रमण तक कहने में हिचकिचाते थे। आज वह दल जनहित की बात करता है। साम्यवादी दल जब अमेरिका से पाकिस्तान को हथियार सप्लाई होते हैं तो उसकी आलोचना करते हैं और उनके आका रूस से पाकिस्तान को हथियार सप्लाई होते ही चुप्पी साध लेते हैं। देश के बुद्धिजीवी लोग साम्यवादी दल की नीतियों को समझ गये हैं वह इस भुलावे में आने वाले नहीं।

राष्ट्रीयकरण के बारे में हमारी नीति है जिसको भी जनता जानती है। हम इस प्रश्न को लेकर किसी को गुमराह करना नहीं चाहते। मैं साम्यवादी मित्र से पूछना चाहता हूं रवीन्द्र सरोवर काण्ड में जो नारी का अपमान हुआ। हमारी तो संस्कृति वह रही

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)
है जिसमें एक नारी के पीछे महाभारत हुआ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उसकी जांच हो रही है। गुण्डों ने कारनामे किये हैं उनको सजा मिलेगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : केवल अपनी पार्टी को बचाने के लिये।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बारे में एक बात निवेदन करना चाहता हूं। काफी प्रश्नों के उत्तर कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने दे दिये। अभी माननीय सदस्य ने यह भी बता दिया कि ऑर्गेनाइजर का जनसंघ से कोई संबंध नहीं है, जनसंघ का ऑर्गेनाइजर कोई मुखपत्र भी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात माननीय साम्यवादी सदस्य ने कही है मैं समझता हूं शायद उन्होंने सोच समझकर नहीं कही होगी वह यह कि इस पत्र को राजस्थान में आने से रोक दिया जाय। एक तरफ हम लोकतन्त्र की दुहाई देते हैं उसमें स्वतन्त्र रूप से अपने अपने विचार व्यक्त करने की आजादी दी गई। मुझे इस बात की खुशी है कि समाजवादी सदस्यों ने इस बात का समर्थन नहीं किया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य इस सरकार से कहते हैं कि इस अखबार को बन्द कर दो। आप यह हथियार किनके हाथों में देने जा रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूं। जिनको जिस समय भी यह हथियार देने का प्रश्न पैदा हुआ और सरकार ने जिस समय कानून और नियम बनाकर जब भी लोक सभा और विधान सभाओं में अखबारों पर पाबन्दी लगाने का प्रयत्न किया तब तब, हिन्दुस्तान का इतिहास इस बात का साक्षी है कि साम्यवादी दल ने इसका विरोध किया है। मैं साम्यवादी सदस्य से पूछना चाहता हूं कि ऑर्गेनाजर के रूप में कांग्रेस की सरकार को आप यह अधिकार आज देना चाहते हैं कि किसी अखबार के राजस्थान में आने या न आने पर वह पाबन्दी लगा दे? लोकतन्त्र में विश्वास रखने वाला व्यक्ति इस प्रकार की बात का कभी समर्थन नहीं करेगा।

प्रश्न केवल इतना सा है कि कोई लेख छपा। मैं यह मानता हूं कि यह लेख कोई गुड टेस्ट में नहीं है। इतना कहना पर्याप्त होगा। जनसंघ का इससे क्या सम्बन्ध है। जनसंघ इसको दूषित मानता है जैसा सतीशचन्द्रजी ने कहा। फिर यह जनसंघ का ऑर्गेनाइजर कोई मुखपत्र नहीं। पर बैंकों के नेशने-लाइजेशन के प्रश्न पर ऑर्गेनाइजर कम्यूनिस्ट पार्टी का समर्थन नहीं करता और मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि इन साम्यवादियों को अगर किसी पत्र से किसी प्रकार का डर है तो वह पत्र हिन्दुस्तान में केवल ऑर्गेनाइजर है। कम्यूनिस्ट पार्टी इससे इसलिए डरती है कि 60 में चीन ने हिन्दुस्तान पर आक्रमण किया था तब उससे पहले देश के किसी भी समाचारपत्र में मामूली टिप्पणियां आई थीं, पर ऑर्गेनाइजर ने विस्तार से लिखा था कि चीन अक्साई चिन क्षेत्र में घुस आया है और वहां चीन ने सड़कें बना ली हैं और यह काफी विस्तार से लिखा था कि किस प्रकार से हमारी भूमि पर चीनी सेना खड़ी है। इस सावधानी के लिये इस आर्गेनाइजर की प्रशंसा करनी पड़ेगी। इस सम्बन्ध में मैं अपने शब्दों में नहीं कहता, स्व. पं. जवाहर लाल नेहरू ने

(श्री भैरोंसिंह)

इसे स्वीकार किया है कि "मेरे पास आॅर्गेनाइजर की कटिंग है कि किस प्रकार चीन-भारत सीमा पर घुस आया है और इस जानकारी पर मैंने जानकारी की और उस जानकारी के आधार पर अभी स्पष्टतया नहीं कह सकता पर और जानकारी कर रहा हूं कि अक्साई चिन में चीन किस सीमा तक पहुँच गया है।" ये शब्द नेहरूजी के हैं। आॅर्गेनाइजर ने 65 में फिर देश की सेवा की है। उसको हम नहीं भुला सकते। रवीन्द्र सरोवर का मामला सबसे पहले उसने महिला समाज के सामने रक्खा और जनता को बता दिया कि साम्यवादी शासन में महिलाओं की प्रतिष्ठा का प्रश्न किस प्रकार से लिया जाता है। मैं समझता हूँ कि साम्यवादी सदस्य की उसके प्रति नाराजगी का कारण यह है। इन प्रश्नों को लेकर उसके प्रति इनकी नाराजगी हो सकती है कि इसने चीन का समर्थन क्यों नहीं किया? रूस ने पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किये तो कम्यूनिस्ट पार्टी के खिलाफ उसने क्यों लिखा? इस कारण नाराजगी हो सकती है। रवीन्द्र सरोवर के मामले में आगे होकर लिखा तो क्यों लिखा? यह नाराजगी का कारण हो सकता है। तो यह स्वाभाविक है। मैं आपकी जगह होता तो मेरी भी नाराजगी निश्चित रूप से होती। पर मैं यह मांग करता या नहीं करता इस पर भविष्य के बारे में सोचता कि एक प्रमुख दल का सदस्य होते हुए सरकार के हाथ में इस अधिकार को देने के पक्ष में हूं या नहीं कि इसे बन्द कर दिया जावे। इस बारे में मैं इतना ही कह दूं कि आॅर्गेनाइजर कोई एक मामूली पत्र नहीं है। सम्पादक के बारे में बातें कहीं गइं। सम्पादक के बारे में मैं बताऊं, कि हिन्दुस्तान के इने गिने सम्पादकों में उसकी गिनती है। विद्वान् सम्पादकों में से एक है। देश-विदेशों में उस की प्रतिष्ठा है कि ऐसा व्यक्ति आॅर्गेनाइजर का सम्पादक है। कह दिया, यह अंग्रेजी नहीं जानता, हिन्दी नहीं जानता, उर्दू नहीं जानता। ऋग्वेद का अध्ययन नहीं करता। हम ऐसे भी अनपढ बैठे हैं। अंग्रेजी-हिन्दी का हमें पूरा ज्ञान हो या न हो, पर दूसरों की आलोचना करें कि यह आदमी कुछ ऐसा ही है यों ही लिख दिया। मैं आज भी कहता हूं कि हिन्दुस्तान में किसी भी सम्पादक सम्मेलन में आप चले जावें। वहां पूछें कि मलकानी के बारे में उनकी क्या ओपीनियन है। देश में ही नहीं, विदेशों में भी उसकी धाक है कि हिन्दुस्तान में भी एक इस प्रकार का सम्पादक है।

और फिर उसकी जिम्मेदारी इसमें क्या है? स्वयं ने कहा है यह हिस्टोरिकल पत्र है। किसी दूसरे का लिखा हुआ है। उस लेखक को और लेख को लेकर यह हो-हल्ला मचाया जावे और यहां तक स्थिति पैदा की जावे कि इसे ही बन्द कर दिया जावे यह हमारी जनतन्त्र में आस्था की कमजोरी का द्योतक है। मैं यहां तक भी कहूंगा कि इसकी प्रतियां, हिन्दुस्तान में कोई दो-चार प्रतियां नहीं बिकतीं। दस बीस, पांच-पचास, नहीं बिकती। राजस्थान में ही नहीं हिन्दुस्तान में 56 हजार प्रतियां इसकी बिकती हैं। इस लेख का आपने विरोध किया है। हमने भी उनको कहा था कि यह लेख गुड टेस्ट में नहीं है। ऐसे मैटर जितने अवोइड किये जावें, अच्छा है। पर इस प्रश्न को लेकर राजनैतिक वातावरण बनाने की चेष्टा करें, सिंडीकेट की बात करें, इन्डिकेट की बात करें, बैंक नेशनेलाइजेशन

(श्री भैरोंसिंह)

की बात करें तो इससे कुछ और ही बात की ध्वनि निकलती है। मैं रामानन्दजी को स्पष्ट निवेदन करता हूं कि आपको जानकारी है कि हम बैंक नेशनलाइजेशन के विरोध में हैं। हम यह भी बता दें कि गिरी जीतें, हम इसके भी विरोध में हैं। कम्यूनिस्ट पार्टी के समर्थन से कोई राष्ट्रपति बन जावे, हम इस के भी विरोधी हैं। अगर कोई कम्यूनिस्ट पार्टी के समर्थन से राष्ट्रपति बनता है हिन्दुस्तान का, तो सीमा पर चीन खड़ा है, कम्यूनिस्ट पार्टी प्रचार कर रही है चीन के पक्ष में, तो इसके परिणाम क्या निकल सकते हैं इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। हम यह भी समझकर चल रहे थे कि देशमुख को खड़ा करके हम कम्यूनिस्ट समर्थन को कमजोर कर सकेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल: आज से दो वर्ष पहले कम्यूनिस्ट पार्टी के समर्थन को लेकर सरकार बनाने की बात फिर क्यों सोच रहे थे

श्री भैरोंसिंह: यह तो मैं उलट कर आपसे ही पूछ सकता हूं कि जनसंघ के सामने आप घुटने टेक कर क्यों आये? इसका जवाब वही दे दें। यह तलवार तो दुधारी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: यह क्यों नहीं कहते आप कि हिन्दुस्तान की जनता में आज जो जागृति की लहर आई है उससे निहित स्वार्थवालों को खतरा पैदा हो गया है। स्वयं कांग्रेस के अन्दर एक तबके के निहित स्वार्थों की वे रक्षा अब नहीं कर सकते। इस वजह से यह सब घबराहट है। इससे आज कांग्रेस की गोद में चले गये हैं।

श्री भैरोंसिंह: यह भी आपका भ्रम है कि हम कांग्रेस के किसी खेमे में चले गये हैं या कांग्रेस की गोद में चले गये हैं। हालांकि आप तो कई बार कांग्रेस की गोद में चले गये थे। लोग पकड़ पकड़ कर आपको वापिस लाये हैं। उस समय सब चीज आप भूल गये थे। हम न तो कभी कांग्रेस की गोद में गये न अब जाने वाले हैं, जितने आप पूंजीवाद के विरोधी हैं, हम भी है। हम भी हिन्दुस्तान में पूंजीवाद को बढ़ने देना नहीं चाहते। देश में गरीबी रहे, हम भी यह नहीं चाहते। पूंजीवाद में और गरीबी में अन्तर ज्यादा है वह अन्तर मिटे हम भी यह चाहते है। हम भी इसके समर्थक हैं। और इसलिये कहा है कि डिसेन्ट्रेलाइजेशन के थ्रू हम चल सकते है इसमें। आज का समाजवाद और साम्यवाद ही यह असमानता दूर करने के प्रतीक हों, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने ही कोई ठेका ले लिया हो आज, यह बात नहीं है। चीन और रूस में आज जिस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में भेद पैदा हो रहा है यह इस बात का साक्षी है।

समय अधिक हो गया है, मैं दो मिनट में कहना चाहूंगा कि आज उस समाजवाद या साम्यवाद को भी हम ऐसा मानकर नहीं चल सकते कि उनके कारण कहीं पर या रूस और चीन में भी गरीबी मिट गई या भेद भाव मिट गया। यह स्थिति अगर आज रूस में होती तो रामानन्दजी रूस में 22 जनरल भगवान जाने किस प्रकार की उनको बीमारी आई कि हर दूसरे तीसरे और पांचवें दिन वे मरते रहे और कुछ दिनों में 22 ही मर गये। वहां की सरकार ने इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। हिन्दुस्तान लोकतन्त्र में विश्वास करता है, हम लोकतन्त्र में विश्वाश करते है। जसे 22 जनरल को वहां उन्होंने गोली मारकर उड़ा दिया, उस तरह के रास्ते में हम विश्वास

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं करते । आप चाहे उस तरीके को तानाशाही को यहां लाने की कोशिश करें चाहे लाख कोशिश करें, हिन्दुस्तान में लोकतंत्र रहेगा। हमें यहां लोकतन्त्र के प्रति आस्था है। एक नहीं, बाहर से पैसा लाकर कम्यूनिस्ट पार्टी कितना ही प्रचार करे पर यहां का लोकतन्त्र खतम नहीं हो सकता। यहां इस प्रकार की व्यवस्था नहीं आ सकती।

तो मेरा निवेदन यह है कि किसी अखबार के ऊपर इस प्रकार की पाबन्दी नहीं लगाई जा सकती। राजस्थान में इसे बन्द कर दिया जावे यह भी उचित नहीं होगा। मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रस्ताव को जिन्होंने इनीशियेटिव लेकर रखा हैं। उनका मकसद इसे राष्ट्रपति के चुनाव से पहले रखकर कुछ मतलब हांसिल करने का था। आज तो वह वक्त गया। परपज इसका जो सर्व होने वाला था वह हो गया। कल पता चल जावेगा। जिन गिरी साहब को लेकर कांग्रेस में दो पक्ष हो गये हैं, और कुछ लोग कांग्रेस की गोद में चले गये हैं वे कांग्रेस में भी किसके, हम सिंडीकेट के साथ नहीं हैं इण्डिकेट के साथ हैं। जहां तक इन्दिरा गांधी का सवाल है, वह भी कांग्रेस की है और सिंडीकेट भी कांग्रेस की है। दोनों कांग्रेस की कैटें हैं। हम तो एक के भी साथ नहीं हैं। आज आपके सामने दूसरी कैट के सवाल आ गया तो एक के साथ हो गये, एक का सवाल आया तो दूसरे के साथ हो गये। ऐसे हम नहीं हैं। आप ही हो सकते हैं।

ऐसी हालत में मैं निवेदन करूंगा कि एक कांग्रेस का साथ दें वह तो अच्छा और दूसरे लोग कांग्रेस के पास भी खड़े हो जावें तो सबसे बुरे। रामानन्दजी भी इस पर विचार करेंगे ऐसी मुझे आशा है। मैं आपकी भावना का भी दूसरी तरह से समर्थन करता हूं, इस वजह से नहीं कि आप कांग्रेस के एक टुकड़े के साथ हैं। बल्कि इसलिये समर्थन करता हूँ कि यह लेख गुड टेस्ट में नहीं है। और इस कारण इसकी चर्चा हुई है। मैं इसका आभारी हूं कि इसकी यहां चर्चा हुई। इस प्रकार की चर्चा करके ऑर्गेनाइजर के सरकुलेशन को बढाने में ही आपने योग दिया है। माननीय सदस्य इस चर्चा का लाभ उठाकर सदन के लिये पढेंगे ऑर्गेनाइजर को, ऐसी मुझे आशा है।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): अध्यक्ष जी, ऑर्गेनाइजर में जो आर्टिकल प्रकाशित हुआ उसको लेकर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव इस सदन में आया उसके सम्बन्ध में सरकार निश्चित तौर से यह मानती है कि जो आर्टिकल प्रकाशित हुआ है वह सारी महिला जगत के लिये एक अपमानजनक आर्टिकल है और अगर उसमें हिन्दुस्तान की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इन्दिरा गान्धी को लक्ष्य करके भी महिला के नाम पर, उन पर आघात करने का प्रयत्न किया गया है तो वह भी निन्दनीय कहा जा सकता है–उचित नहीं कहा जा सकता है। मैं यह समझता हूँ नीतियों का विरोध कड़ा से कड़ा किया जा सकता है, उसका स्वातन्त्र्य भी है। हमारे देश में मतभेद हैं, उसमें अलग अलग राय रखने का हक है, रख सकते हैं लेकिन जिस भाषा में जिस प्रकार से इस लेख को लिखा गया है इस लेख से जैसी अभी सदन में चर्चा हुई मैं समझता हूं किसी भी पक्ष के सदन के सदस्य उसको वाजिब और उचित नहीं कह रहे हैं। सभी मानते हैं कि इस प्रकार का

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

आर्टिकल हमारे देश की परम्पराओं और संस्कृति के प्रतिकूल है।

अध्यक्ष जी, महिलाओं को चाहे वह शासन में ऊंचे से ऊंचे पद पर आयें, आ सकती हैं हमारे विधान ने हक दिया है। अगर हम चुनौती देते हैं तो वह विधान की जो पवित्र भावना है उसको चुनौती हो जाती है। आज विधान देश में सबको एक समझकर चलता है, सबको समान अधिकार हैं। स्वातन्त्र्य संग्राम में इस देश के अन्दर जैसा अभी जिक्र हुआ सरोजनी नायडू इस प्रकार की महिला हुई जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनीं, उस जमाने में जब जबरदस्त संघर्ष मौजूद था। इस वर्ष जब हम महात्मा गान्धी की शताब्दी मना रहे हैं, कस्तूर वा गान्धी की भी उसी के साथ मना रहे हैं। आज महान देशों में उनकी शताब्दियां मनाई जा रही हैं। हमारे राजस्थान के मस्तिष्क को ऊंचा रखने में बड़े बड़े शूरवीरों का हाथ रहा है। मैं समझता हूँ राजस्थान आज सिर ऊंचा करके चलता है। यहां की महिलाओं ने, यहां की वीरांगनाओं ने बलिदान किया है, त्याग किया है वे उज्वल पृष्ठ हैं राजस्थान के इतिहास में। राजस्थान के अन्दर कौन नहीं जानता कि पद्मिनी के नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने बलिदान किया। कौन नहीं जानता कि मीरा ने अपने जीवन से इस राजस्थान के मस्तिष्क को ऊंचा किया। अध्यक्ष जी, मैं ऐसा समझता हूं कि जो यह लेख छपा है उसके बारे में सबसे पहले अगर कोई बात है तो उसको रोकने की है। आगे इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो इसके लियें इस देश के अन्दर हथियार है तो वह जन मत का है। आज इस सदन में आम तौर से सब मिलकर यह बात कहते हैं कि उचित नहीं हुआ है तो वह सबसे बड़ी चीज होती है। आप जनमत के जरिये असर डालते हैं कि फिर भी राजस्थान सरकार ने गृह मंत्रालय को लिखा है, उसकी हम सलाह ले रहे हैं। इस सम्बन्ध में जो आर्टिकल छापा है आगे की कार्यवाही क्या करना उचित होगा और क्या करना उचित नहीं होगा लेकिन जैसा मैंने कहा, जन मत के जरिये इस चीज को रोका जाना चाहिये। मैं समझता हूँ इस प्रकार के आक्रमण से महिला की प्रतिष्ठा कम होने वाली नहीं है जो लिखने वाले हैं उसी के वह विपरीत पड़ेगी।

अध्यक्ष जी यहां राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर, दूसरी बातों को लेकर चर्चा हुई है उसमें मैं नहीं पड़ना चाहता। मैं समझता हूँ उसमें पड़ने का समय भी नहीं है और प्रश्न भी नहीं है। मैं इस लेख को यह मानकर चलता हूं कि राष्ट्रीयकरण हो गया, बैंकों का नेशनलाइजेशन हो गया इस वजह से यह लेख छप गया। राष्ट्रीयकरण हुआ तो कांग्रेस ने बंगलोर में प्रस्ताव पास किया, पार्टी चाहती थी, कांग्रेस की पार्टी का बहुमत था, पार्टी का बहुमत था। इन्दिरा जी के नेतृत्व में राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव आया और उसको स्वीकार किया गया। आज कांग्रेस जन उसके विपरीत नहीं जिसकी वजह से यह प्रश्न खड़ा हो। आज व्यक्तिगत रूप से आक्षेप करने की जो परम्परा आई है यह उनका हक है। महिला समाज को इस प्रकार से लपटने के प्रश्न को रखना है वह अशोभनीय है। इस सदन की करीब करीब यही भावना है जैसा मैंने निवेदन किया। फिर भी इस सम्बन्ध में क्या किया जाय, उसके सम्बन्ध में गृह मंत्रालय से मशविरा किया जायगा।

नियम 119 के अन्तर्गत श्री भैरोंसिंह के प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार

श्री अध्यक्ष: श्री भैरोंसिंह सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं सख्त विरोध करता हूं। मैं समझ नहीं पाया कि इस प्रकार के जो प्रस्ताव होते हैं उस प्रस्ताव में क्या बातें होनी चाहियें यह मैंने कल भी कहा था और आज भी मैं उसको दोहराना चाहता हूँ—

> "A person making such allegation is required first to make through his facts, base them on such authentic documentary evidence and substantial and if the allegations are proved to be frivolous or based on personal jealousy, he will himself be liable to a breach of privilege of the House .... "

मुझे यह कहने में संकोच नहीं होता कि माननीय भैरोंसिह जी किसी बात को बतंगड बनाने में या राई से पहाड़ बनाने में कुशल हैं लेकिन जहां कानून का सवाल है वहां किसी पर दोषारोपण लगाने का सवाल नहीं होता है ये कलंक लगाना चाहते हैं, उस पर आपको गहरा विचार करना होगा। बार बार आप कहते हैं मुझे चिन्ता है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके पास ऐसे कौनसे वाकयात थे। मैंने आपका मोशन पढ़ा तो मालूम हुआ मोशन केवल एक जनरल है लेकिन जब आपने सारी बातें रखीं और उन सारी बातों से

(2.47 म. प.)

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

यह स्पष्ट हो गया है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ जो आपने दोषारोपण लिख रखा है वे सब निराधार हैं, बे बुनियाद हैं, खोखली हैं जिन बातों का कोई आधार नहीं है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आपके पास कौनसा डाक्यूमेंटरी एविडेन्स है। आपने यह कहा श्रीमती जैकब ने 6,250 रु. में यहां के एक मंत्री हैं उनकी पत्नी को अपनी जमीन बेची आप कहते हैं मंत्री के पद पर होते हुए 6,250 रु. में 25 बीघा जमीन को जिस जमीन में कि सरकारी जमीन 200 रु. की है उस जमीन पर अगर श्रीमती रक्षा देवी श्रीमती जकब से सौदा करती हैं उस हालत में आप क्या बताना चाहते हैं। आपने कुछ इन्फ्रेन्स निकालने की कोशिश की। इन्फ्रेन्स निकाला कि इतवार का रोज था—सर्किट हाऊस में रजिस्ट्री हुई। आपने यह बताया कि वहां के एस.डी.ओ. पर प्रभाव डाला गया। आपने बताया कि मुकदमें में इतनी पेशियां होते हुये फैसला नहीं दिया गया। इन सारे तथ्यों को देख कर उसका कानूनी रूप से विचार करना आवश्यक है। मैं आपको एक एक बात को लेना चाहता हूँ सदन के सामने रखना चाहिये कि अगर कोई राजस्व मंत्री बने और राजस्व मंत्री वह जो 25 बीघा जमीन खरीदें अपनी जेब से 6,250 रु. दे यह आपके पास कोई सबूत नहीं है। मैंने एक बात पहले कह दी जो फेक्ट्स हैं वह प्रुव्ड हो जो एलीगेशन लगाये हैं माननीय सतीश चन्द्र जी ने, वे बड़े अच्छे वकील हैं लगा सकते हैं एलीगेशन लगाने में वो माहिर हैं। रजिस्ट्रेशन जब हुआ उस बात को बताना चाहता हूँ उसमें श्रीमती जैकब ने क्या कहा। जब आपके सामने दावा पेश हुआ, आप कहते हैं दावा क्यों पेश हुआ। मेरे ख्याल से आप में ताकत है एस.डी.ओ. को आपने बनाने की कोशिश की होगी। इस जगन्नाथ को भी आप बना लें, उसको

श्री मूलचन्द डागा)

भी भैरोंसिंह जी बना लेते लेकिन क्या करें एक जनसंघ भाई का हलफनामा लेकर पेश कर दिया। एक बात यह कह दी। मैं बात नहीं समझ पाया कि जब कि श्री जगन्नाथ ने कोर्ट में अपने बयान दे दिये और इकबालिया बयान होने के बाद डिग्री हो सकती थी। लेकिन वहां के एस.डी.ओ. ने एक बात की कि मन्दिर के जो ट्रस्टीज थे, जो रिसीवर्ज थे उनके बयान लिये और उनके बयान लेने के बाद उन्होंने डिक्री दी। उन्होंने उसके बाद जो कुछ किया वह किया। मैं रजिस्ट्री के मामले में एक बात कहना चाहता हूं कि रजिस्ट्री हुई। उसको आप पढ़ेंगे तो मालूम होगा। आपने कह दिया कि कुछ भी कन्सीडरेशन नहीं मिला। शायद आपको मौका मिले और कोई नई बात आप कह दो लेकिन जो श्रीमती जैकब के यहां बयान हैं और सब रजिस्ट्रार के सामने बयान हैं उसमें साफ कहा है कि उन्होंने 6,250 रुपये प्राप्त किये हैं। श्रीमती ईदिथ जैकब ने इस दस्तावेज का सम्पादन करना स्वीकार किया प्रतिफल 6,250 हारा मेरे समक्ष सम्पादन को श्रीमती रमादेवी खरीददार ने दिये। सम्पादन कार्य साक्षी श्री विष्णुदत्त पिता श्री ब्रह्मदत्त पांचाल पेशा व्यापार, उम्र 40 वर्ष। दूसरा साक्षी श्री रामगोपाल पिता श्री हरशंकर है। तो यह जो रजिस्ट्री हुई है उसमें यह रुपये लेना स्वीकार किया गया है। कल आपने बयान दिये हैं हाउस के सामने कि "विदाउट कन्सीडरेशन"। मैं समझता नहीं। आपके सामने जैकब ने बयान दिये हैं, आपके सामने रजिस्ट्री हुई है और अब कहने लगे कि स्टाम्प इतवार को कैसे आ सकते थे। मैं कल कह रहा था कि जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्र जी अग्रवाल जी एडवोकेट हैं वह उसकी पैरवी करते तो अच्छा होता लेकिन उन्होंने कह दिया कि आवेश में काम लेना है तो भैरोंसिंह जी को संभला दो। पीछे रह गये श्री कृष्ण कुमार जी गोयल वह भी वकील हैं लेकिन वह भी पीछे रह गये। परन्तु उनको मालूम होना चाहिए कि 20 तारीख को स्टाम्प खरीदे गये जब कि अदालतें खुली थीं। स्टाम्प के पीछे खरीदने की तारीख मौजूद है। अगर आपने 21 तारीख को देखा है तो आप मेहरबानी करके यह भी करो कि 20 तारीख के रोज वह स्टाम्प खरीदे गये और 20 तारीख के रोज जबकि स्टाम्प उपलब्ध होते थे उस दिन खरीदे गये।

फिर आपने वहां के एस.डी.ओ. के बारे म कहा। मुझे समझ में नहीं आता कि आप तो काफी जानते हैं। जो एस.डी.ओ. होता है वह नियुक्ति विभाग के अधीन होता है। उसको न तो रेवेन्यू मिनिस्टर अपाइन्ट करता है और न वह उनकी कान्फीडेन्शल रिपोर्ट ही लिखता है और मुझे मालूम भी हुआ है कि आप एस.डी.ओ. को कहीं और जगह बात फैला देते लेकिन आपकी यह जो बातें हैं, इस प्रकार से जिस जमीन की जगन्नाथ की खातेदारी थी और यह रेवेन्यू रेकार्ड में है और यह भी मानेंगे कि उसको गैर-खातेदारी के नाम से लिखा गया और यह भी मानेंगे कि उसका मुआवजा श्रीमती जैकब को दिया गया और यह भी मानेंगे कि 58 बीघा जमीन में से 25 बीघा जमीन उसको ट्रान्सफर की और आज भी 33 बीघा जमीन श्रीमती जैकब के नाम पर है और आज भी उसका इन्द्राज हो रहा है और वह इसका लेण्ड रेवेन्यू भी दे रही हैं। आप यह नहीं कहने में हिचकिचाते। आप यह क्यों नहीं

Page No 123

(श्री मूलचन्द डागा)

कहते कि 33 बीघा जमीन श्रीमती जैकब के नाम क्यों है। आप अपना इन्फरेन्स निकालते हैं। यह तो उन लोगों से पूछें जो कि काला कोट पहन कर अदालतों में जाते हैं और जो पैरवी करते हैं। यह बात नहीं है जब कि गलत नाम आ गया रेकार्ड में और जब लेण्ड रेवेन्यू रेकार्ड में गलत नाम आया तो एक ही तरीका था कि वह डिक्लेरेशन का सूट फाइल करते और श्रीमती जैकब ने वह दावा पेश किया और सम्मन निकले। यह भी आप फाइल देखिये। जब सम्मन निकल गए, अगर कोई डिफेंडेंट या प्रतिवादी अदालत में आकर इकबाली जवाबदावा दे देता है दुर्भाग्य से कहना चाहिए कि वह जगन्नाथ इस चक्कर में नहीं आया। नहीं तो पता नहीं टेप रेकार्डिंग और न जाने क्या क्या करा लेते। उसने बयान दिये कि यह जमीन श्रीमती जैकब की है। उस बयान के बाद वह खातेदारी अधिकार उसके थे वह अधिकार ही श्रीमती रक्षादेवी को मिले और इस बात का सबूत सेल डीड है जो मैं पढ़ता हूं। उसमें साफ लिखा है कि जो खातेदारी के अधिकार मुझे प्राप्त हैं वही अधिकार श्रीमती रक्षा देवी को प्राप्त होंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या इस प्रकार के ट्रान्जेक्शन्स, इस प्रकार की खरीद, एक मंत्री के घर के कुटुम्बी जगीर नहीं सकते ? क्या यह हो गया कि एक मंत्री अपने जीवन का भरणपोषण करने के लिए सारी जिम्मेदारियां ले। अगर कोई खरीददारी करता है और उससे अगर मंत्री के नाम का सम्बन्ध जोड़ते हैं तो यह दुरुपयोग है इस बात का। इस बेचान में एक बात लिखी हुई है कि मेरे कब्जे की जमीन एक हकूक अन्दरूनी, बारानी कायम कानून टेनेन्सी के अधीन बिलकुल साफ हैं, कानून टेनेन्सी के अधीन मुझे विक्रेता को थे वह आज से उक्त खरीददार श्रीमती रक्षादेवी धर्मपत्नी श्री बृजसुन्दर शर्मा निवासी बूंदी को मुंतकिल कर देती हूं। इसमें गवर्नमेन्ट को क्या नुकसान हुआ? आज भी उसका म्युटेशन नहीं हुआ है....

श्री रामचन्द्र आर्य (नौहर): क्या यह जमीन पूरी खातेदारी थी? चम्बल एरिया में उसको खातेदारी नहीं दी जा सकती। अगर दी गयी है तो राजस्थान केनाल में 15(ए) बना कर दी हुई खातेदारी वापिस छीनी गयी है। क्या गैर-खातेदारी जमीन को बेचान किया जा सकता है ?

श्री मूलचन्द डागा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बीच में व्यवधान पैदा न करें।

आपने एक बात कही थी कि मंत्री इस प्रकार से सरकार को घाटा डाल रहे हैं। मैं केवल एक बात बताना चाहता हूं कि जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो सेवा का काम करते हैं उनको इस प्रकार से कलंकित नहीं किया जाये। मैंने एक प्रश्न पूछा है श्रीमती जैकब के नाम की जमीन खसरा नम्बर 26 में 50 बीघा है और इस बात को मैरोंसिंह जी ने माना है और आज भी है। मेरे फेक्ट को चेलेंज करें। आपको और मौका मिलेगा। श्रीमती जैकब के नाम खसरा नम्बर 26 में गांव बड़गांव तहसील लाडपुरा उसमें जमीन थी और आज भी गैर-खातेदारी में है और उसको जो अधिकार थे वह ट्रान्सफर कर दिये उसने और वह 6250 रुपये में ट्रान्सफर किये। 250 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से खरीद की जब

(श्री मूलचन्द डागा)

कि सरकारी रेट उसकी 200 रुपया प्रति बीघा थी। और यह बात जब आप करते हैं और आज तक नामान्तरण नहीं हुआ, आज तक खातेदारी के हक श्रीमती रक्षा देवी को नहीं मिले तो मैं समझ नहीं पाया कि आप क्या बात रखना चाहते हैं सदन के सामने ? इसलिये मैंने बारबार कहा है कि जब कभी इस प्रकार के एलिगेशन्स हों, माननीय उपाध्यक्ष, उस पर पूरी छानबीन होनी चाहिये। तो आपने एक इन्फरेन्स यह निकाला कि इतनी पेशियां क्यों पड़ीं। मैं यह कहता हूं कि अगर उनके मंत्री पद का प्रभाव था तो सवाल ही इसका नहीं था, पहली पेशी में ही फसला दे देता। लेकिन नहीं उन्होंने बयान लिये, उन्होंने स्टेटमेंट रेकार्ड किये। जब जगन्नाथ ने अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दिया तो उसके बाद सवाल ही पैदा नहीं होता, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन वह होने के बाद एस. डी. ओ. ने जांच की। अब आप उसका इन्फरेंस निकालते हैं तारीखें बदलीं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की रेवेन्यू की अदालतों में जो एस. डी. ओ. के पद पर काम करते हैं उनके यहां कितने ही मुकद्दमात में इस तरह का आप देखेंगे। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं कि 9-10 साल से कई अदालतों में रेवेन्यू केसेज पेंडिग हैं। कभी किसी काम में बिजी रहता है एस. डी. ओ. और कभी किसी काम में, लेकिन आपको मालूम नहीं हुआ। अगर साथ में यह महनत करके जानते कि जिन तारीखों को आपने बताया है उन तारीखों में दूसरे मुकद्दमात में क्या कार्यवाही की गई। एक बहुत बड़ी तारीखों की सूची बताई तो एस. डी. ओ. ओन ड्यूटी था क्या ? क्या एस. डी. ओ. ने दूसरे का काम किया है ? कौन सा काम किया है ? किस नेचर का काम किया ? तो मैं एक बात नहीं समझ पाया कि एस. डी. ओ. के पेशियों के बदलने पर यह इन्फरेन्स निकाल। तो मुझे बड़ा दुःख है कि इस तरह से कहते हैं कि एक हाथ से लिख कर दे दिया है। एक हाथ से आर्डर शीट पर दिन लिख दिये हैं। लेकिन बोलते समय श्रीमान भैरोंसिहजी साहब इस बात को चबा गये। उन्होंने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि डाक्यूमेन्ट्स में यह लिखा हुआ था और जो आडरशीट है वह अलग अलग तारीखों की है। लेकिन उन्होंने यह कोशिश उस बात को देखने की की है कि एक नई मिसल बनाई गई है। मिसल में आल्टरेशन्स, अमेंडमेंट्स और एडीशन्स कर दिये हैं, लेकिन कहने से पहले आपने फाइल देखी या नहीं और उन तारीखों का क्या हुआ यह बात नहीं करते हुए उन्होंने इस बात को जोड़ दिया।

फिर आप कहते हैं कि एस. डी. ओ. पर प्रभाव डाल सकते थे। तो मैं आप से दो बातें पूछ लेना चाहता हूं। एक बात यह बतला दूं कि आपके सामने कोई बयान है कि जगन्नाथ यह कहता है कि मेरी जमीन थी। लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि वह एक बड़ा पटेल है गांव का और उसके पास 250-300 बीघा जमीन है। वह बात नहीं थी, और यह बात है नहीं सत्य, लेकिन उन्होंने इधर की बात श्रीमती जैक्ब की बात पर इसका असर डाला गया। यह सारी बात बेबुनियाद साबित हुई.........

श्री रामानन्द अग्रवाल : ओन ए पाइंट आफ प्रिविलेज, सर, उपाध्यक्ष महोदय, दर्शक गैलेरी में माननीय सदस्यों की शिकायत है कि यहां पर जो सी. आई. डी. के लोग हैं वे कुर्सियों पर बैठे रहते हैं और दर्शक लोग खड़े रहते हैं। इससे झगड़ा होता है।

दूसरा, जो हम लोगों से मिलने के लिए आते हैं जिनको फाइल वगैरह अन्दर नहीं लाने दी जाय वह बात तो समझ में आती है, लेकिन फाइलें उनसे बाहर ही रखवा ली जाती हैं तो कुछ फाइलें हमें दिखाने की होती हैं और अन्य मंत्रियों से मिलना होता है तो वह कैसे उनको फाइलें दिखायेंगे। यह नियमों में कहां है। यहां सदन के बाहर तक तो फाइलें आती रही हैं और बाहर फाइलें रखा ली जाती हैं और फिर मिलने जाते हैं। कल भी शिकायत थी कुछ लोगों की। मैं निवेदन करूंगा कि इस चीज को रोका जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : यहां पर कोई अभी ऐसा निर्णय नहीं दिया जा सकता है। यह विधान सभा के सेक्रेटेरियेट से सम्बन्धित है। कृपया आप अध्यक्ष महोदय से जो कि अभी अपने चेम्बर में हैं उनसे बात कर लें ताकि वे इसकी व्यवस्था बिठा दें।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने जो पाइंट आफ डिक्लेरेशन पहले उठाया था इससे आपको स्पष्ट मालूम हुआ होगा कि कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे सरकार को घाटा हुआ हो, या सरकार की जमीन पर अतिक्रमण किया गया हो, या सरकार की जमीन को दबा लिया गया हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी 232 दफा के अन्दर कलेक्टर कोटा उसकी जांच कर रहे हैं। उसके बाबत में सोच रहे हैं। और इसलिये आपके माननीय अध्यक्ष ने यह भी फैसला दिया था कि इस पर ज्यादा चर्चा उन बातों पर नहीं की जाय जिससे कि वे प्रभावित हों। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि आज भी यह ऐसा मामला है जिस मामले पर आपने अपील नहीं की है। आप बड़े हिमायती हैं जगन्नाथ के, उसके बड़े हिमायती बनते थे तो आज तक मैं समझता हूं कि सवा या डेढ़ साल पहले फैसला हो चुका है, जजमेंट हो चुका है और जजमेंट के बाद कोई अपील नहीं की, कोई रिवीजन नहीं किया, और आज भी यह बात खुली है कि किस बात के लिए आप कहना चाहते हैं। मुझे आपने जो बयान दिया, आपने जो यहां पर वक्तव्य दिया मालूम नहीं हुआ कि सरकार को किस तरह से उस जमीन के बाबत में घाटा हुआ है, या नुकसान हुआ? एक भी आपने पार्ट आफ एवीडेन्स पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो जाय कि सरकार को श्रीमती रक्षा देवी के जमीन खरीदने से यह नुकसान हुआ, यह लॉस हुआ, यह बात कतई साबित नहीं हुई। आप खुद यह मानते हैं कि आज भी वह बराबर लगान अदा किये जा रहे हैं।

दूसरा पाइंट जो आपने पेट्रोल पम्प का लिया उसके लिए मैंने कल भी अर्ज किया था नम्रता के साथ और आज भी करता हूं कि ऐसे मामलों में बड़ी छानबीन करनी थी। आगे मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं भू-प्रबन्ध, सैटलमेंट विभाग ने कोई परचा सुगनचन्द, भगवान सहाय, मदनलाल और प्रेमनारायण के नाम का दिया या नहीं, और वह परचा कब दिया गया? जब सेटलमेंट विभाग ने एक परचा सुगनचन्द, भगवान सहाय, मदनलाल और प्रेमनारायण

(श्री मूलचन्द डागा)

के नाम का 7-1-57 को दिया और उस परचे में यह लिखा हुआ है कि जो परचा लिया गया है वह खसरा नम्बर 48 आबादी का है और उसका रकबा पौन बीघा एक बिस्वा यानी 16 बिस्वा की जमीन है। जिस जमीन के इर्द-गिर्द कम्पाउन्ड वाल पक्की खड़ी थी, जहां पर मकानात थे और उन मकानात की वह जमीन है और आबादी की जमीन थी, और उसका ट्रान्सफर हुआ, उसका सेल हुआ है और सेल करने वाले पूरणचन्द भगवान सहाय, मदनलाल और प्रेमनारायण हैं। यह सरकार की जमीन थी तो माननीय भैरोंसिंहजी साहब, सरकार की जमीन को अवाप्त करने का प्रश्न कहां से पैदा होता है। सरकार की जमीन आप क्यों अवाप्त करते, लेकिन जब चीज यह है कि जमीन उनकी थी और 57 के अन्दर यह परचा मिला है और 59-60 के अन्दर यह जमीन खरीदी गई है, तो मैं, माननीय उपाध्यक्ष, एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या उस समय माननीय बृजसुन्दरजी साहब कोई मंत्री थे या एम.एल. ए. थे ? आप इस बात को कहना चाहते हैं कि उस समय माननीय बृजसुन्दरजी साहब न तो मंत्री थे और न एम. एल. ए. थे। वे एक साधारण नागरिक थे और उस नागरिक ने एक जमीन..........

श्री रामसिंह कुड़ी : भूतपूर्व मंत्री थे।

श्री मूलचन्द डागा : भूतपूर्व होंगे। आप प्रस्ताव को देखिये। जो आपने प्रस्ताव रखा है उसको देखिये। (श्री कुड़ी से) आप इतने माहिर नहीं हुए हैं जितने कि भैरोंसिहजी। वे राइट को रोंग बनाना जानते हैं। आप बोलते हैं तो बीच में फंस जायेंगे। वे भी फंस गये हैं।

भैरोंसिंहजी साहब ने यह बात रखी कि बड़ा जुल्म हो गया पैट्रोल पम्प बनाया गया। किसकी जमीन पर बनाया गया। आप खोज करने की कृपा करें नहीं, और सदन में प्रस्ताव ले आये। बात यह है कि एक बड़ा प्रश्न है। हम लोगों की जो राजनीति होती है यह एक नहीं होती है। जो बड़े होते हैं, वह चिन्ता नहीं करते हैं। वह आवेश में आकर जो बात कहते हैं। क्योंकि उसके पीछे पार्टी लगी होती है। अगर भैरोंसिंहजी अकेले यह सोचते तो नहीं कहते। लेकिन उनके पीछे पार्टी है। उनके पीछे जो उद्देश्य है। नेता होने के नाते कुछ किया जाये। कैसे जल्दी से जल्दी अखबारों में नाम आयेगा। लेकिन शिष्टता और शराफत यह नहीं है। क्या यही शिष्टता का तरीका है ? जो इस प्रकार आप बिना सोचे समझे वकील को पेश करें। उन्होंने आवेश में कहला दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि यह जो जमीन खरीदी गई इसके बाद कलेक्टर ने आर्डर दिया कलेक्टर ने आर्डर दिया 16 जनवरी, 62 को। वह यह है:—

"No Objection Certificate

M/s. Caltex (India) Ltd. Delhi have applied for installing a Caltex petrol service station on Kota Jhalawar Road opposite Aerodrome as per drawing No. .... dated 22nd August, 1960.

There is no objection to the said installation subject to the condition that the filling station and the connected structures would be constructed on the Abadi land and no encroachment is made within the road boundary.

16th January, 1962. District Collector, Kota."

Nos. 171 to 172 & 180, 188.

(श्री मूलचन्द डागा)

यह कलेक्टर ने आर्डर दिया। और नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया। तो आपने कहा है कि कृषि मंडी ने नो आब्जेक्शन किया है। मैं समझता हूं कि कोटा के अन्दर थोड़े बहुत वर्कर्स जिन्दा रखने के लिए यह जरूरी है कि अखबारों में नाम आयेगा तो आयेगा तो यह तो कहेंगे, देखो बृजसुन्दर जी ने यह कर दिया है। लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं है कि कृषि मंडी ने 14-15 अक्टूबर को यह निर्णय लिया है। उसने निर्णय लिया कि हमें स्थान की जरूरत नहीं है। पैट्रोल पम्प जिस जगह बना उस जगह के लिए उसने यह निर्णय लिया। वह ठीक लिया गया है।

अब सवाल आता है, श्रीमती रक्षा देवी ने जमीन खरीदी। खातेदारी की जमीन है। कृषि मंडी ने इजाजत दी है। लेकिन रोका नहीं है। रोका तो यहां पर है। 8 साल तक आप कहां थे। आखिर में कुछ तो समय होता है। 8 साल के बाद नींद से जागे। अब क्या होना चाहिये। तब एक अटेंशन मोशन लायें। मेरे खयाल से आप ने पैट्रोल पम्प की बात कही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि एक बात बारबार कही है। जो भी इस मोशन में आया, उन तथ्यों की जांच होनी चाहिए। आप एक हलफ नामा ले आयें। एक जमीन वहां पर नीलाम हुई है। परिणाम यह हुआ न उनके कब्जे में है न उनके भाई ने खरीदी है। न बेटे ने खरीदी है। यह कह दो मन्त्रियों के बेटे हो वह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। हाथ पैर नहीं हिलायें। घर पर बैठे रहें। उन्होंने यह एलीगेशन दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: सारे एलीगेशन का जवाब देना है?

श्री मूलचन्द डागा: मैं तो उपाध्यक्ष महोदय, कल ही बोल रहा था। आप चुप थे। मैं समझ गया, कोई न कोई गड़बड़ है। वकील आप थे। क्यों? कुछ तो होना चाहिए। हवा बांधनी चाहिए। हवा बांध नहीं सकते हैं। गलत चीजों के आधार पर कैसे हवा बांधेंगे। आपका नाम ले लिया तो आप बराबर खड़े नहीं हो। अब मैं आप को दूसरी बात बताना चाहता हूं। आप कहते हैं कि डेढ़ बीघा जमीन खरीद ली। वह जमीन की बात बड़े जोर से कही। मैं आप को यह हद्दद बताता हूं कि उस हद्दद के पास जमीन है या नहीं। आप देखेंगे तो मालूम होगा उसके बिल्कुल लगे हुए जमीन है, उसमें पानी आता है। रकम देकर जो कोई भी खरीद की गई है कानून उसको अधिकार देता है। वह हद्दद में आप के सामने बतलाना चाहता हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य: कांग्रेस राज है। कानून का राज नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा: कांग्रेस राज कानून पर चलता है। इसलिए खुली इजाजत है। हाई कोर्ट, सुप्रिम कोर्ट, रेवेन्यू बोर्ड कहीं भी जाओ। एक बात है कांग्रेस में ताकत है कि ऐसा मोशन भी स्वीकार कर लिया जाता है। और असेम्बली में बहस करने के लिए तैयार है।

श्री विजयसिंह: ताकत के बल पर ही तो नाथूराम ने गड़बड़ियां की हैं।

श्री मूलचन्द डागा: हम यह बात नहीं करते हैं। मैं तो कह रहा था पूर्व में खसरा

Page No 128

(श्री मूलचन्द डागा)

नं. 36 । पश्चिम में पानी की धारा, बून्दी जिले की सरहद । उसके बिलकुल पास में जमीन आयी हुई है । यह आप की है । तो मुझे यह नहीं मालूम हुआ है कि यह जमीन, स्ट्रिप आफ लैंड जो ली गई है, किस प्रकार से आपको घाटा हुआ है ? फिर आपने एक प्वाइंट उठाया है वह उठाया है कोल्ड स्टोरेज का । कोल्ड स्टोरेज का हुआ तो शिलान्यास था आप कहेंगे कि उद्घाटन हुआ था । यह फर्क आप समझ सकते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने मैं यह कहना चाहूंगा कि शिलान्यास कब होता है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : हत्या नाश इसी प्रकार के कार्यों से होता है ।

श्री मूलचन्द डागा : कोई मन्त्री शिलान्यास करने गया तो···

श्री ... : शिला न्यास करने के लिए मन्त्री जाये ? पैट्रोल पम्प का क्या···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कल को कहें कि पाखाना बनाया है, इसका शिलान्यास कराना चाहते हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : आपको कोई न बुलाये, लेकिन मंत्री महोदय से शिलान्यास कराते हैं क्योंकि वह सोचते हैं, शुभ काम के लिए शुभ व्यक्ति हो···

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : इनकी फीस शिलान्यास की···

श्री मूलचन्द डागा : क्योंकि वह सोचते हैं कि अच्छा काम अच्छे व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए···

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : आपका मकान का शिलान्यास कराया क्या ?

श्री मूलचन्द डागा : मैंने मेरा मकान बनाया नहीं है, मैं क्या शिलान्यास कराऊं ।

मोहीपुरा में जमीन नीलाम हुई । पहले तो मेहरबानी करके इसको आप देख लें कि वह जमीन जब नीलाम हुई तो इश्तिहार नीलामी का साया हुआ या नहीं ? इस पर आप चुप रहे । आपने एक बात यह नहीं कही । इस बात का तो उत्तर सरकार देगी कि इश्तिहार नीलाम जो जारी होना चाहिये या वह हुआ या नहीं ? अगर यह कान्ती-कुअस है प्लाट मोहीपुरा के लिए गवर्नमेंट का नोटिस साया हो गया है अगर वहां पर कोई बृज सुन्दर शर्मा के रिश्तेदार जमीन खरीदना चाहते हैं, और वह जमीन क्या है, कोई जाकर देखे, बिलकुल खराब जमीन है, खड्डे हैं, उस जमीन की कीमत सरकारी पैंतीस रुपया है और उन्होंने सत्तर रुपये प्रति बीघा के हिसाब से खरीद की है लेकिन आज भी वह जमीन है उसके बाबत में रोक है, उसके बाबत में फैसला नहीं हुआ है, न तो वह जमीन बृज सुन्दर शर्मा के रिश्ते-दारों के कब्जे में है और न उनके पास है ।

श्री ...सिंह : लट्ठ के बल पर लैण्ड ली है कानूनन कब्जे में नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा : लट्ठ के बल पर ले लेते हैं तो कानून पीछे पड़ जाता है, कानून बहुत बड़ी चीज है ।

(श्री मूलचन्द डागा)

इसी प्रकार आपने फिर बताया कि कांग्रेस के काम करने वाले हैं, उनको जमीन दे दी, उनके भाई हैं उनको जमीन दे दी, उनके जो कर्मठ कार्य कर्ता थे उनको जमीन दे दी, लेकिन उनकी बाबत वह चुप रहे, उन्होंने कोई डाक्यूमेन्ट्री एवीडेंस हाउस के सामने पेश नहीं की और न यह बताया कि माननीय बृज सुन्दरजी से सरकार को किस प्रकार से लॉस हुआ है, किस प्रकार से आर्थिक हानि हुई-यह बात उन्होंने नहीं बताई हैं। तो मैं बार 2 यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ आपने पाइन्ट उठाये थे, जो सैंसर मोशन आपने हाउस में पेश किया है, मैं उसका कड़ी से कड़ी जबान में विरोध करता हूं, इस प्रकार के आरोप लगाना, यह बिल्कुल मानवीय उदार भावनाओं की अवहेलना करता है। मैं आपसे यह अपेक्षा नहीं करता कि इस प्रकार से एक माननीय विधायक के ऊपर दोषारोपण करें, जिनमें कोई तथ्य नहीं हो, जिनमें कोई सार नहीं हो, जिनमें कोई बात नहीं हो—इसलिए मैं एक बात और कहता हूं, सही कहता हूं कि हमें इस प्रस्ताव का सशक्त ढंग से विरोध करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री नाहर !

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय·········

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाहर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं।

श्री जसवन्त सिंह नाहर : रामानन्द साहब को पहले कहने दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात सदन के नोटिस में लाना चाहता हूं। अभी मुझे सूचना मिली है कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बहुत बड़ी तादाद में आये हैं क्योंकि पुलिस ने बहुत बुरी तरह से स्टूडेंट्स को मारा है, इसलिये स्टूडेंट्स बहुत विक्षुब्ध होकर यहां जमा हुए हैं। हाउस में हमें सारे तथ्यों का पता नहीं है। माननीय वाइस चान्सलर, यहां पर सुना है, आये हुए हैं। इसलिये हम चाहेंगे कि शिक्षा मंत्रीजी, जो अभी घटना हुई है उसके बारे में इस हाउस को अवगत करायें ताकि हम जो इस बात से चिन्तित हैं, हमें उनसे पूरी जानकारी मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाहर।

श्री जसवन्त सिंह नाहर : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री श्री बृजसुन्दर जी शर्मा के खिलाफ माननीय श्री भैरोंसिह और कृष्ण कुमार जी ने जो कुछ निन्दा का प्रस्ताव रखा है और वह निन्दा का प्रस्ताव हमारे सामने आया है, वह मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत कर देना चाहता हूं।

सदन की यह राय है कि राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री बृजसुन्दर शर्मा ने मंत्री पद का दुरुपयोग कर अपनी पत्नी, अपने पुत्र, रिश्तेदारों तथा मित्रों के नाम अनुचित प्रकार से सम्पत्ति अर्जित कर तथा सरकार को घाटा पहुंचा कर एक निन्दनीय कार्य किया है·········

मैं एक निवदन करना चाहता हूं, इसमें दो बातें प्रमुख हैं—पहला काम यह है कि श्री बृजसुन्दरजी ने अपने मंत्री पद का दुरुपयोग किया और दूसरा यह है कि इस राज्य सरकार

(श्री जसवन्तसिंह नाहर)

को घाटा पहुंचा है। अब मैं इसके साथ जो 23-7-69 को कुछ अभियोग माननीय श्री भैरोंसिंह जी और कृष्ण कुमार जी ने पेश किये हैं, उनकी लम्बी धाराओं को तो मैं इसलिये नहीं पढ़ना चाहूंगा क्योंकि वह इतनी लम्बी है जिसको पढ़ कर मैं सदन का समय बरबाद करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस सारे को पढ़ने के बाद अगर सदन इस राय पर पहुंचे कि माननीय मंत्री महोदय ने अपने पद का कहीं दुरुपयोग किया है, या राज्य को उनके इस दुरुपयोग के कारण कोई नुकसान पहुंचा है, तो मैं दो बातें निवेदन करूंगा कि वास्तव में क्या इस तरह की कोई जांच, इस तरह की कोई बात की जाय ?' लेकिन अगर कहीं इसमें अंश मात्र भी सत्य नहीं है, जो कुछ रखा गया है वह बिल्कुल निराधार और असत्य है तो मैं सदन में निवेदन करूंगा, वैसे मैं इन तथ्यों पर विचार करके पुनः निवेदन कर देना चाहूंगा, लेकिन अभी मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि जब इस प्रकार के तथ्य सदन के सामने आयें तो माननीय सदस्य जिम्मेदारी को अनुभव कर और यह मान लें कि सदन के प्रिविलेजेज के आधार पर किसी माननीय सदस्य के प्रति अपमानजनक बात तो सदन के सामने नहीं रख रहे हैं। इसलिये इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में इस प्रकार की बात कहें और सदन में इस प्रकार के प्रस्ताव आयें, जब कि वह यह देखें कि इसमें कुछ तथ्य मिलते हैं। अब मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि जब इस सदन में एक प्रस्ताव आया था तो आपको तथा सदन के सामने कुछ बात मैंने कही थी और निवेदन किया था, इसको यद्यपि माननीय अध्यक्ष महोदय ने एडमीसिबल करार दे दिया है, लेकिन धारा 125 के तहत मैंने निवेदन किया था कि कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनके आधार पर इस सदन के समक्ष इसे प्रस्तुत करने पर माननीय अध्यक्ष महोदय को अपनी राय बदलने की आवश्यकता पड़े। एक ओरिजनल क्वेश्चन मैंने रखा था, धारा 125 के तहत मैंने एक ओरिजिनल क्वेश्चन को रेफर भी किया था और मैंने जब कल यह प्रश्न आया था तब सब जुडिस के प्रश्न को लेकर इस तरह की कई बातें आई। तो यह सदन अध्यक्ष महोदय से एडमीसिबिलिटी के संबंध में निवेदन कर सकता है, और मुझे यह खुशी है, इसके संबंध में अध्यक्ष महोदय ने अपनी राय बदली और एक सीमा में इस प्रश्न के सब जुडिस प्रश्न को सदन के समक्ष विवाद में रखने का आदेश प्रचलित हुआ। अब इसके बाद मैं दूसरी बात निवेदन कर देना चाहता हूं, जो यह आरोप 23-7-69 को अध्यक्ष महोदय को दिया गया था, इसमें बड़ी खूबसूरती के साथ कई बातों को इस ढंग से छिपाया गया कि यह ऐसा मालूम पड़े कि हमारे यहां पर जो मोशन के नियम हैं, उनके अन्दर यह आ सके। मैं पहले प्रश्न को फिलहाल छोड़ता हूं। मैं पेट्रोल पम्प के प्रश्न को ले लेता हूं। पेट्रोल पम्प लगाया गया, रक्षा देवी के नाम पर लगाया गया। लेकिन इसकी तारीख कहीं नहीं दी है। इसलिये नहीं दी गई है, यह मैं सदन के सामने रख देना चाहता हूं, जिससे यह मालूम पड़े यह सारा सीक्वेन्स 67 का है, सीक्वेन्स 68 का है, 68 में पेट्रोल पम्प लगा है—और यह रीसेन्ट आकरेन्स होकर इन धाराओं में आ जाय और उसके आधार पर आरोप माननीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ लगाया जा सके। अब यह सदन के

(श्री जसवन्तसिंह नाहर)
सामने आया, तो जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने सदन के सामने यह प्रश्न प्रस्तुत किया कि 1961 में यह पेट्रोल पम्प लग चुका था, तब यह कैसे रीसेन्ट आकरेन्स हो सकता है। 1967 का हो, 1966 का हो, लेकिन यह तो इससे पूर्व 1961 में, जो 1962 में असेम्बली आई उससे पूर्व का है और ऐसे आकरेन्स को सदन के सामने रखना, मैं यह समझता हूं कि माननीय सदस्य, जिन्होंने आरोप लगाया है, उन्होंने इस सदन की गरिमा और इस सदन के प्रिविलेजेज पर एक आक्रमण किया है। मैं इसके आगे एक निवेदन और कर देना चाहता हूं। श्री बृजसुन्दर शर्मा 1961 में मंत्री तो क्या विधायक भी नहीं थे, यह कहा गया कि भूतपूर्व तो हो सकते हैं, तो मैं भूतपूर्व होने से इन्कार नहीं करता, वह कांग्रेसी थे, इससे भी मैं इन्कार नहीं कर सकता, वह एडवोकेट थे, इससे भी मैं इन्कार नहीं करता लेकिन जो मोशन सदन के सामने विवाद के लिये प्रस्तुत हुआ है वह केवल यह है कि उन्होंने मंत्री पद का दुरुपयोग किया है 1961 में तो वह मंत्री ही नहीं थे। इसलिये यह चार्ज अपने आप गिर जाता है न वह मंत्री थे न मंत्री के पद का दुरुपयोग किया, न यह रीसेंट आकरेंस का था। उसके बाद में बड़ा चार्ज है 20-22 मुद्दों का, जो माननीय सदस्य ने सदन के सामने प्रस्तुत किया है। मैं इस संबंध में कुछ तथ्य सदन के सामने रखना चाहता हूं। बड़ी खूबसूरती से माननीय सदस्य ने कल हमारे साथ में एक जादूयान खड़ा करने का प्रयत्न किया वह था कि 21-5-67 को यह बेचान नामा श्रीमती रक्षादेवी के पक्ष में लिखा गया। उसके बाद नई श्रृंखला दो अगस्त, 1966 से लगाकर जुलाई, 1967 तक। श्रीमती रक्षा देवी ने एक दावा पेश किया जगन्नाथ के खिलाफ अगर श्रीमती जैकब ने दावा पेश किया अपने अधिकार को लेकर जगन्नाथ के खिलाफ यह कहा गया कि जैसे कोई दुनियां में अनहोनी बात हो गई, जैकब के दावे को मंजूर किया। मैं उन तथ्यों में उलझना नहीं चाहता, उधर कई वकील बैठे हुए हैं। मैंने जब अपनी वकील के तौर पर जिंदगी प्रारंभ की थी तो एक गवाह को मेरा मवक्किल लेकर आया, 145 जाब्ता फौजदारी का केस था। मुझे आकर कहा कि यह गवाह अपने पक्ष में गवाही दे रहा है। न्यायालय में जब गवाह खड़ा हुआ और मैंने पूछा जायदाद पर कब्जा किसका था। कहने लगा गंगाजी की कसम फलां आदमी का कब्जा था, मेरी आत्मा झूठी गवाही नहीं देगी। मैं यह नहीं कहता कि जगन्नाथ कोई धर्मात्मा होगा या महात्मा होगा लेकिन यह तथ्य है। जगन्नाथ के खिलाफ श्रीमती जैकब ने दावा किया जगन्नाथ विना सम्मन के आ गया, उसने एडमिट कर लिया 21-6-67 को बेचाननामा हुआ। उससे 10 महीने पहले अगस्त 1966 में बृजसुन्दर शर्मा के दिमाग में भूत पैदा होगा कि वह शिक्षा मंत्री थे और शिक्षा मंत्री होने के नाते न मिनिस्टर मिला, न मित्र मिला न कांग्रेसी भाई, न बूंदी में रहने वाला कोई विश्वास करने वाला मिला, तो एक महिला इन्सपेक्टर श्रीमती जैकब, क्योंकि वह शिक्षा मंत्री थे, उनका प्रभाव था इसलिये श्रीमती जैकब पर प्रभाव डाला कि जगन्नाथ पर दावा करो और क्योंकि जगन्नाथ अनुसूचित जाति का था, दावा एडमिट कर लिया। इस पेटीशन में इस विधान सभा को कहीं का रेफरेन्स नहीं कि बृजसुन्दरजी

(श्री जसवन्तसिंह नाहर)

शर्मा ने अगस्त, 1966 में कहीं अपने प्रभाव का उपयोग किया हो कहीं उन्होंने जैकब से कहा हो कि जगन्नाथ पर दावा करो और अनुसूचित जाति का वेष हटा दो। दावा क्यों हुआ इसमें बृजसुन्दर शर्मा का कहां प्रभाव पड़ा, उन्होंने मंत्री पद का क्यों उपयोग किया, केवल जबान से यह बात कही है और बहुत सुन्दर बात की है कि शिक्षा मंत्री कोटा और बूंदी में कई महिलायें टीचर्स होंगी, कई इन्सपेक्टर्स होंगे, डिप्टी डाइरेक्टर्स होंगे, स्कूल टीचर्स होंगे, शिक्षा विभाग के क्लर्क होंगे, सबको बुला लिया और उसने इस पेटीशन में बिल्कुल कहीं संबंध नहीं रखा। उन्होंने सोचा जहां कहीं मिल जाय सीधा पक्ष का संबंध हो या असंबंध हो, कहीं पकड़ को मिल जाय तो यह पकड़ लिया जो रिलेवेन्ट नहीं था कि बृजसुन्दर शर्मा और जैकब शिक्षा विभाग में साथ साथ थे। दुनियां का कोई कानून गवारा नहीं करेगा कि कहीं संबंध बैठता हो, कहीं रिलेवेन्ट माना गया हो कि शिक्षा मंत्री बृजसुन्दर शर्मा और जैकब शिक्षा विभाग में कर्मचारी, इसलिये असर पड़ा होगा। इसकी कल्पना की जाय। अगर कल्पना में विश्वास हों, कानून कहीं परमिट करता हो, इस तरह से असंबंधित बातें बैठती हों तो देखिए।

अब बात आती है सेल डीड की कि 21-5- को दिया गया। एप्लीकेशन कोटा में दी गई है, उसके बाद की तारीख है 17-6-67। मैंने ओरिजिनल कापी देखी है और माननीय सदस्य मानेंगे कि 21-5 को पता नहीं उस तारीख को वह स्वयं थे या नहीं। आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 20-5- को शनिवार का दिन था, छुट्टी थी। मैं कहता हूं कि सब जानते हैं कि स्टाम्प वेन्डर से छुट्टी के दिन स्टाम्प लेना बहुत बड़े प्रमुख का काम नहीं है। वकील आप भी हैं और हम भी हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि स्टाम्प मंगा लेते हैं। अगर उसके द्वारा कहीं मंत्री का प्रभाव पड़ा कि स्टाम्प आ गया।

दूसरा सरकट हाउस में रजिस्ट्री हुई 15 दिन के बाद रजिस्ट्री कहीं कर ली। कमीशन पर भी रजिस्ट्रेशन होता है। रहा सवाल सब रजिस्ट्रार का। वह कहते हैं कि मेरे सामने 50) दिए। माननीय सदस्य कहते हैं कि तहसीलदार पर भी प्रभाव पड़ा और दुर्भाग्य से मुख्यमंत्री ने, जब दावा खतम होने की नौबत आ गई तो मुख्यमंत्री ने उनको रेवेन्यू मिनिस्टर बना दिया। एक एस. डी. ओ. पर शिक्षा मंत्री प्रभाव नहीं पैदा कर सकता था तो मुख्य मंत्री ने उनको बना दिया रेवेन्यू मिनिस्टर। तब मुझे सोचने का अवसर मिलता है कि ये सब चीजें एक जायदाद आखिर 25 बीघा जमीन है क्या? कोई सोचे कि अगर हीरे मोतियों से जड़ी हुई हो या कोटा बूंदी के पास कहीं मिलती नहीं। केवल मिलती है अनुसूचित जाति जगन्नाथ को। पेशियों के पास एक रिसीट तैयार की गई श्रीमती जैकब के पक्ष में और एस. डी. ओ. पर प्रभाव डाला कि तू भी आकर मेरे पास बैठ, यह मंत्री का प्रभाव नहीं है। मैं मानता हूं कि प्रभाव ऐसे हैं जो जनसाधारण के दिमाग में होता है लेकिन पता नहीं क्यों कल्पनाओं पर, असत्य बातें, कही गई हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि यह केवल एक बात को लेकर किया गया है कि इस मंत्री को बदनाम किया जाय। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं

(श्री जसवन्तसिंह नाहर)

उसी तथ्य को लेकर कि 21-5-67 को सेल डीड रजिस्टर हुआ। अपने एप्लीकेशन में लिखा है कि 15 पेशियां पड़ी उनमें कार्यवाही नहीं हुई और एक दिन में सारी कार्यवाही हुई। पेशियों की तारीखें बदलीं गयीं। पेशियां बढायीं गयीं। बृजसुन्दर जी शर्मा ने बढायीं एस. डी. ओ. को अपने प्रभाव में लेकर। उसको यह भुलावा दिया कि रिटायर हो रहे हो, कल नौकर बने रहोगे। इसलिये 21-5 के बाद श्रीमती रक्षा देवी के पक्ष में किया। रुपया पहुंच गया। भगवान वह जाने। भैरोंसिहजी साहब। रुपये इसमें देना लिखा है या नहीं वह जाने भगवान जाने। इन तथ्यों से स्पष्ट है रुपया पहुंचा है। स्टाम्प का खर्चा और रजिस्ट्रेशन का खर्चा लगा।

(3.40 प.म.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

17-6 की पेशी पडी। 27 दिन के बाद। 27 दिन तक रुपया देने वाला पर्चेजर जो राजस्थान के भूतपूर्व रेवेन्यू मिनस्टिर की पत्नी है जिसका एस.डी. ओ. पर कमाल हासिल है, वह जो चाहे सो उससे करा दे, 27 दिन की पेशी। उसी दिन रक्षा देवी मालिक हो गयी। 27 दिन की पेशी एक दिन में करा ली। यह विरोधाभास कहां बैठेगा आप जानें। और इन बातों की कहीं रिलेवेन्सी नहीं है। इस एप्लीकेशन में एक शब्द में कहा गया है। 17-5 को अगर कोई असर डाला गया तो बृजसुन्दर की ऑनरशिप हुई श्रीमती के द्वारा 21 मार्च को। उसके बाद घटनायें आगे पीछे चलीं। एक घटना है दोनों की। उसमें एक ही चीज है रक्षा देवी की और श्रीमती जैकब जो एजूकेशन डिपार्टमेन्ट की है उसकी। कोई तथ्य नहीं है इस केस में। इसके अलावा सबूत में कौन होगा? और कोई नहीं मिल सकेगा। चार्जेज में तो यह है कि उनके मित्र हैं? कांग्रेस कार्यकर्ता भी हैं। सत्ता का दुरुपयोग किया है। और कोई नहीं मिला। केवल एक जवाब मिला। 21-5 से पहले की यह घटना है। 21-5 के बाद का यह जजमेन्ट है। 17-6 को जजमेन्ट दिया। तामील हो गयी। तामील होगयी तो अन्याय हो गया। वकील महोदय और यहां बैठे हैं वे सब जानते हैं। कुछ मुकदमों में जल्दी भी हो जाती है। लेकिन जल्दी और देरी के कारण माननीय मंत्री महोदय ने कोई प्रलोभन दे दिया होगा एस.डी.ओ. को यह मेरे दिमाग में नहीं आता। जांच किस चीज की हुई? जो कुछ इस सारेमें कहा गया है वह बड़गाव की 25 बीघा जमीन को लेकर कहा गया है। लम्बी दुआयें दी हैं। 225 के तहत वह पेन्डिंग है. जो तथ्य आपने सामने रखे हैं, जो कानून अवस्थायें सदन के सामने आपने प्रस्तुत की हैं वे दो हैं। अनसूचित जाति की 25 बीघा जमीन जिसको फर्जी रूप से जैकब की बनायी, दूसरी चम्बल प्राजेक्ट कमान्ड एरिया में आती है। टिनेन्सी एक्ट सब जानते हैं और उसमें ट्रान्सफरेबल नहीं है। यह फैक्ट्स आपने दिये. 232 के तहत कलेक्टर निर्णय करेगा। इससे क्या मिला। ये चीजें श्रीमती रक्षा देवी को मिलीं, उससे सरकार को क्या नुकसान हुआ? न तो इनको कुछ मिला और न सरकार का नुकसान हुआ। अवस्था यह हुई कि ट्रान्सफरेबल नहीं है तो वह हकूक मिले जो सेलर के पास थे। सेलर के पास हकूक नहीं है तो सेल डीड है वह अधूरा है। इसमें दो शब्द हैं। एक शब्द है मंत्री पद का दुरुपयोग और दूसरा शब्द है राज्य सरकार को

(श्री जसवन्तसिंह नाहर)

हानि। दूसरे पक्ष को लेकर इतना ही अर्ज कर देना चाहता हूं कि राज्य पक्ष को हानि होने वाली नहीं है। जजमेन्ट क्या होगा मैं उस पर नहीं जाना चाहता यह एप्लीकेशन इर्रिलीवेन्ट है। एक शब्द नहीं कहा है दावा होने का। जैकब को कहा कि दावा कर दे एक शब्द नहीं कहा है। एविडेन्स एक्ट है मेरे पास में उसको पढ कर सदन का समय बरबाद नहीं करना चाहता। एविडेन्स होगी सदन के तीन व्यक्ति मुकर्रर करेंगे वह भी करेंगे, वह भी इन बातों से पाबन्द होंगे और कलेक्टर भी 232 में कार्यवाही करेगा वह भी उसे पाबन्द होगा। इसलिये हम पहले सब कर्तव्य का पालन करना सीख लें किसी सदस्य

(3.46 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

का तो आप अपमान नहीं कर रहे हैं। बहुत इज्जी नहीं है। दूसरे पर कीचड उछालना चाहें तो वह आसान है लेकिन कहीं हमारे माथे के ऊपर वह आकर न पड़े। यह तथ्य सामने आये हैं, आगे के तथ्य ऐसे हैं जिनको बृजसुन्दर जी ने इन्कार किया है जवाब में और वे तथ्य ऐसे हैं, आपने एक जादू पैदा करने की कोशिश की, तिल का ताड़ बनाने की कोशिश की, कोशिश की कि बाल का खाल निकाल दें, न तो बाल की खाल निकली और न ही तिल का ताड़ बना। न हथेली पर आम को देखा है। इसलिये यह मोशन आया है उसको सर्व सम्मति से खारिज करें। सब अपने कर्तव्य को पूरी तरह समझ लें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार के तथ्य इस प्रस्ताव में सदन के सामने रखे गये हैं मैं समझता हूं उनको दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है और न जिन कांग्रेस दल के दो माननीय सदस्यों ने इन तथ्यों के सम्बन्ध में शंका निराकरण की कोशिश की, मुझ जैसे आदमी पर उनका कोई असर नहीं पड़ता है कि वे शंकायें निर्मूल कर दी गई। यह प्रस्ताव जिस प्रकार का है इसमें सचाई कितनी है, किन हालात में किस प्रकार जमीन ली गयी, वह कानूनी थी या गैर कानूनी थी, उन सब विवादों पर यह सदन विचार करेगा तो मैं समझता हूं फैसला नहीं हो सकेगा। यह कानून अदालत नहीं है कि धाराओं को पढ कर बचाने या फंसाने की कोशिश की जाय दर असल प्रश्न सदन के सामने यह है कि इस प्रकार के प्रस्ताव पर एक कमेटी गठित की जाय या नहीं। यह तथ्य जो सामने आये हैं उनको स्वीकार करने में हिचक नहीं है इस प्रकार की कमेटी गठित की जानी चाहिये। यदि केवल बृजसुन्दरजी का सवाल हो तो और तरीके से सोचा जा सकता था, या किसी माननीय सदस्य का सवाल होता तो और तरीके से सोचा जा सकता था लेकिन हिन्दुस्तान में जो यह आम चर्चा का विषय बन गया है कि जो सरकार में बैठे हैं या प्रतिष्ठा में हैं, चाहे गैर सरकारी हों या सरकार में हों, वे अनुचित लाभ उठाते हैं इस प्रकार की धारणा प्रदेश में फैलने दी गयी तो लोकतंत्र को नुक्सान होगा। जब भी आरोपों में प्रमाणिकता होती है तो उस मामले की जांच की जानी चाहिये और जांच के बाद जन मानस में जो शंका फैलती है उसका निराकरण होना चाहिये। अगर यह नहीं करते हैं तो इससे प्रत्येक सदस्य पर जनता यह आरोप लगायेगी कि भ्रष्टाचार के मामले में जब सरकारी कर्मचारियों पर आरोप लगाते हैं तो जांच करा दी जाती है और जब राजनीतिज्ञों, राजपुरुषों, विधान

(श्री रामकिशन)

सभा के सदस्यों मन्त्रियों पर इस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं तो यह सदन इस मामले में गोलमाल करता है। इसलिये मैं कांग्रेस के सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि वे कृपया करके, उनकी यदि लोकतंत्र को बचाने में आस्था है, तो जो यह प्रस्ताव है, उसको एकदम स्वीकार करें और तथ्यों को सदन के सामने आने दें।

उपाध्यक्ष महोदय, 32,33 आरोप हैं। ये आरोप, जिन माननीय सदस्य ने लगाये हैं, वे एक, दो घन्टे में प्रमाणित करने की स्थिति में नहीं हैं और जो जवाब दे रहे हैं वे दस, पन्द्रह मिनिट में भाषण देकर, कानून की दलीलों के आधार पर इस शंका का निराकरण नहीं कर सकते। इसलिये इसे प्रमाणित होने के लिये एक कमेटी फार्म कर दी जाय और वह कमेटी जांच करे। किसी अदालत में इसकी जांच होरही है, यह कहा गया है। लेकिन अगर यह यहां नहीं उठाया जाता तो अदालत की जांच से हम शंकाओं का निराकरण कर लेते। बृजसुन्दरजी का कानूनी पक्ष सही है लेकिन अखबारों में उनकी जो तस्वीर पेश की जारही है कि किस प्रकार से मन्त्री पद का दुरुपयोग करके जमीनों को उन्होंने हड़पा है। जंगलात की जमीन को, कोल्ड स्टोरेज की जमीन और श्रीमती जैकब की जमीन को इन्होंने हड़पा है। इन सारे मामलों को आप दवा देना चाहते हैं। हमारे मन की शंका तो दूर हो जायेगी लेकनि राजस्थान के दो करोड़ लोगों को, जो रोज अखबार पढते हैं, उनके लिये क्या जवाब देंगे? आखिर इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर हमसे पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? जो तथ्य आपके सामने रख दिये हैं उनको में दोहराना नहीं चहाता हूं मैं इस स्थिति में भी नहीं हूं लेकिन यह प्रस्ताव आपको, कांग्रेस दल के सदस्यों को स्वीकार कर लेना चाहिये जिससे कि सच्ची तस्वीर सामने आ जाय। अगर किसी ने चरित्र भंग करने की कोशिश की है तो उस सदस्य की तस्वीर भी जनता के सामने आ जायेगी और लोग अविश्वास करेंगे और आयन्दा लोग इस प्रकार के प्रस्ताव पर विश्वास नहीं करेंगे। इससे बृजसुन्दरजी का, इस सदन का और लोकतन्त्र का कल्याण होगा। इसलिये मैं कमेटी को बैठाने के लिये पुरजोर शब्दों के साथ सिफारिश करता हूं जो इसके कानूनी पक्ष पर बोल रहे हैं वे भी इसके नैतिक और लोकतंत्रीय पक्ष पर विचार करें।

दूसरी बात यह निवेदन करना है कि यह प्रस्ताव अचानक ही सदन के सामने नहीं आया है। पहले विधानसभाएं थीं, जब सत्र प्रारंभ हुआ उस समय इस प्रस्ताव की सदन को सूचना दी लेकिन विधान सभा की कार्यवाही अचानक ही स्थगित हो गयी। मुख्य मन्त्रीजी ने भी स्वीकार किया है कि भैरोंसिहजी ने पत्र लिखा है। मुख्य मन्त्रीजी ने इस शंका का निवारण क्यों नहीं किया यह मैं उनसे जानना चाहता हूं। कांग्रेस दल के नाहर साहब, डागा साहब ने जिस ढंग से सफाई दी वह ठीक है लेकिन क्या मुख्य मन्त्रीजी इसका जानकारी पहले से नहीं रखते थे। अगर वे चाहते तो भैरोंसिहजी को पत्र लिख कर शंकाओं का निराकण कर देते और इस सदन का समय बचाते लेकिन उनकी गफलत से जो शंका पैदा हो चुकी है, उनका अब कोई आधार नहीं होता। यह मेरी जानकारी है। मुख्य मंत्रीजी बच्चे

(श्री रामकिशन)

नहीं हैं, नासमझ भी नहीं हैं। मुख्य मन्त्रीजी को कानूनी सलाह देने वाले काफी लोग हैं। मुख्य मन्त्रीजी तो यह चाहते हैं कि किसी न किसी मन्त्री की हर सत्र में चर्चा हो जाय तो अच्छा हो। फिर वह मन्त्री स्वेच्छापूर्वक काम नहीं कर सकेगा और मुख्य मन्त्रीजी के जितने गैरकानूनी काम हैं उनका वह समर्थन करता जायेगा। मुख्य मन्त्रीजी इस समय सदन में नहीं हैं कहीं गायब हो गये हैं। एक वर्ष पहले, सवा वर्ष पहले जवाब दे सकते थे। आप, कांग्रेस के सदस्य कहते हैं कि सब गलत है। गलत काम नहीं किया है। न्यायसंगत और कानूनसंगत है। जो जमीन खरीदी है, उस पर उनको खातेदारी हक है। तो मेरा आरोप है कि मुख्य मन्त्रीजी पर कि उन्होंने इस मामले को जानबूझकर क्यों लटकाया है। पहले से ही हमारी शंकाओं का समाधान क्यों नहीं कर दिया। भैरोंसिंह जी ने पत्र लिखा उसके उत्तर में उनको एक चिट्ठी लिख देते तो उनकी शंका का निराकरण हो जाता। इस तरह से यह तर्कसंगत बात होती। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि मुख्य मंत्रीजी यह नहीं कर सकते थे क्योंकि इसी सदन में एक बार उन पर भी आरोप लगा है जिसकी उनको सफाई देनी है। सन् 65 में खुद मुख्य मन्त्रीजी के ऊपर आरोप लगा था औरों के लिये नहीं, बूंदी जिले के ग्राम रघुनाथपुरा में उन्होंने अपने रिश्तेदारों, साले के लड़के के नाम और साले की पत्नी के नाम जमीन अलाट करी थी साले के नाम

श्री उपाध्यक्ष: आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री रामकिशन: विषयान्तर नहीं हो रहा हूं। इसकी पृष्ठभूमि जो है, वह बताना चाहता हूं। क्यों यह प्रवृत्ति बढ़ रही है, यह बता रहा हूं इसलिये एक की जमीन नहीं तो, तीन की जमीन का इस कमेटी के जरिये हम जांच करवाना चाहते हैं। बृजसुन्दरजी की जांच, एम. एल. एज. जो आरोप लगाते हैं उसकी जांच होनी चाहिये। मैं मुख्यमन्त्रीजी को एक सीमा से ज्यादा ले जाना वाला नहीं हूं। इसलिये इस सदन से यह निवेदन मुझे करना है कि भैरोंसिंहजी तो चले गये हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता था उन्होंने मुख्य मन्त्रीजी को चिट्ठी लिखी मुख्य मंत्रीजी के 5 रिश्तेदारों को, जब वे राजस्व मन्त्री थे, बूंदी के रघुनाथपुरा ग्राम में 550 बीघा जमीन अलाट करादी। जब सवाल आया तो इस सदन में 65 में यह सवाल उठा था, 30 मार्च को मुख्य मन्त्रीजी ने घोषणा की कि जांच करा लेता हूं कि यह अलाटमेंट रेगूलर था या इरेगूलर था। मैं अधिक बोलना नहीं चाहता (घन्टी) लेकिन उन्होंने यहां श्री मधोक, रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर को इसके लिये, जांच के लिये नियुक्त किया था। मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें चार साल खतम हो गये, इस सदन में 30 मार्च को यह वायदा किया था कि तीन महीने के अन्दर वह रिपोर्ट आ जायगी कि अगर अलाटमेंट गलत है तो सदन को सूचना दे देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी इसलिये भयभीत हैं, कि अगर वे बृजसुन्दरजी के मामले को उठाते हैं तो बृजसुन्दरजी चेम्बर में आकर उनको कह सकते हैं कि आपने जो गड़बड़ की है, उसकी जांच रिपोर्ट कहां है? इसलिये मेरा इस सदन से, आप माननीय सदस्यों से, यह पुरजोर निवेदन है कि इस प्रकार की शंकाओं का निराकरण होना जरुरी है। अगर यह नहीं होता है तो आप जो सदन में विराजते हैं, उन पर कलंक है। श्री मधोक साहब की नियक्ति के सम्बन्ध में जो कार्यवाही है, वह मैं सुना देता हूं। यह 3–6–65 का है।

श्री रामनारायण चौधरी: ऑन ए पाइंट आफ आर्डर सर जिस प्रस्ताव पर विचार होरहा है, उसमें मुख्यमन्त्री का कोई जिक्र नहीं है। इसलिये इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्रीजी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि उनकी जमीन का क्या मामला है। इस सम्बन्ध में मैं आसन से व्यवस्था चाहता हूं।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ): थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा। मुख्य मन्त्रीजी का मामला तो है, शिक्षा मन्त्रीजी के जमीन के घोटाले का मामला अभी पड़ा हुआ है। तीनों केसेज की, मामलों की जांच एक साथ करा ली जाय।

श्री दौलतराम सारण: मुख्य मुजरिम तो मुख्य मन्त्री हैं। मुख्य मुजरिम तो अलग रह जाये ? भ्रष्टाचार की प्रेरणा तो सारे लोगों को वहीं से मिल रही है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रारंभ रखिये। आगे विषय पर रहिये।

श्री रामकिशन: जिस तारतम्य में यह है उसी के अनुसार यह कह रहा हूं। राजस्थान मन्त्रीमण्डल सचिवालय का एक आर्डर है। मन्त्रीमण्डल सचिवालय का आर्डर दिनांक 3-4-65 का है जिसमें श्री मधोक को इस जांच के लिये नियुक्त किया गया था कि वे दीना भाई, मन्नालाल आर्य, बसन्त कुमार, रामा देवी, शकुन्तला देवी इनके नाम रघुनाथ पुरा ग्राम में जमीन का जो अलाटमेंट किया गया है ...

श्री रामनारायण चौधरी: इट इज इर्रिलेवैन्ट। कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री रामकिशन: मुझे उपाध्यक्ष जी ने इजाजत दी है।

रामनारायण जी आप मुख्य मन्त्रीजी को खुश करना चाहते हैं। मैं जानता हूं, आप मन्त्री बनने के इच्छुक हैं जिससे कि इन बातों में कोई दम नहीं है। आप मेरे पड़ोसी हैं गुण और कमजोरी दोनों आपकी मैं जानता हूं। मुख्य मन्त्री आपको मन्त्री तो क्या बनाने वाले हैं एक कमेटी का चेयरमैन बना दिया है और एक और छोटी कमेटी का चेयरमैन आपको बना देंगे। इससे ज्यादा नहीं करने वाले हैं।

(4.म.प.)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था

श्री गिरधारीलाल व्यास (असीन्द): पंडित जी आप जो कुछ कह रहे हैं वह इससे सम्बन्धित नहीं है। आप इर्रिलेवेन्ट बातें कह रहे हैं। इसके बारे में आपको नोटिस देना चाहिये।

श्री रामकिशन: उपाध्यक्ष महोदय, जो बातें मैं रख रहा हूं वे बिल्कुल इस मामले से सम्बन्धित हैं। जिस समय गिरधारीलाल जी इस सदन में नहीं थे उस समय इस सदन में सवाल उठा था आप तो सोते रहते हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास: यह बिल्कुल गलत बात है मैं कभी सदन में सोता नहीं हूं।

श्री रामकिशन: मैं निवेदन कर रहा था भैरोंसिंह जी ने जो इतनी बातें रखीं वह एक तरह से सदन का समय खराब किया। मुख्य मंत्री द्वारा यह समय खराब किया गया। उनसे सम्बन्धित मामला इसी तरह का था जिसके सम्बन्ध में मधोक कमेटी की रिपोर्ट आचुकी उस सम्बन्ध में निर्णय करते। उसमें जिस तरह की लीपापोती की गई इसमें उससे ज्यादा क्या करेंगे। माननीय सदस्य

(श्री रामकिशन)

को मुख्य मंत्री की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई, मुख्य मंत्री को पत्र लिखा गया था मुख्य मंत्री को इन सब तथ्यों की जानकारी थी अगर मंत्री चाहते तो वे इस बारे में कानूनी कार्यवाही करते। वे क्यों करने लगे वे भी और उनके रिश्तेदारों के नाम से इसी प्रकार की काफी जमीन हड़पी हुई है। अगर वे उसको कानून सम्मत मानते तो कह देते कि यह जो बृजसुन्दरजी ने जमीन ली है गैर कानूनी नहीं वे कमाण्ड एरिया में खातेदार होगये। जब कि प्रस्ताव का नोटिस था मुख्य मंत्री जी को अपने विचार पत्र के द्वारा बताने चाहिये थे। या वे कह देते कि मुझे कानूनी जानकारी नहीं शायद हम लोग माफ भी कर देते कि कानून की जानकारी नहीं है इसलिये जवाब नहीं दे पाये। मुख्य मन्त्रीजी ने जान बूझकर जवाब नहीं दिया और चाहा कि बृजसुन्दरजी के अचारण की सदन में चर्चा हो। इस प्रस्ताव से अगर ये दो चीजें निकाल दी जाती हैं तो सारी चर्चा का सब्जेक्ट ही बदल जाता।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को लेकर कई आपत्तियां उठायी गई हमारे मुख्य मंत्री ऐसे नहीं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री ऐसे नहीं हैं जिनके बारे में कोई सरकारी जांच नहीं कर सकता। हमारे सामने केवल प्रश्न उठाया गया एक विधायक के अचारण का, एक मंत्री के अचारण का मैं समझता हूं ऐसे प्रश्न सदन में उठाये जा सकते हैं। प्रीविलेज मोशन के मार्फत भी उठाये जा सकते हैं। मैं कांग्रेस के माननीय सदस्यों को दुबारा निवेदन करूंगा इस दृष्टि से इस प्रस्ताव को देखें कि जिन माननीय मंत्री पर यह आरोप लगे हैं उन आरोपों के निराकरण के लिये भी इस प्रकार की जांच होना आवश्यक है। दूसरा लोगों में या किसी में सन्देह भी है तो लोकतन्त्र में यह आवश्यक है वह भी जांच के जरिये मिटा दिया जाय। इसमें मंत्री जी का भी भला है और माननीय सदस्यों का भी भला है इससे बड़ी लोकतन्त्र की सेवा और कोई नहीं होगी।

इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैंने माननीय डागा जी की और श्री गिरधारीलाल जी की दलीलें सुनीं। मैं बहुत कानून का तो जानकार अपने आपको नहीं मानता। मेरे मन में जिन वकीलों ने इस बारे में बहस की उसमें मुझे कोई दमदार आरग्यूमेन्टस् नहीं मिले। जैसे एक वकील पैसा लेकर गलत मुकदमें को भी उतनी जोर से पैरवी करता है जितनी सही मुकदमें की। मैं इस में वकीलों द्वारा की गई बहस को इससे ज्यादा दमदार नहीं समझता जो एक वकील को पैसे लेकर कैसे आचरण बन जाता है वह स्पष्ट है। मैं यहां पर किसी पर आरोप नहीं लगाता। मैं पूछना चाहता हूं बृजसुन्दर जी ने जमीन क्यों लेली। यह अधिकार है वे जमीन ले सकते हैं। उनके बच्चे जो भूमि पर पैदावार करके कमाना चाहते हैं कमा सकते हैं चाहे वे कांग्रेस में या किसी अन्य पार्टी में। एक नागरिक को जो अधिकार मिला हुआ है उससे किसी भी हालत में उनको वंचित नहीं किया जा सकता। हमारे देश में हर आदमी जायदाद खरीद सकता है, व्यापार कर सकता हैं हर प्रकार की रोजी करने का अधिकार है, उससे कोई छीन नहीं सकता। मैं यह नहीं मानता अगर सरकार में कोई आजाय और इसी कारण नागरिक अधिकार से वंचित होजाय मैं नहीं मानता। इसमें स्थिति यह है कि आपने 25 बीघा जमीन ली, जिन हालात में ली उस हालात में क्या जगन्नाथ की वह माफी में थी। एस.डी. ओ. ने श्रीमती जकव

(श्री रामकिशन

के नाम नहीं किया, यह पटवारी के कागजों में दर्ज नहीं। दोनों आते हैं और कह दिया जाता है कि इसमें मेरा हिस्सा है। जगन्नाथ की जमीन पर किसी तरह का वाद विवाद तो श्रीमती जैकब दावा पेश करती हैं जवाबी दावे में उसके हिस्से को स्वीकार कर लेते हैं। एक तारीख में एस. डी.ओ. के यहां करेक्शन आफ एन्ट्रीज का दावा दायर होता है? जैकब अपने को बचाने के लिये दावा करती है क्योंकि ट्रान्सफर करने के पावर हैं नहीं उसको। क्या ऐसे कारण थे जिनके कारण जगन्नाथ को सम्मन नहीं गया? उनको अदालत में बुलाया नहीं गया तो फिर अदालत को कैसे स्वप्न आगया बगैर जारी किये।

श्री मोहन लाल मोदी: सम्मन जारी हुए हैं।

श्री रामकिशन: दूसरा प्रश्न यह है बगैर सम्मन जारी हुए जगन्नाथ अदालत में आजाता है और एक दम स्वीकार कर लेता है श्रीमती जैकब हिस्सेदार हैं। यह जो एक दम स्वीकार कर लेना शक तलब बात है। आज के जमाने में नाहर साहब सब ओर आप देख लें आप भी 55 साल के हो गये और आपको कम से कम वकालत करते 25 साल तो हुए ही होंगे आपने कहा कि मुझे एक आदमी ऐसा मिला जिसने कहा मेरा हिस्सा नहीं है इस जमीन पर आप यह कौन से साल की बात कर रहे हैं जिन सालों में जमीन पर इतना दबाव नहीं था आज एक एक इंच जमीन के लिये लोग मरने को तैयार होजाते हैं कोई भी अपनी एक इंच जमीन नहीं छोड़ना चाहता। इस शिडूल्ड ट्राइब्स की जमीन में किस प्रकार से उसका हिस्सा निकल गया। कानून में यह प्रावधान है कि शिडूल्ड कास्ट शिडूल्ड ट्राइब्स की जमीन को सवर्ण हिन्दू खरीद नहीं सकता। इस पृष्ठ भूमि में मालूम पड़ता है सारी कार्यवाहियां इसी नियत से की गई हों। जिस दिन से उन्होंने श्रीमती जैकब के नाम पर फैसला हुआ उसी एक दिन में उसका बेचान भी करा दिया गया।

माननीय सदस्य बेचान तो पहले ही लिखा लिया था।

श्री रामकिशन : मैं इसको करेक्ट कर लेता हूं बेचान लिखा लिया है पहले उसके बाद जिस दिन फैसला हुआ उसी दिन ट्रान्सफर हो जाता है कब्जा।

श्री मदनसिंह दांता: इतनी गल्ती बृजसुन्दर जी कर नहीं सकते उनकी धर्म पत्नी कर सकती हैं। पत्नी का दण्ड पति को क्यों?

श्री गिरधारीलाल व्यास: ऐसी गलती पंडितजी कर रहे हैं गलत फैक्ट्स रख रहे हैं।

श्री रामकिशन: आप इस बारे में हल्ला करने के अलावा कुछ नहीं जानते। मैं आपको बताना चाहता हूं जमीन पर कब्जा लेने देने में किस प्रकार की अड़चनें आती हैं जिन के नाम जमीन का अलोटमेन्ट था उससे कब्जा लेने में एक ही दिन में ट्रान्सफर करवाना और कब्जा लेना यह सिद्ध करता है इसमें कुछ गड़बड़ है यही शंका तलब बात है।

मोहीपुरा की जमीन का जहां तक सवाल है उसके बारे में भी यह कमेटी इन्वेस्टीगेट करे मोहीपुरा के गांव वालों की दरख्वास्त थी कि इस जमीन को नीलाम किया जाय। उन गांव वालों को बुलाया नहीं जाता जिनकी उस जमीन के लिये दरख्वास्त है कम से कम वहां नीलामी होती तो पचास साठ प्रतिशत लोग तो जाते ही। नीलामी के समय केवल

(श्री रामकिशन)
चार आदमी उपस्थित पाये जाते हैं उनमें एक तो बृजसुन्दर जी के पिता और दूसरे आदमी उनके ही मिलने वाले इस तरह से बगैर दूसरों को बुलाये बेचान होजाता है। माननीय गिरधारीलाल जी से पूछना चाहता हूं क्या उस नीलामी के लिये चार आदमी से ज्यादा उपस्थित नहीं होते क्या अगर कानूनी तौर से बेचान होता।

श्री मूलचन्द डागा : अभी बेचान हुआ नहीं अभी स्टे है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्षः जी जब इस सम्बन्ध में कार्यवाही हो रही है, राज्य सरकार, कलेक्टर इस मामले को देख रहे हैं। जब किसी चीज की नीलामी होगी तभी जाकर वह बेची हुई मानी जायगी। सरकार जब बोली को खत्म करेगी तो यह सवाल आयगा।

श्री रामकिशन: व्यासजी आप जरा सुनें। जिन परिस्थितियों में यह सब कुछ हो रहा है उसी से तो शक होता है। इस शक सूबे को गलत करार देने के लिये भी जांच आवश्यक है। जिन माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव रखा वे कहते है सही है। जिन्होंने जवाब दिया है वे गलत हैं यह कहते हैं। इन दोनों की बातें सुनने के बाद मुझे शंका हुई कि कहीं गड़बड़ी तो है। इसलिये कह रहा हूं कि कमेटी को रेफर किया जावे।

यह इस बात का सुबूत है कि जब ज्यादा तादाद में लोग इकट्ठे नहीं होते और लेने वाले कम हों और ऐसी जमीन के लेने वाले कम हों तो शंका होना स्वाभाविक है। आज तो छोटी सी जमीन के लिये भी हजारों की संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं। वहां कोई इकट्ठा नहीं हुआ केवल चार आदमी होते हैं। वे ही बोली लगा लेते हैं और चौथाई रकम भी जमा नहीं होती है और इसके बाद जब उनके नाम दी जाती है तो स्टे हो गया।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : नीलाम हुआ ही नहीं।

श्री रामकिशन : यह तो इस आरोप-पत्र में लिखा है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपको फेक्ट्स की जानकारी नहीं है।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाडिया : आप इस तरह से बाधा न डालें। आसन कांग्रेस की ट्रेजरी बैंचों को आदेश दे कि वे इस तरह बीच में बाधा डाल कर समय नष्ट न करें।

श्री नत्थीसिंह : नीलामी की कार्यवाही हुई कि नहीं ? नीलामी पूरी नहीं हुई, पर इसका ढोंग रचा गया कि नहीं। यही बेईमानी का द्योतक है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आपको फेक्ट्स की जानकारी नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : चोरी और सीनाजोरी। क्या यह सही नहीं है कि नीलामी का ढोंग रचा गया था। यह तो शिकायत हो गई इसलिये आज आप इन्कार कर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो आपकी तरफ से तो नीलाम हो गया था।

श्री गिरधारीलाल व्यास : कोई आक्शन नहीं हुआ।

श्री नत्थीसिंह : वह तो इसलिये नहीं गिना गया कि सदन में मामला आ गया इसलिये

Page No 141

(श्री नत्थीसिंह)
आगे की कार्यवाही रुक गई। नहीं तो आपकी तरफ से तो नीलामी का ढोंग रच लिया गया था।

श्री मदनसिंह दांता : ऑन ए पोइन्ट आफ आर्डर सर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां मानों कोई बैठा हो और यह कोई एक एक मामले का फैसला कर रहा हो। अगर यहीं तै करना है सब कुछ तो फिर समिति की क्या जरूरत है। नीलाम हुआ कि नहीं, अगर इसका निणय यहीं करना है और निर्णय करके मंत्री महोदय को हाथ पकड कर सदन से निकाल देना चाहते हो तो फिर कोई बात नहीं। फिर कमेटी की बात न करें। कल के बाद अध्यक्ष महोदय, मैंने भी इसकी जानकारी की है, गांव तो मैं नहीं गया, पर इस चीज की मैंने भी जांच की तो मालूम हुआ कि·······

श्री उपाध्यक्ष : यहां आपने भाषण दिया उससे पहले या बाद में ?

श्री मदन सिंह : बाद में।

श्री रणजीत सिंह (ओसियां) : आप कौन से पांइन्ट आफ आर्डर पर बोल रहे हैं ?

श्री मदन सिंह : इसमें तो यह हुआ है उपाध्यक्ष महोदय, कि इसमें बृजसुन्दरजी का कोई कसूर नहीं है। जैसे बडे बडे मन्त्रियों की धमपत्नियां बाध्य करती हैं वैसे इन को भी इनकी धर्मपत्नी ने बाध्य कर दिया यह सब कुछ करने के लिये जैसे राम को सीता ने आग्रह करके हरिण के पीछे लगा दिया। वैसे यह भी इनकी धर्मपत्नी की जिद् थी। इनकी मंशा यह सब कुछ करने की नहीं थी। अगर इसके लिये सदन इनको दोष देना चाहता है तो अलग बात है।

श्री उपाध्यक्ष : आप पोइन्ट आफ ऑर्डर पर बोल रहे हैं। इसमें पोइन्ट आफ ऑर्डर क्या है ?

श्री मदनसिंह : यही कि एक एक मुद्दे पर सदन यहां निर्णय न ले और जो भाषण हो रहे हैं उन्हीं तक सीमित रहे ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन : इस का मतलब यह है कि····

श्री यशवन्तसिंह नाहर : एक निवेदन कर देना चाहता हूं कि माननीय रामकिशनजी ने एक बात रक्खी कि लाखों में एकाध सच बोलता है। मैं यह नहीं कहता कि जगन्नाथ झूठ बोला। यह सदन जैकब और जगन्नाथ का क्या संबंध था यह निर्णय करने नहीं बैठा है। निर्णय तो यह करने बैठा है कि बृजसुन्दर जी शर्मा उस वक्त शिक्षा मंत्री थे या बाद में रेवेन्यू मिनिस्टर हो गये तो उनके किसी प्रभाव के कारण कोई चीज बनी है या नहीं। यह एक बहुत सुन्दर बात कह दी। मैं व्यक्तिगत बात पर जाना नहीं चाहता। मैं एक बात पूछता हूँ कि किसी के खिलाफ केवल चार्जेज लगने से ही अगर हम यह मान लें कि उसको इस्तीफा दे देना चाहिए तो फिर माननीय रामकिशन जी के खिलाफ चार्जेज लगे तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिये था इसी बिना पर। हमारी भावना पवित्र होनी चाहिए, बहुत पवित्र होना चाहिए। पर किसी ने चार्जेज लगा दिये इसलिये वे सही हैं तो फिर आपको कठघरे में खडा हो जाना चाहिये। आप सच्चे हैं। मैं आपकी सच्चाई में सन्देह नहीं करना चाहता। पर एक

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

बात कहना चाहता हूं कि झूठे आरपों के आधार पर किसी को नीचा नहीं दिखाया जा सकता ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें । माननीय रामाकिशन ।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल (बयाना): उपाध्यक्ष महोदय, अभी नाहर साहब ने एक बहुत शानदार औब्जर्वेशन दिया है । तमाम इसका मतलब क्या यह माने कि आप राम किशनजी का यह कह कर मुंह बन्द करना चाहते हैं । आपकी मंशा यह है कि चूंकि आप कांग्रेस पक्ष के हैं और चूंकि गिरधारी लाल जी जोर से बोल रहे हैं और चूंकि वे उधर के व्हिप हैं इस लिये उनको पूरी स्वतन्त्रता है कुछ भी कहने की ? क्या मतलब है ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर प्लीज ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आप गलत कह रहे हैं । मैंने कोई किसी पर चार्जेज नहीं लगाये हैं । मैं तो यह कह रहा हूं कि गलत चार्जेज चूंकि किसी पर लगे हैं इसलिये ही क्या उसको स्तीफा दे देना चाहिये ?

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा कि स्तीफा दे दीजिये । मैंने यह भी नहीं कहा कि आरोप सही हैं । मैंने तो केवल यह कहा है कि ये मामले शंकास्पद हैं और किसी न किसी कमेटी के या प्रिविलेज कमेटी के मार्फत इनका निराकरण हो जाना चाहिये । क्या आप यह पसंद करेंगे कि मामले यों ही लटके रहें और वे लोकचर्चा के विषय बने रहें । मैं जानता हूं कि श्री यशवन्तसिंहजी नाहर प्रिविलेज कमेटी के अध्यक्ष हैं ।

एक माननीय सज्जन हैं जो परमिट बेचते हैं पैसा खाते हैं पेपर में गलत सलत लिखते रहते हैं । मेरे खिलाफ भी उन्होंने दो चार गलत बातें लिख दीं तो मामला प्रिविलेज कमेटी में चला गया । प्रिविलेज कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है । अब वह मामला वहां नहीं जावे इसके लिये मैंने कब मना किया । हम राजनीति में रात दिन काम करने वाले लोग हैं । कई शिकायतें हमारे बारे में हो सकती हैं । तो उन पर किसी भी कमेटी में या समिति में विचार हो जाना चाहिये और हर स्थिति में हमारे चरित्र की सुरक्षा हो जानी चाहिये । इसलिये कि इससे लोगों की लोकतन्त्र में आस्थाएं बढें । हमें अपने चार्जेज के बारे में स्पष्ट होना चाहिये उनकी सफाई के लिये हर सूरत में तैयार रहना चाहिये । आज भी मेरी यही राय है उस समय भी यही थी ।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि नाहर साहब क्या कहना चाहते हैं वह तो वे जानें पर जो कार्यवाहियां हुई जो कहा गया मोहिपुरा की जमीन के बारे में कहा गया । उसके बारे में लगातार 17-5-67 को गवाहियां कराई गई श्री बजरंगलाल और नन्दलाल की । यह गलत हुई हैं या सही । यह जांच का विषय हो सकता है । पर मैं हालात का जिक्र कर रहा हूं जो शंका पैदा कर रहे हैं कि इस में कहीं न कहीं गडबडी है । तो उपाध्यक्ष महोदय, एक श्रीमती जैकब से जमीन खरीदने का मामला है । दूसरा मोहिपुरा की जमीन की नीलामी का मामला । इसी प्रकार पटेल प्रभु की जमीन का मामला । 1)7 अपनी

(श्री रामकिशन)

जमीन के पैसे का मामला । ये सब मामले शंका पैदा करते हैं कि सत्ता का कहीं न कहीं दुरुपयोग हो सकता है । मन्त्री नहीं थे इसलिये दुरुपयोग नहीं हुआ, राजस्व मन्त्री हैं इसलिये दुरुपयोग हुआ यह कानूनी मुद्दा है । आप इस पर बहस करें । तो इस तरह की जब सदन में चीजें आ जावें तो उनका निराकरण होना जरूरी है । यह निराकरण दो ही तरह से हो सकता है कि या तो कमीशन बिठाया जावे और उससे जांच करवा ली जावे । राजस्थान में कमीशन की क्या हालत है यह हम जानते हैं । चाहे बेरी कमीशन हो, चाहे मधोक साहब की रिपोर्ट हो । किसी कमीशन ने सरकार को रिपोर्ट नहीं दी, सरकार को रिपोर्ट भी पेश की तो सरकार ने उस पर आचरण नहीं किया । आज जिस स्थिति में प्रशासन सुधार आयोग बना जिसके मुरार जी भाई पहले अध्यक्ष थे, उसमें राजनीति में गडबड़ करने वालों का, राजनीति में भ्रष्टाचार करने वालों का जिक्र किया है, उसको निराकरण करना जरूरी है । मैं समझता हूं अगर आप चर्चा को बनाये रखना चाहते हैं और राजनीति में बदमाशों को बनाये रखना चाहते हैं तो ठीक है । हो सकता है यह भी आपकी कोई राजनीति हो कि श्री वृजसुन्दर जी को बदनाम करदें और उदयपुर से किसी व्यक्ति को मंत्री मण्डल में ले लें । मेरा तो यह निवेदन है कि इसके लिये एक समिति गठित हो । दोषियों को दण्ड देना आवश्यक हो जाता है । मैं तो आपकी इस राय की खिलाफत करता हूं । प्रशासन सुधार आयोग में अगर हम सारी प्रक्रियाओं को पूरी कर लेते हैं-आज ऊंची जगह पर बैठे हुए लोग बदनामी के कारण बने हुए हैं चाहे वे इस राज्य के मंत्री हों और चाहे वे दूसरे राज्यों के हों । उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात बताना चाहता हूं केरल में फाइनेन्स मिनिस्टर हैं मि. कुरुप, उन्होंने आरोपों के बाद इस्तीफा दिया । मुख्य मंत्री नम्बूद्रीपाद ने एक पक्षपात किया कि मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पर आरोप लगा है और केरल के सोशलिस्ट पार्टी के आरोप सही हैं मैं दोनों आचरणों की प्रशंसा करता हूं, इज्जत करता हूं । दूसरी बुराई के लिये निराकरण करना पडता है । मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री से निवेदन करता चाहता हूं क्या उन पर जो आरोप लगे हैं उसकी जांच करेंगे । आप क्या प्रक्रिया अपनायेंगे, जो प्रक्रिया अपने परिवार वालों के लिये अपनाई है उससे तो हमें संतोष है नहीं । पहले तो समिति कोई रिपोर्ट ही नहीं देगी और रिपोर्ट भी आयगी तो सदन में पेश नहीं होगी और अगर सदन में पेश भी होगई तो उस पर कोई आचरण नहीं होगा । मैं कमेटी के पक्ष में हूं और आप यह मानकर चलिये कि कमेटी की रिपोर्ट सर्व सम्मत होगी । जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा । मैं यह नहीं कहता कि कमेटी किन सदस्यों की बनाई जाय । चाहे उस कमेटी में आप किन्हीं भी सदस्यों को रख लीजिये-उस कमेटी में डागा साहब को रख लीजिये, नाहर साहब को रख लीजिये-किन्हीं भी तीन आदमियों को रख लीजिये ।

श्री मूलचन्द डागा : आरोप है ही नहीं ।

श्री रामकिशन : आप तो केवल इनके . .

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, ऑडर ।

श्री रामकिशन : अगर किसी के खिलाफ आरोप नहीं हैं तो और भी बडी बात है । जन मानस में एक मिनिस्टर का चरित्र धूमिल

(श्री रामकिशन)
नहीं होना चाहिये । अगर यह स्थिति रही तो लोकतन्त्र नहीं बच सकता है । आज जब मैं सुबह आरहा था तो गवर्नमेंट होस्टल की तरफ कुछ नर्सें आरही थीं । 2-4 नर्सें थीं पता नहीं कहां से आरही थीं वे । राजकीय प्रवास भवन को देखकर कह रही थीं यह चोरों का निवास है । हमें बडा दुख होता है उपाध्यक्ष महोदय......

एक माननीय सदस्य : आप भी वहां रहते हैं ।

श्री रघनाथ विश्नोई (सांचोर) : इस सबकी जांच कराई जाय ।

श्री रामकिशन : मैं तो खुद कह रहा हूं, जांच होनी चाहिये । अगर आप लोकतन्त्र को बचाना चाहते हैं तो बचाइये । इससे तो आप लोकतन्त्र की सेवा नहीं कर रहे हैं । जमीनों के बारे में मैं और चर्चा करदूं, मैं ज्यादा चर्चा तो नहीं करूंगा, किसी और दिन करूंगा जितने नये नये मंत्री हैं इन्होंने सबने जमीनें हडपी हैं । गंगानगर, हनुमानगढ में तो कमाल ही किया है । लोगों ने तो कमाल किया है, कुछ ने पैसे दे दिये हैं लेकिन कुछ ने तो यों ही हडप करली है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि चर्चा से पूर्व मैंने कोई सूचना नहीं दी है । ऐसे मामलों पर जांच हो जाय तो जो चरित्र पर काला धब्बा लगा हुआ है वह उज्जवल हो जायगा ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : लगा हुआ नहीं है, लगाया गया है ।

श्री बृज प्रकाश गोयल : माननीय रामकिशन ने अभी इशारा किया है । कोई चीज है तो उसे छिपायें नहीं । स्पष्ट कहें । इस प्रकार छिपाने की कोशिश नहीं करें ।

श्री रामकिशन : मंत्री कितने हैं गंगानगर, हनुमानगढ से ? आप ही हैं क्या और भी बहुत है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : रामकिशन जी को एक परमानेन्ट रूप दे दीजिये ताकि वे जांच कर लिया करें ।

श्री नत्थी सिंह : सायरन कभी कभी बजता है, हमेशा नहीं ।

(4.25. म. प.)

(श्री निरंजन नाथ आचार्य) अध्यक्ष पदासीन)

श्री शंकरलाल (जैतारन) : अध्यक्ष महोदय, इस लोक तन्त्र के युग में वास्तव में किसी मंत्री पर या किसी चुने हुये व्यक्ति पर कोई गम्भीर आरोप हो जिससे भ्रष्टाचार की बू निकलती हो, उसकी जांच नहीं की जाय, ऐसा मैं नहीं कहता......

(विरोधी पक्ष की और से आवाज)

लेकिन साथ ही यह देखना पडेगा कि आरोप केवल आरोपों के लिये तो नहीं हैं और यदि हैं तो पहले इस बात से इत्तफाक कर लिया जाय । माननीय राम किशनजी, किसी पर आरोप लगाये जायं और उसकी जांच करली जाय ठीक है लेकिन ऐरे गैरे आदमियों के लिये जैसे आप कह रहे हैं होस्टल से आप आये और उधर से महिलायें गुजर रहीं थीं और कह रही थीं कि प्रवास भवन चोरों का होस्टल है इसकी भी जांच की जाय......

श्री मदनसिंह (दांता) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर सर, आन ए पाइन्ट ऑफ प्रिविलेज सर। अध्यक्ष महोदय, यह एक विधायक का रखा हुआ प्रस्ताव है राम किशन जी ने उस वक्तव्य के संबंध में कहा। उन्होंने यह बात कही कि गवर्नमेन्ट होस्टल से तीन-चार महिलायें गुजर रही थीं......

श्री नत्थी सिंह : महिलायें नहीं नर्सें।

श्री मदन सिंह : जो ऐरे गैरे शब्द कहे गये हैं वह ठीक नहीं है। इसको हटाया जाय।

श्री शंकर लाल : यह चोरों का निवास स्थान है मैं उस बात से इत्तफाक नहीं करता। प्रश्न यह है कि इन आरोपों की जांच की जाय। सवाल बडा गम्भीर है हमारे सामने-इस हाउस के सामने कि एक मंत्री के खिलाफ जो यह प्रस्ताव आया है कि एक समिति गठित की जाय वास्तव में क्या ऐसे तथ्य हैं हमारे सामने जिससे समिति का गठन किया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में कोई भ्रष्टाचार हो, उसकी जांच होनी चाहिए लेकिन जो आरोप हमारे सामने आये हैं, जिन आरोपों को तोड मरोड कर पेश किया गया हो वे आरोप निम्न स्तर के हैं। यदि इन्हीं आरोपों को साबित करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कोई इनमें तथ्य नहीं हैं। यह माना जाय। यह तथ्य आते हैं किसी के सामने तो यह मालूम होता है केवल भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार है नहीं। भ्रष्टाचार के लिये आरोपों की जांच कराना चाहते हैं और ऐसे ही भ्रष्टाचार के लिये आपने कहा कि बृज सुन्दर जी की धर्मपत्नी ने एक जमीन खरीदी, सरकार को घाटा पहुंचाया-सरकारी जमीन थी नहीं। जमीन खरीदी गई श्रीमती जैकब से और यह 6,250 में उनसे खरीदी गई। क्या कानूनी बाधा है इसमें। श्रीमती जैकब ने बेची और श्रीमती रक्षा देवी ने खरीदी। जमीन खरीदने के बारे में प्रश्न दूसरा है क्या यह बेचान जैकब ने जगन्नाथ से लिया, जैकब ने उसका बेचान किया, वह कहां तक जायज है ? उसके खातेदारी हक पैदा हुये या नहीं हुये यह दूसरी बात है। यह एक कानूनी प्रश्न है। इसमें भ्रष्टाचार की कहां बू आती है। सरकार को क्यों घाटा हुआ, सरकार ने अलाट नहीं कराई। एक व्यक्ति से 6,250 में जमीन खरीदी। 25 बीघा जमीन किसी मंत्री की धर्मपत्नी ने खरीद ली उसको आप भ्रष्टाचार कहते हैं ? जो तथ्य बताये गये हैं वह यह तथ्य हैं कि यह जमीन जगन्नाथ की थी और जगन्नाथ मीणा होने से उसका ट्रान्सफर नहीं कर सकता था लेकिन जगन्नाथ जब खुद आकर बोर्ड में कह देता है मेरी जमीन नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि यह जमीन उसकी है। चाहे वह झूठ और गलत ही बोलता हो लेकिन जिस जमीन को वह अदालत में आकर कहता है कि मेरी जमीन नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : यह जमीन मन्दिर की थी।

श्री शंकर लाल : मुद्दई सुस्त तो गवाह चुस्त यह बात है। आपने इस बात को कहा है कि जगन्नाथ उसको ट्रान्सफर नहीं कर सकता था। वह फिफ्टीन (ए) के अनुसार ट्रान्सफर नहीं हो सकती थी। स्वीकार करते हैं, यह कानूनी बात हो सकती है। कॉलोनाइजेशन एक्ट के अन्तर्गत जिस जमीन का राइट ट्रान्सफर नहीं होता, अब सवाल यह है कि जो

(श्री शंकर लाल)

राइट ट्रान्सफर किया और शायद श्रीमती जैकब ने ट्रान्सफर किया जिसको गवर्नमेंट ने अभी खातेदारी राईट माना नहीं है। जो रजिस्ट्रेशन किया वह जैकब ने कराया उनकी धर्मपत्नी के नाम पर। इसमें सरकार को क्या हुआ? सरकारी खाते के अन्दर अभी बृजसुन्दर जी की धर्मपत्नी खातेदार दर्ज नहीं हुई है, अभी तक म्यूटेशन नहीं हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि सरकार ने इसको खातेदार नहीं माना है और मेरा विश्वास है कि इस बात की पहले सरकार जांच करायेगी कानूनी मुद्दे की और फिर देखेगी कि वह खातेदार बनती है या नहीं। चाहे वह बृजसुन्दर जी की पत्नी हो चाहे किसी की भी हो, चाहे मिनिस्टर का खुद का मामला हो-अगर कानून में म्यूटेशन नहीं हो सकता, अगर खातेदार नहीं है तो वह खातेदार नहीं होगा और मैं ऐसा मान कर चलता हूं। इसलिये अभी तक सरकार के अन्दर वह खातेदार नहीं है।

दूसरा प्रश्न जो आया है जिसमें श्री बृज सुन्दर जी को उसके साथ जोडने का सवाल किया गया है वह यह किया गया है कि यह जो ट्रान्सफर हुआ जैकब ने इनको दो और इसके अन्दर बृजसुन्दर जी को इस प्रकार से जोडा गया क्योंकि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि बृजसुन्दर जी का इससे क्या ताल्लुक है। एक खाविन्द, एक पति पत्नी के हर काम के लिये जिम्मेदार नहीं है, किसी काम के लिये नहीं है। He is not responsible for the acts of his wife, जो वह जमीन खरीदी है, उसके लिये जिम्मेदार बृजसुन्दर जी कैसे हैं। उसको जोडने के लिये आपने यह कहा कि खेतपाल सिंह जो एस. डी. ओ. थे उनके ऊपर दबाव डाला गया और एस. डी. ओ. पर दबाव डालकर जैकब के हक में फैसला कराया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह खेतपाल सिंह के ऊपर दबाव डाला या नहीं इसके संबंध में कोई हमारे सामने शहादत नहीं है। बृजसुन्दर जी ने श्री खेतपाल सिंह जी को क्या कहा, किसी तीसरे व्यक्ति का कोई बयान नहीं है। खेतपाल सिंह जी ने कहा और किस को कहा माननीय जनसंघ के नेता श्री भैरोंसिंह जी को कहा और वे किसी को नहीं कह सकते थे। मुझे तो अध्यक्ष महोदय, शुबहा होता है कि भैरोंसिंह जी के साथ जो टेप हुई है वह इनके साथ ही क्यों हुई। इसके अन्दर बू आती है। खेतपाल सिंह जी से यह बात कहलाई है किसी तीसरे व्यक्ति को कोई बात कही हो तो मान सकते थे। अच्छा हुआ वह टेप रेकार्ड नहीं आया-अगर आता भी तो कोई बात नहीं थी। हालां कि वह व्यक्ति सदन के अन्दर नहीं है लेकिन मैं खेतपाल सिंह जी को स्वयं जानता हूं। वह बाली के अन्दर एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट थे जो कि वहां 9 साल से ज्यादा रहे थे। मुझे व्यक्तिगत जानकारी है कि उनके पास जहां वकील जाते थे तो कहते थे कि आप की बात भी सही है और दूसरे को कहते थे आपकी बात भी सही है। टेप रेकार्ड आपके सामने हुआ है और दूसरी जगह भी रेकार्ड हुआ है और उन्होंने कहा कि मुझ से दबाव डालकर कहलाया गया। तो ऐसा व्यक्ति जो कि टेप रेकार्ड में एक जगह कुछ कह दे और दूसरी जगह कुछ कह दे और खेतपाल सिंह जी ने जो जनसंघ के नेता को कहा कि टेप रेकार्ड हुआ उसमें नहीं कहा जा सकता कि दबाव डाला है और वह व्यक्ति जो कि रिटायर होने वाला था और रिटायर हो चुका

(श्री शंकर लाल)

और वह कहता है कि मेरी पेन्शन का सवाल है, मेरे एक्सटेन्शन का सवाल है। हो सकता है कि वह बृजसुन्दर जी के पास एप्रोच हुआ हो और हो सकता है कि बृजसुन्दर जी ने उसकी बात को नहीं माना हो··

श्री **मुकुटबिहारीलाल गोयल** : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। अध्यक्ष महोदय, चूंकि टेप रेकार्ड का मामला सामने आ गया और उस पर वाद-विवाद चल पड़ा। यह कहा गया माननीय सदस्य के द्वारा कि इनके पास भी कोई टेप रेकार्ड है और इधर भी कोई टेप रेकार्ड है और टेप रेकार्ड का सवाल आ गया और हम बहस को सुन रहे हैं तल्लीनता के साथ तो या तो वह टेप रेकार्ड सुनवाया जाये तब हमारी आगे बहस चले नहीं तो बहस अधूरी रह जायेगी।

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर, व्यवस्था का प्रश्न ठीक सा लगता है। टेप रेकार्ड इधर भी है और उधर भी है। अब टेप रेकार्ड में क्या है वह टेप रेकार्ड में ही है इसलिये जो टेप रेकार्ड में है उस संबंध में कोई बात नहीं की जाये।

श्री **भैंर सिंह** : अध्यक्ष महोदय, कल भी यह कहा था कि टेप रेकार्ड के संबंध में मैं अभी कोई निर्णय नहीं दूंगा और कल इस संबंध में निर्णय दूंगा। तो टेप रेकार्ड तो सारे जो कुछ हमने आर्गूमेन्ट्स दिये हैं या जो आरोप लगाये हैं उनको सब्सटेन्शीयेट करने के लिए बहुत बड़ी लिंक है इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बृजसुन्दर जी ने कोई टेप रेकार्ड किया है तो मुझे आपत्ति नहीं है उनका टेप रेकार्ड भी सुना दिया जाये और जो मेरे से वार्ता हुई है वह भी सुना दी जाये सदन में तब मालूम हो जायेगा कि उस टेप रेकार्ड में किस प्रकार के तथ्य हैं और किस प्रकार से उन तथ्यों को कान्ट्राडिक्ट कराया–दोनों स्थिति सामने आ जायेगी।

श्री **गोकुलप्रसाद शर्मा** : माननीय सदस्य अपनी अकल की बात करें। दूसरों की कही हुई बात हम क्यों सुनें। जो बात है आप कहें। आप दूसरों से बात करके आते हैं वह भी यहां सुनाते हैं।

श्री **मुकुटबिहारीलाल गोयल** : चूंकि एक एवीडेन्स है, एक पीस आफ एवीडेन्स है जिसके ऊपर हम अपने आर्गूमेन्ट्स आधारित करते हैं।

श्री **रघुनाथ विश्नोई** : यह सदन कोर्ट नहीं है।

श्री **मुकुटबिहारीलाल गोयल**: यहां पर ओरल स्टेटमेन्ट्स पेश हो सकते हैं। जब साक्ष्य लिखित में पेश हो सकती है तो वाइस रेकार्ड की हुई एक डाकुमेन्ट है और वह इस सदन के सामने आनी चाहिये।

श्री **शंकरलाल** : अध्यक्ष महोदय, टेप रेकार्ड के बारे में जैसी व्यवस्था दी है उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता··

श्री **भैरोंसिंह** : उस व्यवस्था का क्या हुआ ?

श्री **अध्यक्ष** : इस भाषण के बाद।

श्री **शंकरलाल** : मैं यह कह रहा था कि बृजसुन्दर जी को कैसे जोड़ा गया और उसका आधार क्या है और उसके बाद में चर्चा कर रहे हैं कि बृजसुन्दर जी का उसमें आवाज के द्वारा जो ट्रान्जेक्शन किया गया

(श्री शंकर लाल)

उससे कैसे ताल्लुक लगाया वह किस प्रकार से कनेक्टेड है उसके संदर्भ में टेप रेकार्ड की बात कही है।

तो मैं कह रहा था कि जहां तक बृजसुन्दर जी का सवाल है न तो कोई उन्होंने स्वयं जमीन खरीदी और जहां तक उनके पुत्र का सवाल है वह पुत्र भी मेजर हैं। हां, अगर कोई नाबालिग पुत्र होता और उसके नाम से जमीन खरीद करते तो कानून के अन्तर्गत यह जिम्मेदार ठहराये जाते और रिश्तेदारों ने जमीन खरीदी तो यदि किसी मिनिस्टर का कोई रिश्तेदार हो तो उसके लिए यह कोई बाधा नहीं है कि वह जमीन नहीं खरीद सकता। प्रश्न तो यह है कि बृजसुन्दर जी ने उसके अन्दर क्या एक्ट किया ? क्या सरकार को नुकसान पहुंचाया ? जैसा मैंने निवेदन किया कि सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वह सरकार की जमीन नहीं थी, सरकार से एलाट नहीं हुई और सरकार को किसी प्रकार का कोई घाटा बृजसुन्दर जी ने नहीं पहुचाया। जहां घाटे का प्रश्न नहीं हो और भ्रष्टाचार का प्रश्न नहीं हो तो किस भ्रष्टाचार की जांच कराना चाहते हैं ? यही तो आरोप है कि इनके रिश्तेदारों ने जमीन का बेचान कर लिया, वह भी सरकार से नहीं तीसरे आदमी से। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि वास्तव में मुझे इस बात का दुःख होता है कि जमीन उसकी हो जो वास्तव में जमीन का जोतने वाला हो। जमीन उसी के पास जानी चाहिये जैसा श्री मनोहरसिंह जी ने कहा लेकिन हमारे कानून में खामियां हैं। आज हम सीलिंग की बात लेकर चलते हैं। कानून में दिया हुआ है कि सीलिंग से ज्यादा जमीन हो वह दूसरी जमीन को नहीं खरीद सकता लेकिन आज जो उसके नाम से रजिस्ट्री होती हैं– सैंकड़ों रजिस्ट्रियां हुई हैं। इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले दोनों को ही जानकारी है कि सीलिंग का कानून पास होने के बाद कितनी ही जमीन सीलिंग के अगेन्स्ट में रजिस्टर्ड हुई है और म्यूटेशन्स भी हुए हैं। इसमें तो म्यूटेशन भी नहीं हुआ। तो इस बात का हल हमें आम तौर पर निकालना पड़ेगा कि हम कानून का इम्पलीमेन्टेशन कैसे करें। एक आदमी जो जमीन जोतने वाला है, कोंटेनेन्ट हैं वह पहले खरीदे या हाथ से काम करने वाला खरीदे। इसमें जो टीनेन्ट है वह आदमी खुद कल्टीवेट करे। कोई खेती करता है तो कोई रोक नहीं है। जहां तक मुझे मालूम हुआ है चम्बल प्राजेक्ट के अन्दर बहुत ज्यादा जमीन गैर-खातेदारी राइट की जमीन खरीदी गयी है और खरीदकर उसकी रजिस्ट्री हुई है। मैं सदन के माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि प्रश्न एक व्यक्ति का नहीं है। वास्तव में हमें इस बात पर ताज्जुब होता है कि बृजसुन्दर जी की वाइफ ने जमीन क्यों खरीदी ? कानून इसको रोक नहीं सकता है। तो कानून पर आम तौर से रोक लगानी पड़ेगी कि कौन सा आदमी खरीद सकता है, किसके पास जमीन जाये और किस के पास नहीं जाये। आप यह कानून बना दें कि जो आदमी हाथ से खेती कर सकता है तभी जमीन उसके पास रहेगी जैसा कि मनोहरसिंह जी कह रहे थे। लेकिन, मनोहरसिंह जी, कानून में जब तक इस प्रकार से है तब तक इसको भ्रष्टाचार नहीं कह सकते हैं। यह कानून के खिलाफ आचरण नहीं हो सकता है और हम इसकी जांच नहीं करा सकते।

(श्री शंकरलाल)

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं कि पेट्रोल पम्प के बारे में जमीन का सवाल है तो वह सवाल 1959 का है और इसके बाद का नहीं है इस बात की व्यवस्था होनी चाहिये कि दो साल पहले की घटना का जिक्र नहीं होना चाहिये, लेकिन पेट्रोल पम्प का मामला 59 का है और आज 69 चल रहा है तो यह 10 साल पहले की बात है और 10 साल तक किसी ने कोई शिकायत नहीं की है यह बड़े ताज्जुब की बात है। बृजसुन्दर जी के खिलाफ आरोप लगाने का यह मतलब है कि एक आरोप के साथ और आरःपों को जोड़ना है और उसकी पुष्टि करना है। इसलिये यह आरोप जोड़ दिया है, वर्ना इसकी क्या आवश्यकता थी। माननीय सदस्य जो कोटा से आये हैं वे जानते हैं कि यह मामला 59 में हुआ है। कोल्ड स्टोरेज की बात आप कहते हैं कि आप उद्घाटन करने क्यों गये ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : 10 साल के बाद पुलिस को सुराग लगता है तो क्या वह चोरी को नहीं पकड़ेंगी ?

श्री शंकरलाल : सवाल यह है कि इससे आपकी नीयत का पता लगता है। वह तो कानून ही तय करेगा। सवाल नीयत का है। एक जुर्म होता है और उसकी रिपोर्ट उस रोज नहीं करके 10 रोज बाद करता है तो उसकी नीयत में फर्क मालूम पड़ता है। तो आप नीयत की और कानून की जानकारी कीजिये। बहुत देर के बाद मामला चलाने में क्या महत्व रहता है 10 साल और 20 साल के बाद उ ने में।

इसके बाद कोल्ड स्टोरेज के लिए कहा गया है कि वे उद्घाटन करने क्यों गये ? वे गये इसलिये वे इसमें शामिल हैं। उसके बारे में कोई एवीडेन्स नहीं कि कैसे ये शामिल हैं या इनकी वाइफ पार्टनर है ? सिर्फ इसलिये कि इन्होंने उसका उद्घाटन किया है और उद्घाटन करने नहीं जाना चाहिये था। अध्यक्ष महोदय, यह सवाल ठीक है कि मंत्री को मामूली काम का उद्घाटन करने नहीं जाना चाहिये, ऐसी आपकी मन्शा हो। लेकिन जब हमारी कान्स्टीट्रुएन्सी का सवाल आता है और कान्स्टीट्रुएन्सी का कोई व्यक्ति इन्वाइट करता है तो वहां पर न जायं इस बात को थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये मिनिस्टर हैं राजस्थान के लेकिन कान्स्टीट्रुएन्सी के एम. एल. ए. हैं और उन्हें कोई भी लोग बुलायें और किसी जगह भी बुलायें तो उनको जाना पड़ता है। मैं जाता हूं। इसलिये यह इम्प्यूट किया जाय कि क्योंकि उद्घाटन करने के लए गये इसलिये इनका उससे संबंध था, यह बिल्कुल गलत है। इसमें इन्टेन्शन की कोई बात नहीं कही जा सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय, मोहीपुरा की जमीन के बारे में कहा गया कि नीलाम की गई है और इसके बारे में यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में यह मामला सब्जूडिस है। जहां तक इसका ताल्लुक है, उसकी चर्चा नहीं की जाय। वहां पर नोटिस चिपकाये, लोगों के अंगूठे हुए और न जाने क्या क्या हुआ, लेकिन यह बात सही है कि इस जमीन के नीलाम की, आक्शन की अभी तक मंजूरी नहीं दी गई। इस आक्शन को गवर्नमेंट ने कन्फर्म नहीं किया। प्रश्न यह है कि अभी

(श्री शंकरलाल)

तक वह जमीन बृजसुन्दरजी के लड़के या किसी के नाम नहीं हुई है, इनको मिली नहीं है। जिस जमीन की अभी तक मंजूरी नहीं हुई है और उसकी एन्क्वायरी चल रही है, जुडिशियल एन्क्वायरी चल रही है। उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन उसके बारे में जब तक एन्क्वायरी नहीं हो उसके पहले ही कह दें कि भ्रष्टाचार हो रहा है, खातेदार हो गये हैं। मोहीपुरे की जमीन के खातेदार हो गये, उनके नाम हो गई है; जैंकब की जमीन के खातेदार हो गये हैं। इनकी वाइफ के नाम अगर बेचान गलत है तो इनका पैसा जायेगा। इससे सरकार को कौन सा घाटा पहुंचाया है जिसको आप भ्रष्टाचार कहते हैं। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता था कि तमाम जो आरोप लगाये गये हैं वे केवल आरोप लगाने के लिए आरोप लगाये हैं। इनमें कोई ऐसा तथ्य नहीं है कि जिससे हम कहें कि भ्रष्टाचार हुआ हो जिससे हमारी आत्मा कह सके कि यह भ्रष्टाचार है। हमारी आत्मा यह कहती है कि यह निम्न स्तर का आरोप आपने लगाया है और वह आपको शोभा नहीं देता है। अगर सही बात होती तो हम भी आपका साथ देते, लेकिन आरोपों में तथ्य नहीं है, भ्रष्टाचार साबित नहीं हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं की गई है कि जिसके अन्दर सरकार को घाटा हुआ हो। प्रस्ताव में कहा गया है कि पद का दुरुपयोग किया गया है। क्या दुरुपयोग किया? सरकार को कौन सा घाटा पहुंचा। सारा प्रस्ताव जिसमें यह सब रखा गया है वह बिल्कुल गलत है इसलिये यह प्रस्ताव इस सदन के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये।

श्री **शिवनाथसिंह** (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो प्रस्ताव है, मैं इस संबंध में थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा। आज जनतन्त्र को बचाने के लिये इस प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं और उनकी जांच कराई जानी चाहिये। मैं यह मानता हूं कि जहां आरोप हों तो उसकी जांच कराना चाहिये, लेकिन जनतन्त्र को बचाने के लिये हमें देखना पड़ेगा कि किस प्रकार के आरोप हैं? झूठे आरोप लगा दें और जनतन्त्र के नाम पर लगा दें तो जनतन्त्र को खत्म नहीं करना है। जिस प्रकार के आरोप लगाये गये हैं उनको पढ़कर और उनके फेक्ट्स में जाने पर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बिल्कुल जनतन्त्र को खत्म करने के लिए जनसंघ के माननीय सदस्यों ने इस प्रकार के आरोप लगाये हैं, अगर उन आरोपों के आधार पर जांच शुरू कर दें तो जनतन्त्र को बचाने का सवाल आगे है लेकिन कहीं उसका नामोनिशान नहीं रहेगा।

जैसा कि आप लोगों के सामने प्रकट हुआ है उन तथ्यों पर अधिक नहीं जाकर मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि रेलेवेन्ट डाक्यूमेंट जिसमें जगन्नाथ ने दावा किया है और जैंकब का फैसला किया है उनके देखने से हम तथ्य पर पहुंच सकते हैं। उसका आपरेटिव पोर्शन हो सकता है कि जिन माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है उन्होंने नहीं देखा होगा। रेलेवेन्ट पोर्शन है वह आपको पढ़कर सुना देता हूं—

"प्रतिवादी जगन्नाथ का नाम जो खातेदारी कृषक का था खारिज किया जाता है और वादी का नाम दर्ज किया जाता है और डिग्री वादी के खर्चे की प्रतिवादी जगन्नाथ के खिलाफ की जाती है"

(श्री शिवनाथ सिंह)

यह जो कुछ अधिकार जगन्नाथ के थे वे ट्रान्सफर हो गये। यह आरोप लगाया गया है कि खातेदारी के अधिकार नहीं थे और माननीय मंत्रीजी के प्रभाव का दुरुपयोग करके खातेदारी में कन्वर्ट कराने की कोशिश की है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो जैकब ने दावा किया है उस दावे में जिक्र किया है और उन्हीं एन्ट्रीज के आधार पर जो जगन्नाथ के नाम पर थीं वह फैसला हुआ है। जगन्नाथ की हैसियत खातेदार की दर्ज थी तो कहीं भी मंत्री महोदय बीच में नहीं आते हैं। जगन्नाथ की जो एन्ट्री सेटलमेंट डिपार्टमेंट ने की थी, उस वक्त माननीय मंत्रीजी का उस जमीन से कोई संबंध नहीं था और खरीदने की बात नहीं थी उस समय एन्ट्री हुई थी जगन्नाथ के नाम पर। तो उस जगन्नाथ के नाम पर दूसरा नाम दर्ज किया गया है। इसलिये यह आवरण फैलाया गया है कि मंत्री महोदय ने अपने पद का दुरुपयोग कया है। अगर वह खातेदारी की जमीन थी तो खातेदारी अधिकार प्राप्त किये हैं। किसी भी माननीय सदस्य ने दावे को नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा होता तो स्पष्ट हो जाता। इसलिये यह बात कहना कि पद का दुरुपयोग किया है, गलत है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: माननीय सदस्य जानकारी के लिए पूछना चाहता हूं। क्या इस फैसले में जगन्नाथ को ओरीजिनल खातेदार माना है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई: नहीं।

श्री शिवनाथ सिंह: मिसेज जैकब ने दावा किया है कि जगन्नाथ ने गलत एन्ट्रीज करा ली हैं। उसमें यह नहीं लिखा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल: जो आपरेटिव पोर्शन की बात आप पढ रहे हैं उसमें वहां पर दिया है:–

"वादिनी का वाद स्वीकार किया जाता है। ग्राम बडगांव तहसील लाडपुरा में 58 बीघा भूमि प्रतिवादी जगन्नाथ के नाम पर खातेदारी कृषक के नाम से खारिज की जाती है और वादिनी के नाम दर्ज की जाती है..."

श्री शिवनाथ सिंह: माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ खातेदारी के अधिकार जगन्नाथ के थे और जो कुछ राइट जगन्नाथ के थे उसके अलावा और कोई भी राइट जगन्नाथ से अधिक नहीं दिये गये हैं। इसलिये यह लगता है कि आरोप बिलकुल मिथ्या है। माननीय मंत्री जी ने अपने अधिकारों को दुरुपयोग करके कोई खातेदारी राइट्स प्राप्त करने की कोशिश नहीं की है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: एलिगेशन यह है कि सेटलमेंट पेपर्स में जगन्नाथ ओरीजनली गैरखातेदार दर्ज था तो यह खातेदार कैसे दर्ज हो गया। इसका आप समाधान करदें।

श्री शिवनाथ सिंह: जो माननीय रामानन्द जी ने एतराज किया है कि सेटलमेंट रेकार्ड में जो कुछ दर्ज था उसको चेन्ज नहीं किया गया है। सेटलमेंट रेकार्ड में जगन्नाथ के नाम जो कुछ था वही जैकब के नाम ट्रांसफर हुआ है। उसके दावे के आधार पर रेकार्ड में चेन्ज नहीं किया गया है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल: जो सरकारी रेकार्ड में केवल गैरखातेदार था और एस.डी.ओ. खेतपाल सिंह ने जल्दबाजी करने की जो सारी भूमिका है, उन्होंने भूल से उसको

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)
खातेदार मानकर जो राइट ट्रांसफर किये हैं और 88 के तहत दावा किया है उसमें उसको खातेदार घोषित किया ह ।

श्री रघुनाथ विश्नोई: इसलिए तो रेफरेन्स के लिए मामला सब जुडिस है ।

श्री शिवनाथ सिंह: जो दावा जगन्नाथ के खिलाफ किया है और उससे जो राइट जैकब को मिले हैं वे ही राइट्स रजिस्ट्री द्वारा श्रीमती रक्षा देवी को मिले हैं इसलिये यह आरोप गलत हैं और मिथ्या आडम्बर हैं। और माननीय मंत्रीजी को बदनाम करने के लिए किया गया है ।

इसलिये दूसरा कुछ निवेदन करना चाहूंगा । जब पेट्रोल पम्प का मालूम हुआ हो सकता है कि वह रिकार्ड नहीं देखा गया हो । 1957 में रेकार्ड बना है । इन्होंने जब पेट्रोल पम्प लगाने की बात कही तो कलेक्टर को लिखा 16-1-62 को । उस में यह बताया है कि यह आबादी की जमीन है । इसलिये जो जमीन आबादी की है, कलेक्टर ने नो आब्जेक्शन सार्टिफिकेट दिया हैं, उसमें कौनसी ऐसी बात हो गयी है । दूसरे, यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह पेट्रोल पम्प लगा है उस वक्त बृजसुन्दर जी न एम. एल.ए. थे और न मन्त्रि-मण्डल में थे । इसलिये 62 में यह किस तरह से ज्ञात हो गया कि यह मन्त्री बनने वाले हैं ?

श्री देवीदत्त गाडिया: पेट्रोल पम्प बनने के बाद मण्डी कमेटी कोटा ने ऐतराज किया है ।

श्री शिवनाथ सिंह: मैं निवेदन कर रहा था कि यह पेट्रोल पम्प की जमीन 35 रु. बीघा के हिसाब से नीलाम हुई है । और जो हाइयेस्ट बोली बोलने वाला था उसके नाम से हुई है । नीलाम होने के बाद सरकार जब तक मजूंर नहीं करती है, कोई भी नीलाम की कार्यवाही पूरी नहीं होती है । इसलिये जो आरोप लगाया गया है, इसलिए जो इन्क्वारी बैठाने के लिए कमेटी बनाने की बात उठायी गई है वह सरासर अन्याय है । इस तरह अगर हम दिन प्रतिदिन करते चलेंगे तो टिकेंगे नहीं । एक बात और निवेदन करूंगा । बृजसुन्दर जी का पिछले बीस साल से सार्वजनिक जीवन रहा है । इससे पहले वह वकील रहे हैं । वह मन्त्रि-मण्डल में रहे हैं । यदि जन संघ ने यह आरोप लगाया है तो यह उसने बहुत बड़ा भला किया है । हमारे मन्त्रियों का एक तरह से शुद्धिकरण करके बैठा दिया है । उन्होंने अगर अपने जीवन में अपने मन्त्रिकाल के जीवन में सिर्फ 32 बीघा जमीन खरीदी है । तब तो कुछ नहीं किया है । अगर वह चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे । सारे जीवन में 25 बीघा जमीन खरीदी है । उसके उपरान्त भी इस प्रकार का आरोप लगाया जाता है । इससे अधिक मेरी समझ में नहीं आता है कि कई और शर्मनाक बात हो सकती है । इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस जांच में कुछ होने वाला नहीं है मैं इसलिए इसका विरोध करूंगा ।

श्री अध्यक्ष: टेप रिकार्ड के संबंध में व्यवस्था ।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि स्वास्थ्य मंत्री श्री बृजसुन्दर शर्मा के मामले में कल माननीय सदस्य भरोंसिह ने टेपरिकार्ड में, जो बातचीत रिकार्ड की गई थीं, उसको सुनाने की आज्ञा मांगी थी मैंने इस प्रश्न पर विचार करके व्यवस्था देने

Page No 153

(श्री अध्यक्ष)
के लिये कल सदन को निवेदन किया था। इस प्रश्न पर मैंने बहुत ही विचार और चिन्तन किया है। यद्यपि न्यायालयों में साक्ष्य के दौरान टेप रिकार्ड सुनाने के उदाहरण हैं और जिस व्यक्ति की बातचीत टेप की गई है, उसको साक्षी के रूप में, उससे जिरह करके, उसके आधार पर उसकी शहादत की कीमत, मूल्यांकन करने की स्थिति में सुनाने के उदाहरण मुझे प्राप्त हुए हैं। किन्तु संसद अथवा राष्ट्र की विधान सभाओं में टेप सुनाये जाने का कोई उदाहरण परम्परा के रूप में अथवा उन पर किसी प्रकार की व्यवस्था मुझ को प्राप्त नहीं हो सकी कि जिससे उस परम्परा को बनाने में अथवा इस नयी परम्परा को कायम करने में इस सदन को सहायता मिल सके।

इस मामले के दो पहलू हैं। प्रथम तो मामले पर, मामले में वाद-विवाद करना इस सदन के प्रांगण पर प्राइमाफेसी एवीडेंस के आधार। दूसरा यदि सदन की यह मान्यता हो जाती है कि इस मामले में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, यह प्राइमाफेसी की हद तक पहुंचते हैं, तब एक समिति का गठन करना।

श्री भैरोंसिंह : इस वक्त एडमीशन पर विवाद हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : और उस प्रस्ताव के अन्तर्गत इस समिति का गठन होने के बाद इन्क्वायरी आरम्भ होती है। इस प्रस्ताव पर वाद-विवाद और प्रस्ताव के अन्तर्गत समिति का गठन, समिति के गठन के बाद समिति को अधिकार है कि साक्षी ले, उस पर निर्णय दे और उसके बाद जो भी इस प्रश्न का आपरेटिव पोर्शन है, उसके माफिक आगे की कार्यवाही करें।

इस प्रसंग को लेकर माननीय भैरोंसिंह जी की ओर से टेप की बातचीत को टेप पर सुनाने का आग्रह है और उधर स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी एक टेप मेरे सामने प्रस्तुत करके, उसके साथ ही उसका एक एक्स्ट्रेक्ट प्रस्तुत किया है और उन्होंने भी मांग की है कि इस टेप को सुनाने की उन्हें भी आज्ञा प्रदान की जाये।

क्योंकि सदन के सम्मुख एक नयी परम्परा बनाने का प्रश्न उपस्थित है। यदि यह प्रश्न इस प्रस्ताव के अन्तर्गत किसी नवगठित समिति के सम्मुख प्रस्तुत होता तो स्थिति बहुत विपरीत होती। मैं बहुत चिन्तन के बाद, नयी परम्परा और परम्परा भी ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो एक तरफ एक के पक्ष में अपनी एक बात कहता है और दूसरे पक्ष में अपनी ओर से अपनी दूसरी बात कहता है। ऐसी स्थिति में मैं इस परम्परा को नये तरीके से बनाने की हालत में नहीं हूं। अतः दोनों ही पक्षों को मैं अपने टेप बजाने को इजाजत नहीं देता।

(5 म. प.)

श्री भैरोंसिंह : हाउस में इजाजत नहीं दें.........

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज!

श्री भैरोंसि : लेकिन इतनी व्यवस्था तो हो सकती है........

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज!

श्री भैरोंसिंह : हाउस में सुनाने की इजाजत नहीं दे सकते हैं तो इतनी व्यवस्था तो दे सकते हैं कि इस हाउस के जो माननीय सदस्य टेप सुनना चाहें, वह हाउस की लाबीज

(श्री भैरोंसिंह)
में चले जायं, और मंत्रि-मण्डल के मंत्री, पूर्णतः नहीं तो एक-दो जरूर सुनना चाहेंगे, वह सुन लें। इसमें क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष: इसमें आपत्ति का प्रश्न नहीं है, और सहमति का प्रश्न भी नहीं है। माननीय सदस्यों की स्वेच्छा का प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह: तो, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को अपना टेप रिकार्ड सुनाने के लिए लाबी में चलने के लिए आमन्त्रित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: यह माननीय सदस्यों की स्वेच्छा का प्रश्न है कि आपके आमंत्रण को स्वीकार करें या नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: टेप रिकार्ड हाउस में लगाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, टेप रिकार्ड हाउस में लगाया जा सकता है

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल: अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी है, टेप रिकार्ड के सिलसिले में···

. . . .

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल: एक निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: मैं समय निर्धारित कर देता हूं, उसके बाद आपकी बात सुन लेता हूं। मैं इस प्रस्ताव के विषय को आज ही समाप्त करना चाहता हूं क्योंकि आज का बिजनेस कल पर चला जायगा और कल का बिजनेस परसों पर चला जायगा और इस प्रकार बिजनेस आगे बढता चला जायगा ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि इस प्रस्ताव को आज ही समाप्त करें चाहे कितने बजे तक हमें बैठना पडे इसलिए जब तक इस प्रस्ताव के ऊपर वाद विवाद समाप्त नहीं हो तब तक के लिए मैं सदन की अनुमति से···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: टाइम कोई।

श्री अध्यक्ष: पार्डन।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: बजे तो तय कर दीजिये, ताकि माननीय सदस्य इधर उधर चले जायं तो वोटिंग के समय आ सकें। इसमें सबको सहूलियत रहेगी, भले ही आप छः बजे कर दीजिये, सात बजे कर दीजिये।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: बजे की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: सात बजे तक। मैं सदन की अनुमति से सात बजे तक के लिये सदन का समय बढाता हूं।

यस। श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का सवाल है। आपने अपनी जो व्यवस्था दी है, वह व्यवस्था अपने स्थान पर है, उस व्यवस्था के बारे में मैं कुछ नहीं कहता, परन्तु मुझे ऐसा लगता है, इस व्यवस्था में दो पाइण्ट को एक साथ कन्फ्यूज किया गया है। मेरी मान्यता है कि टेप रिकार्ड इज जस्ट लाइक ए डाकूमेंट, जिस तरह हम किसी···

श्री रघुनाथ बिश्नोई: कन्फ्यूज करने का चार्ज चेयर पर लगाया जा रहा है यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था के सम्बन्ध में नहीं कहें। मैंने उसको डाकूमेंट मान लिया

Page No 155

(श्री अध्यक्ष)
जाय—इस सम्बन्ध में न्यायलय का हवाला दिया है, साक्षी उसको माना है इसमें कहीं शंका प्रकट नहीं की है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह कन्फ्यूज करने के लिए कह रहे हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: मुझे व्यवस्था के प्रश्न पर कहने तो दीजिये। मैं कह रहा हूं Appriciation of a document is altogether a different thing.

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। मैं इसे चर्चा का प्रश्न नहीं बनाने दूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : व्यवस्था के बाद कोई प्रश्न नहीं रहता।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें। यह चर्चा का विषय नहीं है।

श्री रामकिशन : इससे सदन को आसानी हो जायगी।

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर। आसानी नहीं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आपकी जो व्यवस्था है वह इस पर आधारित है कि एक व्यक्ति ने दो प्रकार की कथित साक्षी दी है उसको टेप रिकार्ड किया है, तो इस कारण से उस साक्षी पर कितना भरोसा किया जाय, उसकी वेल्यू क्या है उस साक्षी की, यह इस बात पर निर्भर है कि टेप रिकार्ड को सुनाया जा सकता है या नहीं सुनाया जा सकता है

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज! माननीय सदस्य

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इसलिए इस प्रश्न पर आपसे विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम सदन के प्रांगण में वह दोनों प्रकार की साक्षी उपस्थित तो होने दीजिये····

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जिससे उसकी वेल्यू को असेस करने····।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उसका विवेचन करने और उसका मूल्यांकन करने··

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य ! श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, मैं जो यह प्रस्ताव माननीय बृजसुन्दर के सम्बन्ध में रखा गया है, इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन इसलिए नहीं करता कि यह तथ्य जो हमारे सामने रखे गये हैं यह कन्क्लूजिवली, अन्तिम रूप में जो आरोप लगाये गये हैं वह पूर्ण रूप से साबित हो गये हैं, बल्कि इसलिए मैं समर्थन करता हूं कि मैं महसूस करता हूं कि इन तथ्यों के आधार पर इस प्रकार का प्रश्न तो अवश्य है कि यह प्राइमा-फेसी इस प्रकार का सन्देह तो अवश्य पैदा करते हैं, इस प्रकार की स्थिति अवश्य पैदा करते हैं कि माननीय बृजसुन्दर शर्मा का जो आचरण है और इस सम्बन्ध में जो कार्य-वाहियां उन्होंने कुछ मामलों में की हैं—वह सन्देहजनक बन जाती हैं, वह इस प्रकार की बन जाती है कि जिनकी जांच होना आवश्यक है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि कुछ तथ्य जो माननीय भैरोंसिंहजी ने प्रस्तुत किये हैं, जिनमें कि बृजसुन्दर शर्मा के ऊपर कुछ आरोप सामने आये हैं, उनकी जांच के लिए इस सदन की एक कमेटी मुकर्रर की जाय। अध्यक्ष महोदय, इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने जो कुछ तथ्य इस प्रकार के सामने रखे हैं, इस प्रकार की दलीलें पेश की हैं, जिससे कि वह केवल यह कह सकते हैं कि यह जो पच्चीस बीघा जमीन श्री जगन्नाथ जी से और उनके जरिए, क्या नाम है· · ·

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: जैकब।

श्री रामानन्द अग्रवाल: जैकब के द्वारा बृजसुन्दर शर्मा की धर्मपत्नी ने खरीद की है, उसके सम्बन्ध में एक निर्णायक रूप से इस नतीजे पर हम पहुंचें कि· ·

श्री भैरोंसिंह: आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय, आपने टेप रिकार्ड सुनाने की अनुमति दी है, मैं एक अनुमति चाहता हूं कि इस लाबी में जो माननीय सदस्य सुनाना चाहते हैं उनको मैं सुना दूं।

श्री अध्यक्ष: किसकी आज्ञा। लाबी में आप सुनायें इस प्रकार जिससे हाउस डिस्टर्ब नहीं हो· ·

श्री भैरोंसिंह: नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष: वहीं तक सीमित रखें उसे।

श्री रामकिशन: लेकिन साथ साथ· ·

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर, विपक्षी दल की लाबी में। यह नहीं कि इस ओर की लाबी में चले जायं। इस तरह का आदेश नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : सुनाना उनको है।

श्री अध्यक्ष: उधर आमंत्रित कर दिया, वह इतने लिबरल हैं, निमंत्रण लेने में।

श्री रामकिशन: साथ साथ पाबन्द कर दिया जाय कि बाजार में सुना कर फीस वसूल न करें।

श्री अध्यक्ष: इसी प्रकार माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी उधार सुनाना चाहें तो वह सुना सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: हाउस में टेप रिकार्डर· ·

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। आरम्भ रखिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: हाउस में टेप रिकार्ड इन्स्टाल हो सकता है।

श्री अध्यक्ष: इन्स्टाल होने का मतलब, आप ला सकते हैं?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: हाउस में टेप रिकार्ड इन्सटाल हो सकता है।

श्री अध्यक्ष: अन्दर प्रांगण में?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: हाउस के अन्दर सुनाने में क्या है। इस सम्बन्ध में व्यवस्था है, रूलिंग है।

श्री अध्यक्ष: मैंने नहीं देखी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: व्यवस्था है, रूलिंग है।

श्री अध्यक्ष: वह अलग प्रश्न है। मैं इस पर नहीं सोचना चाहता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जम्मू– काश्मीर की है, वहां पर इन्स्टाल किया गया, उसके बाद में यह मामला प्रिविलेजेज कमेटी में गया और प्रिविलेजेज कमेटी ने रूलिंग दी, व्यवस्था दी कि स्पीकर महोदय की पर्मीशन से यूज हो सकता है, इन्स्टाल हो सकता है, काम में लाई जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था अच्छी है। आडर प्लीज! आरम्भ रखिये।

श्री पृथ्वीसिंह : टेप रिकार्ड सुनने के लिए...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मेरा निवेदन है कि इस पर दुबारा विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष : यह विचार करने का प्रश्न नहीं है।

श्री पृथ्वीसिंह: मेरा निवेदन है कि हाउस को दस मिनिट के लिए एडजोर्न कर दिया जाय ताकि सब के सब माननीय सदस्य टेप रिकार्ड सुन सकें।

श्री अध्यक्ष: श्री रामानन्दजी का भाषण आरम्भ हो गया है। उनका भाषण समाप्त हुए बिना मैं आगे नहीं चल सकता।

श्री पृथ्वीसिंह : दस मिनिट के लिए एडजार्न कर दें।

श्री रामनारायण चौधरी आन ए पोइन्ट आफ क्लेरीफिकेशन, सर...

श्री पृथ्वीसिंह : पन्द्रह मिनिट की इजाजत दे दी जाय।

श्री अध्यक्ष: मैं दे दूंगा, रामानन्द जी के भाषण के पश्चात्।

श्री रामनारायण चौधरी: अध्यक्ष महोदय आपने टेप रिकार्ड सुनाये जाने के बारे में व्यवस्था दी है कि सदन में वह नहीं सुनाया जा सकता क्योंकि इस प्रकार की परम्परा नहीं है और कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिला। लेकिन लाबीज जो हैं यस और नोज, दोनों इन्टेग्रल पार्ट आफ हाउस हैं, मेरा यह स्पष्टीकरण के बतौर निवेदन है कि लाबीज में भी, क्योंकि वह इन्टेग्रल पार्ट आफ हाउस हैं, यह टेप रिकार्ड एलाऊ नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए विनम्रतापूर्वक आपसे पुनः निवेदन है कि आप अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: इस पर मैं सोचना नहीं चाहता। मैंने व्यवस्था दे दी है, लाबीज के अन्दर, हाउस डिस्टर्ब न हो, किवाड़ बन्द हों, अन्दर सुनायें उस पर मैं पुनर्विचार नहीं कर रहा हूं।

यस। श्री रामानन्द अग्रवाल!

श्री रामानन्द अग्रवाल: मैं निवेदन कर रहा था कि जो दलीलें माननीय सदस्यों, इधर बैठने वालों ने जो आरोप श्री बृजसुन्दर शर्मा के ऊपर लगाये गये हैं...

(5.10 म.प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

उस सम्बन्ध में दी हैं, वह दलीलें इस प्रकार की अवश्य हो सकती हैं कि जो इसमें आरोप के पक्ष में जो दलीलें दी गई हैं, उनकी पूर्ण सत्यता के बारे में कुछ सन्देह पैदा कर दें परन्तु इसकी वह दलीलें हैं

वह बिल्कुल उनको खण्डित करके उन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आरोपों का आधार ही समाप्त कर दें। जब इस प्रस्ताव में केवल एक जांच कमेटी नियुक्त करने की मांग की है, वह इसलिए नहीं कि आरोप पहले सिद्ध हो चुके हैं, मान लिये हैं और तब जांच कमेटी की मांग की जा रही है। जांच कमेटी की मांग इसलिए की जा रही है कि आरोपों में कुछ आधार है, कुछ इस प्रकार के तथ्य हैं, जो प्राइमा फेसी इस प्रकार के तथ्य प्रस्तुत करते हैं जिनकी जांच होनी चाहिए, जो सही साबित हो सकते हैं, गलत साबित हो सकते हैं। सभापति महोदय, जिस प्रकार से इन पर आरोप है कि 25 बीघा जमीन की खरीद के बारे में है। माननीय सदस्यों ने दलील दी जगन्नाथ की जमीन का उनसे अधिकार लिया जैकब और बृजसुन्दर शर्मा की धर्मपत्नी खरीदने वाली, कीमत दी गई जब कीमत दी गई है, जमीन खरीदी गई है, सरकारी जमीन नहीं तो इस के अन्दर किस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग किया गया या भ्रष्टाचार किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य उस पर गंभीरता से विचार करें। विचारणीय विषय यह है कि यह जमीन जो माफी की थी, उस एरिया में थी, जिसमें खातेदारी अधिकार हासिल नहीं हो सकते और इधर जगन्नाथ के सरकारी बन्दोबस्त के अन्दर उनको गैर खातेदारी द किया। दफा 15 ए के तहत चम्बल एरिया में खातेदारी अधिकार हासिल नहीं हो सकते तो इसलिए जो श्री जगन्नाथ के नाम सरकारी गैर खातेदारी दर्ज है, इस फैसले में एस.डी.ओ. साहब ने अचानक एकदम खातेदारी कैसे मान लिया। यह एक प्रश्न है जिसमें मैं उत्तर चाहता हूं माननीय श्री शिवनाथसिंह जी से। केवल इतना कह देना काफी नहीं कि जो अधिकार चूंकि खातेदारी के अधिकार जगन्नाथ के थे वही अधिकार जैकब को ट्रान्सफर हो गए। मैं समझता हूं कि श्रीमती रक्षादेवी राजस्व मंत्री की धर्मपत्नी हैं, राजस्व मंत्री का फर्ज था जब उनकी देखरेख में रजिस्ट्री हुई है, कि किसी प्रकार से कागजों की अदला बदली करके सरकार के हितों का नुकसान न हों, यह देखना था कि जैसेही यह डील बृजसुन्दर शर्मा के नोटिस में आई, उनका यह फर्ज था देखना था कि यह सार्वजनिक जमीन जिस पर गैर खातेदारी जगन्नाथ है और पूरा अधिकार सरकार का है, अगर कोई गैर खातेदार अपने आप को खातेदार पोज कर रहा है तो ऐज रेवेन्यू मिनिस्टर श्री बृजसुन्दर शर्मा का फर्ज हो जाता है कि उस बात का नोटिस लेते हुए फौरन उस पर कार्यवाही करते और कोई आदमी उन अधिकारों पर उजर कर रहा है खातेदार न होते हुए भी वह क्लेम कर रहा है इस बात को देखते हुए स्टेट के राइट्स को सरकार कीमत चार्ज करे, गैर खातदार जगन्नाथ को खातेदार बनाने के लिए सरकार को कुछ देना पड़ेगा और यह जगन्नाथ अचानक उस एस.डी.ओ. के फैसले में खातेदार दर्ज किए जाते हैं और जैकब के नाम भी खातेदारी की डिक्री हो जाती है।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्री बृजसुन्दर शर्मा का अचारण एज रेवेन्यू मिनिस्टर बजाय इस मामले को जो कि उनके नोटिस में आया कि सरकारी अधिकारों पर, जबर्दस्ती उस पर अनधिकृत चेष्टा कर रहा है उन हितों की रक्षा करने के बजाय चूंकि उनकी धर्मपत्नी के हित में वह काम में आया तो सामान्यतः यह संदेह होना कोई अस्वाभाविक नहीं है कि श्री बृजसुन्दर इसको छिपाने में

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इन्टरेस्टेड थे। यह गलत भी साबित हो सकता है श्री बृजसुन्दर शर्मा को मौका मिलेगा और वह अपनी दलील दें, उसका खंडन कर सकते हैं लेकिन खंडन हो उस कमेटी के सामने तब वह बात साबित हो लेकिन जो तथ्य हमारे सामने आते हैं, उनके आधार पर ओनस श्री बृजसुन्दर पर लाजमी तौर से गिर गया कि उन्होंने एज रेवेन्यू मिनिस्टर इस डल्के सामने आते ही इस बात को नोटिस क्यों नहीं लिया कि यह जगन्नाथ खातेदार कैसे बन गया यह जगन्नाथ खातेदार नहीं है। खातेदार बनने पर जो राज्य सरकार को कुछ मिलना चाहिए था वह सरकार को नहीं मिला, यह स्टेट के राइट पर अनधिकृत चेष्टा कर रहे हैं, इसको एज रेवेन्यू मिनिस्टर रोकें।

दूसरी बात कोई भी गैर खातेदारी जमीन को बय नहीं कर सकता, ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है और अगर कोई ट्रांसफर करे तो टेनेन्सी एक्ट के तहत उस आदमी को बेदखल किया जा सकता, है बेदखल किया जाना चाहिए अगर वह इस प्रकार का काम करे। श्री बृजसुन्दर शर्मा जिन्होंने सरकिट हाउस में बुलाकर उस रजिस्ट्री को अपने सामने कराया, जिनका बाया उनकी धर्मपत्नी है और बेचने वाला एक दूसरा शख्स है जिसका राजस्व मंत्री होने के नाते यह मालूम होना चाहिए कि गैर खातेदार जबरदस्ती खातेदार एन्टर हुआ है और गैर खातेदार के नाते बेचने का अधिकार नहीं है और अगर बेचता है तो कानूनी कार्यवाही करके उसकी भूमि कैंसिल करने को कार्यवाही करनी चाहिए और जमीन स्टेट को रिवर्ट होनी चाहिए।

सभापति महोदय, इस प्रकार की कार्यवाहियां गरीब लोगों के साथ गंगानगर जिले में, मेरे जिले में पुरुषार्थी किसानों के साथ हुई हैं, कई पुरुषार्थी किसान जिन्होंने अभी तक एलाटमेंट की जमीन की कीमत नहीं चुकाई, तीन तीन चार चार किश्तें तो दे दी बाद में नहीं दे सके, वे चले गए, उन्होंने जमीन अपनी बेच दी तो वह जमीन बेची हुई नहीं मानी गई। सरकार ने उनकी जमीन कैंसिल कर दी और नीलाम किया, जिस गरीब ने जमीन खरीदी उस खरीददार का पैसा गया और तीसरा आदमी जिसको सरकार ने जमीन बेच दी वह मालिक हो गया। यह इन्हीं के राजस्व मंत्रीत्व के अन्दर पुरुषार्थी किसानों के साथ हो रहा है। मैं एक केस अलवर जिले का पेश कर रहा हूं। इस प्रकार सैकड़ों केसेज मिल जायेंगे जहां इस प्रकार लोगों ने जमीन खरीदी हो जबकि प्रार्थी गैर खातेदार था उसको बेचने का अधिकार नहीं था इसलिए उसकी जमीन को कैंसिल कर दिया गया जिसकी खरीद में बेचारे का पैसा गया और नया खरीददार पैदा हो गया, उधर किश्तें जमा कराई वह गई। इधर राजस्व मंत्री के आखों के सामने, सामने ही नहीं इनकी कनाइवेन्स से रजिस्ट्री होती है गैर कानूनी तरीके से टेनेन्सी एक्ट के खातेदारी प्रावधानों के खिलाफ तो राजस्व मंत्री होने के नाते राज्य के हितों की रक्षा करने के नाते उस रजिस्ट्री को नहीं करवाना चाहिए था बल्कि श्रीमती रक्षा देवी और जैकब की जमीन को कैंसिल कराना चाहिए था और जगन्नाथ की खातेदारी को कैंसिल करने का कदम उठाना चाहिए था। इन पर आरोप यह है कि चूंकि इनकी धर्मपत्नी खरीददार थी और उसमें उनके रिश्तेदार खरीददार थे इसलिए स्टेट प्रापर्टी की रक्षा करने की जो ओथ संविधान के तहत इन्होंने ली है, उस फर्ज को नहीं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

निभाया, अपने पद का दुरुपयोग किया, अपनी धर्मपत्नी को नाजायज लाभ देने के लिए। मैं नहीं कहता कि फाइनली प्रूव हो गया लेकिन यह प्राइमा फेसी कानूनी आधार पर तथ्यों के आधार पर ऐसा है जिसकी जांच होनी चाहिए। माननीय श्री बृजसुन्दरजी को मौका मिलेगा और मिलना चाहिए कि वह अपनी पूरी तरह से सबूत दें, अपनी सफाई दें और इस बात को स्पष्ट करें कि इसमें इनका कोई दोष नहीं था एज रेवेन्यू मिनिस्टर, उन पर जो जिम्मेवारियां थी उनको पूरी तरह से निभाया, स्टेट प्रापर्टी की पूरी तरह से रक्षा की, इस बात की उनको जानकारी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर मंत्री महोदय इन तथ्यों के आधार पर जांच की बात को मंजूर नहीं करते तो मैं समझता हूं कि यह एक ज्यादती होगी। हम सबकी इस सदन के सदस्य होने के नाते जैसे राजस्व मंत्री की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि स्टेट प्रापर्टी की रक्षा हो। इस बात का खयाल नहीं होना चाहिए कि इधर या उधर के सदस्य हैं। इधर का कोई माननीय सदस्य इस प्रकार का आचरण करे तो हम सब का फर्ज है कि उसी प्रकार से उनके खिलाफ मोशन लाए और हम लाए हैं। माननीय मानसिंहजी इधर बैठते हैं, हमारे मित्र हैं, परन्तु कोई काम उन्होंने एज एम.एल.ए. होने के नाते उनका आचरण गलत था, हमने मोशन दिया है और इस सदन में आएगा और आपको उस पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिलेगा तो इसलिए इस पक्ष या उस पक्ष की बात नहीं करूंगा या सिवा तथ्यों के आधार पर जिनमें हमारे आचरण पर, जनता में किसी प्रकार का संदेह नहीं हो, मैं नहीं कहता कि किसी प्रकार का आरोप लगे और फौरन इन्क्वायरी कमेटी बिठाएं। न इस रिजल्यूशन का ऐसा मतलब है न ऐसी परम्परा डालनी चाहिए, उसका बेसिस होना चाहिए प्राइमा फेसी केस बनाना चाहिए। मैं समझता हूं यह एक प्राइमा फेसी केस इस पर बनता है।

कीमत दी गई यह सही है और जो उसमें तहसीलदार को लिखा है कि मेरे सामने कीमत दी गई तो बिना दूसरे आधार के यह कहें कि कीमत नहीं दी गई हमारे लिए ऐसा मुश्किल है, अलबत्ता एन्क्वायरी में फैसला करना पड़ेगा कि कीमत नहीं दी गई। अभी तो जहां तक लिखा हुआ है उसको उस बात में माना जावेगा लेकिन कीमत देते हुए भी जो तर्क मैंने प्रस्तुत किये हैं, वे जो कमियां हैं वे दूर नहीं हो जाती हैं। लेकिन जो कीमत दी भी गयी है, सभापति महोदय मैं यह निवेदन करूंगा कि 250 रुपया बीघा को जमीन समझता हूं। एक बीघा कोटा के इलाके में करीब करीब जमीन की कीमत इतनी ही हो यह संभव मुझे नजर नहीं आता है अलवर जिले में और उसमें कोई बड़ा अन्तर नहीं है। हमारे जिले में सामान्य बारानी जमीन का हजार आठ सौ रुपया बीघा है। शहर में तो दो हजार हो गया है, शहर से तो आप दूर हैं वहां 500 रुपया है।

श्री **गोकुल प्रसाद शर्मा** (बीकानेर) : बीकानेर में दस रुपया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जैसलमेर में भी होगी। लेकिन मैं तो कोटा बूंदी की बात करता हूं आपके रणजितपुरा, बीजू में जरूर होगी। वहां पीने का पानी ही नहीं है।

Page No 161

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
दस रुपया में भी होटा है। कितने ही लोग पानी के बिना मर गये हैं।

इसलिये कीमत शंका प्रकट करती है। मार्केट वेल्यू वह हो तो साबित हो सकता है।

एक माननीय सदस्य : बराबर में 300 की है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसकी इन्क्वायरी की आवश्यकता है।

श्री ताराचन्द ..ह (सुजानगढ) : कोटा बूंदी की जमीन दिलवायें तो हजार रुपया बीघा में मैं ले लूं।

श्री मोहन लाल मोदी : मेरे यहां चाहें तो दिला दूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दूसरा मैं कहना चाहता हूं मोहीपुरा की जमीन के बारे में मोहीपुरा की जमीन के सम्बन्ध में बृजसुन्दर जी शर्मा की तरफ से बोली लगायी गयी, बाकायदा नीलाम हुआ यह कहा है। आरोप यह लगाया गया है कि वास्तविक रूप से नीलाम नहीं हुई और नीलाम की कार्यवाही कागजी तौर से पूरी कर ली गयी। सभापति महोदय, हम सब सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं। दोनों बातें सही हो सकती हैं। यह भी होता है कि अपन सब जानते हैं कि अफसरों से कोई काम कराना हो या तहसील में बैठकर करा लेते हैं, अलाटमेन्ट को कार्यवाही भी तहसील में बैठ कर करा लेते हैं और पीछे दस्तखत करा लेते हैं। यहां क्वेश्चन आते हैं और वहां आती है। तो इस बात को बिल्कुल रूल आउट करके चलें कि यह हो ही नहीं सकता मैं इस प्रकार की बात को मान कर नहीं चल सकता। जब कि आज की हालात में जगह 2 यह है कि गांव वाले खुद जमीन के लिये तड़फ रहे हैं, गांव के लोग उस जमीन के लिये दरख्वास्तें करते हैं। उस गांव के लोग नीलाम में शामिल नहीं हुए, शामिल होकर आउट बिड हो जाते और उनकी नीलामी बोली नीची रहती और इनकी ऊंची रहती तो मुझे संदेह नहीं रहता। लेकिन उनकी गैर हाजरी में ली गई, मैं समझता हूं बृजसुन्दर शर्मा, एक रेवेन्यू मिनिस्टर के नाते उनका लड़का खरीददार न हो और फिर कोई एप्लीकेशन लेकर आये सामने, गांव वाले यह कहें कि नीलाम कर दी गयी है, दस गुनी कीमत देने के लिये तैयार हैं, जमीन यह उनको जान से प्यारी है; दूसरे गांव वालों को क्यों मिलनी चाहिये, कृपा करके आप इस नीलामी के ऑर्डर को कैंसिल करो और दुबारा नीलाम करो, मैं समझता हूं कि श्री बृजसुन्दर जी शर्मा का दूसरा फैसला नहीं होगा कि नीलाम होना चाहिये। वह होगा तो सरकार के हित में। माननीय सदस्यों ने कहा कि वह नीलाम फाइनल नहीं होगा। यह बात सही है कि चोरी खुर्द बुर्द होने से पहले पकड़ी गयी। यह बात भी उसमें कही जा सकती थी आपकी सरकार विजिलेन्ट है। यह भी कहा जा सकता है कि हाउस में बात चलने से सरकार विजिलेन्ट हो गयी और कलेक्टर विजिलेन्ट हो गया और सब-जुडिस मामला बन गया। यह बात रही है। सरकार ने फैसला दुरुस्त किया है या नहीं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं। हम बृजसुन्दर जी के आचरण का जिक्र कर रहे हैं। उनकी तरफ से अटेम्प्ट था अपने लड़के को जमीन दिलाना, सगे सम्बन्धियों को जमीन दिलाना, उनके सबोर्डिनेट अधिकारी ने काम चलाया

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कर दिया, उनके नोटिस में नहीं है, उनके डिपार्टमेन्ट का मामला है, उनको सुअ मोटो अपने अधिकार से कैंसिल न करे, ज्यादा पैसा मिल सकता है तो थोड़े में क्यों किया जाय उसके बजाय उसको डिफेर्ड किया जाय और फिर रेवेन्यू मिनिस्टर के ऊपर कोई और निर्णय लेले उन्हें सही प्रोक्शन मान लिया, उस जमीन का 78 बीघा और कुछ बिस्वा जमीन का उन्नीस सौ और कुछ रुपया वसूल किया जिसकी कीमत कोई तीस रुपया बीघा के करीब आती है। मुझे आश्चर्य है कि यह किस प्रकार की जमीन है। नदी नालों की जमीन भी इस भाव में नहीं मिलती है। यह हो सकता है, यह इन्क्वायरी की बात है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल: माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बता दूं 39 बीघा 3 बिस्वा तो, 2,651 रुपयों में और दूसरी जो जमीन है वह है 38 बीघा 14 बिस्वा, 3,701 रुपये में।

श्री रामानन्द अग्रवाल: तो सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो नोटिस नीलामी का जारी किया गया है।

श्री मोतीलाल मोदी: तो इसका यह मतलब हुआ कि 100 रुपये के करीब एक बीघा जमीन पड़ी।

श्री रामानन्द अग्रवाल: जहां तक तथ्य है, गांव वाले यह कहते हैं कि वे 500 रुपया बीघा देने के लिये तैयार हैं। यह आरोप लगाते हुए भैरोंसिंहजी ने कहा है। मैं तो वहां जाकर नहीं आया हूं। दूसरी तरफ से यह तर्क दिया जा रहा है कि जमीन ज्यादा कीमती है और कम कीमत में ली गयी है। कौनसी बात गलत है, यह जांच की बात है। अगर जांच होती है तो सही मालूम हो जायेगा कि जमीन ज्यादा कीमती है या कम कीमती उसकी बाजार की कीमत कितनी ज्यादा है और बाजार की कीमत से कितने कम कीमत में ली गयी है। ये सारे तथ्य सदन के सामने आयेंगे। इसलिये सभापति महोदय इसकी इन्क्वायरी की आवश्यकता है। जिस तरह से नीलामी की बात है सभापति महोदय, नीलामी के जो नियम हैं, हमारे सिस्टम हैं, उसके अन्दर मनादी है, पब्लिक प्लेसेज में नोटिस लगाना है। यह सब कुछ है लेकिन पब्लिक प्लेस में डेट्स देंगे, सूचना देंगे, चस्पां देंगे और तहसील के अन्दर नोटिस फाड़ दिया जाता है। यह भी होता है सम्मन की इत्तला करायी जाती है, सम्मन पहुंचाया जाता है और उस पर यह लिख दिया जाता है "लेने से इन्कार" और एक आदमी के गवाह के रूप में दस्तखत कराकर सम्मन फाड़ दिया जाता है। लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके नाम सम्मन जारी हुआ है। इस प्रकार के और तरीके बहुत होते हैं। जो वकील साहबान प्रेक्टिस करते हैं, उनके नोटिस में इस प्रकार के केसेज आये होंगे। जो होशियार वकील हैं, ऐसे तरीके ज्यादा अच्छी तरह से जानते होंगे। इसलिये यह बात कोई अनहोनी बात नहीं है तो नीलामी की जो बात है, वह इस प्रकार की गयी है कि कागज में ही चस्पां कर दिया गया है और वास्तव में चस्पां न करके कागज तहसील में ही फाड़ दिया गया है। डोंडी पिटवा दी है चाहे डोंडी पिटवा दी हो या नहीं इसका कोई टेप रिकार्ड नहीं होता। इसलिये इसकी इन्क्वायरी की बात सही है। इसलिये निवेदन करूंगा कि इस सारे मामले की जो

Page No 163

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तथ्य हैं, जांच के लायक हैं। इसकी अगर नीलामी होती तो गांव वालों को प्राथमिकता मिलती। कायदे के मुताबिक गांव वालों का हक था। अलाटमेंट होता तो गांव वालों का पहले हक था। जो समाजवाद की बात करते हैं तो उसमें गांव वालों का पहले हक है, उनका हक उनको मिलना चाहिये था लेकिन इसके बजाय इस तरह से, ड्यूबीयस तरीके से मन्त्री महोदय उनके रिश्तेदारों, पुत्र और भाई ने यह जमीन ली तो उसमें मन्त्री महोदय को अपना कर्त्तव्य का पालन करना चाहिये था, उनको स्टेट प्रोपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिये था, अगर वे ऐसा करते हैं तो वे अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, यह उनकी कर्त्तव्यहीनता है और सारे के सारे इसके अन्दर आरोप होते हैं। नीलामी सही तरीके से नहीं हुई है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह नीलामी का मामला इन्क्वायरी के काबिल है। पर सरकार यह कह रही है कि इसको फाइनल नहीं किया है, हो सकता है सरकार इस नीलामी को रोक दे परन्तु श्री बृजसुन्दर शर्मा के आचरण को एग्जोनरेट नहीं कर सकते। सरकार आज इस नीलामी को मंजूर न करे तब भी श्री बृजसुन्दर शर्मा का आचरण अच्छा नहीं है। उन्होंने सरकार के अधिकारियों से मिलकर कातिलाना कार्य किया है और सरकार को यह पता लग गया है और उसे सरकार ने मंजूर नहीं किया तो सरकार का यह कदम ठीक होगा लेकिन बृजसुन्दर शर्मा का आचरण डाउटफुल होगा और उस आचरण की जांच होनी चाहिये, यह इसकी मांग है।

तीसरी बात, जो मैं निवेदन करना चाहता हूं, वह यह है कि आज इस तरह के जो दो तथ्य सामने आये हैं मैं समझता हूं कि इन तमाम आरोपों में ये दो आरोप ही अपने आप में इतने वज़नी हैं कि इसके लिये जांच कमेटी की आवश्यकता काफी है और बाकी के आरोपों में जाने के लिये अपने लिये आवश्यकता नहीं समझता और यह तथ्य अपने आप में इतना ठोस है, जिसकी बुनियाद पर एक जांच कमेटी होनी चाहिये।

सभापति जी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जब कि कांग्रेस की तरफ से जो लक्ष्य अपने सामने है, जो टेन पाइंट प्रोग्राम है, भूमि सुधार और इसी प्रकार का जो कार्यक्रम तेजी से रखने की बात कही जाती है तो इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों को इस बात को गंभीरता से विचार करना चाहिये कि उनके कदमों को तेजी से उठाना है तो इन छोटी छोटी मोह की बातों से, इन छोटी छोटी मुहब्बतों से दूर हटना पड़ेगा जब तक जो करप्शन करे, उसको शक्ति से, स्ट्रांग हैंड्स से डील नहीं किया जायगा तो चाहे आपका सगा भाई हो, सगा बाप हो, सगा बेटा हो, पब्लिक के प्रति जिम्मेदारी, पब्लिक के प्रति वफादारी परिवार के प्रति वफादारी से बड़ी है। जो लोग परिवार के प्रति अपनी वफादारी को, जनता के प्रति वफादारी से बड़ी समझते हैं, मैं कहना चाहूंगा उनको इस सार्वजनिक क्षेत्र को गंदा नहीं करना चाहिये। अच्छा हो वे वकालत करें, दुकानदारी करें। चाहे अपने यहां खेती करें लेकिन सार्वजनिक नेता बनकर, एम.एल.ए. बनकर, या मिनिस्टर बन कर घरबार बनावें और अपने रिश्तेदारों के हित का ध्यान दें सार्वजनिक हित के बजाय, तो मैं समझता हूं कि जो ऐसे सार्वजनिक हित का कार्य करने

Page No 164

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

वाले नेता हैं, वे हमारे सब के प्रति निन्दनीय हैं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी डिसीप्लिनरी एक्शन किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ हो वह सब सदस्यों के प्रति है। तो मैं कहना चाहूंगा कि माननीय बृजसुन्दर जी के मामले पर कमेटी बैठेगी, तो मेरे को भी डर रहेगा कि गड़बड़ करेंगे तो मेरे ऊपर भी जांच कमेटी बैठेगी। जब आप मिनिस्टरी में होते हुए गड़बड़ी कर सकते हैं तो हम अपोजिशन में होते हुए भी गड़बड़ कर सकते हैं, धन अर्जित कर सकते हैं, जमीन ले सकते हैं, अलाटमेंट करवा सकते हैं। नहीं बोलने के नाम पर पैसा ले सकते हैं। आलोचना नहीं करने के नाम पर पैसा ले सकते हैं। आप उधर बैठे हैं इसलिये आप ही कर सकते हों ऐसी बात नहीं है। केवल आप का ही आचरण का क्रिटीसिज्म आलोचना नहीं है। इस प्रकार कमेटी बनने पर जनता देखेगी कि आपके ऊपर भी अधिकारी, हमारे ऊपर भी अधिकारी हैं। आप हमारे हरेक के आचरण को क्रिटीकल निगाह से, कन्ट्राविटव निगाह से देखें। आप अच्छा काम करते हैं तो अच्छी निगाह और खराब काम करते हैं तो दूषित निगाह से देखेंगे कि आप और हम जनता के हित का काम करते हैं या नहीं। इधर बैठने वाले सदस्य और उधर बैठने वाले माननीय सदस्य पर जनता भी उन पर निगाह रखने की कोशिश करेगी। यह कमेटी की मांग इसलिये नहीं है कि आपकी, या उनकी बदनामी करना है बल्कि इसलिये है कि सार्वजनिक जीवन के नाम को शुद्ध करना है। सभापति जी, इन भावनाओं के साथ जो रिजूलेशन माननीय मेरौसिंहजी ने रखा उससे सहमति प्रकट करता हूं। सभापति महोदय, जिन भावनाओं से यह प्रस्ताव लाया गया उससे सहमति प्रगट करते हुए जिस तरीके से इसका अन्त किया गया, इस प्रकार के गंभीर आरोप लगाते हुए मैं जानना चाहूंगा कि आखिर जाकर माननीय सदस्य नरम हृदय किस प्रकार से बन गये? अन्त में वे कह गये कि इस सारे मामले में मैं कोई सख्त रुख नहीं लेना चाहता, मुख्य मंत्री जी के प्रति उनको इतना विश्वास किस प्रकार से पैदा होगया? जैसा कि अभी श्री रामकिशन जी ने कहा, जिन मुख्य मंत्री के आचरण के खिलाफ इस सदन में कई प्रकार के गंभीर आरोप लगे हैं, यह माननीय सदस्यों के वश की बात नहीं है कि उन आरोपों की जांच करे। वे यह भी समझ कर न चलें कि आरोपों का अन्त होगया। बिहार में भी कांग्रेस मंत्रि मंडल समाप्त होने के बाद दूसरे मंत्रि मंडल ने वहां के मंत्रियों के प्रति आरोपों की जांच करवाई इसी प्रकार उड़ीसा में भी हुआ। वहां कमिश्नर आफ इन्क्वायरीज को इस प्रकार से मामले दिये गये। राजस्थान के मुख्य मंत्री यह न समझें कि उनके मामले यहीं पर समाप्त होगये, या इनकी मियाद खत्म हो जायगी ऐसा मान कर वे चलें नहीं। इसी प्रकार का यह मामला है बृजसुन्दर जी का 25 बीघे का, पैट्रोल पम्प का इस प्रकार के जो गलत ढंग से अलोटमेन्ट हुए हैं उनको सख्ती के साथ रोकने की आवश्यकता है। इसके अन्दर यह समझ कर मुख्य मंत्री जी के भरोसे इनको छोड़ दिया जाय, मैं समझता हूं वे सब ठीक कर देंगे यह मानना आपकी भयंकर भूल होगी। जिस तरह का मुख्य मंत्री जी ने रवैया दिखाया है उस हालत में यह उन पर छोड़ा नहीं जा सकता। जो जिम्मेवारी मुख्य मंत्री की थी उसको उन्होंने नहीं निभाया। सब्जाइम कमेटी की यह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सिफारिश है कि यदि किसी मंत्री का आचरण सन्देहास्पद होता है तो उसका कोड आफ कण्डक्ट मुख्य मंत्री को सौंप दिया जाय अगर वह उसमें प्राइमा फेसी पाये तो उसकी इन्क्वायरी करा सकते हैं अगर नहीं पाये तो ऐसा कह दें। लेकिन इस बारे में मुख्य मंत्री जी कुछ कहने को तैयार नहीं हैं। कल सब से ज्यादा कौतूहल इस बात पर हुआ जिस प्रकार का व्यवहार मुख्य मंत्री जी का रहा। मुख्य मंत्री जी कहदें कि यह बात गलत है या सही है। एक कहावत है जिस का मतलब है हां भी नहीं कहते और ना भी नहीं कहते। कुछ आरोप जो लगे हैं उनके बारे में वे कुछ भी कहने को तैयार नहीं। एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि यह तो मुख्य मंत्री जी चाहते हैं इसीलिये इधर से कहलवाना चाहते थे यह मेरी आदत नहीं है कि जो बातें मैं नहीं कह सकता वह दूसरों से कहलवाऊं। यह भी इन्क्वायरी की बात है कि ऐसा मुख्य मंत्री चाहते हैं। मैंने यहां देखा है जो मामला जितना गंभीरता से उठता है वह उतना ही जल्दी दब जाता है। क्या पता मुख्य मंत्री जी ने कुछ आश्वासन दे दिया हो। यह मामला सदन से बाहर तो ठीक हो सकता है लेकिन जो मामला सदन में आगया, एक मंत्री के आचरण का आगया उसको तो यहीं पर रखकर ही ठीक किया जा सकता है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि देश में जो करप्शन चल रहा है उसके मूल को समाप्त करना है, इसके लिये जबरदस्त संघर्ष करना है, इसमें नरमी का रुख रखा गया तो यह करप्शन को बढ़ावा मिलने का कारण होगा। जब एक आदमी भूखों मरता है और किसी गोदाम से जाकर एक सेर अनाज ले आता है तो उसको पुलिस द्वारा पीटा जाता है उस पर 379 का मामला बनाकर जेल में ठूंस दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हजारों रुपयों का गबन है उसमें आप हमदर्दी का रुख अपनाये यह समझ में आने वाली बात नहीं है। आज जो उच्च वर्ग है उनको जहां सहूलियतें देने का सवाल है तो उनको जेल में भी आलीशान बंगलों में रखा जाता है और बेचारे छोटे वर्ग के लोग हैं उनको जेल में काल कोठरियों में बेड़ियें डालकर रखा जाता है। यह तो सरकार की वर्गभेद की नीति है इसी के अनुसार मिनिस्टर लोग भी अपने प्रति व्यवहार चाहते हैं।

अन्त में यह कहता हुआ भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त किया जाना चाहिये। इसमें किसी को जबरदस्ती से मेलाइन करने के लिये, किसी तरह की ख्याति प्राप्त करने के लिये इस दृष्टिकोण से उठाना मैं समझता हूं इसे कोई उचित नहीं मानेगा। यह जो तथ्य हमारे सामने आये हैं काफी ठोस हैं। प्राइमा-फेसी की शर्त यह पूरी करता है। इसलिये इसकी जांच इस हाउस के तीन सदस्यों की कमेटी बनाकर की जानी चाहिये।

श्री सभापति : श्री पी. के. चौधरी।

श्री दौलतराम सारण : हमारी पार्टी का कोई सदस्य नहीं बोला है अतः मुझे बोलने दिया जाय।

श्री सभापति : इनके बाद में आप बोल लें।

श्री पी. के. चौधरी (फलेरा) : सभापति महोदय, हमारे सामने एक सीरियस प्रस्ताव जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है

(श्री पी. के. चौधरी)

इस प्रस्ताव पर सदन वि ार करता है तो तथ्यों के आधार पर वि ार किया जाना चाहिये। भैरोंसिंह जी ने ारोप यह लगाया था कि राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री बृजसुन्दर शर्मा ने मंत्री पद का दुरुपयोग कर अपनी पत्नी, अपने पुत्र, रिश्तेदारों तथा मित्रों के नाम अनुचित प्रकार से सम्पत्ति अर्जित कर सरकार को घाटा पहुंचा कर एक निन्दनीय कार्य किया है जिसकी जांच के लिये विधान सभा के तीन सदस्यों की एक समिति गठित की जाय।

जो तथ्य माननीय सदस्य ने पेश किये हैं और कुछ दूसरे सदस्यों ने पेश किये हैं उन को सुनकर मैं अपने इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इन आधारों पर जो लगाये गये हैं आरोप उनको सही नहीं माना जा सकता। अग्रवाल जी ने भी कहा कि मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करके धन अर्जित किया है। उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि अपने पद का दुरुपयोग करके यह कार्य किया है उनका कहना है उनको भूमि कमाण्ड एरिया में ट्रान्सफर नहीं हो सकती। बृजसुन्दर जी ने यह गलती की उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की। नीलामी हुई या नहीं इसकी जानकारी के लिये उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उनकी गलती यह थी कि जो कार्य उन्हें मंत्री रहते हुए करने चाहिये थे वे नहीं किये गलत कामों को रोकना चाहिये था।

सभापति महोदय, मैं पहले बड़गांव की जमीन की बात लेता हूं जो इन्होंने खरीदी है, माननीय सदस्य का कहना है कि दबाव डालकर यह खरीदी है एस. ी.ओ. से फैसला लिखवाया है। कोई प्रतिव ी बात कबूल कर लेता है तो फिर प्रतिवादी के दबाव देने की बात पैदा नहीं होती। जब वादी और प्रतिवादी दोनों मान लेते हैं तो एस. डी. ओ. को उनकी बात को मान लेने के अलावा कोई सवाल ही नहीं रहता। जिस बात को लेकर यहां बहुत कहा गया वह सौदा तो इनकी धर्म पत्नी द्वारा हुआ है। समझदार आदमी यह मानते हैं जैसे मदनसिंह दांता ने कहा उनकी पत्नी द्वारा सौदा किया गया उनको मालूम नहीं था। आप कानून के ज्ञाता हैं और जो कानून जानते हैं वे इस बात को मानेंगे कमाण्ड एरिया से खातेदार राइट्स ट्रान्सफर नहीं हो सकते उसके लिये 6 हजार रुपये नहीं देने थे। बृजसुन्दर जी को यह ज्ञात होता तो वे हर्गिज ये रुपये नहीं देने देते If he had been in know of the facts, कभी यह रुपया डेड नहीं होने देते।

श्री रामानन्द अग्रवाल : Are you convinced that he did not know the facts?

श्री पी. के. चौधरी : I am convinced that he did not know the facts. कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहेगा कि उसके 6 हजार रुपये यों ही वेस्ट चले जायें। एस.डी.ओ के दबाव का ख्याल नहीं आता क्योंकि जिस चीज को प्रतिवादी कबूल कर लेता है तो उसमें वह कुछ नहीं कर सकता। इस पर आप यह इल्जाम नहीं लगा सकते इसमें बृजसुन्दर जी ने दबाव डालकर करवाया हो।

जगन्नाथ के लिये मैं कहना चाहता हूं, जगन्नाथ कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, वह 300 बीघे का खातेदार है।

श्री भैरोंसिंह: आप कहते हैं वह खातेदार है ?

श्री पी. के. चौधरी: मेरी जानकारी के अनुसार मैं कहता हूं, है ।

श्री भैरोंसिंह: तो यह बहुत बड़ा ओफेन्स होगया। 300 बीघा सीलिंग से ऊपर है ऐसी सूरत में उसको बेचने का कोई हक नहीं है। आपके मुह से मुल्ज़िम बना दिया।

श्री पी. के. चौधरी : सवाल यह आता है कि जगन्नाथ की जमीन दबाव से ली है अब इदित के नाम से ट्रान्सफर कराया हो तो जगन्नाथ शिकायत नहीं करता ? आपका इल्जाम तो यह था कि मन्त्री पद का दुरुपयोग करके एस.डी.ओ. से फैसला कराया। तो जब प्रतिवादी स्वीकार करता है इसको तो एस.डी.ओ. को और कोई फैसला देने का कोई रास्ता नहीं रहता। आप वकील हैं। आप जानते हैं अच्छी तरह कि जब प्रतिवादी स्वीकार कर लेता है तो दबाव देने का सवाल नहीं आता।

दूसरी बात, मैं कहना चाहता हूं सदन में। कोई भी एन्क्वायरी की बात करें चाहे कमेटी से हो या कमीशन से हो, सबसे पहले सवाल यह आता है किसकी जांच करें। प्राइमा-फेसी केस बनाना चाहिये।

प्राइमाफेसी साबित होता है तो ही एन्क्वायरी की परम्परा डाल सकते हैं। बिना प्राइमाफेसी के हरेक पर एन्क्वायरी बिठा दें तो मैं समझता हूं कोई एडमिनिस्ट्रेशन चल नहीं सकता। एडमिनिस्ट्रेशन को ढंग से चलाना हो तो प्राइमाफेसी लगता हो कोई तथ्य हो तब तो एन्क्वायरी बैठती है। मुझे लगता है यह प्राइमाफेसी केस इसलिये नहीं बनता कि प्रतिवादी जब स्वीकार करता है तो फिर दबाव का सवाल नहीं आता। एस.डी.ओ. को इसके अलावा दूसरा फैसला देने का अधिकार ही नहीं था।

दूसरी बात यह आती है कि डाकूमेंट में रजिस्ट्री करवाई। उस रजिस्ट्री में उन्होंने वे ही हक हासिल किये हैं जो जैकब को मिले हैं। चाहे गैर खातेदार के राइट होंगे तो वे मिले होंगे, और खातेदार के होंगे तो वे मिले होंगे। वाट एवर राइट्स मिसेज जैकब ने लिये हैं डाकूमेन्ट में वे ही उनको मिले हैं। साफ लिखा है उसमें। अब राइट्स को ट्रान्सफर करने में रुपया पैसा देकर राइट्स लेने में, मैं समझता हूं, किसी प्रकार से मन्त्री पद का दुरुपयोग नहीं हुआ। दुरुपयोग तो हम उसमें मानते जब जबरन खरीदने का सवाल आता। अफसरों से जबरदस्ती फैसला अपने फेवर में कराते। प्रतिवादी स्वीकार करता है तो दबाव डालने का सवाल नहीं आता। तो इस तरह आपका पहला चार्ज तो नहीं रहता।

दूसरी बात, इसमें एक पोइन्ट और कहना चाहता हूं कि जिस जमीन को ली है वह 250 रुपया प्रति बीघा की दर से ली है। मुझे जहां तक जानकारी है वहां की जमीन का सरकारी रेट 200) रु. प्रति बीघा की है और आसपास सड़कों के किनारे की जमीन का 300) 350) रुपया होता है। बाकी का रेट 250) के आस पास है। यह इसमें दो हजार रुपया रेट की जमीन या हजार रुपया रेट की जमीन 250) में ली हो तो समझ में आता है कि मैलाफाइडी है। तो उस समय जो मार-केट रेट थी उस रेट से ली तो कोई ज्यादा फायदा हुआ नहीं। तो फिर मैलाफाइडी कहां पर आती है इसमें या अपने पद का दुरुपयोग का सवाल कहां आता है।

(श्री पी. के. चौधरी)

दूसरी बात मोहीपुरा की जमीन आती है। रेकार्ड से साबित होता है कि बृजसुन्दरजी के पिता वहां गये और बोली लगाकर खरीद की। जहां तक मुझे जानकारी है नीलाम के सम्बन्ध में गजट नोटिफिकेशन भी निकला है और चिपकाया गया है वह। उसमें यह कहें कि कोई ज्यादा बोली लगाने वाला तैयार था तो ऐसी बात नहीं है। वे तो सौ में कोई ले तो आज भी देने को तैयार हैं। मोहीपुरा की जमीन पांच रुपया भी ज्यादा कोई दे तो वे ट्रान्सफर करने को तैयार हैं।

श्री प्रेम सिंह सिंघवी : मैं कहता हूं, मुझे दिलवाइये।

श्री पी. के. चौधरी : दूसरी बात...

श्री प्रेमसिंह सिंघवी: उस जमीन को मैं 250) रुपया बीघा में लेने को तैयार हूं।

श्री पी.के.चौधरी : तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मोहिपुरा के बारे में लोग जानते नहीं यह कैसे हो सकता है जब कि उसकी खबर गजट में छापा हुई है। उसके बाद बोली लगी है। अब जो लोग मौजूद थे उन्होंने लिया तो इसमें पद के किसी दुरुपयोग की बात साबित नहीं होती।

जहां तक पेट्रोल पम्प का सवाल आता है उस जमीन को लक्ष्मी नारायणजी ने 59 में परचेज की है। फूलचन्द से खरीद की है। 59 में खरीद की है। बेचान के दस्तावेज लिखा है 14 बीघा तो राजस्व की है और 16 बिस्वा आबादी की है और जैसा माननीय सदस्य ने पेश किया परमिशन लेकर पम्प बनाया। फिर समझ में नहीं आया कि इसम आफिस का दुरुपयोग कहां हुआ। पेट्रोल पम्प लगाने में आफिस का दुरुपयोग नहीं हुआ यह बात साबित नहीं होती है।

श्री कृष्णकुमार गोयल: वह जमीन सरकारी है। किसी भी रेकार्ड में उसका इन्दराज नहीं है।

श्री पी.के. चौधरी : 59 का सेल डीड है फूलचन्द से खरीद किया है। मकान उसका था सरकारी जमीन थी फिर एक्वीजीशन का सवाल क्यों आया। एक तरफ कहते हैं सरकारी जमीन थी फिर दूसरी तरफ कहते हैं एक्वायर क्यों किया गया।

श्री कृष्णकुमार गोयल: एक्वायर नहीं किया। जिस पर खेती होती है उसके अलावा 12 बीघा जमीन कुल सारी की सारी वर्कशाप बनाने के लिये एक्वायर की थी।

श्री पी.के.चौधरी: वह जमीन अलग है। इस का तो सेल डीड हुआ है। यह रिकार्ड पर है। सर्वे रिकार्ड में भी लिखा है। 47।48 नम्बर की जमीन में 16 बीघा आबादी की है। तो इसमें न तो आफिस का दुरुपयोग और न उस पर नाजायज पैसा कमाया। इसलिये मानता हूं फैक्ट के आधार पर इसम कोई प्राइमाफेसी केस नहीं बनता है और जब तक प्राइमाफेसी नहीं बनता है तो मैं समझता हूं इस प्रकार की कोई कमेटी बनाने की सदन की राय हो नहीं सकती है।

श्री सभापति : श्री दौलतराम सारण !

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ): सभापतिजी, सदन के सामने जो विचारार्थ प्रस्ताव है वह बहुत गम्भीर है। उसमें इस सदन के माननीय सदस्य और सरकार के मन्त्री मण्डल के सदस्य के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये

(श्री दौलतराम सारण)

गये हैं और उन आरोपों की संख्या 32 बतलाई गई है। दो दिन में इन आरोपों के सम्बन्ध में दोनों तरफ से काफी स्पष्टीकरण और शकाएं सामने आई हैं। स्थिति यह बनी है कि प्रस्तावक के हिसाब से पद का दुरुपयोग किया गया है। सरकार को हानि पहुंचाई गई है और अनुचित आचरण के आरोप भी वे लगाते हैं। इस प्रकार इस दृष्टि से अगर हम इन आरोपों को देखते हैं जो इस प्रस्ताव के माध्यम से प्रस्तुत किये गये हैं तो लगता यह है कि दोनों और के सदस्य हैं जो दलीलें दे रहे हैं उन दलीलों में परस्पर संगति नहीं है। सरकारी जमीन एक तरफ रेकार्ड से बताई जाती है दूसरी तरफ प्राइवेट जमीन खरीदने की बात कही जाती है। ऐसी परस्पर विरोधी दलीलें सामने आ रही हैं। कोई भी निराकरण इस समय सदन के सामने नहीं है। कोई स्पष्टीकरण नहीं है। अच्छा तो यह होता कि जब भी आप आरोप सामने आए उस समय में बृजसुन्दर जी अपनी ओर से पूरी तरह से स्पष्टीकरण सदन के सामने प्रस्तुत कर देते। शायद उस स्पष्टीकरण के बाद में काफी सदस्यों को गंभीरता से विचार करने का अवसर मिलता लेकिन ऐसी स्थिति नहीं हो पाई। श्री बृजसुन्दर जी ने अब तक अपना स्पष्टीकरण सदन के समक्ष नहीं किया इसलिये ऐसी स्थिति आई है। जो तथ्य सदन के सामने प्रस्तुत हुये हैं उसी संदर्भ में हम कह सकते हैं। अभी एक जिस जमीन का झगड़ा है जिस पर पेट्रोल पम्प बना हुआ है उसका हवाला दिया है। प्रस्तावक यह कह रहे हैं कि यह जमीन सरकारी थी और दूसरी तरफ के सदस्य उधर से कह रहे हैं यह जमीन किसी दूसरे से ली गई है आवादी की है इसलिये यह स्थिति उलझन पूर्ण है। अगर हम सारे संदर्भ को देखते हैं तो यह बात है कि आम लोगों की जबान पर, बच्चों की जबान पर सार्वजनिक क्षेत्र में और विशेष तौर पर राजनैतिक क्षेत्र में आरोप और शंकायें लोगों के मानस में हैं। हर आदमी कहता है ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है ऐसी शंकायें जन मानस में घर कर गई हैं। अगर कोई आरोप या शंका आती है तो हमें सार्वजनिक जीवन की पवित्रता के लिये और लोकतन्त्र को शुद्ध रखने के लिये हौसले और हिम्मत के साथ यह करना चाहिये कि हम अपने आपकी सफाई दें और सफाई से शंका दूर नहीं करा सके और आम जनता को कोई विश्वास नहीं करा सके तो लोकतन्त्र को खतरा पैदा होगा। हमें जांच का माकूल अवसर भी ऐसी व्यवस्था के लिये स्वीकार करना चाहिये। लेकिन इनके अन्दर हिम्मत नहीं है इसलिये सन्देह और भी बढ़ जाता है। जब एक तरफ आरोप लगाये जा रहे हैं दूसरी तरफ आरोपों के विरुद्ध पैरवी की जा रही है लेकिन अध्यक्ष महोदय जितनी दलील हमने सुनी कोई उसमें वजन नजर नहीं आया, हमें कोई आस्था नहीं हो सकी है कि आरोपों में वजन नहीं है। गांव के लोग वर्षों से जिस भूमि के अलाट करने की मांग कर रहे थे जब यह नीलाम की गई तो गांव वालों को पता तक नहीं चला और चन्द लोगों को ले कर यह कार्यवाही कर ली गई। यह शंका की स्थिति पैदा करती है। इस तरह से जमीन के मूल्य का सवाल है और इसी तरह और आरोपों का सवाल है। जिन मित्रों के बारे में, जिन साथियों के बारे में, जिन सहकर्मियों के बारे में आरोप हैं उसके लिये मुझे बड़ा दुख है और ऐसे आरोप जो काफी संगीन प्रतीत होते हैं। ऐसी स्थिति में जो आरोप सामने हैं चाहे वह गलत हों या सही हों

(श्री दौलतराम सारण)

इस समय निदान करने को स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में जब हम निश्चय की स्थिति में नहीं हैं सिवाय इसके कि उनके निराकरण के लिये जांच की मांग करें। जब जांच का सवाल आता है तो न तो मौजूदा मन्त्रिमण्डल के सदस्यों और न विधायकों और न ही संसद सदस्यों के लिये जांच की कोई समिति है इस समय और न जांच की कोई प्रक्रिया ही है। मुख्य मंत्री जी जांच करने के लिये सक्षम हैं लेकिन वे जांच करना नहीं चाहते जैसा उनके रुख से प्रतीत हो रहा है जो प्रस्ताव प्रस्तावक ने प्रस्तुत किया है उनके पत्र व्यवहार के संदर्भ से भी यह जाहिर है कि जांच नहीं कराना चाहते हैं। किसी प्रकार स्पष्टीकरण देना नहीं चाहते। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो स्वयं मुख्य मंत्री जी उलझना नहीं चाहते हों और इन तथ्यों को सही समझते हों और इसको अपने ऊपर न लेकर दूसरे ही कांटा निकालने की सोचते हों या यह हो सकता है जांच करने का साहस न हो। हो सकता है जांच के लिये लिये कोई निर्णय दिया तो उनके विरुद्ध भी गंभीर आरोप, उनके परिवार के विरुद्ध, उनके जंवाई के विरुद्ध, उनकी पत्नी के विरुद्ध, उनके लड़के के विरुद्ध जो गंभीर आरोप हैं सोने के, जमीन के और अलग अलग तरह के जांच के लिये इस सदन में प्रस्तुत हो सकते हैं। इस भय के मारे शायद वे इस जांच में नहीं पड़ना चाहते हों। यह भी हो सकता है कि वे बृज सुन्दरजी से नाराज हों इसलिये उनका पत्ता काटना चाहते हों और यहां एक फिजा पैदा कर रहे हों। मैं कहता हूं शिव चरणजी की तरह बृज सुन्दरजी त्याग–पत्र देकर अपने आपको पवित्र साबित करें लेकिन आप शिव चरणजी की तरह त्याग-पत्र देने वाले नहीं हैं। इनके ऊपर तो जूं तक नहीं रेंगती है। शान से बैठे हुये हैं। आरोप लग रहे हैं स्पष्टीकरण की कोई फिक्र नहीं है शायद लगता है इन आरोपों का उन पर कोई असर नहीं है। उनसे स्पष्टीकरण की कोई अपेक्षा नहीं है। ऐसी स्थिति में अध्यक्ष महोदय हम इस सदन के जो सदस्य हैं उनको शंका होती जा रही है। इसका और कोई चारा नहीं है कि हम आपके माध्यम से यह मांग करें कि इस सदन के सदस्यों की एक समिति बनाई जाय। आप इस बात का निर्णय करें आया पद का दुरुपयोग किया गया है या नहीं किया गया है। सरकार को हानि पहुंचाई गई है या नहीं पहुंचाई गई है, अनुचित आरोप हैं या सही आरोप हैं। जो आरोप अभी तक लगाये गये हैं उनके स्पष्टी–करण से हमें उससे कोई तसल्ली नहीं हुई है। दोनों तरफ की दलील सुनने के बाद अबभी हमारे दिल और दिमाग में शंका है कि बृज-सुन्दरजी पवित्र हैं। हम अभी कनिवन्स नहीं हो सके इसलिये इस शंका के निराकरण का एक मात्र तरीका है प्रस्तावित समिति बनाकर जांच की जाय और बृज सुन्दरजी अपने आपको पवित्र सिद्ध करने में साक्षियों से साबित करें। अध्यक्ष महोदय यह इसलिये जरूरी है कि बृज सुन्दरजी मजदूर नेता हैं और मजदूर नेता के लिये जो गरीबों के सदा हिमायती रहे हैं, जो समाजवाद की बात करते हैं उन पर यह आरोप न रहे। उन जैसे पुराने राजनैतिक नेता के लिये और भी ज्यादा आवश्यक है कि वे अपनी प्रमाणिकता को साबित करें और प्रमाणिकता साबित होगी तो यह अधिक उज्जवल बन कर सामने आयेंगे, उनकी ज्यादा प्रसिद्धि होगी, उनका चरित्र ज्यादा निखर कर सामने आयेगा। इसलिये उनको स्वयं को चाहिये कि वे स्वेच्छा

(श्री दौलतराम सारण)

से, इस सदन के सदस्यों को समिति की जांच स्वीकार करना चाहिये। अगर यह बात बृज सुन्दरजी ने सिद्ध नहीं की तो यह उनके लिये उचित भी नहीं होगा। लेकिन मेरा मानना है बृज सुन्दरजी एक हौसले वाले व्यक्ति ह। वे तो खुद खड़े होकर कहा करते हैं, वह हिम्मत कहां गई? अगर इन आरोपों में तथ्य नहीं हैं और निराधार हैं तो संकोच किस बात का- आपको तो और भी ज्यादा हौसला रहता है हौसले और हिम्मत के साथ स्वीकार करना चाहिये। बृज सुन्दरजी खुद खड़े होकर कहें कि कमेटी बनाई जाय और जांच की जाय इससे अधिक कोई वजनदार बात क्या है? लेकिन वे नहीं कर सकते शायद पार्टी का दबाव है, हो सकता है शायद मुख्य मंत्री जी का दबाव हो वे सोचते हों कि अगर बृज सुन्दर जी इसमें निर्मल निकल गये तो मुख्य मंत्री जी के विरुद्ध जो आरोप हैं उस पर और कमेटी बन गई तो फिर बचना मुश्किल हो जायगा और अगर बृज सुन्दरजी ने हां कर ली तो मुख्य मंत्रीजी को कोई कदम उठाना पड़ेगा, निश्चित रूप से मुजरिम साबित होंगे, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार हुआ है, निश्चित रूप से धन का दुरुपयोग हुआ है, निश्चित रूप से सत्ता का दुरुपयोग हुआ है, शक्ति का दुरुपयोग हुआ है इसलिये वे बृजसुन्दरजी को दबा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बृज सुन्दरजी तो कमेटी की बात को स्वीकार करना चाहते हैं लेकिन उनको दबाया जा रहा है। इसलिये वे असमर्थ हैं। अध्यक्ष महोदय मैं तो यह कह रहा था कि जिस तरह से एक जवां मर्द आदमी को बुजदिल बना दिया गया है पार्टी के अंकुश की वजह से इसलिए कि कोई इनका मुकाबला ठीक तरह से नहीं कर सके। जैसा कि माननीय सदस्य इधर वाले कहते हैं कि आरोपों में वजन नहीं है मेरी समझ में नहीं आता कि अगर वजन नहीं है तो कमेटी स्वीकार करने में क्या आपत्ति है? अगर आरोपों में वजन है तो फिर मुझे लगता है कि आरोपों में वजन नहीं होता तो आप फौरन स्वीकार करते लेकिन आरोपों में वजन है, कानून की अवहेलना की गयी है, आरोपों में कानून को ताक में रखकर आचरण किया गया है। यह कालोनाइजेशन एक्ट की रू से साबित होता है और दूसरी जो खरीद फरोक्त की गयी है उससे साबित है। इसलिए यह कहना कि इसमें दुराचरण नहीं है यह कहना कि राज्य को हानि नहीं पहुंची और यह कहना कि पद का दुरुपयोग या शासन को हानि की बताया चरित्रहीनता की बात नहीं है यह सही नहीं है इससे ऐसा लगता है कि इन आरोपों में वजन है। मैं निश्चयपूर्वक तब कह सकता हूं जब कि दोनों पक्ष की बातें किसी निर्णय पर पहुंचे इसलिए बृज सुन्दरजी मेरे पुराने साथी हैं, मेरे पुराने मित्र हैं, उनके प्रति मेरी हमदर्दी है इसलिए उनके विरुद्ध जब इस तरह के आरोप आते हैं और उनके व्यक्तित्व को हानि पहुंचाने वाले आरोप आते हैं तो मुझे मानसिक ठेस पहुंचती है। मैं नहीं चाहता कि पुराने मित्र के प्रति आरोप लगाये जायें, उनके व्यक्तित्व को हानि पहुंचाई जाये। इसलिए मैं उनको पवित्र रखने के लिए मांग करता हूं कि सदन के सदस्यों की समिति प्रस्ताव के मुताबिक बना कर, बृज सुन्दरजी को निष्कलंक साबित करने के लिए उनको इसका प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का अवसर दिया जाये। अगर यह प्रस्ताव मन्जूर नहीं किया गया तो यह बृज सुन्दरजी

Page No 172

(श्री दौलतराम सारण)

के साथ घोर अन्याय होगा, उनके व्यक्तित्व को कुंठित कर दिया जायेगा, उनके व्यक्तित्व को हानि पहुंचेगी और सिर्फ उनके व्यक्तित्व को हानि ही नहीं पहुंचेगी बल्कि सार्वजनिक जीवन पर एक धब्बा होगा। राजनैतिक जीवन के पवित्र होने की आवश्यकता है, सार्वजनिक जीवन निष्कलंक होने की जरूरत है। अगर सार्वजनिक जीवन में कलंक आता है तो कोई अधिकार नहीं है उस व्यक्ति को नेतृत्व करने का। इसलिए आप जनता को सही नेतृत्व देना चाहते हैं, अगर आप सच्चा जन नेता बनना चाहते हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस प्रस्ताव का समर्थन कीजिए और इस धब्बे को दूर कीजिए और अवसर दीजिए जनता को अपने नेता पर से जो आरोप हैं उनको निराकरण करने का यह मैं कहना चाहता हूं। इसलिए मैं आपसे इन शब्दों के साथ मांग करता हूं कि आप इस गंभीरता के साथ इस प्रस्ताव पर आप बिना किसी पक्ष और विपक्ष का विचार किये हुए इसका समर्थन करें। यह पक्ष का सवाल नहीं है, यह विपक्ष का सवाल नहीं है। यह सवाल सार्वजनिक जीवन की पवित्रता का है। यह सवाल रूल आफ ला को मानने का है। यह सवाल लोकतांत्रिक परम्पराओं और मान्यताओं का है। इसलिए इस सवाल को सुन करके दायरे में नहीं बांधकर इसको सार्वजनिक महत्व से देखियेगा और इसी दृष्टि से निर्णय कीजिए। इन्हीं शब्दों के के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : स्वास्थ्य मंत्रीजी!

श्री बृजसुन्दर शर्मा (स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन में यह कहते हुए बहुत दुख होता है कि आज 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार के चार्जेज जो अभी तक नहीं लगे वे इस सदन में लगाये गये हैं। मैंने हमेशा अपने आपको पवित्र रखने का प्रयास किया है और सार्वजनिक जीवन में कभी भी गन्दगी फैलाने का प्रयास नहीं किया है। यह कहना कि मैंने अपने पद का दुरुपयोग किया, यह कहना कि मैंने किसी अधिकारी पर दबाव डाला, यह कहना कि मैंने 25 बीघा जमीन के लिए इतना जाल रचकर उसको हड़पने की कोशिश की मैं समझता हूं कि यह बिलकुल सर्वथा निराधार है और मैं यह निवेदन करना चाहूंगा और मैं यह निवेदन करना चाहूंगा और इस बात पर पहले दलील देना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार से मैंने किसी भी अधिकारी को न तो दबाया और न किसी प्रकार की कोई बातचीत की, न जैकब से मेरी कोई कभी मुलाकात हुई और न मैंने उस जमीन के खरीदने की बात की। जो मुकदमा चला, चला होगा मुझे इसका भी इल्म नहीं है। किस की जमीन थी, किस के कब्जे में थी, कैसे उसके कब्जे में आई, कहां की जमीन थी मुझे भी कोई इल्म नहीं था इसका। यदि मैं इस बात को जानता कि मेरी पत्नी इस प्रकार की कोई जमीन खरीद रही है तो यह अवश्य मेरी नालेज में आता और इतने झगड़े में पड़ने के बजाय मैं क्यों उसको खरीदने की सलाह देता। जो कुछ भी हुआ है, मेरी पत्नी ने अधिकार से किया है और मुझे इसका बाद में इल्म हुआ है। यह जो तथ्य बताये गए हैं और यह इनफरेन्स जो ड्रा किया गया है मैं समझता हूं कि इस पर इनफरेन्स ड्रा करने जैसी बात नहीं थी। अधिकारी कोटा में एस.डी.ओ. है श्री खेतपालसिंह उनके सामने मुकदमा चल रहा था उसके बाद मेरी कोई

(श्री बृज सुन्दर शर्मा)

उनसे बातचीत नहीं हुई। उनकी नियुक्ति, उनका तबादला, उनका प्रोमोशन, उनका रि-एम्प्लायमेन्ट किसी भी तरह से मेरे अधिकार में नहीं था और फिर किस प्रकार से वह अधिकारी मेरे दवाव में आता और मैं यहां एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि जब 17 तारीख को इस जमीन के बारे में जो फैसला होना बताया जाता है उस 17 तारीख के पहले तो कैबीनेट ने तारीख 10 जून को ही निर्णय ले लिया था कि 55 साल की उम्र के बाद किसी को भी नहीं रखा जायेगा और 1 जुलाई को वह अधिकारी रिटायर कर दिया जायेगा।.10 जून को निर्णय हुआ केबिनेट का, 13 जून को यहां से आज्ञायें निकाली गयीं और सारे अखबारों में, सब जगह जाहिर हो गया कि 55 साल के बाद कोई भी नहीं रखा जायेगा, किसी को भी एम्पलायमेन्ट नहीं की जायेगी तो यह कैसे हो सकता था कि मैं उसको री-एम्प्लायमेन्ट देने वाला हूं इसलिए री-एम्प्लायमेन्ट की बात करना या उसको दवाने की बात करना यह सर्वथा निराधार हैं। इस जमीन के बारे में झगड़ा है मैं जानता हूं जो बातें कहीं गयी हैं ठीक हैं। यह भी ठीक है जमीन के बारे में डिक्री हो चुकी है, यह भी सही है कि यह चम्बल कमाण्ड एरिया की है, यह भी सही है कि खातेदारी हकूक ट्रान्सफर नहीं हो सकते और सारी बातों को देखते हुए·····

श्री बैरोंसिंह: आवाज नहीं आ रही है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: इसलिए मैं अभी जब सब माननीय सदस्यों की बहस को सुन रहा था मैं यह चाहता हूं कि किसी प्रकार से कोई शंका हो या मेरे ऊपर इस प्रकार का कोई आक्षेप है या कोई बदनीयती की बात कोई कहता है तो ज्यादा से ज्यादा कर यह सकता हूं कि 25 बीघा जमीन को मैंने लेकर बहुत धन कमा लिया या हजारों रुपये की जमीन मैंने ले ली इसलिए मैंने अभी बैठे बैठे यह सोचा कि इस झंझट में पड़ने से गंभीरता-पूर्वक अपनी पत्नी से कहूंगा कि वह सरेण्डर कर दे तो मैं समझता हूं कि कोई झगड़ा नहीं हुंगा और मैं कहूंगा और सदन के सामने मैं यह घोषणा करता हूं कि मैं अपनी पत्नी को इस बात के लिए राजी करूंगा कि इस 25 बीघा की जमीन का जिसका जिक्र है इसको सरेण्डर कर दे और इस जमीन की हमें कोई जरूरत नहीं है।

कई माननीय सदस्य (कांग्रेस पक्ष): नहीं नहीं, कैसे कर सकते हैं सरेन्डर?

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा: यह क्या मामला है कि कोई जमीन खरीद ली और अब उसको सरेन्डर करें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: अगर कोई गलती मेरी पत्नी ने की है, या कोई गलत कानूनी सलाह उसको मिली है, या मेरी लापरवाही है कि मैंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया कि किस प्रकार की जमीन है तो उसके लिए जो कुछ मुझे भुगतना पड़ेगा वह भुगतूंगा। अगर इससे मुझे 6 हजार का नुकसान किसी प्रकार से हो जाता है तो मुझे गिला नहीं है। और पैदा करेंगे और खायगे। लेकिन मैं आपको यह कह देना चाहता हूं कि मेरी जिन्दगी में मैंने आज तक कोई जमीन नहीं खरीदी है और न जिन्दगी में आज तक मेरे पास कोई जमीन है और न मैंने कभी कोई काश्त करने की इच्छा प्रकट की है। मैंने स्वयं ने अपने आप पर ढालने का जिम्मा

Page No 174

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

लिया है और इस बात का जिम्मा लिया है कि जिस तरह से भी हो सके गुजारा करें। यदि इस जमीन से कोई लाखों का घाटा हुआ है, जब कि सरकार को कोई घाटा नहीं है, तो भी इस नुकसान की पूर्ति में इस तरह से करता हूं कि इस जमीन को मेरी पत्नी से सरकार को सरेंडर करवा दूं।

दूसरी बात जो कही गई है वह सन् 59 की बात है। इसका इल्म मुझे है। इसका 1959 में एग्रीमेंट हुआ। श्री लक्ष्मीनारायण जो जो हमारे पड़ौसी हैं और नजदीकी जान-पहचान वाले हैं, और उनका और मेरा बहुत पुराना संबंध है, तो उन्होंने इच्छा प्रकट की अपने कोटा में जमीन खरीदें, और 1959 में एक जमीन के बारे में इकरारनामा हुआ पूरणचन्द और मदनलाल और जो महाशय हैं उनसे जो कि बुद्धिरामजी के लडके हैं। उनसे यह जमीन 8 रुपये बीघा में खरीदी। इकरारनामें के बाद में यह जमीन 1960 में खरीदी गई और 60 के बाद में उसमें जिस वक्त यह जमीन खरीदी गई तो उस जमीन की जो हालत थी वह मैंने खुद ने देखी है। उसका फोटोग्राफ मौजूद है। उस जमीन के चारों ओर पूरी तरह से परकोटा खिंचा हुआ है। उस जमीन के ऊपर मकानात बने हुए थे और मकानात उस वक्त के रेकार्ड में आबादी में यह दर्ज थी। 57 के परचे के आधार पर जो बयनामें में दर्ज है; सन् 57 के सेटलमेंट के परचे में 48 नम्बर की जो जमीन है वह 48 नम्बर की जमीन परचे में आबादी में दर्ज है। उसके बारे में अगर सदन के माननीय सदस्यों को कोई शक हो तो परचा ओरीजिनल मेरे पास मौजूद हैं। वे देख सकते हैं।

उसके बाद उस जमीन पर पेट्रोल पम्प बनाने के लिये कालटैक्स वालों ने बातचीत की गई। कालटैक्स वालों ने कलेक्टर, कोटा के यहां एप्लाई किया और 61-62 में कलेक्टर कोटा ने उनको इजाजत दी कि यह आबादी की जमीन है उस पर पैट्रोल पम्प बनाया जा सकता है, और आबादी की जमीन पर पैट्रोल पम्प बनाया गया तो कहा जाता है कि एक्वायर करने की कार्यवाही की गई। मैं अध्यक्ष महोदय, वह गजट में इस सदन को दिखाने के लिए लाया हूं जिसमें कहीं जिस बात के लिए कहा जाता है कि मोटर गैरज के लिये भूमि अवाप्त करने के लिये नोटिफिकेशन निकला है, उस नोटिफिकेशन में कहीं 48 नम्बर की जमीन का जिक्र नहीं है कि इस भूमि को अवाप्त किया गया है। यही आधार है कि जिसके ऊपर मैं कहता हूं कि यह भूमि अवाप्त नहीं की गई। आप कहते हैं कि अवाप्त की गई तो अगर यह सरकारी जमीन थी तो अवाप्त करने की क्या आवश्यकता थी। आज भी इसका मामला चल रहा है, और कलेक्टर महोदय जो वहां पर उस जमाने में सूद साहब थे उन्होंने हमारे विरोधी साथियों के प्रभाव में आकर इस जमीन के बारे में यह नोटिस निकाला कागजात को बगैर देखे हुए कि यह सरकारी जमीन है इसलिये इन्डियन आइल कम्पनी को लिख दिया कि इसका किराया इन लोगों को नहीं दें। उसके बाद कार्यवाही आज तक चल रही है। राज्य सरकार को यह फैसला करना है कि वास्तव में यह जमीन किस की है। सरकारी जमीन है तो फिर अवाप्त करने कार्यवाही की क्या जरूरत है। अगर अवाप्त की गई है तो सरेन्डर कैसे हुई। जो जमीन आबादी की है उस पर इजाजत दी गई है। यह कह

(श्री वृ. सुन्दर शर्मा)

गया है कि मैंने अपने असर से जमीन को रोक रखा है और उस 12 बीघे जमीन के प्लाट काटकर बेचने की इच्छा है। उसके कन्वर्शन की आज तक कार्यवाही हुई हो, अगर वह कृषि भूमि है तो और न प्लाट काटने की आज तक कार्यवाही हुई है, लेकिन मामले को तूल देने के लिये मेरे लायक दोस्त इस मामले को सामने लाये हैं, जिसमें कोई तथ्य नहीं है। सरकारी कागजों पर, सेटलमेंट के कागजों पर इस बात का सबूत है। वहां पर आबादी के निशान मौजूद हैं। उस जमीन पर मकानात खड़े हुए हैं। मौके पर हालात को देखने से मालूम पड़ता है कि वहां पर आबादी थी इसलिये आबादी दर्ज की गई है।

यहां पर यह कहा गया है कि कोल्ड स्टोरेज के लिए जमीन मैंने दिलवाई है और कोल्ड स्टोरेज में मेरी शराकत है, और कोल्ड स्टोरेज का आपने उद्घाटन किया है इसलिये यह कयास होता है कि कोल्ड स्टोरेज में आपकी शराकत है। माननीय अध्यक्ष, अगर कयास से ही सारी बातें चलती हों तो किसी को भी फांसी दी जा सकती है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मेरे क्षेत्र का कोई आदमी है वह एक बड़ी फैक्ट्री वहां पर कोल्ड स्टोरेज की स्थापित करता है जिससे किसानों को फायदा होने वाला है, जहां पर गांवों की फसल रखी जाय और उनको अच्छे दाम मिलने की सूरत बने तो उस कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन करने में क्या हर्ज है। मैंने उसका उद्घाटन नहीं किया। मैंने उसका शिलान्यास जरूर किया है। इसके बारे में पहले भी सदन में सवाल पूछा गया था तो सवाल के जवाब में मैंने यह कहा था कि शिलान्यास किया है। उसको रखने के बारे में यह मालूम पड़ा कि कन्वर्शन नहीं हुआ है तो वह कार्यवाही मैंने शुरू की है। क्यों नहीं कन्वर्ट की गई इसके बारे में कार्यवाही की गई। इसके बारे में तहसीलदार ने एन्क्वायरी की और कलेक्टर ने एन्क्वायरी की। उसके बाद कलेक्टर ने रिपोर्ट भेजी है। उसने जुर्माने की तजवीज की है तो वह राज्य सरकार के विचाराधीन है और जो भी फैसला होगा वह हो जायगा। यह कहना कि मेरी शराफत की वजह से कार्यवाही नहीं हुई है यह मिथ्या है, और सदन को गुमराह करने की कोशिश की गई है। इस तरह के झूठे आरोप लगाकर किसी को बदनाम करने की चेष्टा करना मैं समझता हूं कि सदन के माननीय सदस्यों का इस तरह का कर्त्तव्य नहीं है।

यह कहा गया है कि मोहीपुरे में मेरे पिताजी ने बोली जमीन की मेरे लड़के और भाई के नाम से लगाई थी। मैं निवेदन करता हूं कि बोली लगाने का सब को अधिकार है। उससे किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है। उस जमीन को आप जाकर देखें। मैं माननीय भैरोंसिंहजी का बहुत शुक्रगुजार होऊंगा यदि वे 500 रुपये बीघे में वह 78 बीघा जमीन का बेचान किसी के नाम करवा दें चाहे गांव वाले हों चाहे बाहर वाले हों। राज्य सरकार उनकी शुक्रगुजार होगी। मैंने जमीन को देखा है और जमीन को देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उसके शायद ही कोई 30 रुपये बीघे के हिसाब से कोई देगा। यहां पर खार है और मेरूजी की छत्री लगी हुई है। मेरूजी की छत्री के पास की जमीन में किसी तरह की कोई काश्त

Page No 176

श्री बृजसुन्दर शर्मा)
नहीं कर सकते। गांव वालों ने एतराज किया होगा और बातें कही होंगी कि भैरूजी की छत्री लगी हुई है.........

श्री रघुनाथ बिश्नोई : कौन से भैरूजी की ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सुन्डा के भैरूजी की छत्री वहां पर बनी हुई है।

उसके अलावा जो भी जमीन है उस जमीन को कोई भी आदमी काश्त के काबिल बनायेगा तो कम से कम 700 रुपये बीघा उस पर खर्च पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : छत्री किस की बनी हुई है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : भैरूजी की छत्री होने के कारण ही माननीय भैरोंसिहजी को इतना आवेश आया हो।

तो मैं समझता हूं कि 500 रुपये बीघा में आफर करता हूं कि सरकार कल ही इसको नीलाम बोली पर लगा दे, और अगर 500 रुपये की बोली नहीं आये तो भैरोंसिहजी स्तीफा दे देंगे या मैं स्तीफा दे दूंगा।

श्री भैरोंसिह : वाह, वाह।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उस जमीन को चलकर देखिये तो सही कि वह जमीन कैसी है।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : इस हिसाब से तो भैरोंसिहजी बोल देंगे 500 की बोली।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 78 बीघा जमीन है बाबूजी।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यहीं बोली बोल दी जाय।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : फिर भी एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर यह कहा गया है कि मैंने पद का दुरुपयोग किया है। इस जमीन का नीलाम 17-3-68 को हुआ है, अध्यक्ष महोदय, और 17-3-68 को मैं कोलोनाइजेशन मिनिस्टर था तो मैं 17-3-68 को उस जमीन को मन्जूर कर देता। यदि यह लालच होता तो, कि मेरे लड़के और भाई के जमीन आ जायेगी तो उसको मैं उसी वक्त मन्जूर कर देता। लेकिन 17-3-68 से एस. डी. ओ. के यहां कार्यवाही चल रही है और एस. डी. ओ. के यहां पर वह अभी पड़ा हुआ है। पार्टियों को ऐतराज था बेचे जाने पर तो वह ऐतराज अभी तक चल रहा है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि इस जमीन को भैरुजी को समर्पित कर दी जाय।

श्री भैरोंसिह : मेरे लिए छत्री बान्धें तो आपत्ति नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : राज्य सरकार के फैसला देने के बाद ही सवाल पैदा नहीं होता है। इस जमीन को तहसीलदार नीलाम करता है और एस. डी. ओ. उसकी मन्जूरी दे सकता है। मैं एस. डी. ओ. से अच्छी तरह से कह सकता था कि नीलाम हो गया है और हमारे पास जमीन आ रही थी इसलिये मन्जूरी दे दो। मुझे कौन रोक सकता था क्योंकि मैं मिनिस्टर था और उसके ऊपर अपना प्रभाव डाल सकता था, तो हो जाती। लेकिन 17-8-68 के बाद में जमीन देखने गया तो गांव वालों ने कहा है। मैंने आपत्ति पेश करदी है। फैसला हो जाएगा। और एक रघुनाथ पुरे की जमीन का आरोप लगाया है कि मेरे लड़के ने 4 बीघा जमीन 650 रु. में खरीदी है। हमारा लड़का बालिग है। वह जमीन खरीदता है, खरीद

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

सकता है तो खरीद लेता है। यह 4 मामले, माननीय अध्यक्ष जो पेश किये गये हैं, उनके बारे में मैंने निवेदन किया। अब वहां के लिए यह कहना कि चिमन कादरी ने जमीन पर कब्जा कर लिया है, जगदीश जी ने कब्जा कर लिया, तो मैं कहूंगा कि सरकार उन पर कार्यवाही करे। अब लाखेरी की जमीन पान की खेती का संबंध मेरे से बताया, वह बिल्कुल ठीक है। हमारे यहां यह खेती थी पान की, बूंदी में, उस जमीन को खाते में दर्ज नहीं करते थे। वह सब मिलकर पान की खेती करते थे। वहां के तहसीलदार, कलेक्टर और एस. डी. ओ. ने कहा कि ये लोग सहकारी पान की खेती करना चाहते थे। इनको सहकारी पान की खेती के लिये जमीन दे दी जावे। उसके कागज जब हमारे पास आये तो मैंने मंजूरी दे दी। मैं तो नहीं समझता कि मैंने कोई दोष किया। किसी पर कलंक लगाना बहुत आसान होता है। किसी को बदनाम करना बहुत आसान होता है। लेकिन सार्वजनिक जीवन में जो होता है, वह अपने को पवित्र रखता है। इस आधार पर मैंने किसी प्रकार 25 बीघा का फायदा उठाया है। तो मैं सरकार को वापिस देकर, रिटर्न कर देना चाहता हूं। माननीय सदस्यों ने जो कुछ भी शिकायत की है, उसे दिमाग से निकाल दें। मैं अब भी कोई व्यवहार ऐसा नहीं करता हूं, जिससे सार्वजनिक जीवन को धब्बा पहुंचता हो। कांग्रेस जीवन को धब्बा पहुंचता हो। जिससे हम जो यहां बैठे हैं उनको कलंकित किया जाये। लेकिन जो बैठे हैं जिनका काम है एक को एक तरह से बदनाम करना। दूसरे को दूसरी तरह से बदनाम माननीय अध्यक्ष, अगर इनका कन्विक्शन इस आधार पर हो जाता है कि कोटा जिले में मैं अकेला जीतकर आया हूं तो कुछ बदनाम करें। क्योंकि मेरे सार्वजनिक जीवन में रहने से उनको धक्का पहुंच सकता है। किसी भी तरह से उनको ठेस पहुंची है तो मैं कोई कसूर नहीं करता हूं। यह अपने अपने जीवन हैं। अगर मैं बदनाम हूं, मैं कलंकित हूं तो मेरे क्षेत्र की जनता मुझे चुनकर नहीं भेजेगी। मेरे क्षेत्र की जनता मुझे जानती है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे जीवन में ऐसा कभी होने वाला नहीं है। मैं बदलामज से हमेशा डरता रहा हूं। और डरता रहूंगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे राज्य सरकार को बदनामी पहुंचे। मैं समझता हूं कि इस सम्बंध में इतना स्पष्टीकरण देना काफी होगा।

श्री विजयसिंह (मकराणा) : एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि पुराने जमाने में लोग गंगा नहाने जाया करते थे। अगर बृजसुन्दरजी अपने आपको सच्चा समझते हैं तो वह तीन आदमियों की कमेटी के सामने.........

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सदन के सामने प्रस्ताव है कि स्वास्थ्य मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करके जमीन प्राप्त की है, मेरी राय से इस प्रस्ताव के दो हिस्से हो गये हैं। एक तो यह कि अपने पद का दुरुपयोग करके बहुत सी जायदाद हासिल कर ली है। इस संबंध में माननीय सदस्यों के भाषण हुए। इस तरफ से और उस तरफ से भी। मैंने उन्हें बहुत ही अदब के साथ, गौर के साथ सुना है। मैंने इस संबंध में कागजात भी

(श्री रामकिशोर व्यास)

देखे हैं। जो एलीगेशन स्वास्थ्य मंत्री जी पर आये वह भी पूरे पढ़े हैं। उनको पढ़ने के बाद मेरी ऐसी राय बनती है कि ऐसे मामलों में कोई बदनीयती की बात दिखाई पड़ती हो, बेईमानी की बात दिखाई पड़ती हो, मुझे ऐसी कोई बात दिखाई नहीं पड़ी है। बावजूद इसके मैं आप को निवेदन करूंगा कि उनकी श्रीमती (धर्मपत्नी) के बारे में कहा गया है, वह अगर मैं आप के सामने कहूं कि उनके पास कुल मिलाकर 32–36 बीघा से ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। जो शिकायत आयी है, वह नीलाम वाली जमीन उनके कब्जे में नहीं गई है। 25 बीघा जमीन मिसेज ईडिथ जैकब ने बूंदी में बेची है। 4।। बीघा जमीन उनके लड़के ने खरीदी। यह 25 बीघा जमीन नीलाम वाली है। जो उनके कब्जे में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : वह जमीन उनके कब्जे में नहीं है तो यह 500 रु. में बेच क्यों रहे थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : नीलाम वाली जमीन।

श्री भैरोंसिंह : मैं पूछना चाहता हूं कि यह जमीन उनके कब्जे में है या नहीं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह लिखा नहीं जाता है।

श्री रामकिशोर व्यास : अभी ठहरिये, मैं आपकी सब शंकाओं का निराकरण कर दूंगा। बात तो सोचिये, अगर किसी आदमी के पास 25-30 बीघा जमीन है तो कौन सी बेजा बात है। बहुत से ऐसे आदमी मिलेंगे जिनके पास बहुत सी जमीन है। 32 बीघा जमीन, ऐसी नहीं कही जा सकती है कि उसने जमीन ले ली है। दूसरा सवाल यह है कि पद का दुरुपयोग किया गया है, वह भी मैं सवाल करूंगा कि क्या दुरुपयोग हुआ है। यह सारे इल्जामात का विश्लेषण करके 13 इल्जामात होते हैं। इनमें 6 का तो इनसे संबंध नहीं है। बाकी 6 से इनका संबंध है। तो पहले इनके 6 मामले हैं।

(1) मिसेज ईडिथ जैकब से जमीन ली
(2) कोल्ड स्टोरेज
(3) माहीपुरा की जमीन
(4) गोविन्दपुरा की जमीन
(5) स्टिप आफ लैंड वाली
(6) पेट्रोल पम्प वाली

ये 6 मुद्दे होते हैं।

सबसे ज्यादा जोर मिसेज ईडिथ जैकब वाले मामले पर दिया गया है, और माननीय सदस्यों ने ज्यादा समय इस पर लगाया है, इसलिये सबसे पहले मैं इस चार्ज को लेना चाहता हूं। जो रिकार्ड का अध्ययन मैंने किया है, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपके सामने तथ्य रखूंगा ....

श्री रामचन्द्र आर्य : अब की किसकी बारी है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी ?

श्री रामचन्द्र आर्य : दो जनों का तो करा दिया है, अब की किसकी बारी है ?

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : आपकी।

श्री रामकिशोर व्यास : मेरा निवेदन है कि आपने कल वक्त लगाया है, और आज भी लगाया है, आपका बहुत कीमती वक्त है, इस सदन का बहुत कीमती वक्त है, इसलिये थोड़े अर्से में मैं निवेदन कर दूं,

(श्री रामकिशोर व्यास)

उसको आप खामोशी के साथ सुन लें तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा, उससे आपका वक्त भी बचेगा और सदन का भी।

यह जमीन जिसका डिस्प्यूट है, यह मन्दिर मथुरेश बिहारी जी की माफी की थी। उसके बाद यह माफी रिज्यूम हुई 1951 में तो वह जमीन भी रिज्यू हो गई। उनकी जितनी भी माफियां थीं वह रिज्यूम हुई। इस वक्त जो नजा है, वह एक यह पैदा हुआ कि मिसेज ईडिथ जैकब और जगन्नाथ दो शख्स, एक खसरा नम्बर 26 की 58 बीघा भूमि थी उस पर तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, वह मुतवातिर मन्दिर की माफी की जमीन थी, जो रिज्यूम हुई—इसमें दो राय नहीं है। अब उसमें काश्तकार कौन था, इसके बारे में इखलाक था। जगन्नाथ का कहना है, यह जमीन मन्दिर की थी, मैं काश्त करता था। इसके बाद मुझ से लेकर मास्टरनी को दे दी है, वह काश्त करता है, वह मुन्तजिम, मैनेजर के बतौर देखता है। मिसेज ईडिथ जैकब कहती है, मन्दिर ने जमीन बताई, मैं उनकी तरफ से काश्त करती थी क्योंकि मैं मुलाजिम पेशा थी, खुद देख नहीं सकती थी, इसलिये बैल, हल वगैरह का इन्तजाम करके, जगन्नाथ को मुन्तजिम, मैनेजर की हैसियत से जमीन का इन्तजाम करने के लिये रखा, उसकी बददयानती है कि उसने बन्दोबस्त के कागजात में, सरकारी कागजात में अपने नाम को करा लिया। इसलिये उसने गलती की है। इस आधार पर उसने नालिश की है, जिसका जिक्र मैं करूंगा। तो यह तजा रहता है कि वह जमीन की काश्त मिसेज ईडिथ जैकब की थी या जगन्नाथ की थी। दोनों अपनी अपनी बात इस तरीके से कहते हैं। सरकारी रिकार्ड में क्या पोजीशन है, इसको भी जान लेना चाहिये, इससे भी इसमें मदद मिलती है थोड़ी इस मामले में।

संवत् 2005 से इसके इन्द्राजात मिलते हैं और वह भूमि खसरे में, जमाबन्दी और मुख्तलिफ कागजात में, जैसा मैंने आपसे कहा, मन्दिर की मिलती है.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह.......

श्री रामकिशोर व्यास : मन्दिर मथुरेश की मिलती है और उसमें काश्तकार जो दर्ज है, वह जगन्नाथ का है, यह स्थिति करीब 2016 तक की है........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कब तक की ?

श्री रामकिशोर व्यास : 2017 और 2018 में एक शख्स जानकी लाल ब्राह्मण, उसके नाम का इन्द्राज है, संवत् 2017 और 2018—वह मुलाहिजा कर लीजिये, मैं जो कुछ कह रहा हूं वह रिकार्ड के आधार पर ही कह रहा हूं, तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं, पक्षपात और लिहाज से नहीं कह रहा हूं। आखिर में फर्मा लीजिये आप। तो 2017-2018 में जानकी लाल के नाम से दर्ज है, 2017 के अन्दर पिलाई का रुपया भी जमा कराया है, यह भी रिकार्ड में ऐसा मिलता है, जानकी लाल के लिए कहते हैं, जैकब, मिसेज ईडिथ जैकब का आदमी है.......

एक माननीय सदस्य : जैकब का आदमी है।

श्री रामकिशोर व्यास : मुन्तजिम है। उसके बाद संवत् 2020, 2021 और 2022 इसके लगान का रुपया मिसेज ईडिथ की तरफ से जमा हुआ है, नम्बर रसीद बुक 19, 20...

श्री भैरोंसिंह : सन् 66 का ?

श्री रामकिशोर व्यास : आयेगा 63, 64, 65 के आस पास ।

श्री भैरोंसिंह : ऐं ?

श्री रामकिशोर व्यास : संवत् 2020, 2021, 2022 मेरे खयाल में 63, 64, 65 के आस पास आयेगा । ईअर है, पेमेन्ट की डेट अलग है, ईअर की बात कह रहा हूं । इससे दो बातों का पता लगता है कि सर्टेन पीरियेड तक जगन्नाथ के नाम काश्त है, और सर्टेन पीरियेड में जानकी लाल के नाम दर्ज है और कुछ रुपया आया है, वह मिसेज ईडिथ के नाम से · ·

श्री भैरोंसिंह : आपके कहने का मतलब यह हुआ कि 2020 के पहले किसी रिकार्ड में इडिथ का नाम नहीं था ?

श्री रामकिशोर व्यास : 2020 की नहीं, 2017 की बात कही ।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह हुआ कि 53 से काश्त करता है, यह एक मेटिरियल पाइन्ट है, जो रसीद पेश की गई है, संवत् 2011 से 2014 तक जैकब के नाम की, रिसीवर की तरफ से, उसने स्वीकार किया है कि 2007 में काश्तकार थी, वह आपके हिसाब से गलत है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरे हिसाब से गलत नहीं, मैंने तफसील रखी है, अब आप जो राय रखें, जो इन्फरेन्स निकालना चाहें वह निकालें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फेक्चअल पोजीशन रख दी ।

श्री रामकिशोर व्यास : केवल जानकारी के दोनों में डिस्प्यूट बराबर चलता है । यह रिकार्ड से जाहिर होता है । जैकब कहती है, मैं काश्त करती थी । जगन्नाथ कहता है, मैं काश्त करता था । इसके मुताल्लिक एक दावा मिसेज जैकब ने दायर किया, एस. डी. ओ. के यहां, एस. डी. ओ. कोर्ट के अन्दर · · ·

श्री भैरोंसिंह : किसने दावा किया ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : केवल जानकारी के लिये पूछना चाहता हूं । यह टैनेन्सी एक्ट के अन्दर में 1955 में माफी रिज्यूम हुई है 1959 में, आप यह बता दीजिये कि 1955 से 1959 के बीच में कहीं पर भी ईडिथ के नाम है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं पूरी बात कह रहा हूं, जो फेक्ट्स हैं वह बता रहा हूं । आप जो इन्फरेन्स निकालना चाहें वह निकालें । इसके बाद मिसेज जैकब ने दफा 88 व 89 टैनेन्सी एक्ट के अन्डर जगन्नाथ के खिलाफ दावा एस. डी. ओ. कोर्ट में किया, यह कह कर, जमीन में काश्त करने के लिये माफी की जमीन मुझे बता रखी थी, मैं जमीन पर काश्तकार थी, मैंने हल खरीदे, उसने अपने नाम दर्ज कर ली है, वह गलत दर्ज कर ली है, खातेदार दर्ज करा लिया है वह गलत करा लिया है, लिहाजा मुझे खातेदार दर्ज कर दिया जाय दावा किया । उसमें दावा पेश किया, दावे की डिग्री हुई । उसके मुतल्लिक कई तरह की बातें, कई ऐतराज सामने आये । मैं सब पाइन्ट · · · · · · · · · ·

श्री रामानन्द अग्रवाल : किस्म काश्तकार क्या थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : एक एक पोइन्ट का मैं जवाब दूंगा, जो आपने दिये हैं। कोई बाकी रह जाय तो आप पूछ लेना।

श्री भैरोंसिंह : इतना एस्योरेन्स देते हैं, फिर क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो जो बातें आपने कही हैं उनका मैं जवाब दूंगा।

तो नालिश को, दावा डिग्री हुआ। अब उसमें कई तरह के ऐतराजात सामने आये हैं, सम्मन की तामील नहीं हुई, बगैर तामील के अपील हो गई। तारीखें बहुत डालीं। एस. डी. ओ. असर में आ गया, इत्यादि फैसला गलत था। इत्यादि, इत्यादि। सर्विस सम्मन जारी नहीं हुआ, यह बात सही नहीं है..........

श्री भैरोंसिंह : सही नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : जारी हुआ, यह बात सही है। तामील होकर वापिस नहीं आया, यह ठीक है.......

श्री भैरोंसिंह : वाह वाह !

श्री रामकिशोर व्यास : आपके कहने का आधार था, वह कम सत्य हैं। अदालत से सम्मन जारी नहीं हुए, बिना जारी हुए कैसे आ गये। मेरा कहना है, सम्मन जारी हुए हैं, वापिस नहीं आये उस तारीख को। सम्मन जारी होते हैं, एक तारीख को मुद्दालय को हाजिर होना है, वह हो जाता है। यह होता है कि सम्मन तामील होते हैं लेकिन वापिस नहीं आते हैं। यह बाजिव बात मालूम होती है या नहीं। अल्तवा के बारे में कहा, यह सही है कि दस बारह तारीख मुतवातिर बढ़ी हैं, दस्तावेज लेने के लिए, बहस सुनने के लिये, खुद अधिकारी ने मौके पर जाने के लिए, दौरे पर जाने के लिए—मुख्तलिफ वजूहात से एडजोर्नमेंट हुआ है। इस केस में भी एडजोर्नमेंट हुआ है। यह कोई खास बात नहीं है। जुडिशियल कोर्ट में देखते हैं कि कई कई वर्ष लग जाते हैं, इसमें साल भर हुआ है, वैसे कई साल लग जाते हैं, तो इसमें कोई बददयानती इम्प्यूट नहीं की जा सकती है, गो यह कहा जा सकता है कि अर्ली डिस्पोजल नहीं किया, अर्ली फैसला होना चाहिये, लेकिन इसमें बददयानती इम्प्यूट नहीं की जा सकती.......

श्री भैरोंसिंह : फैसला गलत कर दिया।

श्री रामकिशोर व्यास : वह सब कह देता हूं।

श्री भैरोंसिंह : ऐं ?

श्री रामकिशोर व्यास : कह देता हूं।

तीसरी बात कही गई है कि सर्किट हाउस में चले गये, वहां जाकर रजिस्ट्रेशन वगैरह किया। आप घर बुला सकते हैं, वह तो सर्किट हाउस है। उसके लिए फीस प्रेस्क्राइब्ड है, वह जमा कर दें तो बुला लें। इनका तो कोटा में घर है, वहां जाकर ठहरते तो फीस जमा करा कर बुला सकते थे। आपको खुद को मालूम है, सर्टेन फीस देने के बाद आप बुला सकते हैं। उसके लिए फीस जमा होती है, तो उसमें ऐसी बात नहीं है।

अब यह बात कही जाती है कि प्रभावित किया गया, उन्होंने खुद ने किया, रेवेन्यू अपीलेट आथोरिटी मिस्टर मेहता से प्रभावित कराया, चेअरमैन रेवेन्यू बोर्ड से कराया।

(श्री रामकिशोर व्यास)

इसका मैं समझता हूं, कोई सबूत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, रिकार्ड से कोई बात पता नहीं चलती है। आप खुद इस बात को मानते नहीं। फैसला, मैं आपसे कहता हूं, हो सकता है, मैं ऐसा मानता हूं·······

श्री भैरोंसिंह : ऐं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं ऐसा मानता हूं, इसमें जो फैसला हुआ, शायद और कोई जज होता, मुमकिन है, वैसा कर देता। आप मुझे सुन लीजिये एक दावा पेश होता है, बयान हलफिया हो जाता है, बददयानती की बात नहीं, डिक्री हो जाती है। कान्ट्रैडिक्शन उसमें है नहीं तो जो कुछ रेकार्ड पर अवेलेबल है उस लिहाज से डिक्री हो जाय, इसमें ताज्जुब या बददयानती की बात नहीं है, प्रोप्रायटी कह सकते हैं वह अलग बात है।

श्री भैरोंसिंह : कानूनी दृष्टि से फैसला वाजिब था या नहीं ?

श्री राम किशोर व्यास : अभी बताता हूं। मेन मुद्दा जो इन्वाल्वड है, जो आपने बातें कहीं हैं या बातें आर्डिनरी प्रोसीजर की बातें हैं रेग्यूलेरिटी की इर्रेग्यूलेरिटी भी हो सकती है। बाकी मैंने जो आपका फरमाना है वह यह है कि जितनी यह जमीन चंबल कमान्डेड एरिया में पडती है तो क्या खातेदारी राइट्स मुन्तकल किए जा सकते थे, दूसरे जगन्नाथ पटेल को खातेदारी राइट्स थे, तीसरे नहीं थे तो बेच सकते थे। तो कानूनी पोजीशन यह है कि चंबल कमान्डेड एरिया के अन्दर खातेदारी राइट्स मुन्तकल नहीं किए जा सकते हैं, दैट इज ए लीगल पोजीशन। जगन्नाथ रेकार्ड के अन्दर गैर खातेदार दर्ज है, यही रेकार्ड में है। अब सवाल यह है कि आप कहते हैं कि एक तो वे शिडूल्ड कास्ट के थे, वह नहीं बेच सकते थे—इसलिये मिसेज जैकब को बीच में लिया। तो इसमें जरूरत ही नहीं थी, अगर रेकार्ड में गैर खातेदार था तो वैसे ही मुन्तकल नहीं कर सकता था। दूसरी बात, जब वह खुद यह बात कहते हैं कि जगन्नाथ कि मैं तो उन्हीं की तरफ से काश्त करता था, जैकब की तरफ से काश्त करता था तो वह वज़न कौनसी शहादत में आप निकालेंगे कि वह नहीं है। जहां तक दोनों के आपस में रिलेशन्स का सवाल है, मिसेज जैकब कहती है कि जमीन मेरी है, जगन्नाथ कहता है कि जमीन उनकी है, जैकब कहती है कि मेरी तरफ से काश्त करता है, जगन्नाथ कहता है कि उनकी तरफ से काश्त करता था। मेरा पाइन्ट यह है कि यहां 2 इश्यूज हैं : एक तो, खातेदारी राइट्स ट्रान्सफर हो सकते हैं या नहीं, उसका स्टेटस क्या था, जगन्नाथ गैर खातेदार था या खातेदार, वह मैंने कह दिया। अब सवाल पैदा होता है कि जो यह ट्रांसफर हुआ और मिसेज जैकब ने ज़मीनें बेची, रक्षा देवी को उनको क्या मिला ? ठीक है, बेच दी है कानूनी दृष्टि से सही है या नहीं, मेरा कहना यह है कि ट्रांसफर आफ प्रापर्टी एक्ट के अन्दर यह उसूल है कि परचेजर वही राइट्स परचेज करता है जो सेलर के राइट्स हैं परचेजर बिवेयर। खरीददार जो संपत्ति खरीदे वह जानबूझकर सोच समझकर उनको खरीदनी चाहिए, यदि उसके टाइटल में डिफेक्ट है तो वह डिफेक्टिव टाइटल माना जायगा। टाइटल में डिफेक्ट नहीं तो अच्छा टाइटल माना जायगा। तो कहने का सार यह है कि

(श्री रामकिशोर व्यास)
जो कुछ भी टाइटल जगन्नाथ का था या मिसेज जैकब का था, वही पर्चेजर का होगा। खातेदारी राइट नहीं था तो नहीं था, गैर खातेदारी ट्रांसफर नहीं कर सकते थे तो नहीं करना चाहिए था। कोई भी अधिकार जो भी जगन्नाथ या जैकब का हो सकता था वह उनको मिले, इससे ज्यादा नहीं।

अब यह जजमेंट है। मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं कि यह जजमेंट गवर्नमेंट पर बाइंडिंग नहीं है। इस वजह से बाइंडिंग नहीं है कि गवर्नमेंट उसमें पार्टी नहीं थी। कोई भी मुकदमें के फैसले से वह पाबंद है जो उसमें पार्टी हो। तहसीलदार उसमें पार्टी नहीं था, सरकार का रिप्रेजन्टेटिव शामिल नहीं था। अगर जजमेंट हुआ भी होगा तो जहां तक सरकार का ताल्लुक है, वहां तक तो कोई बाइंडिंग नहीं है। इसलिये इसमें जो बेकायदगी की बात कहते हैं, असर और दबाव की बात कहते हैं, वह मुझे मालूम नहीं, क्योंकि राइट्स उनके वहीं होंगे जो जगन्नाथ के होंगे, होंगे तो होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे, जो जो राइट्स जगन्नाथ के थे, वह उनके होंगे, इससे ज्यादा नहीं।

श्री भैरोंसिंह : अगर यह गैर खातेदारी में है तो कैंसिल हो जायगी ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह तो हो जायगी।

श्री रामकिशोर व्यास : होगी। आपने कहा एक ही दिन में एन्ट्री हो गई, मैं समझता हूं यह सही नहीं है। जब फैसला हो गया और...

श्री कृष्ण कुमार गोयल : डिक्री कब हुई ?

श्री राम किशोर व्यास : मिसेज् जैकब..

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वैलिड है या नहीं?

श्री रघुनाथ विश्नोई : वैलिड नहीं है।

श्री राम किशोर व्यास : मैंने कह दिया कि चंबल कमान्डेड एरिया में सैक्शन 15 आफ टेनेन्सी एक्ट के तहत कोई खातेदारी राइट्स नहीं रखे हैं। तो जहां तक इस केस का ताल्लुक है, मैं समझता हूं, बहुत साफ है और फिर भी हमने इसको इग्जेमिन करने के पाइंट आफ व्यू से जो जो शिकायतें आई थीं, हमारा फर्ज था कि शिकायत हो, उसको रफा करें, मिटायें और उसी लिहाज से हमने कलेक्टर से कहा है कि जो शिकायतें यहां पर आई हैं, उनकी जानकारी करे और एक्शन लें। कलेक्टर ने उसमें एक्शन लिया है और दफा 232 टेनेन्सी एक्ट के तहत कार्यवाही कर रहे हैं, उसका नतीजा आपके सामने आएगा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : रक्षा देवी के नाम इंतकाल खुल गया या नहीं ? फैसला होने के बाद और रजिस्ट्री होने, दरखवास्त देने पर तहसील लाडपुरा में इंतकाल हो गया या नहीं ?

श्री राम किशोर व्यास : रक्षा देवी के नाम दर्ज नहीं है? इंतकाल जब होगा जब म्यूटेशन इसके नाम रखा जाय। तब इन्तकाल माना जावेगा। म्यूटेशन में इनका नाम लिखा नहीं गया। दिस इज़ नोन फैक्ट।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने ट्रान्सफर ओफ प्रोपर्टीज एक्ट का हवाला दिया। आप स्वयं लॉ कालेज में पढ़ा चुके हैं और एडवोकेट रह चुके हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अगर किसी का टाइटल ट्रान्सफर ही

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
नहीं हुआ, टाइटल नहीं है तो ट्रान्सफर ही नहीं हुआ, 19-5 को श्रीमती जैकब के नाम फैसला नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ जो गैर खातेदारी से मान लिया जाय ट्रान्सफर फोर आर्गूमेन्ट्स सेक ? जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ तो टाइटल किसी के नाम था ही नहीं इसलिये ट्रान्सफर करने का सवाल खड़ा नहीं होता और श्रीमती रक्षा देवी के नाम ओबिनीशियस नल एन्ड वायड है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उसके लिये वह सफर करेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किसी को सफर कराने के लिये इन्ट्रेस्टेड नहीं हूं। मैं तो नोलेज के लिये पूछ रहा हूं।

श्री रामकिशोर व्यास : मिसेज जैकब का जो राइट था वह खाली इसी फैसले पर निर्भर नहीं करता है। उसने क्या किया और क्या नहीं वह जानती है। मेरा हक है उस जमीन पर, मैं उसको देता हूं। लिटिगेशन चलता है तो चलता होगा। मेरा ओरिजिनल राइट तो है।

श्री भैरोंसिंह : वेलिड तो नहीं है ?

श्री राम किशोर व्यास : दुबारा फरमा दें।

श्री भैरोंसिंह : अभी आपने कानून की परिभाषा बतायी और कानून की जानकारी दी, इस प्रकार की रजिस्ट्री जिस जमीन पर उसका कब्जा नहीं था, टाइटल नहीं थी, उस पर रजिस्ट्रेशन करवा कर कानूनी आधार पर सही नहीं मानते।

श्री रामकिशोर व्यास : उस जमीन पर कब्जा था यह बात उसने अपने दावे में कही है। यह बात जैकब ने कही है।

श्री भैरोंसिंह : रजिस्ट्रेशन की बात कही है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : रजिस्ट्रेशन में यह बात हो इससे क्या फर्क पड़ता है।

श्री रामकिशोर व्यास : मिसेज जैकब का कब्जा था उसने अपने दावे में भी कहा है। उसके मुतल्लिक आपने भी फरमाया उसके बाद गुन्जाइश रहती नहीं इस मामले में।

दूसरा पाइन्ट पैट्रोल पम्प के बारे में भी काफी जोर शोर से कहा गया। पैट्रोल पम्प की जमीन की हिस्ट्री के बारे में कहूं तो यह कोटा झालावाड रोड पर एरो ड्रोम के पास की जमीन जहां पैट्रोल पम्प बना है। गदरा में एक शख्स था, उसकी खातेदारी में थी और खसरा नं॰ 103 में थी। उसकी डेथ हो गई। उसके चार लडके थे।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

सदन की अनुमति से 45 मिनिट का समय और बढाया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : इससे क्या होगा ? जवाब भी देना है।

श्री अध्यक्ष : जब तक यह समाप्त न हो तब तक के लिये समय बढा दिया जाय।

(स्वीकृत)

यह बहस समाप्त न हो तब तक के लिये बढा दिया जाता है।

श्री रामकिशोर व्यास : भगवान्, चन्द्र घर, आदि चार लडके थे। यह जमीन मुसम्मी

(श्री रामकिशोर व्यास)
बुधराम के नाम दर्ज थी। उस की डेथ हो गई। उसके चार लडके प्रेम, भगवान्, मदनलाल इत्यादि चार लडके थे। उसके बाद वह खातेदारी उनके नाम हो गई। सन् 57 में वहां पर बन्दोबस्त की कार्यवाही चली और खाम पर्चे जारी हुए।

श्री राधाकिशन : दोनों का बुढापा है। कुछ सुनाई नहीं पडता है।

श्री रामकिशोर व्यास : आपके कानों पर भी बुढापे का असर पड गया है।

(7.6 सायं)

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उस खातेदारी के हकूक उन चार लडकों को मिले। सन् 57 में वहां पर बंदोबस्त का काम शुरू हुआ। बन्दोबस्त के खाम पर्चे जारी हुए। उस जमीन के बारे में उनकी खातेदारी लिखी गयी और 6 बिस्वा का एक टुकडा था उसको आबादी में खाम पर्चियों में लिखा गया। यह भी बन्दोबस्त की कार्यवाही में दर्ज है कि वहां पर मकानात बने हुए थे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : एक जानकारी करना चाहूंगा।

श्री रामकिशोर व्यास : आप बाद में कर लीजियेगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : एक जानकारी।

बन्दोबस्त के पहले रेवेन्यू रिकार्ड में क्या स्थिति थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : इतनी तो सब्र रखते कि आप बाद में एक साथ पूछ लेते।

सन् 57 में जो खाम पर्चे जारी हुए कुछ आबादी की जमीन लिखी 16 बिस्वा की और दुकानात की तामीर भी लिखी। सेटलमेन्ट की तकमील पूरी हो गई और 61 में पर्चे जारी हुए तो सिवाय चक लिखा गया। 57 और 61 के बीच में जो गूजरान की खातेदारी में थी लक्ष्मीनारायण सनाढ्य ने खरीदी। 57 में एग्रीमेन्ट हुआ और 61 में सेल डीड हुआ। इस अर्से में यू. आई. टी. इम्प्रूवमेन्ट के लिये वर्कशाप वगैरा के लिये लेना चाहता था। उन्होंने कई नोटीफिकेशन निकाले उसमें यह जमीन को भी शामिल बताया। कब्जा लेने गये। पैट्रोल पम्प की तामीर हो चुकी थी छत तक। यह पोजीशन है।

मैं आप से पूछना चाहता हूं कि एक बन्दोबस्त के पर्चे में आबादी की जमीन दर्ज है, खातेदारी की जमीन भी थी, मंजूरी भी कलेक्टर से ली पैट्रोल पम्प बनाने के लिये, क्या बेजा बात हुई ? अपनी जमीन के बारे में जिसमें खातेदारी लिखी हुई है उसमें इल्लीगल क्या हुआ ? आगे उज्र यह है। 61 में सिवाय चक दर्ज करदी गई उसको लेना चाहिये। लक्ष्मीनारायण की आपत्ति चल रही है। तीन आपत्तियां हैं। अर्जी दी फैसला नहीं हुआ, एक्वीजीशन के बारे में उज्रात पेन्डिंग हैं वे पूरे नहीं हुए, वह कहता है कि गलत एक्वीजीशन हुआ। इस प्रकार मंत्रालय में कुछ रिप्रेजेन्टेशन लक्ष्मीनारायण ने किये थे। उनके बारे में जानकारी चल रही है। यह सारा पैट्रोल पम्प के बारे में है। यह गवर्नमेन्ट के जेरतहत है और फाइनल फैसला नहीं हुआ। फैक्टस मैंने आपको बताये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : केवल एक जानकारी चाहूंगा।

श्री रामकिशोर व्यास : आखिर में आप पूछ लीजिये ।

श्री कृष्णकुमार : जमीन खरीदी उसमें केवल लक्ष्मीनारायण ह खरीददार, रक्षा देवी नहीं है जब कि पैट्रोल पम्प पर रक्षा देवी और लक्ष्मीनारायण दोनों हैं ।

श्री रामकिशोर व्यास : यह बात सही है कि जमीन खरीदी उसमें खरीददार लक्ष्मी-नारायण हैं ।

कोल्ड स्टोरेज के लिये कहा गया । उनका हिस्सा है बेनामा है । लेकिन किसी रिकार्ड से पता नहीं चला कि बेनामा है । न आपने सबूत दिया है । महज उन्होंने उसका फाउन्डे-शन स्टोन ले किया । इलाके की तरफ का काम था उन्होंने फाउन्डेशन स्टोन ले किया इससे जो भी इन्फरेन्स निकालें आप निकालें ।

चौथी बात मोहीपुरा के बारे में है । यह जमीन मोहीपुरा की इसमें नीलामी की कार्यवाही हुई । विज्ञप्ति निकली । जारी हुई । आपका फरमाना यह है कि इसमें नीलामी की कार्यवाही का नोटिस नहीं दिया गया यह सही नहीं है । इसमें 1 मार्च, 68 को विज्ञप्ति निकाली गई और 22 मार्च, 68 को नीलाम हुई । आपका यह कहना है कि यह विज्ञप्ति निकाली होती तो गांव वाले जरूर आते । उनको मालूम होना चाहिये था । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विज्ञप्ति निकालने के बाद भी नहीं आवें । एक बात यह हो सकती है कि विज्ञप्ति की वाइड पब्लिसिटी जितनी होनी चाहिये वह नहीं हुई । पब्लिसिटी इसमें हुई है, इश्तिहार जारी हुए हैं । कानूनी लेकुना इसमें नहीं रहता ह ।

श्री भैरोंसिंह : उस गांव में पब्लिसिटी हुई या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : विज्ञप्ति निकाली है । सफिशियेंट वाइड पब्लिसिटी हुई है या नहीं यह एट इश्यू । सुधाकरजी को 3251 रुपये में 39.20 बीघा जमीन खसरा नं. 53 नीलाम हुई है, और उनके नाम खत्म हुई है । चन्द्रधर जी को 370 रु. में 38 बीघा 14 बिस्वा जमीन खसरा नं. 54 नीलाम हुई और उनके नाम खत्म हुई । इस प्रकार कुल मूल्य 7,352 रु. 78 बीघा जमीन का यह है । एक तो मुस्तहरी के बारे में बात कही । रिकार्ड से और बे रिकार्ड से कहीं से यह मालूम नहीं होता है कि बृजसुन्दरजी ने असर डाला हो । उन्होंने एक्स्प्लेन किया है आपके सामने । मुद्दे की बात यह है कि अगर उस जमीन का नीलाम उनके नाम मन्जूर होजाता तब तो आपका कहना सही होता कि बेजा तरीके इस्तेमाल करके उन्होंने ले ली । लेकिन नीलाम होने के बाद शिका-यत आई गांव वालों को कि जमीन हमको मिलनी चाहिय, जमीन नीलाम नहीं होनी चाहिये, हो तो हमको मिलनी चाहिये । इस पर एस. डी. ओ. ने इन्क्वायरी की और वह चल रही है । कागजात पेन्डिंग हैं ।

अगर इनका असर होता, मगर इनके असर की बात नहीं है । गवर्नमेन्ट के असर की बात नहीं है । अगर यह होता तो इनकी नीलामी मंजूर हो जाती और फिर आगे की बात आगे देखी जाती । मेरे कहने का मतलब यह है कि इनको कोई हक इस नीलामी से हासिल नहीं हुए हैं, इनके लडके को, भाई को हासिल नहीं हुए हैं । नीलामी के आदेश हुए नहीं तो फिर उसका इनको फायदा उठाने की बात नहीं आती । इसी प्रकार मोहीपुरा वाली जमीन की बात है.....

Page No 187

श्री भैरोंसिंह : एक तो यह जो कोलोनाइजेशन के जो रूल्स हैं, उन रूल्स के अनुसार कोई भी बीडर उस समय तक बिड नहीं लगा सकता जब तक वह यह डिक्लेरेशन न दे कि मेरे नाम, मेरे परिवार के सदस्यों के नाम कितनी कितनी जमीन कहां कहां है ? एक तो यह हुआ पहला डिक्लेरेशन । दूसरा जो गवर्नमेन्ट की रिजर्व प्राइस है, उस प्राइस का वन फिफ्थ इन एडवान्स एट दी टाइम आफ बिड जमा न करा दे उस वक्त तक कोई बोली नहीं लगा सकता । क्या यह सत्य है ।

श्री रामकिशोर व्यास : रूल्स में ऐसा प्राविजन है जैसा आप कहते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : इसकी तामील हुई है क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह मैं नहीं कह सकता ।

श्री भैरोंसिंह : इन दोनों चीजों की कम्प्लाइन्स हुई है क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : क्योंकि रिकार्ड हमारे पास नहीं है, इसलिये मैं नहीं कह सकता । अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : आज आप यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि इन दोनों चीजों की कम्प्लाइन्स हुई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो जानकारी कर लेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : आज तो आपके पास जानकारी नहीं है ।

श्री रामकिशोर व्यास : मुझे जानकारी नहीं है । मोहीपुरा के अलावा एक जमीन और······

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Attempt to commit a murder is also an offence.

श्री रामकिशोर व्यास: Not by some body else. Shri Brij Sunder is not responsible for the bid made by his Son. He is major and be could do it

यह तो जबरदस्ती अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहे हैं । लडके ने बिड लगादी तो क्या हो गया······

श्री रामानन्द अग्रवाल : कान्ति देसाई और मोरारजी देसाई वाली बात है ।

श्री रामकिशोर व्यास : आप क्या फरमा रहे हैं । एक गोविन्दपुरा बावडी की 1 बीघा 7 बिस्वा जमीन खरीद की बात आपने और कही है । उस जमीन के पडौसी होने के नाते उसका अलाटमेन्ट उनको होने का हक है । इसमें कोई गैर वाजिब बात नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : वह एडज्वाइन्ट है क्या ?

श्री राम किशोर व्यास : मैंने खुद ने तो मौका देखा नहीं है । आफिस से जानकारी की है । उनकी जमीन के बराबर धोरा है और उस धोरे के पास जमीन है ।

श्री भैरोंसिंह : आज तो यह राइट स्ट्रिप आफ लैंड, एडज्वाइन्ट स्ट्रिप आफ लैंड कौन किसान ले सकता है । कानून में यह लिखा है कि खातेदार ही ले सकता है । इस प्रकार के लड के अलाटमेन्ट के लिये राज्य सरकार

Page No 188

(श्री भैरोंसिंह)

द्वारा एक एडवाइजरी कमेटी बनाई हुई है, वह कमेटी इसका अलाटमेन्ट कर सकती है, जैसा कि रूल्स में प्रावधान है और गैर खातेदार किसान, जिसको कि खातेदारी के राइटस नहीं है, उसको अपने अधिकार में लेने के लिये प्रार्थना-पत्र देने का अधिकार नहीं है।

श्री **रामकिशोर व्यास** : यह जमीन तो गवर्नमेन्ट ने बेची है। एडवाइजरी कमेटी इसमें क्या करेगी। इसमें क्या बात है ?

श्री **भैरोंसिंह** : कितनी जमीन है ?

श्री **रामकिशोर व्यास** : एक बीघा का टुकडा है।

श्री भैरोंसिंह : एक बीघे के टुकडे का सवाल नहीं है।

श्री **रामकिशोर व्यास** : जमीन का अलाटमेन्ट, अलाटमेन्ट कमेटी के थ्रू होता है, नार्मली। इसकी डिटेल मुझे पता नहीं है, लेकिन·····

श्री भैरोंसिंह : यह महत्वपूर्ण है। यह दोनों जिलों में है। एक कोटा में है और दूसरा बूंदी जिले में हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : नार्मली जो अलाटमेन्ट होता है वह कमेटी के थ्रू होता है। नार्मली जो अलाटमेन्ट के रूल्स हैं, वे कोलोनाइजेशन के अन्दर नहीं है। वहां अलाटमेन्ट कमेटी के जरिये नहीं होता है।

श्री भैरोंसिंह : कोलोनाइजेशन रूल्स में स्ट्रिप आफ लैंड के अलाटमेन्ट के कोई रूल्स नहीं हैं। आप उनके कहने में आ गये। उपाध्यक्ष महोदय, उनसे पूछिये कि कोलोनाइजेशन एक्ट में स्ट्रिप आफ लैंड एड्ज्वाइन्टमेन्ट कल्टीवेटर को देने का कोई प्रावधान है क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं अर्ज कर दूं इसमें प्रोवीजन है। वैसे भी पडौसी के बिना पर इसका उनको हक होता है। यह रजिस्टर के ग्राउन्ड पर है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राइट्स आफ प्रिजम्पशन कहां से मिला ?

श्री रामकिशोर व्यास : नार्मली मुझे अलाटमेन्ट मिलना चाहिये, यह जस्टिस की बात है। इसके अलावा 4 बीघा जमीन उनके लडके ने खरीदी है। इसके अलावा 6 मामले और हैं। बाकी के जो मामले हैं, उन पर भी आपने रोशनी नहीं डाली है। आपके न कहने पर मैं भी जोर नहीं देता।

एक तो एलीगेशन यह था कि बूंदी के कुछ नागरिक जिसमें बूंदी के कांग्रेसीजन शामिल हैं, उन्होंने कुछ आराजी पर कब्जा किया है। जिन लोगों ने कब्जा किया, उनके खिलाफ सैक्शन 91 के तहत कार्यवाही हुई है। कार्यवाही चल रही है यह आपको भी मालूम है।

श्री भैरोंसिंह : उनके नाम बता दीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास : वे नाम तो आपने भी नहीं बताये हैं।

श्री **भैरोंसिंह** : वे कौन कौन कांग्रेस के नेता हैं जिनके खिलाफ सेक्शन 91 की कार्यवाही हो रही हैं।

श्री राम किशोर व्यास : वे कांग्रेस मैन हैं।

श्री भैरोंसिह : नाम बता दें जिनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है।

श्री राम किशोर व्यास : डिटेल की बात है, बहुत सारे आदमी हैं। नाम मेरे पास नहीं हैं। दूसरी बात जागीरसिंह के बारे में कि उन्होंने तालाब पर अनधिकृत कब्जा कर लिया है, यह कहा गया है। उसके खिलाफ चिमना कादरी वाली बात कही है कि उसने जमीन बेचदी। यह काफी डिस्पुटेड मामला है। वे यह कहते हैं कि उसके प्रेडीसेसर्स इन टाइटिल महाराज से है। परन्तु गवर्नमेन्ट यह कहती है कि यह लैंड गवर्नमेन्ट की है। गवर्नमेन्ट की लैंड मानती है, उसकी नहीं मानती है। इसी वजह से आज भी कब्जा गवर्नमेन्ट का है और रजिस्ट्रेशन के लिये जो डीड पेश किया गया था वह रजिस्टर होकर उसे नहीं मिला है। इससे साफ जाहिर है कि….

श्री भैरोंसिह : उसने फारेस्ट की लकडियां काटी हैं। उस पर मुकदमा बनाकर जेल क्यों नहीं भेजा गया ?

श्री राम किशोर व्यास : हम क्या करते-जब हमारे पास अपनी जमीन है।

श्री भैरोंसिह : लकडी तो काटी है।

श्री राम किशोर व्यास : इसका एक्शन हो रहा है।

इन सारे मामलों में गवर्नमेन्ट अपने आफीसरों के थ्रू तहकीकात करा रही है, जांच करा रही है और सारे तथ्य इस सदन के सामने आ गये हैं। इसके बाद और तथ्य क्या चाहिये। जांच की बात आप कहते हैं तो जांच हो रही है। फिर मैं यह समझता हूं कि इस सदन की कमेटी बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये यह प्रस्ताव नामंजूर किया जावे।

मुख्य मंत्री जी के बारे में यहां कई बातें कही गई हैं। आखिर में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारी बातों के ऊपर यहां, इस सदन में माननीय सदस्यों ने कई दफा वाद विवाद किया है और मुख्य मंत्रीजी अपना दृष्टिकोण भी बता चुके है।

और सबको मालूम है। दफा बे दफा आप इसी बात को दोहराते है जो बात कई दफा यहां साफ हो चुकी है जिसके सारे फैक्टट् सदन के सामने आचुके हैं उसमें किसी प्रकार से गलत काम नहीं हुआ, मुख्य मंत्री जी का इसमें कोई लेना देना नहीं पाया जाता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूं आप सन्तुष्ट होंगे और अपने प्रस्ताव को वापिस लेंगे।

श्री भैरोंसिह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्रीजी ने जिस प्रकार से उत्तर दिया है उससे मैं समझता हूं कांग्रेस के वे माननीय सदस्य जो माननीय बृजसुन्दरजी की पैरवी में खडे हुए थे वे शायद इस बात का अनुभव करेंगे उनको या तो जानकारी का अभाव था या जानकारी थी ही नहीं वे केवल बृजसुन्दर जी के पक्ष में बोलकर केवल उनको ओब्लाइज करना चाहते थे।

पाली से आने वाले माननीय सदस्य बराबर इस बात का उल्लेख कर रहे थे शायद वे इस बात को सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहते थे कि वकालत की दृष्टि से उनको बहुत अनुभव है, अगर वास्तव में ही उनकी वकालत चलती है तो वे इस पत्र को इस प्रकार से रखने का साहस नहीं करते। इससे मैं यह भी अनभव करने लगा हूं कि इनकी वकालत चलती

(श्री भैरोंसिंह)

भी है या नहीं। जिस प्रकार की बातें उन्होंने कही उससे तो कोई भी यह नहीं मानेगा कि उनकी प्रेक्टिस चलती है। वे चेम्बर प्रेक्टिस के लिये माहिर हो सकते हैं लेकिन कोर्ट प्रेक्टिस उनकी चलती हो यह मानकर नहीं चला जा सकता। उपाध्यक्ष महोदय, दबे शब्दों में माननीय राजस्व मंत्री जी ने ये तथ्य स्वीकार किये हैं, तथ्यों के नोलेज में आने के बाद भी वे साहस नहीं कर सकते क्योंकि कानूनी दृष्टि से मामला बहुत खोखला है, कानूनी दृष्टि से मामले में तथ्य नहीं है इसलिये उनका कहना है कि कानूनी दृष्टि से विधान सभा में नहीं रखा जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने खास कर बनेडा से आने वाले माननीय सदस्य श्री यशवन्तसिंह जी ने अस्वस्थ होते हुए भी जोश खरोश के साथ इसकी वकालत की। मुझे उस समय रहम आता था असत्य बात की परवी करने में किस किस प्रकार का दर्द हो रहा है किस प्रकार से उनको ताकत लगानी पड रही है। एडमिनिस्ट्रेशन में यह किस प्रकार से होगया, इसकी इन्क्वायरी किस प्रकार से होनी चाहिये, यह इन्क्वायरी क्यों होनी चाहिये इन्हीं बातों को लेकर वे इसी की वकालत में जुट गये। ऐसा मालूम पडता था कि वे मन से नहीं बोल रहे थे उनके ऊपर दबाव था यह कांग्रेस की प्रतिष्ठा का सवाल है इसलिये हर कांग्रेस मेम्बर को खडा होना चाहिये और हर सदस्य को बृजसुन्दर जी के पक्ष में बोलना चाहिये। मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा आपने कांग्रेस को बचाने का भरसक प्रयत्न किया है। तथ्यों की पूर्णतया अवहेलना करके वास्तविकता की जानकारी करने की कोशिश न करके, कानून को देखने की आपने चिन्ता नहीं की चिन्ता केवल एक बात की थी कि बृजसुन्दरजी को किस प्रकार से बचाया जाय। और बचाने की स्टेज भी आई है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैंने जो आरोप लगाये थे उनमें से कौन से गलत साबित हुए, क्या कोई मेरा आरोप गलत साबित हुआ है। जो पक्ष मैंने सदन में प्रस्तुत किया था, उसको माननीय राजस्व मंत्री ने स्वीकर किया झिझकते हुए स्वीकार किया जैकब काश्त नहीं करती थी। जैकब ने दावा किया संवत् 2013 से काश्त करना चाहती थी। 2005 से 2016 के बाद में जानकी लाल का नाम आता है। संवत् 2020 तक जैकब का नाम नहीं आता। आपने मूलचन्दजी को कैसे गलत बताया। राजस्व मंत्री ने जब स्वीकर कर लिया यह काश्तकार नहीं थी..

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो आपने कहा है?

श्री भैरोंसिंह : आप कहदो काश्तकार थी क्या?

श्री राम किशोर व्यास : एज पर गवर्नमेन्ट रिकार्डस नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैं भी तो यही कहता हूं कि वह काश्तकार नहीं थी इसमें मेरी कहां गलती हुई।

मैंने आरोप लगाया था यह काश्तकार नहीं थी रेकार्ड में नाम नहीं था कोई नाम नहीं था जिन बातों की आपने ताईद की है वे तो सही है ना?

श्री मूलचन्द डागा : जगन्नाथ का नाम था या नहीं। वह गैर खातेदार था जैकब ने

(श्री मूलचन्द डागा)
दावा किया उस पर उसने कहा मैं उसका हाली था इस क्वश्चन को आप रखना नहीं चाहते।

श्री भैरोंसिंह : राजस्व मंत्री जी ने रेकार्ड के आधार पर बात कही है वह सही है। आप वकालत में एक्सपर्ट हैं क्या आप गवर्नमेन्ट के रेकार्डस् के आधार पर जो बात कही उसको सही मानेंगे या नहीं ?

श्री मूलचन्द डागा : काबिज नहीं था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रेकार्ड के आधार पर वह कल्टीवेटर नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह : पहला मेरा आरोप साबित होगया जेकब का नाम किसी रेकार्ड के अन्दर नहीं था कोई रेकार्ड पेश नहीं किया गया कोर्ट में। क्या वह कहीं काश्त करती थी। राजस्व मंत्री ने कहा नहीं करती थी अगर कहीं करती थी तो गवर्नमेन्ट सर्विस कन्डक्ट रूल्स के अनुसार उसको राज्य सरकार के संबंधित विभाग को सूचना देनी पडती है।

श्री मूलचन्द डागा : खुद करे तो आवश्यक नहीं दूसरों से करावे जगन्नाथ ने बयान दिया है वह हाली का काम करता था।

श्री भैरोंसिंह : मैं इसीलिये आपकी वकालत की तारीफ कर रहा था और जो आपको वकील करेंगे उनको भी आगाह करना मेरा फर्ज है कि वे यदि आप जैसे वकील को करेंगे सही मानिये वे डूब जायेंगे उनको आगाह करना मेरा धर्म है। आप इसका बुरा न मानें मैं मुवक्किलों के हित की बात कह रहा हूं।

पहला आरोप मेरा सही था रेकार्ड के आधार पर ईडिथ का नाम नहीं था। 1966 में एक प्रकार की रसीद पेश की गई। ईडिथ ने मन्दिर के किसी मुख्तियार के नाम पर पैसा जमा कराया। परसनली जमा नहीं कराया उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय कह रहे थे इसमें बदनियती क्या ? राजस्व मंत्री इस बात को जानते होंगे मैं सदन को बताना चाहता हूं बदनियती तो यह है 2009 से 2014 तक रसीदें ईडिथ के नाम से कैसे पेश हुई ? और अदालत के सामने 2011 से 14 तक की रसीदें पेश की गई वह रेकार्ड के अनुसार फर्जी है। यह पूर्णतया सिद्ध है। जागीर रिजम्प्शन में रेकर्ड में नाम नहीं 2016 से 22 तक जैकब का नाम नहीं। उससे पहले यह रसीदें उसके स्वयं के नाम की और सर्टिफिकेट किस प्रकार से होते हैं इस केस के समर्थन में। वे आपके अनुसार फर्जी हैं। कौन आदमी पागल था जिसने 2011 से 13 तक का फर्जी रेकार्ड पेश किया क्योंकि इसमें डर था शिकायत होने पर जेलखाने की हवा खानी पडती। जिस प्रकार जैसे आपने कहा कि कोई भी सदस्य साधारण आदमी ऐसी गलती नहीं कर सकता तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो रसीदें पेश की हैं वह वकील होते हुए भी, वे भी कानून के जानकार हैं, सत्यप्रकाश त्यागी वह भी कानून के जानकार हैं उसने अपने हाथ से सर्टिफिकेट दिया है। फरजी दिया। तो कानून की जानकारी रखने वाला क्यों पेश करता है फरजी डाकूमेन्ट इसके पीछे मोटिव हैं।

अब उपाध्यक्ष महोदय, तीसरा प्रश्न आता है। जगन्नाथ की रजिस्ट्री। माननीय राजस्व मंत्रीजी यह जानते होंगे और यह सदन भी जानता है कि कल सदन में एक तथ्य

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं रख पाया। मैं चाहता था कि राजस्व मन्त्रीजी यहां रखें। जो जानकीलाल आया है यह काश्तकार की हैसियत में नहीं आया। इसका नाम एन्टर किया गया है। उसने अपने आप काश्त करके हक प्राप्त कर लिया हो ऐसी बात नहीं है। आप सब रजिस्ट्रार के आफिस में जाइये और सन् 62 में इस जानकीलाल ने इस जमीन को खरीद कर अपने नाम रजिस्टर कराई थी जगन्नाथ से। तो ईडिथ यहां भी पिक्चर में नहीं थी। सन् 61 में जगन्नाथ ने बेची। उस वक्त ईडिथ पिक्चर में नहीं थी। सरकारी रिकाड में नहीं थी। जागीर रिजम्प्शन के रिकार्ड में नहीं थी। तो यह ईडिथ चलते चलते 66 में कहां से आगई? यह कौन लाया? उसे कहां बुखार होगया कि वह दावा पेश करे कि मुझे जमीन दिलादें और दावे में यह लिखा कि सं. 2013 से मैं काबिज थी। ईडिथ एन्टर हो गई। एक जगह होगई। पर जगन्नाथ ने इसकी रजिस्ट्री दूसरे के नाम कराई तब न ईडिथ आई न इनके पैरोकार बृज सुन्दरजी वहां पहुंचे। तो फिर यह ईडिथ पिक्चर में कहां से आगई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जानकीलाल को तो पार्टी ही नहीं बनाया था।

श्री भैरोंसिंह : उसे बनाना चाहिये था।

अब क्योंकि कलेक्टर ने तथ्यों का हवाला दे दिया इसलिये आया। यह तो अच्छा है। इसलिये कहना चाहता हूं कि इसमें पद का दुरुपयोग हुआ। अब इसमें पद का दुरुपयोग क्या हुआ और इसके लिये बहुत बढिया दलील दी गई कि जगन्नाथ की रजिस्ट्री हुई उस समय तक रक्षा देवी ने अपने पति बृज सुन्दरजी को बताया ही नहीं। यह आप मानेंगे?

श्री **राम किशोर व्यास** : उन्होंने तो नहीं कही यह बात।

श्री **भैरोंसिंह** : तो नाम लो। आप तो स्वीकार नहीं कर सकते। पर बृजसुन्दर जी ने कहा। दौरे पर जाते हैं। आप वहां पर जाते हैं। पति पत्नी साथ साथ जाते हैं एक कार में जाते हैं। पर श्रीमतीजी ने कहा जमीन खरीदी यह उनको मालूम नहीं। मुख्य मंत्रीजी इसे तो आप भी स्वीकार नहीं करेंगे कि पत्नी ने जमीन खरीदी हो और वह पति को बतावे नहीं और पति की नोलेज में ही नहीं हो और 6 हजार का पेमेन्ट कर दिया जावे। अब या तो पति का खजाना अलग है, पत्नी का अलग है। या तो खजाना दोनों का अलग अलग है। आपका खजाना अलग है, पत्नी का खजाना अलग है। कैसे भी हो, पर इससे यह पता लगा है कि दो अकाउन्ट हैं आपके यहां। एक तो वाजिब अकाउन्ट बृजसुन्दरजी के पास और दूसरा गैर वाजिब अकाउन्ट पत्नी के पास। इसमें खर्च कर दे तो आवश्यकता नहीं परमिशन की उनको। इसलिये शायद पति महाशय को पता नहीं हुआ। पर यह कोई मान सकता है? जमीन की रजिस्ट्री सन् 67 में हो जावे और बृजसुन्दर जी को पता नहीं लगे। उस समय तक नहीं लगे जब तक मैंने इस प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया सदन में। मैं समझता हूं कि कोई भी ईमानदार आदमी इस स्थिति को स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। पत्नी जमीन खरीदे और पति को मालूम न हो और फिर 6 हजार का पेमेन्ट करे और पति से आज्ञा न ले। आज की महिलायें....

Page No 193

श्री बृज सुन्दर शर्मा : मैंने यह कहा कि डिटेल्स मुझे मालूम नहीं थी ।

श्री भैरोंसिंह : आप अब यह कहदें कि रजिस्ट्री मैंने पढ़ी नहीं थी । डिटेल्स मालूम नहीं थी । तो उपाध्यक्ष महोदय, में पूछना चाहता हूं कि उस समय रजिस्ट्री हुई सरकिट हाउस कोटा में थे आप कि नहीं ? जरा खड़े होकर कह दीजिये ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं कोटा में था । पर दिन भर नीचे बिजी था । ऊपर गया ही नहीं । नीचे सरकिट हाउस में बिजी था । ऊपर गया ही नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : नीचे पत्नी जमीन खरीद रही है, ऊपर पति को पता ही नहीं ।

श्री बिजय सिंह (मकराना) : पत्नी ऊपर थी । पति नीचे थे ।

श्री भैरोंसिंह : ये नीचे थे, खैर ऐसे सही । पत्नी ऊपर बैठी बैठी जमीन खरीद रही है और छः हजार का पेमेन्ट कर रही है । तो मैं पतिदेव से पूछना चाहता हूं कि आप पति पत्नी एक ही कार में आये थे न ? या दो कारों में आये थे । और गये भी एक ही कार में थे न ? कहदो अलग अलग गये थे ? आये एक ही कार में, गये भी एक ही कार में । कह दो लड़ाई थी आपस में ? बात ही नहीं हुई ? किस तरह के आरगूमेन्टस क्रीएट किये जाते हैं ? तरस आता है उनकी बुद्धि पर । स्टाम्प खरीद कर लाये आपके पी. ए. । कह दीजिये आपके पी. ए. ने स्टाम्प नहीं खरीदे ? फिर किसने खरीदे ? यह भी आपको पता नहीं है ?

अब उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का पता लगा लिया जावे कि स्टाम्प पर पी. ए. के दस्तखत हैं या नहीं । अगर दस्तखत हो गये तो ? कह दोगे पत्नी की तरह पी. ए. भी नालायक । अगर ऐसा है तो, ऐसी पत्नी और पी. ए. रखते क्यों हैं ?

अब उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात । गवाही कौन है रजिस्ट्री पर ? श्री राम गोपाल जी बारां वाले । कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे । चुनाव में खड़े हुए थे । उनको गाडिया जी ने हरा दिया ।

श्री देवीदत्त गाडिया : वे नहीं हैं ।

श्री भैरोंसिंह : खैर वे दूसरे होंगे । पर आप जानते हैं उनको, सुखाडिया साहब आप भी अच्छी तरह जानते हैं उनको । बृजसुन्दर जी, पंचोली को विष्णुदत्त जानते हैं । पति पत्नी का झगड़ा हो सकता है इसलिये सम्भव है उसने सूचना न दी हो पति महोदय को । पर रामगोपाल और पंचोली तो आपके घनिष्ठ मित्र हैं, उन्होंने भी आपको नहीं कहा कुछ ? यह कैसे मान लेगा कोई । इसलिये मैं कहता हूं मैं राजस्व मंत्रीजी का अनुग्रहित हूं कि उन्होंने तो सही बात मानी । बृजसुन्दरजी ने अपने जवाब में कहा कि वे वहां इतने बिजी थे कि पत्नी से बात करने का अवसर नहीं मिला । बात सही है उनकी । मानता हूं । आप सरकार के मंत्री थे, आप पर बहुत बोझा था । पर भाई उस समय बिजी थे, गाड़ी में बैठ गये, उस समय तो बिजी नहीं होंगे, उसके बाद में कहा होगा । एक दिन बाद में कहा होगा । आपकी और आपकी पत्नी की कभी लड़ाई तो नहीं हुई है न, जिससे यह कहा जावे कि आप में कभी आपस में बातचीत ही नहीं हुई हो ।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्वयं अन्दाजा लगालें ।

श्री भैरं सिंह : इसके बिना तो उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं अन्दाजा लगालें कि पत्नी पति से कोई बात छिपा सकती है क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : विवाह के वक्त जब फेरे होते हैं तो यह कसम उठाई जाती है कि कोई खरीद जमीन की या किसी चीज की घर में होगी तो पति पत्नी को और पत्नी पति को इसकी जानकारी देगे।

श्री भैरं सिंह : अब उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न आता है दावे का। दावे के लिये राजस्व मंत्रीजी ने कहा कि तहसील को पार्टी नहीं बनाया इसलिये हम उसको अमल नहीं करते। और बड़े कानूनी ढंग से सदन में रखने की चेष्टा की कि पार्टनरशिप का कानून के अनुसार जो राइटस किसी व्यक्ति के थे और ट्रान्सफर होता है तो वे राइट ट्रान्स फर होंगे। यह सही है। पर राजस्व मंत्रीजी अपना फैसला पढें और यह देखें कि खातेदारी हक उसके मानकर खातेदारी हक ट्रान्सफर किये गये हैं। आप चाहें तो फैसला पढकर सुनाऊं। और अगर आपने पढ लिया हो तो जरूरत नहीं। इसमें स्पष्ट लिखा है कि इस खातेदारी के हक इसको ट्रान्सफर किये जाते हैं। यह खातेदारी हक स्वीकार किया जाता है। इसके खातेदारी के हक ट्रान्सफर किये जाते हैं। अब दो बातें फैसले में आगई। अब उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बडी अफसोस की बात कि राजस्व मन्त्रीजी सच बोलते थोडा बृजसुन्दरजी का पक्ष कर गये। यह कह कर कि नामांकित नहीं हुआ, नामन्तरकरण नहीं हुआ ? आपने नहीं कहा ?

श्री रामकिशोर व्यास : उनकी वाइफ के नाम नामन्तरकरण नहीं हुआ। ईडिथ के नाम होगया।

श्री भैरों सिंह : ईडिथ के नाम हो गया। खातेदारी के राइट एक होगये थे वह राइट उसको भी चले गये बिना किसी कानूनी डिफिकल्टी के। पर मैं जानकारी देना चाहता हूं कि बृजसुन्दरजी की पत्नी के नाम मालकोली है। अब राजस्व मंत्रीजी कहते हैं कि नहीं है तो वे स्वयं देखें। पटवारी ने 2-3-68 को फाइल पर लिखा है मान्यवर, नामान्तरकरण नम्बर 32 ग्राम नानणा और बडगांव में श्रीमती रक्षा देवी, धर्म पत्नी, बृजसुन्दरजी शर्मा, सी. स्कीम, अशोक मार्ग, जयपुर का दर्ज करके वास्ते उचित कार्यवाही श्रीमान् की सेवा में पेश है। यह दस्तखत हैं फूलचन्द पटवारी के।

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो रिपोर्ट।

श्री भैरों सिंह : रिपोर्ट है इसका मतलब रेकार्ड में इन्द्राज करके रिपोर्ट दी है।

एक माननीय सदस्य : नहीं।

श्री भैरं सिंह : तो क्या है?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी इन्तकाल श्रीमती रक्षा देवी ने एस. डी. ओ., कोटा को इन्द्रजीत सिह को उनके सामने एक दरख्वास्त पेश की थी।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह कौन बोल रहा है?

श्री भैरं सिंह : मैं बता दूं। सिटी मजिस्ट्रट को एप्लीकेशन दी कि यह जमीन मैंने खरीदी है इसलिये यह जमीन मेरे नाम खाते बान्धी जाय। एस. डी. ओ. कोटा लिखते हैं लाडपुरा के तहसीलदार को कि कार्यवाही से शीघ्र अवगत कराया जाय और तहसीलदार लाडपुरा ने पटवारी को लिखा है कि इसका खसरा व हल्का नं. शीघ्र पेश करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अभी इन्तकाल तस्दीक नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : इन्तकाल भी तस्दीक हो जाता, अगर कुछ महीने हम और चुप रहते तो इन्तकाल भी तस्दीक हो जाता। उसमें देरी नहीं थी। उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि पटवारी ने रिपोर्ट की, रजिस्टर में इन्द्राज कर दिया। जो आज्ञा लेनी चाहिये थी वह मैं मान लेता हूं नहीं पहुंची इसलिये नहीं पहुंची कि विधान सभा में प्रस्ताव रख दिया गया था। बाकी इन्टेन्शन में और लेने में कमी किसी प्रकार की नहीं छोड़ी। लेकिन पटवारी को पता लग गया विधान सभा में यह मामला रख दिया गया है, तहसीलदार को भी पता लग गया कि मामला विधान सभा में रख दिया गया है। उन्होंने कहा कोई कागज मत लिख देना वरना बृजसुन्दरजी तो मरेंगे सो तो मरेंगे ही हम भी मरेंगे। आखिर तहसीलदार का तबादला कर दिया गया। ऐसी स्थिति में समझता हूं सदन पूर्णतया इस स्थिति में पहुंच गया है कि श्रीमान् बृजसुन्दरजी ने श्रीमती जैकब के नाम का उपयोग कर एक शिड्यूल कास्ट के व्यक्ति की जमीन को ली। उसको एक पार्टी बनाकर उसके नाम से दावा पेश करा कर वहां पर एस. डी. एम. से फैसला करा कर अपनी धर्म पत्नी के नाम जमीन ली।

(शोर गुल-अश्रव्य)

एस. डी. एम. के ऊपर दबाव दिया। मैं एक बात और कहता हूं आपने भी (श्री रामकिशोर व्यास) दुनिया देखी है, आप माहिर हैं और बहुत से माननीय सदस्य बैठे हैं आप में से एक उदाहरण दे दें झगड़े के बारे में 58 बीघा जमीन ली जा रही थी वह कोई मामूली बात नहीं थी जिसका पता नहीं लगा....

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

(पुनः शोरगुल)

ऐसी स्थिति में यह बात बिलकुल सामने आ गई कि श्रीमती जैकब अपने माध्यम से वह जमीन बृजसुन्दरजी को बेचना चाहती थी और बेचने का तरीका यह बनाया कि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत काम करने वाली एक महिला को एक पार्टी बनाकर उसके नाम ट्रान्सफर कराई जाय और ट्रान्सफर करने के बाद वह जमीन खरीदी जाय।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह तो 25 बीघा जमीन है आप तो 58 बीघा बता रहे हो।

श्री भैरोंसिंह : वह भी मैं आपको बता रहा हूं; आप घबड़ाइये नहीं। अब 25 बीघा जमीन उसके पास रही लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव के आने के बाद इस जमीन का कुछ हिस्सा उसके पास रहने दिया, उसको साझीदार बनाया गया और कहा गया कि इस जमीन में तुम खुद काश्त करो नहीं तो, मैं मर जाऊंगा। उसका जबरदस्ती कब्जा बनाये रखा। हो सकता है बृजसुन्दरजी को पहले ही इसकी आशंका हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्टेन्शन तो इससे साफ जाहिर होता है। रजिस्ट्री एक महीने पहले कराई गई और फैसला एक महीने बाद में। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैंने टेप रेकार्ड पेश किया है। उसके बदले में बताया गया बृजसुन्दरजी ने भी टेप रेकार्ड पेश किया है। मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि चम्बल एरिया के कमान्ड की भूमि है इसमें खातेदारी हक नहीं

(श्री भैरोंसिह)

दिये जा सकते हैं। वह इस झगडे से पिण्ड छुडाना चाहता था लेकिन माननीय बृज सुन्दरजी ने उसको दबाया। कलेक्टर सूद के बारे में टेप रेकार्ड में कहा गया है, इन्द्रजीत सिंह ने दबाया और इसको दबाने के बाद बृजसुन्दरजी के हाथ में यह जमीन चली जाय उपाध्यक्ष महोदय इसीलिये चाहता था टेप रेकार्ड सदन के सामने आ जाय। माननीय मंत्री जी ने उनके रिएम्प्लायमेन्ट का प्रश्न उठाया। 10 तारीख को फैसला कर लिया और 10 तारीख को फैसला करने के बाद 12 तारीख को आर्डर हुये 19 तारीख को रिलीव करने का दिन था। उसको क्यों नहीं रिलीव किया गया। उसको वहां से रिलीव होने के बाद मण्डी कमेटी का सेक्रेटरी वहीं पर बनाया गया। मंडी कमेटी का सेक्रेटरी जो उस समय छुट्टी पर था जब वापिस आ गया तो उसको डिप्टि बी. डी. ओ. बनाया गया। इधर माथुर साहब ने घोषणा कर दी और एक तारीख से सबको रिटायर कर दिया। उसको रिएम्पलायमेंट दिया गया। मंडी कमेटी का सेक्रेटरी बनाया गया और बाद में उसको डिप्टि बी. डी. ओ. बनाया गया। आप चाहते थे रि-एम्पलायमेंट करके उसको प्रतिफल दिया जाय लेकिन दुर्भाग्य से विधान सभा में यह घोषणा हो गई इसलिये रि-एम्पलायमेंट नहीं मिल सका। एक माननीय सदस्य श्री शंकर लाल जी ने यह बात कही कि एस. डी. ओ. अच्छे हैं। एक वकील भी जाये तो उससे कहें आप बहुत अच्छे हो दूसरा वकील भी जाये तो उससे भी कहें कि आप बहुत अच्छे हो, तीसरा वकील भी जाये तो कहें आप बहुत अच्छे हो। इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं जो सबको अच्छा कह सकता है. तो मंत्री जी की तो वह पूजा करेगा।

श्री शंकर लाल: आपको क्या जरूरत थी टेप रेकार्ड देने की। बृजसुन्दर जी और उसके बातें होतीं तो टेप रेकार्ड काम आता लेकिन यह तो बेकार का टेप रेकार्ड हुआ।

श्री भैरोंसिह: यह आरग्यूमेंट नहीं है। वह व्यक्ति ही ऐसा है जो कहे कि आपका आरग्यूमेंट अच्छा है। कोई भी वकील जाये तो कहें कि आपका आरग्यूमेंट अच्छा है। इससे अब आपको आदमी का तो पता चल गया। राजस्व मंत्री का हुकुम नहीं माने यह कैसे हो सकता है। राजस्व मंत्री जी की बात नहीं मानने का सवाल ही नहीं था। उस आदमी को यह बात कही जाय तो वह आदमी नहीं कर सकेगा इसकी सम्भावना नहीं है बल्कि तथ्य यह है कि इनके दवाव से फर्जी रेकार्ड बनाये गये, झूठा दावा बनाया गया रजिस्ट्री कराई गई बिना हक के फिर उसमें ईडिथ के नाम एन्ट्री कराई गई। यह सारी फर्जी कार्यवाही चले किसके लिये, बृजसुन्दर जी की धर्मपत्नि के लिये और श्री बृजसुन्दर जी को मालूम ही न हो, यह कैसे सम्भव है? फैसले की तारीख पर बृजसुन्दर जी कोटा में मौजूद थे। फिर भी यह सदन यह कहे कि बृजसुन्दर जी को मालूम नहीं है तो मैं यह कहूंगा आप लोगों के दिमाग में पाप का घड़ा भरा हुआ है और इस पाप के घड़े को छिपाने के कारण कोई बात नहीं स्वीकार कर रहे हैं–कोई खड़ा होकर कह दे मंत्रीमण्डल के सदस्य या उधर बैठने वाले सदस्य कोई कहें।

(शोर गुल अश्रव्य)

दूसरा मामला माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा और कई माननीय सदस्यों ने कहा आपने उदघाटन की बात कही वह तो शिलान्यास

(श्री भैरोंसिंह)

हुआ था। गलती हो गई शिलान्यास की जगह उद्घाटन कह दिया। गलती हो सकती है मैं ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूं—मुझे पता नहीं चलता कि उद्घाटन और शिलान्यास अलग अलग है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कानून में नियमों में एक बात की व्यवस्था की गई है यदि कोई सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करता है और पटवारी उसकी सूचना नहीं देता है तो उसको मोअत्तिल किया जाता है, तहसीलदार अतिक्रमण की सूचना नहीं दे तो उसको मोअत्तिल किया जाता है, कलेक्टर नहीं करता है तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी ऐक्शन लिया जाता है। मैं राजस्व मंत्री से जानना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक अतिक्रमण की सूचना पटवारी नहीं करता है तो उसकी क्या हालत होती है। ये राजस्व मंत्री जी स्वयं बैठे हैं जिन्होंने अतिक्रमण देखा है। इनसे पूछिये ये क्या करते हैं? कानून गरीब और अमीर सबके लिये एक है। वह गरीब नहीं था, मैरठ के सेठ ने जमीन खरीदी, किसान से जमीन खरीदी—खातेदारी राइट कैसे ट्रान्सफर हो गये यह कोल्ड स्टोरेज कैसे बन गया, शिलान्यास कैसे हो गया क्योंकि खुद ने अपराध किया है तो मैं कहता हूं पटवारी को सजा दी जा सकती है तो राजस्व मंत्री जी को क्यों नहीं ऐसे ही उपाध्यक्ष महोदय जैसा रामानन्द जी ने कहा कि आप तो कानून की रक्षा करने वाले हो, आपके घर में रक्षा देवी और आप कानून की रक्षा करने वाले—दोनों का संयोग है और फिर भी जमीन की रक्षा नहीं हो सकी। आप वह बताइये कि कोई आदमी शिलान्यास कर दे पटवारी राजस्थान में मुख्य मंत्री जी बहुत पटवारी हैं जिन्होंने अतिक्रमण की सूचना नहीं दी इसलिये सस्पेन्ड कर दिया, वर्षों से अण्डर सस्पेन्शन पड़े हुए हैं और राजस्व मंत्री जी कह रहे हैं कि मेरी कान्स्टीटुएन्सी का आदमी था। तो आपकी कान्स्टीटुएन्सी का कोई आदमी आपको कुए में गिरने के लिये कह देगा तो क्या आप कुए में गिर जाओगे, कोई यह कह दे कि मैं तो जब खुश होऊंगा जब कि आप कानून को तोड़ो। मैं कहता हूं कि कोई आदमी ऐसा नहीं है और बूंदी में ऐसा नहीं है, कम से कम जो आपको बृजसुन्दर जी यह कहने वाला हो कि आप कानून तोड़ो। मैं समझता हूं कि कोई नहीं है। तो फिर आप क्यों अपने ऊपर कलंक लगा रहे हो। बूंदी की जनता की जहां सेवा करने की आवश्यकता थी, जिसने आपको वोट देकर विधान सभा में भेजा। आप उस पर कलंक लगा रहे हैं। आप कहते हैं बूंदी की जनता ने कहा। कौनसी जनता गयी थी कहने को? आपने तो मेरठ के सेठ के कहने पर शिलान्यास कर दिया। जनता का नाम कहीं नहीं था। उपाध्यक्ष महोदय, करोड़पति हैं। बीमारी वहां थी और वह बीमारी राजस्व मंत्री जी को लग गयी और वह कानून को तोड़कर शिलान्यास कर रहे हैं। बृजसुन्दर शर्मा के नाम से जो शिलान्यास किया गया शिलान्यास कानून के पालने का नहीं बल्कि तोड़ने का लगा था....

श्री रघुनाथ विश्नोई : शिक्षा मंत्री थे उस तारीख को।

श्री भैरोंसिंह : कौनसी तारीख थी?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इलेक्शन के पहले की बात है और उस समय मैं शिक्षा मंत्री था

श्री भैरोंसिंह : तो क्या शिक्षा मंत्री को कानून का पता नहीं था ?.........

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसके बाद जो कार्यवाही चली उसका पता नहीं है ?

श्री भैरोंसिंह : उसके बाद में क्या कार्यवाही चली वह मुझे मालूम है। वह कार्यवाही यह चली कि इस आदमी ने एग्रीकल्चरल लेण्ड को आबादी में बिना कन्वर्ट कराये हुए बिना इजाजत क्यों काम में ली ? यही कार्यवाही चली है न ? यह कार्यवाही चली तो इसके लिये जिम्मेदार कौन है ? उस कार्यवाही का क्या हुआ ? जिस चीज को आप गलत मानते हैं उसको राजस्व मंत्री जी करके आ गये और फिर कहते हैं कि मुकदमा लड़ेंगे। आपकी हिम्मत है कि उस सेठ से आप जीतेंगे ? मैं कहता हूं कि यदि आप शिलान्यास नहीं करते तो वही आदमी सरकार को दरख्वास्त देता, सरकार को पैसा देता और खातेदारी किस प्रकार हुई उसके लिए सरकार को पैसा मिलता और पैसा मिलने के बाद वह शिलान्यास होता। लेकिन आपने तो पहले ही शिलान्यास कर दिया। अब उस हालत में पता लग गया कि शिक्षा मंत्री जी की हैसियत से जो कि अपने को हाईकोर्ट की हैसियत का वकील बोलते हैं, जो कि कहते हैं मैं 20 वर्षों से वकालात करता आया हूं। क्या वकालात की आपने ? क्या आपने केसेज को प्लीड किया जब आपको पता नहीं कि कोई भी अपने खातेदारी हक प्राप्त किये बिना हाउस का कन्सट्रक्शन नहीं करा सकता। जब आपको इस बात की ही मालूम नहीं तो फिर आप यह धोखा अपने मुवक्किलों को क्यों देते हो, वह तो डूबेंगे।

अब उपाध्यक्ष महोदय, मोहीपुरा के बारे में कल भी मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि वहां पर नीलामी की कार्यवाही हुई। मोहीपुरा गांव के लोगों की दरख्वास्तें उस फाइल में हैं और उस फाइल में नीलामी हुई। कोई आर्डर नहीं निकाला गया कि हमें गांव की जमीन को नीलाम करनी है। फाइल में दिया है मोहीपुरा गांव और ग्रामवासियों की दरख्वास्तें—उसकी एक फाइल बनी हुई है। उस फाइल के ऊपर आर्डर्स दिये गये कि इसका नीलाम किया जाये। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जिस गांव की फाइल पर नीलामी की कार्यवाही चले उस गांव के लोगों को पता नहीं कि जमीन नीलाम हो रही है। इसलिये मैंने कहा था कि जमीन नीलामी न गांव में हुई और न कहीं हुई अगर जमीन की नीलामी हुई है तो तहसील में हुई और उसके प्रमाण में मैंने आपको हलफनामा पेश किया है। उसमें जगीरसिंह ने प्रश्न रखा कि यह गवाह है और राजस्व मंत्री जो नाम नहीं बतायें इन्हीं की राय से कब्जा किया है। यह गवाह तो वही है जिन्होंने स्वयं ने अतिक्रमण किया और उसके कारण से सेक्शन 91 कार्यवाही चल रही है। वह 'चोर चोर मोसेरे भाई' वाली कहावत है इस प्रकार की कहावत को आपने चरितार्थ कर दिया। मैं समझता हूं कि इससे प्रमाणित होता है कि यह कार्यवाही तहसील में हुई। राजस्व मंत्री जी कहते हैं लिखा हुआ है, छोड़ दिया होगा, पहुंच नहीं सके और फिर बड़ी दबी जुबान में कहा कि उसे जोर से ढोल से पीटा। लेकिन वह मंजूर कर गये कि उन्होंने डिक्लेरेशन नहीं दिया। यह स्वीकार किया जो कि कानून के अन्तर्गत बने हुए नियमों में पाबन्दी है कि कोई आदमी डिक्लेरेशन जब तक नहीं दे उस समय तक

Page No 199

(श्री भैरोंसिंह)

बोली नहीं लगा सकते। मैं समझता हूं बृजसुन्दर जी की जगह कोई साधारण किसान होता तो जब तक डिक्लेरेशन वह नहीं देता उस समय तक बोली नहीं लगा सकता था। यदि किसान गरीब होता, कोई कोली होता, हरिजन होता, बलाई होता तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि 1/5 अमाउन्ट जमा किये बिना बोली लगाने का अधिकार उसको नहीं होता और यह भी मैं कहता हूं कि बिक्री के बाद भी यदि कोई गरीब किसान होता तो पूरी चौथाई बची हुई रकम जमा किये बिना उसको स्वीकृत नहीं किया जाता। राजस्व मंत्री जी ने कहा कि कानून से होना चाहिए। मैं डागाजी से पूछना चाहता हूं मैंने क्या गलत कहा ?

अब प्रश्न यह आ गया मोहीपुरा की जमीन के बारे में कहता हूं कि आज 500 रुपये में जमीन देने के लिये तैयार हूं····

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आप लें लें।

श्री भैरोंसिंह : मैं नहीं ले रहा हूं, उसको तो लेने वाले गांव के लोग बैठे हैं। आपमें अगर हिम्मत है तो गांव में हल चला लो। आप किस ताकत के साथ वहां जायेंगे। लोगों ने आपके हल तोड़ दिये और फिर कहते हैं कि 500 रुपये में ले लो। पागल मैं हुआ हूं कि 500 रुपये में ले लूं आपका पिंड छुडाने के लिये। मैं उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये कहना चाहता हूं कि बृजसुन्दर जी आपने फाइल देखी होगी। 20 बार गांव वालों ने कहा है उसी दरख्वास्त में जिसके ऊपर लिखे है कि जमीन को नीलाम की जाये····

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैंने फाइल देखी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो छुट्टी देता हूं देखो और खूब देखो। उसमें लिखा है जमीन को 500 रुपये बीघा तक लेने के लिये तैयार हैं। मैं नहीं कह रहा हूं गांव के लोग कह रहे हैं। गांव के लोगों को सूचना नहीं दी। जिन लोगों ने अतिक्रमण किया उनको गवाह बना लिया। आपने डिक्लेरेशन नहीं दिया, अरनेस्ट मनी नहीं जमा कराई। तो आप मुझे एक ऐसा उदाहरण बता दें कि कहीं इस तरह गरीब किसान के साथ रियायत हुई हो। मैं समझता हूं कि ऐसी रियायत आज तक किसी गरीब किसान को नहीं दी होगी। अब उपाध्यक्ष महोदय, कहते क्या हैं कि इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने कहा कि सरकार ने स्वीकृति दी। कहा है। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से नहीं बल्कि उपनिवेशन विभाग के मंत्री कोई यहां बैठे हों तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस सरकार द्वारा रिजर्व प्राईज से ऊपर यदि नीलाम में कीमत आती है तो सरकार से इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है। हां, अगर रिजर्व प्राईज से नीचे नीलाम में कीमत आती है तब सरकार से स्वीकृति की आवश्यकता होती है। बता दें यह गलत बात है क्या····

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एस. डी. ओ. मंजूर करता है।

श्री भैरोंसिंह : सरकार तो नहीं आती न पिक्चर में ?

अब मैं इन माननीय सदस्यों से कह रहा हूं जो कि पैरवी में जोर जोर से बोल रहे थे कि सरकार की स्वीकृति नहीं हुई। कानून

Page No 200

(श्री भैरोंसिंह)

देखकर आओ डागा जी मुझे आप कानून के बारे में कहते हैं कि मैं कानून से अपरिचित हूं लेकिन कानून के नाम पर आपके सामने तो काला अक्षर भैंस बराबर, ए. बी. सी. डी. भी हीं जानते हैं आप तो। रिजर्व प्राईज से नीचे जमीन को बेचने का सवाल है तो सरकार से परमीशन लेने की आवश्यकता है। अब एस. डी. ओ. से परमीशन नहीं मिलो। यह 2-3 वर्ष से परमीशन क्यों रुकी हुई है ? यह मैं, उपाध्यक्ष महोदय, पूछना चाहता हूं कि फैसला क्यों नहीं हुआ ? आज कोई दूसरा खातेदार होता तो एस. डी. एम. फैसला कर देता। दो दिन में फैसला हो जाता, लेकिन एस. डी. ओ. के पास पहुंचने के पहले पहले हम लोगों ने दरख्वास्त दे दी कि यह नीलाम फर्जी हुआ है और इस जमीन की स्वीकृति नहीं दी जाय। वह रेकार्ड के अन्दर है। वह रोक आपके कारण से नहीं हुई है। आपने उस पर कृपा नहीं की। गांव वालों ने प्रदर्शन किया और कलेक्टर के दफ्तर के सामने धरणे की नौबत आ गई और लोगों ने दरख्वास्त दी कि तहसील में बैठकर बृजसुन्दरजी के नाम नीलाम कर दी गई है उसको हम सहन करने वाले नहीं हैं। वहां पर नारे लगाये गये। उसके बाद एस. डी. ओ. ने देखा कि इसको धीरे धीरे करो और यह मामला निकलने के बाद कार्यवाही हो सकती है। उस के पहले नहीं हो सकती है। समय निकलने के पहले ही विधान सभा के अध्यक्ष महोदय ने इस जमीन के बारे में कागजात मंगा लिये और कागजात मिल गये तो यहां से वहां पहुंच गये और एस. डी. ओ. ने देखा कि फंस गये और अब फैसला नहीं करें। मामूली सी बात है समझने की उसका फैसला आज तक क्यों नहीं हुआ।

अब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो प्रश्नों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। जो मैंने आरोप लगाये हैं मटके की जमीन के बारे में, आलनिया की जमीन के बारे में ये सब आरोप राजस्व मंत्री जी ने स्वीकार कर लिये हैं कि इन सब लोगों ने अतिक्रमण किया है और हम सेक्शन 91 की कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसमें जो मुख्य बात इनके पक्ष में कही गई है वह यह थी कि इनका लड़का बालिग है, एम. ए. पास है। उसका स्पष्टीकरण आपने नहीं किया है।

श्री भैरोंसिंह : आपने अच्छी बात याद दिलाई है। इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले इस बात को खत्म कर दूं। आज एस. डी. ओ. ने कहा है कि सेक्शन 91 के अन्तर्गत उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करें। मैं राजस्व मंत्रीजी को चुनौती देते हुए कहता हूं कि जिस समय बृजसुन्दरजी मंत्री थे, राजस्व मंत्री थे उस वक्त एक भी व्यक्ति के खिलाफ सेक्शन 91 का नोटिस नहीं दिया गया है जब कि आप बाहर गये थे कान्फ्रेंस अटेन्ड करने के लिये और यहां पर राजस्व विभाग उनसे ले लिया गया था। वापस आये तो हमने दरख्वास्तें दीं और शिकायतें की और उसके बाद में सरकारी मशीनरी मूव करने लगी उनको बचाने के लिए सेक्शन 91 के नोटिस दिये गये। श्री बृजसुन्दरजी हिम्मत करके यह तो कह दें कि आपके जमाने में किसी एक भी व्यक्ति को 91 के तहत नोटिस दिये गये ? यही तो आरोप है। यही आपकी साजिश साबित

(श्री भैरोंसिंह)

करती है। यही आपका राजस्थान सरकार को लूटने का षडयन्त्र साबित करता है। यही बृजसुन्दरजी, आपने जंगल राजस्थान का, लोगों को लुटवा दिया, कोलोनाइजेशन की भूमि लोगों को लुटवा दी, यह क्या घाटा नहीं है? यशवन्तसिंहजी नाहर कहते हैं कि घाटा क्या हुआ? तो यह मुनाफा हुआ? सरकार के जंगलों को काट कर ले जायं तो सरकार को घाटा नहीं हुआ, किसी की जमीन नीलाम होने से सरकार को पैसा मिल सकता है वह जमीन मुफ्त में चली गई तो सरकार को घाटा नहीं गया, सरकारी तालाब की पेटे की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया तो सरकार को घाटा नहीं हुआ, तो सरकार के घाटे की परिभाषा अजीब है। हजार-दो हजार, लाख दो लाख के घाटे को घाटा नहीं मानते हैं क्योंकि लाखों पर हाथ मारने की जिनकी आदत है उनको हजारों की परवाह नहीं होती। यह जो आप कहते हैं कि घाटा नहीं हुआ तो यह मेरी समझ में नहीं आता है। आरोप के बारे में स्वीकार कर लिया कि अतिक्रमण हुआ था।

आखरी मामला आता है पैट्रोल पम्प का। उपाध्यक्ष महोदय, इस पर ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। राजस्व मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है कि पेट्रोल पम्प के मामले में 57 से लेकर 61 तक सरकार की भूमि लिखी हुई है —खालसा या क्या..

श्री **रामकिशोर व्यास**: 57 के अन्दर आबादी की भूमि लिखी हुई है, मकानात बने हुए लिखा है।

श्री **भैरोंसिंह**: सेटलमेन्ट ने गलती से लिखा है यह आपने स्वीकार किया है।

श्री **रामकिशोर व्यास**: गलती से नहीं है।

श्री **भैरोंसिंह**: पहले आपने कहा है कि गलती से किसी ने एन्ट्री आबादी की कर दी। मैं राजस्व मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि गलती से नहीं की तो आपत्ति किस बात की? क्यों बृजसुन्दर जी ने पीछे पड़े हुए हैं। आप गलती मानकर चलते हैं और सूद ने आपको नोटिस दिया है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से, स्वास्थ्य मंत्री से, कि इसमें रक्षा देवी बीच में कहां से आ गई। जमीन लक्ष्मीनारायण की है और रक्षा देवी कहां से आ गई। यह भी आप कह दें कि मुझे कि मुझे मालूम नहीं।

श्री **बृज सुन्दर शर्मा**: यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है और उसके जवाब में कहा जा चुका है।

श्री **भैरोंसिंह**: तो फिर माननीय सदस्यों को बता दें जो कि गला फाड़ फाड़ कर कह रहे थे कि 60 में पेट्रोल पम्प बना था और आज तक बोले क्यों नहीं? मैं उनको जवाब देने के लिये कहना चाहता हूं कि हमने अप्रेल में इस मसले को उठाया था। मैं माननीय सदस्यों से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि बोलने से पहले कुछ अन्दाज कर लिया करें। गलती मालूम हुई तो उस पर कार्यवाही हो रही है। जो प्रश्न पैट्रोल पम्प का उठाया था वह बृजसुन्दर जी के बीच में और सरकार के बीच में विवादास्पद है, यह स्थिति तो आप मानते हैं? श्री बृजसुन्दरजी ने कहा है कि सरकार फैसला नहीं कर रही है। सरकार कहती है कि एन्ट्री गलत हुई है। मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति की जमीनका मामला

(श्री भैरोंसिंह)

है वह कोटा शहर के नजदीक का मामला है और 14 बीघा जमीन का मामला है, जिस 14 बीघा जमीन को आब्बादी में परिणत कर दिया है वह एक लाख क्या 14 लाख रुपये की जमीन होगी। उस 14 लाख रुपये की जमीन का मामला सरकार के विचाराधीन है, और कौन सी सरकार के विचाराधीन है ? जिस सरकार के मंत्री मंडल में बृजसुन्दरजी शर्मा भी बैठे हैं। फैसला हो गया, न्याय होगा जनता के साथ ? उस जमीन को कैन्सिल करने की हिम्मत करेगा कोई ? उन्हीं के साथी को रेवेन्यू मिनिस्टर बना दिया जो कि फैसला करने वाले थे। जिनका मुकद्दमा है वे ही फैसला करने वाले हैं। बिल्ली को दूध की रखवाली पर आपने बिठा दिया है तो आप इसका अन्दाजा लगाकर चलें कि उस काम की जमीन का फैसला, लाखों रुपयों की जमीन का फैसला उस मंत्री-मंडल के सामने पड़ा है जिसमें बृजसुन्दरजी भी मंत्री हैं। मैं कानून कायदे नहीं जानता हूं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि विधान सभा में इस प्रकार की व्यवस्था है कि यदि किसी व्यक्ति की विशेष दिलचस्पी किसी मामले में है तो विधान सभा में उस मामले को नहीं उठाया जाय और वह नहीं उठता है। जब भी कोई प्रश्न इस संबंध में उठता है तो कोई भी टोक देगा कि आप यह प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। इसी प्रकार की व्यवस्था अदालतों में हैं कि किसी रिश्तेदार का मामला आजाय तो उसके बारे में वह जज फैसला नहीं करता है। क्या मंत्री मंडल में ऐसा कायदा है कि जिस मंत्री का मामला आता है तो वह मंत्री उस बैठक में नहीं बैठ सकता है ? कोई कायदा नहीं है। वहां पर वे ही फाइलें आयेंगी और वे ही सेक्रेटरी और अधिकारी होंगे जो कि मंत्री महोदय के मातहत होंगे, और सारे वही हुकुम लिखेंगे कि इस प्रकार का फैसला होना चाहिए और उसी मिसल पर लिखेंगे और उस मिसल के आधार पर बृजसुन्दर जी को जमीन मिल जायगी।

आप कहते हैं कि कलेक्टर ने नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पैट्रोल पम्प लगाने के लिये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी दे दे तो पेट्रोलियम एक्ट के तहत वह पर्याप्त है क्या ? उसका कानून बना हुआ है पेट्रोलियम पम्प स्थापित करने के लिये। कलेक्टर लिख दे कि नो आब्जेक्शन। फिर भी आप देखें लगा लें ? पुलिस वाले उसको तोड़ देंगे। वे एम. एल. ए. थे, बृज सुन्दरजी भूतपूर्व मंत्री थे, राजस्थान में बड़े ऊंचे पद पर रहे हुए थे, राजस्थान की कांग्रेस के कर्णधार थे, नेता थे, उन सब बातों का प्रभाव था कि कलेक्टर ने लिख दिया। मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि आपने कहा कि मंडी कमेटी ने लिख दिया कि यह बेकार जमीन है और काम में आने वाली नहीं है, इसको एक्वायर नहीं किया जाय। आपको पता होगा कि इसी विधान सभा में कई बार प्रश्न इस तरह का पूछा गया था कि जयपुर के अन्दर सरकारी आफिसरों ने मिलकर लैण्ड एक्वीजिशन के नोटिस दिये हैं नोटिस दे देते हैं और फिर समझौता करते हैं और उस भूमि के अन्दर 3-4 प्लाट्स अपने नाम तय करके फिर लिख देते हैं कि इस भूमि की आवश्यकता नहीं है जयपुर में आप कानौता हाउस में चले जाइये, चौमू हाउस में चले जाइये। लैण्ड एक्वीजिशन की कार्यवाही चलती है और नोटिसेज देने के

(श्री भैरोंसिंह)

बाद विथड्रायल किया गया है। वहां पर जो सरकारी अफसर बैठे हुए हैं वे लैण्ड एक्वीजिशन की कार्यवाही कराते हैं और विथड्राअल का काम करते हैं। जब प्लाट मिल गये तो लिख देते हैं कि इस भूमि की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से मंडी कमेटी, कोटा, में कौन उस मंडी कमेटी में थे? (श्री कृष्णकुमार गोयल के प्लान बताने पर) प्लान मेरा देखा हुआ है और सदन का भी देखा हुआ है। मंडी कमेटी ने लिख दिया कि जमीन की आवश्यकता नहीं। वह इन्डिपेन्डेन्ट थी क्या मंडी कमेटी? उस पर बृजसुन्दरजी का असर नहीं हो सकता था क्या? और उस मंडी कमेटी में बृजसुन्दर मेम्बर थे या नहीं?

(श्री बृजसुन्दरजी ने सिर हिलाकर नकारात्मक उत्तर दिया)

भैंरोप्रकाशजी थे? वे बूंदी के जिला प्रमुख हैं और आपके साथी और खास दोस्त हैं। उसमें धारीवालजी थे जो आपके मंत्री मंडल के साथी थे। भैरोंप्रकाशजी और धारीवालजी जिस मंडी कमेटी के मेम्बर हों हम समझ सकते हैं लेकिन और कोई यह नहीं समझ सकता है कि उस पर बृजसुन्दरजी का प्रभाव नहीं रखा हो।

इससे वह मामला भी चल रहा है। मैं इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा। अब उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न आता है, कई सदस्यों ने भी कहा है कि मन्त्रियों के लड़के भूखे नहीं मरें। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं मन्त्रियों के लड़के भूखे नहीं मरें। मन्त्रियों के लड़कों में योग्यता होनी चाहिए। वह जमीन ले सकते हैं तो लें। कानून तो राजस्थान सरकार ने बनाये हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस पुत्र को वह बालिग बताकर इण्डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, क्या यह उनकी फेमिली के साथ नहीं रहता है। वहां मकान में रहता है। वहां खाता है। आपकी फैमिली का विभाजन तो हुआ नहीं है तो लड़का क्या उनको इतना भी नहीं बताता है कि मैं जमीन खरीद रहा हूं। लड़का पूछे नहीं। पत्नी पूछे नहीं। पिता जी पूछें नहीं। लड़का नहीं पूछता है तो आप निकम्मे हैं। पत्नी पूछे नहीं तो आप मन्त्री किस बात के। पिता नहीं पूछे तो आप पुत्र किस बात के। अगर कोई नहीं पूछे तो इसके सिवा ऐसे आदमी के लिये और क्या कहा जा सकता है कि वह निकम्मा है।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय पक्ष नहीं करते होंगे इसलिये पूछते नहीं होंगे।

श्री भैरोंसिंह : यह मैं समझता हूं कि आप ने बहुत ही अनुभव की बात कही है। मन्त्री महोदय को नहीं पूछता है इसलिये सुपुत्र से यह अपेक्षा नहीं हो सकती है भले ही वह इनको नहीं पूछे लेकिन बृजसुन्दरजी उसे कपूत नहीं कह सकते हैं। वह अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है, वह ऐसा नहीं कर सकता है कि नहीं पूछे। उपाध्यक्ष महोदय, 129 बीघा कुल टोटल जमीन का आता है। आप ने सीलिंग कानून बनाया है। अभी शंकर लाल जी कह रहे थे। जो जिला कांग्रेस की मीटिंग में बोलते हैं तो कहते है कि सीलिंग कानून लागू किया जाये। मैं आप मैं आप के मंत्री महोदय से पूछता हूं क्या वह यह फरमायेंगे कि उन्होंने सीलिंग कानून का उल्लंघन नहीं किया है?

श्री शंकर लाल : मैं ने यह कहा है कि सीलिंग कानून लागू किया जाये। लेकिन

(श्री शंकरलाल)
जब तक कानून नहीं बना देते हैं तब तक वह कानून के खिलाफ कैसे हैं ? जनता का खातेदारी कानून बना हुआ है। मैं चाहता हूं कि सीलिंग कानून बने। जब तक कानून नहीं बनता है। उनकी धर्मपत्नी को, पुत्र को कानून न जमीन लेने का अधिकार है। आप फालतू बातें यहां तोड़ मरोड़ कर कह रहेहैं। रिपीटिशन कर रहे हैं। लड़का है औरतें हैं। यह सब पारिवारिक मामले हैं। आप रिपीटीशन कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप यह तो चाहते हैं कि सीलिंग एक्ट का उल्लंघन नहीं हो। एक आदमी के पास 129 बीघा जमीन आजाये तो कानून का उल्लंघन हुआ या नहीं ?

श्री शंकरलाल : मैं ने कहा है कि जब तक कानून लागू नहीं हो ......

श्री भैरोंसिंह : मैं किसी से 129 बीघा मीन ले लेता हूं तो उल्लंघन है या नहीं ?

श्री शंकरलाल : यह अलग अलग ढंग से है।

श्री भैरोंसिंह : मैं कोटा में 129 बीघा ले लूं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 78 बीघा नान कमाण्ड है।

श्री भैरोंसिंह : आप मुझे इतना बतायें कि कोटा बूंदी में जमीन ली है। वह सीलिंग कानून के अन्तर्गत आती है या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कमाण्ड 30 एकड़ नान कमाण्ड 90।

श्री भैरोंसिंह : अभी उन्होंने श्री मूलचन्द डागा ने बताई थी, 25 रघुनाथ पुरे वाली, 30।। कमाण्ड। 80 बीघा नान कमाण्ड है।

एक माननीय सदस्य : कमान्ड नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आप ने अभी कहा है कि धोरे हैं। धोरे पानी के हैं।

श्री बृजसुन्द शर्मा : वह तो 25 बीघा की बात कर रहे है, यह 78 बीघा की बात कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : 25 बीघा बारानी। यानी 75 तक लगाई गई है। वह 78 कैसे बताई है वह बता दें। अब उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न इतना सा है, सदन के समक्ष इस बात का कि इन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। फर्जी रिकार्ड बनाया है। अपने भाई पिता और कई जनों के नाम से माहीपुरा की जमीन ली। पैट्रोल पम्प की धरती (शोरगुल-अश्रव्य) अपने कब्जे में ले ली।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, प्लीज।

श्री भैरोंसिंह : बृजसुन्दर जी तो यहां ही बच गये। यदि भ्रष्टाचार के मसले का फैसला बहुमत के आधार पर लिया जाता है तो यह देश का सबसे काला दिन होगा। छोटे से छोटे केस के लिये एण्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट बैठा है। उन पर अदालतों में कार्यवाही की जा सकती है। लेकिन देश के मन्त्रियों के भ्रष्टाचार के मामले को लेकर फर्जी मामले को लेकर, रिश्तेदारों को जमीन दिलाने के मामले को लेकर अगर बहुमत से निश्चिद् किया जाता है जिसका प्रमाण

(श्री भैरोंसिंह) :

प्रस्तुत कर दिया । आज के दिन यह ठगों की आत्मा बोलती है । जो यह भ्रष्टाचार के प्रश्न पर उसे वोट के आधार पर गिराना चाहते हैं । अरे, कांग्रेस के लोगों गांधी शताब्दी है । लाखों रुपयों का गांधी साहित्य डिस्ट्रीब्यूट करते हो । एक दिन भी तो उपाध्यक्ष महोदय, यह मानने के लिये तैयार नहीं हैं । इसलिये मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं ....

श्री मूलचन्द डागा : बिना तथ्यों के लोगों को भावना में मत बहों ।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जिसका दिमाग ठस हो मैं उसे नहीं समझा सकता ।

श्री भैरोंसिंह : मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के मसले पर आज कोई गहराई से सोचे जिसके अन्दर अन्तर आत्मा है, जैसे कि कांग्रेस के सिद्धान्त के खिलाफ....

श्री शंकर लाल : अब अन्तर आत्मा की बात कह रहे हैं ।

श्री भैर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप इनको आदेश दें कि इस प्रकार बीच में चूं चूं न करें ।

श्री फतेह सिंह (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, हम माननीय भैरोंसिंह को सुनना चाहते हैं, let us hear him.

श्री भैरोंसिंह : कई लोगों के अन्दर अन्तर आत्मा है, जो जानते हैं कि अन्तर आत्मा का कितना महत्व है, कई लोग गांधी जी के सिद्धान्तों का पालन करके अन्तर आत्मा की आवाज सुनते हैं.......

श्री बुद्धिचन्द जैन : गांधी जी की दुहाई दे रहे हैं जनसंघ वाले !

श्री भैर सिंह : मैं कहना चाहता हूं, मैं शिवचरण माथुर की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता, जिन्होंने इस सदन में पद के दुरुपयोग का आरोप लगते ही इस्तीफा दे दिया । लेकिन बृजसुन्दर जी ने कहा कि मैं जमीन दान करता हूं । किस बात का दान ? किस बात का वायदा कि मैं जाकर अपनी पत्नी को सलाह दूंगा कि इस जमीन को सरेन्डर कर दो । आप सलाह दोगे तो वह सलाह मान लेंगी......

श्री रामकिशोर व्यास : मान लेंगी ।

श्री भैरोंसिंह : आप अधिकृत रूप से कहते हैं कि आपकी सलाह वह मान लेंगी । दान कर रहे हैं ! दान नहीं, क्योंकि इस जमीन को ले नहीं सकते इसलिये बडे दानी, दानवीर, महावीर बन रहे हैं, मैं जमीन को दान कर रहा हूं । मैं निवेदन करना चाहता हूं श्रीमान् जी से, सदन से निवेदन करना चाहता हूं, और मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी सवाल केवल बृजसुन्दर जी का नहीं है, यह सवाल व्यवस्था का है, यह सवाल परम्परा का है, यह सवाल मर्यादा का है । अगर आप भ्रष्टाचार के मसले के ऊपर बहुमत के आधार पर फैसला करते हैं तो याद रखिये, इस सदन के अन्दर आप आज मुख्य मंत्री बन कर बैठे हैं, लेकिन आज उडीसा के अन्दर आपके ही मुख्य मंत्री कमीशन के सामने गये हैं, बिहार में आपका पूरा का पूरा मंत्रिमंडल कमीशन के सामने खडा है, कैरल के मंत्री कमीशन के सामने खडे हैं । राजस्थान की जनता भी किसी

(श्री भैरोंसिंह)

के अपराध को माफ नहीं करेगी, ठीक है आज जन शक्ति बाहर हर तरह से इसका परिणाम नहीं निकाल सकती लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि राजस्थान की जनता इसको भूल नहीं सकती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप गलत परम्परा नहीं डालें, बहुमत के आधार पर भ्रष्टाचार के मसले को तय नहीं करें, राजस्थान की इस विधान सभा के अन्दर कलकत्ता का इतिहास निर्माण नहीं करें। इसलिये कांग्रेस के और विरोधी दल के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को मंजूर करके एक समिति नियुक्त करे। आखिरकार सवाल किसी को फांसी देने का नहीं है, सवाल समिति को नियुक्त करने का है, वह समिति मुझे सजा दे दे, वह समिति इन्हें सजा दे दे। मैं इसके साथ ही दूसरा एक प्रस्ताव रखता हूं। उन श्रीमान् जी ने एक बात कही, जसवन्तसिंह जी नाहर ने कही और शंकरलाल जी ने कही कि निम्न स्तर के आर्गूमेन्ट रखे हैं। मैं समझता हूं कि जो निम्न स्तर की कार्यवाही होती है, उस पर हम आरोप लगाते हैं। किसी ने कहा कि यहां पर ऐरे गैरे आदमी आरोप लगाते हैं। यह बात बिल्कुल सही है, आपकी जबान से हम ऐरे गैरे सही, लेकिन बृजसुन्दर शर्मा आपके लिए बहुत बढिया आदमी हैं, महत्वपूर्ण हैं, प्रभावशाली हैं.......

श्री शंकरलाल : ऐसा किसी ने नहीं कहा कि ऐरे गैरे आरोप लगाते हैं। मैंने यह कहा था, जब कि रामकिशन जी ने इस सदन के अन्दर कहा कि गवर्नमेन्ट होस्टल के पास से महिला गुजर रही थीं और कह रही थीं कि प्रवास भवन चोरों का होस्टल है। इसकी भी जांच की जाय। इस पर मैंने कहा कि ऐरे गैरे आदमी आरोप लगाते हैं। आपके आरोपों के लिये नहीं कहा। यह आपको गलत फहमी है......

श्री भैरोंसिंह : बहुत अच्छा है।

श्री शंकरलाल : यही गलतफहमी आपको होती है, जो बात कहते हैं उसको समझते कुछ और हैं और गलत समझ कर अपनी बात कहते हैं.......

श्री भैरोंसिंह : बिल्कुल सही है।

श्री शंकरलाल : आप कहते हैं, ठगों, उसके साथ ही कहते हैं, अन्तरआत्मा की बात, आपने गांधी जी की आत्मा की दुहाई भी दी। वह तो आप तब देंगे जब इधर आकर बैठ जायेंगे। आप किसको ठगों की आत्मा कहते हैं। आप ठगों, आदि सब कुछ कह देंगे, आप आवेश में आकर कुछ भी कह दें और समझ लें कि हम कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। आपको आवेश में नहीं बोलना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : यह तो, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी बात हुई जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।

श्री **शंकरलाल**: आपने भ्रष्टाचार की बात कही, लेकिन वह जमीन उनकी धर्म पत्नी ने 6250 में ली है। इस पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं।

श्री **भैरोंसिंह** : वह कहते हैं कि दान दे देंगे।

श्री **शंकरलाल** : वह जमीन पैसा देकर ली है, सरकार से ली है, जमीन 6250 रु.

(श्री शंकरलाल)
में लेकर रजिस्ट्रेशन कराया है। आप ऊपर से कहते हैं कि दानवीर हैं।

श्री **भैरोंसिंह** : बहुत बढ़िया कहा।

श्री **शंकरलाल** : आप भ्रष्टाचार की बात कहते हैं, वह जमीन आपने दी है, वह जमीन सरकार ने दी है। जमीन को लेने के मायने भ्रष्टाचार कैसे हुआ। पहले सबूत करें फिर भ्रष्टाचार की बात करें। फिर आप अन्तरात्मा की दुहाई देते हैं ·······

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री **शंकरलाल** : जब कोई सबूत नहीं दे सके तो अब आप भाषण भावना के आधार पर देते हैं, इस तरह के शब्दों का आप दुरुपयोग करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : यही सही है, आपकी समझ में नहीं आयेगा कि क्या भ्रष्टाचार है।

श्री शंकरलाल : समझ में आपके नहीं आया।

श्री भैरोंसिंह : यह मेरा कसूर नहीं है, अगर आपकी समझ में नहीं आये।

श्री शंकरलाल : फिर यह हमारा भी कसूर नहीं है अगर आप समझ नहीं सकें।

श्री भैरोंसिंह : यह मेरा दुर्भाग्य है कि आपकी समझ में नहीं आ सकता।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन से पुन: निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि श्री यशवन्तसिंह नाहर ने कहा कि जो इस सदन में आरोप लगाते हैं वह सही आधार पर लगाने की उनकी जिम्मेदारी है और अगर कोई झूंठा आरोप लगाते हैं तो यह उनकी जिम्मेदारी है और उनको सजा मिलनी चाहिए। तो उनके अनुसार आप बृजसुन्दर शर्मा की इन्क्वायरी मत कराइये, मैं निवेदन करता हूं कि यह मामला आप प्रिविलेजेज कमेटी में भेज दें और मेरे खिलाफ आप इन्क्वायरी करा दें। है आप में हिम्मत ? (विराम) आप मेरे खिलाफ प्रिविलेजेज कमेटी में मूव कर दें कि भैरोंसिंह ने गलत आरोप लगाये हैं। (विराम) यह भी आप नहीं करना चाहते, वह भी जांच आप नहीं करना चाहते। तो उपाध्यक्ष महोदय, साफ बात है कि दाल में काला है, और इस काले के लिये मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने बहुमत के आधार पर इस प्रस्ताव को ठुकरा कर इस प्रकार की परम्परा नहीं डालें। आप कानून बहुमत के आधार पर बना सकते हैं, कानून में संशोधन आप बहुमत के आधार पर बना सकते हैं लेकिन भ्रष्टाचार के मामले का फैसला बहुमत के आधार पर नहीं होना चाहिए। इस आधार पर मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करके आप हिन्दुस्तान में ऐसी परम्परा बना दें जिस परम्परा के आधार पर कोई राजनैतिक जीवन में काम करने वाला व्यक्ति सच्चे, पवित्र और सीधे रास्ते पर चलेगा। इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री **उपाध्यक्ष** : चर्चा समाप्त हुई।

श्री **भैरोंसिंह** : नहीं साहब, वोट।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। अब·····

श्री भैरोंसिंह : ऐं ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव पर मतदान।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि सदन की यह राय है कि राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री बृजसुन्दर शर्मा ने मंत्री पद का दुरुपयोग कर अपनी पत्नी, अपने पुत्र, रिश्तेदारों तथा मित्रों के नाम अनुचित प्रकार से सम्पत्ति अर्जित कर तथा सरकार को घाटा पहुंचा कर एक निन्दनीय कार्य किया है जिसकी जांच के लिये विधान सभा के तीन सदस्यों की एक समिति गठित की जाय ।

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता ?

श्री भैरोंसिंह :

श्री देवीदत्त गाडिया : एज हेव इट ।

हां पक्ष जीता ।

श्री कृष्णकुमार गोयल :

श्री गिरधारीलाल व्यास : नोज हेव इट ।

श्री उपाध्यक्ष : एक दफा प्रश्न और पूछ लेता हूं ।

प्रश्न यह है कि सदन की यह राय है कि राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री बृजसुन्दर शर्मा ने मंत्री पद का दुरुपयोग कर अपनी पत्नी, अपने पुत्र, रिश्तेदारों तथा मित्रों के नाम अनुचित प्रकार से सम्पत्ति अर्जित कर तथा सरकार को घाटा पहुंचा कर एक निन्दनीय कार्य किया है जिसकी जांच के लिये विधान सभा के तीन सदस्यों की एक समिति गठित की जाय ।

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता ।

श्री भैरोंसिंह :

श्री देवीदत्त गाडिया : हां पक्ष जीता ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :

श्री गिरधारीलाल व्यास : नोज हेव इट ।

(मतदान–सूचक–घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सदन की यह राय है कि राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री बृजसुन्दर शर्मा ने मंत्री पद का दुरुपयोग कर अपनी पत्नी, अपने पुत्र, रिश्तेदारों तथा मित्रों के नाम अनुचित प्रकार से सम्पत्ति अर्जित कर तथा सरकार को घाटा पहुंचा कर एक निन्दनीय कार्य किया है जिसकी जांच के लिये विधान सभा के तीन सदस्यों की एक समिति गठित की जाय ।

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता ।

श्री भैरोंसिंह :

श्री देवीदत्त गाडिया : हां पक्ष जीता । एज हेव इट ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : नोज हेव इट ।

श्री उपाध्यक्ष : जो माननीय सदस्य ना कहते हैं वह ना पक्ष लाबी में, जो हां कहते हैं वह हां पक्ष लाबी में जावें ।

(लाबी मतदान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर ।

श्री विजयसिंह (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का सवाल है। यह सब ठीक हो गया। हम हां पक्ष की लाबी में गये तो हमने देखा कि वहां पर मिठाइयों के डिब्बे रखे हुए थे.......

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर। आर्डर प्लीज।

श्री विजयसिंह (मकराना) : उन सब का असर डाला गया है ....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर!

श्री विजयसिंह (मकराना) : भ्रष्टाचार ने ऐसा किया।

श्री उपाध्यक्ष : विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

हां पक्ष 28।

ना पक्ष 82।

प्रस्ताव गिर गया।

हां पक्ष के माननीय सदस्य

1. श्री आईदानसिंह
2. श्री ओमदत्त भाटी
3. श्री कन्हैयालाल (बस्सी)
4. श्री कृष्ण कुमार गोयल
5. महाराज श्री केसरीसिंह हाडा
6. डा. श्री गंगासहाय
7. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा)
8. राजकुमार श्री दिग्विजयसिंह
9. श्री देवीदत्त गाडिया
10. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ)
11. श्री पृथ्वीसिंह
12. श्री प्रेमसिंह सिंघवी
13. मेजर श्री फतेहसिंह
14. श्री बालसिंह सोढा
15. श्री भैरोंसिंह शेखावत
16. श्री मनोहरसिंह मेहता
17. कु. श्री महेन्द्रसिंह हाड़ा
18. श्री रामकिशन
19. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर)
20. श्री रामसिंह कुडी
21. श्री रामानन्द अग्रवाल
22. श्री लाभचन्द वैद
23. ठाकुर श्री विजयसिंह (मकराना)
24. श्री शम्भूराम पटेल
25. श्री श्रवणलाल
26. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
27. श्री हरजीराम बुरडक
28. श्री हरलालसिंह खर्रा

ना पक्ष के माननीय सदस्य

1. श्री अब्दुल हादी
2. श्री अमीलाल यादव
3. श्री अमृतलाल यादव
4. श्री कालराम मेघवाल
5. श्री कालूराम आर्य
6. श्री किशनलाल शर्मा (नाथद्वारा)
7. श्री खेतसिंह राठौर
8. श्री गंगाराम चौधरी
9. श्री गणेशलाल
10. श्री गामा फताजी
11. श्री गिरधारीलाल व्यास
12. सरदार श्री गुरदीपसिंह
13. श्री गुलाबसिंह शक्तावत
14. श्री गोकुल चन्द
15. श्री गोकुलप्रसाद शर्मा
16. श्री जगन्नाथ
17. श्री जयकृष्ण शर्मा
18. श्री जसराज
19. श्री विरदा राम

Page No 210

(श्री उपाध्यक्ष)

20. श्री दामोदरलाल व्यास
21. श्री दीपचन्द छंगाणी
22. श्री दुर्जनसिंह
23. श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा)
24. श्री दौलतराम (देसूरी)
25. राव श्री वीरसिंह
26. श्री नथमल चोहला
27. श्री नन्दलाल बेरवा (पाटन)
28. श्री नाथूराम
29. राव श्री नारायणसिंह मसूदा
30. श्री परसराम मदेरणा
31. श्री पी. के. चौधरी
32. श्री पुखराज कालानी
33. श्री प्रद्युम्न सिंह
34. श्रीमती प्रभा मिश्रा
35. श्री बनवारी लाल
36. श्री बरकतुल्ला खां
37. श्री बलवन्त
38. श्री बिरधी चन्द्र जैन
39. श्री बीरबल
40. श्री बृजसुन्दर शर्मा
41. श्री भीखाभाई
42. श्री भीमसेन
43. श्री मजलिस खां
44. श्री मथुरादास माथुर
45. श्री मदनसिंह (सिरोही)
46. श्री मनफूल राम
47. चौधरी श्री मनफूल सिंह
48. श्री महेन्द्र कुमार
49. श्री माधोसिंह
50. श्री मुल्कराज
51. श्री मूलचन्द डागा
52. श्री मोतीलाल
53. श्री मोहनलाल मोदी
54. श्री मोहनलाल सुखाड़िया
55. श्री मोहम्मद उस्मान
56. श्री यशवन्तसिंह नाहर
57. श्री रघुनाथ विश्नोई
58. श्री रणजीतसिंह
59. श्री रामकिशोर व्यास
60. श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़)
61. श्री रामचरण
62. श्री रामनारायण
63. श्री रोशनलाल
64. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत
65. श्री ललित सिंह
66. श्री विद्यासागर
67. श्री शंकरलाल जाट (कपासन)
68. श्री शंकरलाल (जैतारण)
69. श्री शिवचरण माथुर
70. चौधरी श्री शिवचरण सिंह
71. श्री शिवनाथ सिंह
72. श्री शोभा राम
73. श्री श्रीराम रावत
74. मास्टर श्री समर्थलाल
75. श्री सहदेव शर्मा
76. श्रीमती सुमित्रा
77. श्री हंसराज आर्य
78. श्री हरलाल मीणा
79. श्री हरिदेव जोशी
80. डा. श्री हरिप्रसाद
81. श्री हीरालाल देवपुरा
82. श्री हुकमसिंह

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 20-8-69 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही 8.46 सायं दिनांक 20-8-69 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

समवाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर

सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों के लिए सुरक्षित भूमि

185. श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जैसलमेर, बाडमेर बीकानेर जिलों के उन गांवों के लोगों के पुनर्वास के लिये सरकार का कोई विचार है जिनका जीवन आधार मवेशी था और प्रकृति के प्रकोप के कारण वह नष्ट हो गया है ? अगर हां, तो वह क्या है और उसे कब तक कार्य रूप दिया जावेगा ? अगर ऐसा विचार नहीं है, तो क्यों ?

(2) क्या राजस्थान नहर क्षेत्र में इन रेगिस्तानी जिलों के लोगों के लिये भूमि सुरक्षित रखी गई है ? यदि हां, तो कितनी ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि जैलसमेर जिले के एक भी आदमी को भूमि का आवंटन नहीं किया गया है ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(4) क्या भविष्य में राज्य सरकार के ऐसी योजना विचाराधीन है जिसमें सीमावर्ती जिलों के निवासियों को भूमि दी जावेगी ?

(स्थगित किया गया)

हनुमानगढ़ में जंगलात की भूमि

186. श्री हंसराज आर्य (भादरा) :— क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) हनुमानगढ के जंगलात की कुल कितन एकड भूमि है ?

(2) उस भूमि में आज तक कितने एकड में जंगल लगाया जा चुका है ?

(3) पूरी भूमि में कितने वर्षों में जंगल लग जायगा ?

(4) उस जंगल पर आज तक कुल कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है ?

(5) उस जंगल का आज तक क्या कोई उपयोग हुआ है ?

(6) उस जंगल के लिये कुल नहर को कितना क्यूसेक्स पानी मुस्तकिल मन्जूरशुदा है ?

(7) क्या गंगानगर जिले में और भी कहीं जंगल लगाया गया है या भविष्य में लगाने का सरकार का इरादा है ? यदि हां, तो किस तहसील में ?

उत्तर

(1) 6866 एकड ।

(2) 6200 एकड में ।

(3) वर्तमान वनीकरण कार्य-क्रम पूर्ण हो चुका है शेष 666 एकड क्षेत्र में असिंचित रेतीली भूमि सम्मिलित है जिसमें वृक्षारोपण की योजना विचाराधीन है ।

(4) 1957 से अब तक 13.44 लाख रुपये ।

(वन मंत्री)

(5) इस क्षेत्र में भू-संरक्षण कार्य एवं चराई से सुरक्षित रखने से अच्छी किस्म की घास पैदा होने लगी है तथा बीच के रेतीले टीबों की रेत उडने से रुक गई है। इस क्षेत्र से अकाल सहायतार्थ घास कटवा कर अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में भेजी जाती है। निकटवर्ती गांवों की मवेशी चराने की व्यवस्था की जाती है तथा 1968-69 के अकाल के समय इस क्षेत्र में बीकानेर डिवीजन की अच्छी नस्ल की 5250 मवेशीयों के निशुल्क चरने की व्यवस्था की गई थी। क्षेत्र में जंगल तैयार हो जाने पर इमारती एवं जलाऊ लकडी भी काफी मात्रा में मिलने लगेगी।

(6) कुल 13.13 क्यूसेक।

(7) जी हां, भांखडा तथा राजस्थान नहर क्षेत्र में हनुमानगढ, सूरतगढ, एवं अनूपगढ रायसिंह नगर तहसीलों में।

कृषि पशु पालन से आय

187. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सत्य है कि राजस्थान में कृषकों की ज्यादातर आय खेती एवं पशु पालन से होती है? अगर हां, तो उसकी आय का कितना प्रतिशत खेती की आय व कितना प्रतिशत पशु पालन की आय है?

(2) गांवों के आर्थिक विकास के लिये सरकार द्वारा क्या योजना सोची जा रही है?

(3) क्या यह सत्य है कि अकाल वर्ष में गांवों में काश्तकारों की आर्थिक हालत दयनीय हो जाती है? क्या यह भी सत्य है कि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में तो ऐसे वर्षों में काश्तकारों का आर्थिक ढांचा खत्म हो जाता है? अगर हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा राजस्थान के ऐसे इलाकों के लिये आर्थिक हालत पुख्ता तौर से सुधारने के लिये सरकार क्या योजना बना रही है? इस योजना से गांवों को कब तक वास्तविक फायदा मिल सकेगा।

उत्तर

(1) इस सम्बन्ध में कोई भी आंकडे पृथक से एकत्रित नहीं किये जाते अत वांछित सूचना देना संभव नहीं है।

(2) पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि उत्पादन, लघू सिंचाई, भूमि संरक्षण सहकारिता, सामुदायिक विकास, सिंचाई एवं ग्रामीण उद्योग आदि क्षेत्रों में जो भी परियोजनाएं हाथ में ली गई हैं वे विशेष कर गांवों के आर्थिक विकास के लिए ही हैं। प्रस्तावित चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भी इन कार्यक्रमों के विस्तार एवं सुदृढीकरण करने का प्रस्ताव है।

(3) यह सही है कि अकाल से काश्तकारों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पडता है। उनकी आर्थिक कठिनाइयों के निवारण के लिये सरकार बडे पैमाने पर अकाल राहत कार्य करती है। पुख्ता तौर पर स्थिति में सुधार मानसून पर कृषि की निर्भरता कम करने और अधिक से अधिक सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करने से ही हो सकता है जिसके लिए सतत प्रयत्न किये जा रहे हैं और आगे इन कार्यक्रमों को और भी तेज करने का प्रस्ताव है।

विज्ञापन देने का आधार

188. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(क) 1 अप्रेल सन् 67 से लेकर अब तक इस विभाग द्वारा किस किस वर्ष में किस किस समाचार पत्र को किस किस प्रकार का कितने कितने मूल्य का विज्ञापन दिया गया ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(ख) विज्ञापन देने का आधार क्या है ? इस सम्बन्ध में किन नियमों या नीतियों का पालन किया जाता है ?

(ग) किस किस स्तर के कौन कौन अधिकारी इस प्रकार का विज्ञापन दे सकते हैं ?

(घ) क्या किन्हीं समाचारपत्रों ने बिना अनुमति अपने अखबारों के अन्दर विज्ञापन प्रकाशित कर दिये परन्तु विभाग द्वारा उनका भी भुगतान कर दिया गया ? यदि हां, तो किन किन ने और क्यों और उन्हें कितना भुगतान किया गया ?

उत्तर

(क) वांछित सूचना की तालिकाएं "क" एवं "ख" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) जब कभी कोई पत्र एवं पत्रिका के संपादक प. नि. कार्य-क्रम के सम्बन्ध में पूर्व में इस विभाग को सूचित करते हैं कि वे अपने अंक या विशेषांक द्वारा परिवार नियोजन कार्य-क्रम के सन्देश को जन साधारण तक पहुंचाने के लिये विशेष प्रयत्न कर रहे हैं तभी विज्ञापन प्रसारित किया जाता है। विज्ञापन देते समय सामान्यत किसी पत्र की प्रसारण संख्या, उसके क्षेत्र, स्तर अथवा प्रयत्न विशेष तथा उसे पूर्व में विज्ञापन कब दिया आदि को ध्यान में रखा जाता है । साधारण रूप से प्रत्यक पत्र, पत्रिका को प्रत्येक अंक में विज्ञापन नहीं दिया जाता है । साधारण तथा राज्य सरकार द्वारा बनाये गये विज्ञापन सम्बन्धी नियमों का पालन करते हुए विज्ञापन प्रसारित किया जाता है ।

(ग) राज्य सरकार द्वारा विज्ञापन हेतु स्वीकृत पत्रों को राज्य परिवार नियोजन अधिकारी को जन संपर्क निदेशालय के माध्यम से विज्ञापन प्रसारित करने का अधिकार है । अन्य पत्र पत्रिकाओं में स्मारिकाओं आदि को जो परिवार नियोजन पर कुछ विशेष सामग्री छापते हैं, में विज्ञापन राज्य सरकार की स्वीकृति पर प्रसारित किये जाते हैं ।

(घ) जी हां। केवल राज्य कर्मचारी संदेश नामक मासिक पत्र के गणतन्त्र दिवस विशेषांक में बिना पूर्व अनुमति के विज्ञापन छापने पर बाद में स्वीकृति देकर भुगतान किया गया । वैसे विशेषांक के प्रकाशन से पूर्व ही दिनांक 24 जनवरी, 1969 को इनका आवेदन पत्र प्राप्त हो गया था फिर दिनांक 25 एवं 26 जनवरी को अवकाश होने के कारण आदेश नहीं हो सके । इसी बीच उन्होंने एक पूरा पृष्ठ विज्ञापन छाप दिया जो कि उनकी दरों के अनुसार रुपये सात सौ का होता था । चूंकि यह कर्मचारी संघ का पत्र था अतः उनकी न्यूनतम दर जो रुपये तीन सौ थी स्वीकृत कर भुगतान किया गया ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No 214

हरिजन बस्ती संस्कार केन्द्र की अध्यापिका

189. श्री रावतराम (छापर सं) : क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्रीमती प्रेमलता सन् 1966 में हरिजन बस्ती सुजानगढ की पाठशाला में अध्यापिका थी ?

(2) क्या यह सही है कि बस्ती के हरिजनों ने संचालक समाज कल्याण विभाग को यह लिखित शिकायत की थी कि उक्त अध्यापिका का चाल चलन उचित नहीं है अतः इसको यहां से बदला जाय ? यदि हां तो इसका तबादला कहां हुआ है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अध्यापिका आजकल सरदार शहर हरिजन बस्ती संस्कार केंद्र में अध्यापिका है ?

(4) क्या यह सही है कि सरदार शहर में भी अध्यापिका के बारे में शिकायत उच्चाधिकारियों को समय समय पर की गई है। यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त अध्यापिका ने अपनी कारगुजारियों को छिपाने के लिये अपना त्याग-पत्र दिया ? यदि हां, तो कब और त्याग-पत्र स्वीकार कब किया गया ?

(6) क्या यह सही है कि त्याग-पत्र देने के बाद भी वापिस प्रेमलता को सर्विस में ले लिया गया और सरदारशहर संस्कार केन्द्र में पुनः इसकी नियुक्ति कर दी गई ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(7) संस्कार केन्द्र सरदारशहर में क्या क्या सामान है ? क्या सामान का स्टाक रजिस्टर रखा गया है ? यदि हां, तो सामान की सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

(8) क्या उक्त सामान में से प्रेमलता ने कुछ सामान गायब किया है ? यदि हां, तो इसकी जांच किसने की है ?

(9) क्या यह सही है कि 30 जुलाई, 68 को प्रेमलता बिना विभागीय छुट्टी के दिल्ली गई ? यदि हां, तो इस संबंध में विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

(स्थगित किया गया)

पंचायत समिति सिकराय द्वारा बीज की खरीद

190. श्री दुर्गालाल बाढदार (हवा-महल, जयपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सिकराय में लगभग 100 बोरी गेहूं का बीज सोनारा 64 बीज कर राख हो गया ?

(2) यदि हां, तो क्या इसकी पूर्व सूचना सरकार को मिल चुकी है ?

(3) इस गेहूं की कीमत कितनी होती है ?

(4) इस बीज के सड़ने में किस कर्मचारी द्वारा लापरवाही बर्ती गई है ?

(5) क्या सरकार उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रही है ?

(पंचायत मन्त्री)

उत्तर

(1) 79.30 किलो गेहूं खराब हो गया।

(2) जिला कृषि अधिकारी को सूचना मिल चुकी है।

(3) कीमत 9,912.50 पैसे होती है।

(4) इस संबंध में जांच कराई जा रही है।

(5) जांच के उपरान्त उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

जोधपुर मेडीकल कालेज का नाम

191. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर)

श्री रूप सिंह (सरदार शहर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री तथा राजस्थान के भूतपूर्व राज्यपाल स्व. डा. सम्पूर्णानन्द का नाम अमर करने के लिये क्या राज्य सरकार ने मेडिकल कालेज जोधपुर का नाम डा. सम्पूर्णानन्द मेडिकल कालेज रखने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो कब और क्यों? क्या सरकार को यह बात ज्ञात नहीं कि इस निर्णय की अच्छी प्रतिक्रिया राजस्थान में नहीं होगी?

(2) राजस्थान का एकीकरण करने वाले स्व. सरदार वल्लभभाई पटेल तथा देश के यशस्वी तत्कालीन प्रधान मन्त्री स्व. श्री लालबहादुर शास्त्री के नाम पर इस कालेज का नाम क्यों नहीं रखा गया?

उत्तर

(1) जोधपुर मेडिकल कालेज का नाम इस वर्ष से डा. सम्पूर्णानन्द मेडिकल कालेज जोधपुर रखा गया है। डा. सम्पूर्णानन्द एक महान शिक्षा शास्त्री, दार्शनिक एवं विद्वान मनीषी थे, उनकी बहुमुखी प्रतिभा के आधार पर ही उक्त कालेज का यह नवीन नाम रखा गया है।

(2) राजस्थान में बीकानेर मेडिकल कालेज का नाम सरदार पटेल मेडिकल कालेज, बीकानेर पहले से ही रखा हुआ है। इसी प्रकार जयपुर में भी लालबहादुर शास्त्री कालेज पहले से ही चल रहा है। अतः जोधपुर कालेज का नाम डा. सम्पूर्णानन्द मेडिकल कालेज ही रखना उपयुक्त समझा गया।

गांव खोड (पाली) की नदी का तट बन्धन

192. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सत्य है कि अकाल राहत के समय गांव खोड (पाली) की नदी के तटबन्धन के लिये राज्य सरकार ने कोई धनराशि मन्जूर की? यदि हां, तो कब और कितनी?

(ख) क्या यह सत्य है कि यह धनराशि इसलिये मन्जूर की गई थी कि नदी के कारण जो खोड गांव का कटाव हो रहा था वह रुक जाये? यदि हां, तो फिर किस तरह नदी को बांध जाने का कार्य किया जा रहा था?

(ग) क्या यह सत्य है कि पाली पंचायत समिति के प्रधान व अन्य व्यक्तियों ने शिकायत

(श्री मूलचन्द डागा)
पत्र पेश किया था ? और उस आधार पर निर्माण कार्य श्री कलक्टर पाली ने दिनांक 30-6-69 को रोक दिये थे ? यदि हां, तो उस आज्ञा की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(घ) क्या यह सत्य है कि यदि यह नदी बांध दी जाती है, तो पाली तहसील के गांव डिगाई, कानेलाव, बाला, डेन्डा कूरना इत्यादि गांवों को भारी क्षति पहुंच सकती है ?

(ङ) क्या यह सत्य है कि इस नदी के आने से ही उक्त गांवों की खेती में ही नहीं बल्कि पीने के पानी में भी सुविधायें उपलब्ध हुई हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार भविष्य में भी इस कार्य को सदा के लिये रोकने का विचार रखती है ?

उत्तर

(क) जी हां, दिनांक 31-5-69 को 36,000 रु. की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

(ख) जी हां, नदी के तटबन्धन में अधिक धन व्यय होता इसलिये नाले को बांध कर पानी पुनः नदी मे डालने से कम धन व्यय होने के कारण यह कार्य शुरू किया गया था।

(ग) जी हां। प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(घ) जिन गांवों में अभी पानी पहुंचता है, उनमें नदी के बन्ध जाने पर कम पानी पहुंचने की सम्भावना थी।

(ङ) विस्तृत जानकारी के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

प्रतिलिपि पत्र क्रमांक एल. आर.16431 दिनांक 30-6-69 ओर से जिलाधीश पाली वास्ते अधिशासी अभियन्ता जवाई नहर खण्ड सुमेरपुर।

विषयः—खोड नदी का तटबन्धन।

खोड नदी के तटबन्धन हेतु अकाल राहत सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 6-2-69 के अनुसार राज्य सरकार की स्वीकृति के अनुसार इस कार्यालय द्वारा दिनांक 31-5-69 क्रमांक एल. आर. फेमिन 4854 से खोड नदी के तटबन्धन हेतु आदेश प्रसारित किये गये।

परन्तु खोड नदी के तटबन्धन के बजाय (जो कि ग्राम के पास सुरक्षा (बाढ) हेतु किया जाना था व अन्य कार्य जो कि नाले के पानी मोडने का है प्रारम्भ किया गया है जिसके फलस्वरूप निचले विस्तृत भागों में पानी का अभाव हो जायगा।

अतः उक्त हो रहे कार्य को तुरन्त बन्द कर दिया जाय एवं अन्य स्कीम तुरन्त स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाय।

आदिवासी क्षेत्र में शराब बन्दी

194. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ सु.)ः क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) क्या जिला चित्तौडगढ सब-डिवीजन प्रतापगढ में रहने वाले आदिवासियों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार यहां शराब बन्द करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सच है कि पास में लगता हुआ जिला बांसवाडा, उदयपुर में शराब

(श्री हुरलाल मीणा)
बन्द की जा चुकी है ? यदि हां, तो प्रतापगढ़ जैसे आदिवासी एरिया में शराब बन्द क्यों नहीं की गई ?

उत्तर

(1) ऐसा कोई प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ?

(2) जिला बांसवाडा, डूंगरपुर, सिरोही (आबू क्षेत्र को छोड कर) तथा उदयपुर जिले की तहसील झाडोल, खेरवाडा तथा कोटडा में मद्य निषेध है । राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए राज्य के अन्य भागों में मद्य निषेध नहीं किया गया है ?

बी. एड. ट्रेन्ड अध्यापक

195. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने लोग बी. ए. ट्रेन्ड कब से बेकार बैठे हैं ? क्या इनकी सीनियोरिटी लिस्ट नहीं है ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) राज्य में एस. टी. सी. ट्रेन्ड कितने लोग कब से बेकार बैठे हैं ? क्या उनकी जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर कोई सीनियोरिटी लिस्ट बनी है ? यदि हां, तो उसकी प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

(3) हर साल कितने व्यक्ति बी. एड. और कितने एस. टी. सी. ट्रेन्ड हो जाते हैं ?

(4) उक्त दोनों प्रशिक्षणों पर सरकार का कितना व्यय होता है ? क्या जितने प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति बेकार हैं उन्हें देखते हुए क्या सरकार इस पर व्यय को अब भी उचित समझती है ?

उत्तर

1. बेकार बैठे बी. एड. की सूची नहीं संजोयी जाती है। ऐसे लोगों की सीनियोरिटी नहीं होती ।

2. अनुमानतः 7,000 एस. टी. सी. ट्रेण्ड हैं । ऐसी कोई सूची नहीं संजोयी जाती । जिला अथवा राज्य स्तर में इनकी कोई सीनियोरिटी नहीं है ।

3. (1) हर वर्ष करीब 6,500 परीक्षार्थी एस. टी. सी. ट्रेन्ड होते थे । 29 शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय अब बन्द कर दिये गये हैं जो चल रहे हैं उनका पाठ्यक्रम 2 वर्ष का कर दिया गया है ।

(2) बी. एड. प्रशिक्षण में राजकीय एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों में 1,500 से 1,800 के बीच अध्यापक प्रशिक्षित होते हैं ।

4. एक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय पर सामान्यतया 65 हजार व्यय होता है । इस वर्ष राज्य के 29 शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय बन्द किये जा चुके हैं ।

सवाई मानसिंह अस्पताल के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट

196. श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री श्रवण लाल)

(1) क्या यह सही है कि डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट सवाई मानसिंह अस्पताल टीचिंग स्टाफ में से है।

(2) क्या यह भी सही है कि इस पोस्ट पर सीनियर मोस्ट सी. ए. एस. जो नान-टीचिंग साइड का है, उसे ही लगाना चाहिये?

(3) यदि हां, तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता है?

(4) क्या यह भी सही है कि सवाई मानसिंह अस्पताल में दवाइयों का अभाव है?

उत्तर

(1) यह सही है कि डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर, शिक्षक वर्ग (टीचिंग स्टाफ) में से है।

(2) ऐसा कोई नियम नहीं है कि इस पद पर जो उत्तम (सीनियर मोस्ट) सी. ए. एस. जो शिक्षक वर्ग (टीचिंग स्टाफ) में न हो, नियुक्त हो।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के रोगियों के लिये आवश्यक समझी जाने वाली दवाइयों का अभाव नहीं है।

परिवार नियोजन के कार्यक्रम के अन्तर्गत कर्मचारियों को अग्रिम वेतन वृद्धि

197. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने परिवार नियोजन योजना को सफल बनाने के लिये ऐसा विचार किया है कि उन कर्मचारियों को एक अग्रिम वार्षिक वेतन वृद्धि की जावेगी जो इस योजना के अन्तर्गत अपना आपरेशन करायेंगे?

(2) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह घोषणा कब तक कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) अभी यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) निर्णय होते ही घोषणा करदी जायगी।

भीलवाड़ा में महतरों के लिए बस्ती

198. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि महतरों के लिये भीलवाड़ा में नई बस्ती बसाई गई है?

(2) यदि हां, तो कहां बसाई गई है?

(3) क्या इस बस्ती में महतरों के अलावा और भी किसी के घर हैं।

(4) क्या सरकार अनुभव करती है कि छूआछूत समाप्त करने के लिये यह जरूरी है कि महतरों को सवर्ण लोगों के मध्य बसाया जाये और जहां जहां भी नये प्लाट्स कटने वाले हों उनमें महतरों के लिये भी प्लाट सुरक्षित रखे जायें?

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

(5) क्या गांधी शताब्दी के इस वर्ष में सब ही नगरपालिकाओं को सरकार ऐसे आदेश देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

मकान बनाने का कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

(2) वार्ड नं. 5 में स्थित रामकृष्ण नगर में।

(3) चूंकि यह मेहतरों की पुरानी बस्ती थी। अतः और किसी के घर नहीं हैं।

(4) जी हां।

(5) इस विषय में स्वायत्त शासन विभाग के जरिये आवश्यक कार्यवाही किये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

रानी खुर्द जिला पाली की डिस्पेंसरी का भवन

199. श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या रानी (खुर्द) जिला पाली में डिस्पेन्सरी भवन का निर्माण करवाने की आफर एक दानदाता ने की थी जिसे सरकार ने स्वीकार किया था और दानदाता को सरकार ने स्वीकृति-पत्र भी भेजा था ?

(2) क्या दानदाता ने सरकार की इच्छानुसार कोई गिफ्ट डीड भरकर भेजी थी और क्या सरकार ने दानदाता से प्राप्त उस गिफ्ट डीड (बनाये जाने वाले भवन की) को एप्रूव किया था एवं एप्रूवल सम्बन्धी पत्र भी दानदाता को लिख दिया था ?

(3) क्या दानदाता ने सरकार के निर्देशानुसार प्रथम किश्त के चालीस हजार रुपये भी जमा करवा दिये थे ? यदि हां, तो दानदाता से ये चालीस हजार की रकम किस तारीख को मिली ?

(4) क्या सरकार ने यह भी स्वीकार किया था कि भवन निर्माण प्रारम्भ होने पर दानदाता दूसरी किश्त के पचास हजार सरकार में जमा करवा देंगे ?

(5) प्रथम किश्त की रकम प्राप्ति के कितने वर्षों पश्चात् सरकार द्वारा भवन निर्माण कार्यारम्भ करने की परम्परा है ?

(6) उपर्युक्त डिस्पेन्सरी के निर्माण की रकम दानदाता द्वारा स्वीकृत होने पर भी भवन निर्माण में देरी का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि इस प्रकार की देरी से सरकार को दान देने वाले निरुत्साहित हो जाते हैं ?

(7) उपर्युक्त डिस्पेन्सरी का निर्माण कब प्रारम्भ किया जायेगा एवं निर्माण कार्य कब तक समाप्त कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। केवल गिफ्ट को एक रुपये के स्टाम्प पेपर पर भरकर भेजने की कार्यवाही करनी शेष है जिसके लिए दानदाता को दिनांक 31-7-68 को लिखा जा चुका है।

Page No 220

(चिकित्सा मंत्री)

(3) जी हां। दिनांक 3-9-68 को।

(4) जी हां।

(5) भवन के प्लान का अनुमोदन होने के पश्चात् निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र करने का प्रयत्न किया जाता है।

(6) भवन निर्माण का प्लान अनुमोदन करने में विलम्ब हुआ। शेष प्रश्न उपस्थित नहं होता है।

(7) भवन का निर्माण इस माह के अन्त तक प्रारम्भ कराने का पूर्ण प्रयत्न किया जा रहा है लगभग 6 माह के भीतर कार्य पूर्ण होने की आशा है।

मालकर निर्धारण की प्रक्रिया

200. श्री पृथ्वीसिंह देवडा (बाली): क्या आबकारी एवं कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में यात्री तथा माल कर अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत मालकर का निर्धारण किस प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है ?

(2) क्या कर, माल के तोल पर लगाया जाता है ? यदि हां, तो माल तोलने के लिये स्थान स्थान पर क्या व्यवस्था की गई है ?

(3) इस प्रकार की व्यवस्था किन किन स्थानों पर उपलब्ध है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) जहां पर ऐसी तोल करने की व्यवस्था नहीं है वहां पर किस आधार पर लिया जाता है ?

उत्तर

(1) राजस्थान यात्री तथा मालकर नियम, 1959 के नियम 8 (1) के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत लोक वाहनों से एक मुश्त माल कर लिया जाता है। इस संबंध में राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति क्रमांक एफ. 16 (3) एफ. डी.सी.टी.66-(II) दिनांक 87-2-66 के अन्तर्गत मालकर लोक वाहन के बोझा लाने ले जाने की सामर्थ्य एवं किसी प्रदेश की सीमा के अन्तर्गत गमन करने के आधार पर भिन्न भिन्न रूप में मालकर की रकम एक मुश्त निश्चित की हुई है।

(2) जी नहीं! बोझा लाने ले जाने की सामर्थ्य के अनुसार एक मुश्त राशि निश्चित की गई है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारियों की पदोन्नतियां

201. श्री लालूराम सुलानिया (फागी): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि राजस्थान समाज कल्याण विभाग में इस वर्ष की गई जिला कार्यालयों के अधिकारियों की नियुक्तियों में सीनियोरिटी का ध्यान न रखा जाकर जूनियरों को उच्च पद दिये गये हैं ?

(2) क्या यह सत्य है कि अधिकारियों के अलावा विभाग के कर्मचारियों को

(श्री लादूराम सुलानियां)
पदोन्नतियों में भी सीनियोरिटी का ध्यान नहीं रखा गया है ?

(3) क्या उक्त पदोन्नतियों के संबंध में लोक सेवा आयोग से अनुमोदन करा लिया गया ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) वर्ष 69-70 में की गई पदोन्नतियां एडहाक है जिन के अनुमोदन की स्वीकृति लोक सेवा आयोग से प्राप्त कर ली जावेगी।

बीकानेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों के रूटों पर बसें

202. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा): **क्या यातायात मन्त्री यह बताने** की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले में सीमा में कितनी बसें किस किस व्यक्ति के नाम से कच्चे व पक्के रास्तों पर चल रही हैं ? नाम व बस नम्बर सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि वे परमिट मिलने पर भी इन रूटों पर समय पर बस नहीं चला रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसी कितनी बसें हैं ?

(3) क्या यह सही है कि काफी बसों के मालिकों में टैक्स बकाया है ? यदि हां, तो कितने कितने नम्बर की गाडियों का व ट्रकों का कितना कितना टैक्स बकाया है ? मालिक के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

1. सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

2. यह सही नहीं है।

3. जिन बसों का टैक्स 30-6-69 तक का जमा नहीं हुआ है उनकी सूची (अ) सदन की मेज पर रखदी गई है।

ट्रकों के परमिट बीकानेर जिले की सीमा के लिये नहीं दिये जाते हैं। मोटर वाहन अधिनियम, 1939 में ट्रकों के परमिट, समस्त राजस्थान, या सम्पूर्ण रीजन, या निश्चित मार्ग के लिये दिये जाने का प्रावधान है।

प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, बीकानेर द्वारा बीकानेर—लूणकरणसर, बीकानेर-सूरतगढ मार्ग के लिये जिन चार ट्रकों को परमिट दिये हुये हैं उनमें कर बाकी नहीं हैं।

परिशिष्ट (अ)

क्रम सं.	रूट का नाम व पक्का व कच्चा	मालिक का नाम	वाहन सं.	कर बकाया है या नहीं
1	2	3	4	5
1.	नोखा पांचू (पक्का)	1. लालसिंह पुत्र सुगनसिंह, बोदीसार	आर. जे. क्यू. 1350	चौथी तिमाही सन् 68 (बकाया है)

Page No 222

1	2	3	4	5
		2. भूराराम पुत्र किशनाराम, नोखा	आर. जे. एफ. 3033	कर बकाया नहीं है।
2.	बीकानेर आडू (कच्चा)	1. श्री मेगराज-चांडक पुत्र लालचन्द, गजनेर	आर. जे. एफ. 884	,, ,,
		2. श्री बैरीसालसिंह पुत्र शिवनाथ सिंह बीकानेर	आर. जे. एफ. 627	,, ,,
3.	बीकानेर-धरनोक (कच्चा)	1. श्री भीवराज, बीकानेर	आर. जे. एफ. 584	,, ,,
		2. श्रीमती दुर्गादेवी पत्नी बदरीदास, बीकानेर	आर. जे. एफ. 633	कर बकाया है।
		3. श्री कानसिंह पुत्र कुन्दन सिंह, बीकानेर	आर. जे. एफ. 2335	कर बकाया नहीं है।
4.	बीकानेर बैरासर (कच्चा)	1. श्री तुलसीराम डागा पुत्र भीकमचन्द	आर. जे. एफ. 1048	,, ,,
		2. श्री शिवदत्त ओझा पुत्र श्री सोहनलाल, बीकानेर	आर. जे. एफ. 2211	,, ,,
5.	बीकानेर-पूगल (पक्का-कच्चा)	1. राव बलदेवसिंह पुत्र हरिसिंह, बीकानेर	आर. जे. यू. 3514	,, ,,
		2. श्री लूणाराम कमलचन्द	आर. जे. एफ. 1873	,, ,,
6.	बीकानेर-सींथल (पक्का)	1. श्री गिरधारीलाल पुत्र जोराराम, बीकानेर	आर. जे. एफ. 1617	,, ,,
		2. श्री ताराचन्द पुत्र मेडाराम	आर. जे. के. 3711	,, ,,
		3. श्री मूलाराम पुत्र मोहबतराम	आर. जे. एफ. 1419	,, ,,
		4. श्री नथमल पुत्र दुलीचन्द	आर. जे. एफ. 1555	,, ,,
		5. श्री शिवकरण पुत्र तुलसीराम	आर. जे. एफ. 312	,, ,,

Page No 223

1	2	3	4	5
7.	बीकानेर-झुंझुनू (कच्चा)	1 श्री सुरजमल पुत्र बालचन्द	आर. जे. एफ. 162	कर बकाया है।
		2 श्री बंशीधर पुत्र तनसुख	आर. जे. एफ. 625	कर बकाया नहीं है।
		3. श्री मूलाराम पुत्र मोहब्बत राम, बीकानेर	आर. जे. एफ. 995	,, ,,
8.	नोखा-पोजास (बी. श्रेणी)	1. श्री भगवानाराम पुत्र नत्थूराम, नोखा मंडी	आर. जे. एफ. 1119	कर बकाया है।
9.	बीकानेर-अमरपुरा	1. मै. दुर्गासिंह माल सिंह बीकानेर	आर. जे. आई. 401	कर बाकी नहीं है।
10.	बीकानेर-लूनकरणसर (पक्का)	1. श्रीमती सुगरकुंवर धर्मपत्नी हरीसिंह, बीकानेर	आर. जे. एफ. 2075	कर बाकी नहीं है।
11.	बीकानेर-कालू (कच्चा)	1. श्री करनीराम पुत्र लल्लूराम, गंगाशहर	आर. जे. बी 458	कर बाकी नहीं है।
		2. श्री उदय शंकर जगदीश प्रसाद, बीकानेर	आर. जे. एफ. 423	,, ,,
12.	बीकानेर-पांचू (कच्चा)	1. श्री सोहनलाल पुत्र मुरलीधर, नोखा	आर. जे. एफ. 25	,, ,,
13.	बीकानेर-मसूरी (कच्चा)	1. श्री नैनूराम पुत्र भीखाराम	आर. जे. एफ. 980	,, ,, ,, ,,
14.	नोखा-कोलायत (कच्चा)	1. श्री जैठाराम पुत्र कानाराम, नोखा	आर. जे. एफ. 1661	,, ,,
		2. श्री श्यामलाल पुत्र भगवान राम, नोखा	आर. जे. क्यू. 1128	,, ,,
15.	नोखा-धरनोक (कच्चा)	1. श्री शंकरलाल पुत्र श्याम लाल, नोखा	आर. जे. क्यू. 7359	,, ,,
		2. श्री लहीराम नत्थाराम नोखा	आर. जे. एफ. 2271	,, ,,

(यातायात मन्त्री)

1	2	3	4	5	
16.	बीकानेर-सांड्वा (कच्चा)	1. श्री चुन्नीलाल पुत्र सुगन दास, बीकानेर	आर. जे. क्यू. 4185	,,	,,
		2. श्री सागरमल पुत्र गोविन्द राम, बीकानेर	आर. जे. एफ. 2224	,,	,,
		3. श्री शाम पुत्र गणेशराम, बीकानेर	आर. जे. क्यू. 4149	,,	,,

जंगली जानवरों की सुरक्षा एवं सुविधा के लिये व्यवस्था

203. श्री जुझार सिंह (रामगंजमंडी): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार ने जंगल के जानवरों की सुरक्षा व सुविधा हेतु क्या क्या कदम उठाये हैं और प्रशासनिक व्यवस्था क्या की हुई है ?

(2) वाइल्ड गेम प्रिजर्वेशन बोर्ड के कितने सदस्य हैं और उनका अलग अलग वाइल्ड लाइफ के बाबत क्या अनुभव है ?

(3) शिकार के लाईसेन्स किन आधारों पर किये जाते हैं और पिछले दो सालों में राजस्थान में कितने कितने लाइसेंस दिये गये व क्या शिकार किया गया ? और उस पर सरकार का कितना खर्चा व कितनी आमदनी हुई है ?

(4) क्या सरकार ने मोटे तौर पर अलग अलग जानवरों की गिनती का अन्दाजा लगवाया है ? यदि हां, तो अलग अलग ब्लोक्स में अनुमानतः कितने जानवर आंके गये हैं ? और किस अनुपात में उनकी तादाद बनाये रखते हुए लाइसेन्स जारी किये गये हैं ?

उत्तर

(1) जंगल के जानवरों की सुरक्षा व सुविधा हेतु राज्य सरकार ने अधिनियम व नियम बनाए हैं। राज्य में 9 वन्य जीवों की सेंचुरीज बनाई गई हैं जहां वन्य जीवों के संरक्षण की विशेष व्यवस्था की गई है। राज्य को वन जीवों के संरक्षण हेतु सुझाव देने हेतु राज्य वन जीव मंडल की भी स्थापना की हुई है। सेंचुरीज में वन्य जीवों की सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख हेतु एक अवैतनिक चीफ गेमवार्डन व गेम वार्डन नियुक्त किये गये हैं। वन्य जीवों के संरक्षण की व्यवस्था हेतु सुझाव देने हेतु जिलाधीशों की अध्यक्षता में जिला स्तर की समितियों का गठन किया गया है। राज्य में 5 चिड़िया घर हैं जिनमें जंगली जानवरों के संरक्षण, प्रयोजन एवं सुविधा की व्यवस्था है।

(2) बोर्ड के 46 सदस्य हैं। सदस्यों को वन्य जीवों में पर्याप्त रुचि है।

(3) शिकार के लाइसेन्स राजस्थान वन (शूटिंग हंटिंग, फिशिंग वाटर पाइजनिंग) रूल्स, 1957 के अनुसार दिये जाते हैं। पिछले 2 वर्षों में दिये गए लाइसेन्स एवं शिकार की सूचना संलग्न सारिणी में बताई गई है। शिकार लाइसेन्स से वन विभाग को हुई आय

Page No 225

(वन मंत्री)

की सूचना उपरोक्त सारिणी में बताई गई है। वन विभाग को वन शिकार लाइसेन्सों पर व्यय नहीं हुआ।

(4) जी हां। अलग अलग इलाकों में उपलब्ध जानवरों की अनुमानित संख्या संलग्न सूची में बताई गई है। उप लब्ध जानवरों की संख्या को देखते हुए स्थानीय वन संरक्षक शिकार परमिट जारी करते हैं। अनुपात निश्चित नहीं किया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

पंचायत शिमला के सरपंच के विरुद्ध शिकायतें

204. श्री दौलत राम सारण (डूंगरगढ़): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सरदार शहर की पंचायत शिमला के सरपंच श्री उम्मेद सिंह को शिमला गांव के कुए की मरम्मत हेतु 28-?-62 को एक हजार रुपये पंचायत समिति सरदारशहर की ओर से दिए गए थे जो न तो कुए की मरम्मत में लगाए गए और न पंचायत समिति में जमा ही करवाए हैं? अपने निजी काम में ले लिये गए?

(2) क्या यह सही है कि शिमला पंचायत के ग्राम बोधेरा में हरिजन कुण्ड निर्माणार्थ 3750 रु. दो किश्तों में इसी सरपंच को पंचायत समिति द्वारा दिए गए थे परन्तु कुण्ड का कार्य पूरा नहीं करवाया? इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

(3) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (1) के संबंध में पंचायत समिति के बार बार रुपये जमा करवाने की चेष्टा के उपरान्त भी रुपये सरपंच द्वारा जमा न करवाने पर समिति ने जिलाधीश चूरू को पत्र संख्या 703 दिनांक 8-?-65 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा और 27-?-65 को प्रशासन स्थायी समिति के ब्याज ब्याज सहित रकम वसूल करने का निर्णय लिया और रकम के दुरुपयोग के लिये सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही करन हेतु यह निर्णय 15-5-65 को जिला विकास अधिकारी को भेजा गया वसूली के लिये तहसीलदार को भी लिखा अनेक स्मरण-पत्र दिये गए हैं परन्तु अभी तक न रकम वसूल हुई और न रकम के दुरुपयोग के लिये कोई कार्यवाही ही सरपंच के विरुद्ध की गई है?

(4) इतने लम्बे समय तक रकम न वसूल करने और कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं? इसके लिये कौन दोषी है? क्या राज्य सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? नहीं तो, क्यों नहीं?

(5) क्या राज्य सरकार सरपंच को निलम्बित कर 17 (4) की कार्यवाही के उपयुक्त इस मामले को नहीं मानती?

उत्तर

1. जी हां! रकम दिनांक 28-?-62 को दी गई थी।

2. जी हां। रकम 3 किश्तों में दी गई थी। वसूली की कार्यवाही पी. डी. आर: में को जा रही है।

Page No 226

(पंचायत मंत्री)

3. पी. डी. आर. के तहत वसूली की कार्यवाही एस. डी. ओ. द्वारा की जा रही है। जिलाधीश ने सरपंच के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना उचित नहीं समझा।

4. पी. डी. आर. के तहत वसूली होने में विलम्ब होने का कारण बाकी दार की सम्पत्ति नहीं होना और उसके जामिनों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने में समय लगना था। इसके लिये किसी के दोषी होने का प्रश्न पदा नहीं होता।

5. इस संबंध में जिलाधीश से पूरी जानकारी मांगी जा रही है जिसके प्राप्त होने पर उपयुक्त कार्यवाही की जावेगी।

जिला सवाईमाधोपुर की शिक्षण संस्थाओं द्वारा श्रमदान फीस की वसूली

205. श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल (गंगापुर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जिले की शिक्षण संस्थाओं में सत्रारम्भ के साथ ही श्रमदान के नाम पर प्रत्येक छात्र व छात्राओं से श्रमदान फीस ली जाती है? यदि हां, तो किसके आदेश से और किन किन शालाओं में ली जाती है? उनके नाम व वसूल की गई राशि का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा निर्धारित फीस में विकास शुल्क लिया जाता है? यदि हां, तो उसका उपयोग किस प्रकार होता है?

(3) क्या यह सच है कि गंगापुर स्थित हायर सेकेन्ड्री स्कूल और उच्च प्राथमिक स्कूल नं. 1 और 2 में श्रमदान के नाम से जो पैसा वसूल किया है वह न तो सभी से लिया गया है और न ही उसका सही रूप से उपयोग हुआ है? यदि हां, तो सरकार ने क्या कदम उठाये हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस श्रमदान वसूली की जांच करेगी? यदि हां तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सरकार की तरफ से कोई श्रमदान के नाम पर फीस नहीं ली जाती।

(2) जी हां, उसका उपयोग संबंधित विद्यालय की उन्नति व विकास के लिये किया जाता है।

(3) जब सरकार की तरफ से कोई श्रमदान के नाम पर फीस वसूल ही नहीं की गई तो उसकी जांच इत्यादि का प्रश्न ही नहीं उठता।

बसों के परमिट देने का आधार

206. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार की सड़क यातायात मार्ग पर बसों के परमिट देने की क्या नीति है?

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने समाजवादी नीति को अपनाया है?

(3) क्या यह सही है कि समाजवादी नीति के अन्तर्गत एक बस मालिक को एक या दो से अधिक बसों के परमिट नहीं दिये

Page No 227

(श्री देवीदत्त गाडिया)
जाने चाहिये ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इसका पालन किया है ?

(4) क्या यह सही है कि सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिले कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनूं, सीकर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर आदि जिलों में एक ही बस मालिक को एक ही मार्ग पर एवं अन्य मार्गों पर बसों के परमिट दे रहे हैं ? यदि हां, तो किस किस जिले में किस किस बस मालिक को किस किस मार्ग के बस परमिट दे रखे हैं और किन कारणों से ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(5) क्या यह सही है कि प्राइवेट बसों में शिकायती पुस्तिका नहीं टंगी रहती है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) क्षेत्रक यातायात मार्गों पर रीजन के बसों के परमिट प्रादेशिक परिवहन अधिकरण देती है एवं अन्तर्राज्यीय मार्गों पर बसों को परमिट राज्य परिवहन अधिकरण देती है। मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1939 एवं उनके अन्तर्गत निर्मित राजस्थान मोटर व्हीकल्स रूल्स के प्रावधानों के अन्तर्गत परमिट दिये जाते हैं।

(2) इसका उत्तर प्रश्न नं. 1 में आ जाता है। इसके अतिरिक्त सरकार ने कई एक मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया है जिस पर राज्य पथ परिवहन निगम को परमिट दिये हैं।

(3) मोटर व्हीकल्स एक्ट एवं उसके तहत बने हुए रूल्स में ऐसी कोई पाबन्दी नहीं है।

(4) इस प्रश्न के सम्बन्ध में राज्य के 26 जिलों के बारे में सम्बन्धित प्रादेशिक एवं सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों से सूचना एकत्रित कर ही उत्तर दिया जा सकता है और इसके लिये काफी समय की आवश्यकता है।

(5) नियमों के अन्तर्गत बसों में शिकायत की पुस्तिका का होना अनिवार्य है और यदि किसी बस में शिकायत पुस्तिका नहीं होती है तो यातायात व पुलिस चैकिंग अधिकारी नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही करते हैं। यदि कोई विशेष शिकायत हो तो उसका विवरण दिये जाने पर जांच की जाती है।

पाठशालाओं के लिये खेल के मैदान

207. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में भिन्न भिन्न पाठशालाओं के लिये खेल के मैदान सुरक्षित रखने के लिये आज जिन जिन पाठशालाओं के खेल के मैदान नहीं है, उनके लिये राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(2) क्या सरकार यह बतायेगी कि खेल के मैदान के लिये किस हिसाब से भूमि सुरक्षित की जाती है ?

(3) क्या यह सत्य है कि राजस्थान में सैकड़ों स्कूल्स ऐसी हैं जिनके लिये खेल के मैदान उपलब्ध नहीं हैं ?

Page No 228

(शिक्षा मंत्री)

उत्तर

(1) राजस्थान में जिन पाठशालाओं के पास खेल के मैदान नहीं है उनके लिये प्रस्ताव आने पर भूमि अवाप्त कर मैदान उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाती है।

(2) खेल के मैदान के लिये भूमि की निम्न सीमा रखी गई है :—

1. प्राथमिक शाला 1.2 बीघा

2. उच्च प्राथमिक शाला 3 बीघा

3. माध्यमिक शाला 5 बीघा

(3) जी हां।

पंचायत समिति, मालपुरा द्वारा निर्माण कार्यों पर व्यय

208. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार को विदित है कि पंचायत समिति मालपुरा, जिला टोंक ने पंचायत, डिग्गी को मोटर स्टेण्ड और अध्यापिकाओं के क्वार्टरों के लिये चार साल पहले जो दस हजार रुपया दिया था उन्हें पंचायत डिग्गी ने उन कामों में खर्च नहीं किया? यदि हां, तो कब दिये और उसकी वसूली क्यों नहीं की गई ?

(2) क्या यह भी सच है कि विकास अधिकारी पंचायत समिति, मालपुरा ने काम चालू करने के लिये सरपंच डिग्गी का कई बार ध्यान दिलाया पर आज तक निर्माण काम शुरू नहीं किया है और न पैसा ही लौटाया है ?

(3) क्या यह भी सच है कि पंचायत डिग्गी ने अपना बजट गत 4 साल से पंचायत समिति, मालपुरा के पास स्वीकृति के लिये नहीं भेजा है ? यद हां, तो इस नियम विरुद्ध कार्यवाही के लिये पंचायत के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह भी सच है कि विकास अधिकारी, मालपुरा ने दिनांक 11 जनवरी, 69 को पंचायत की मीटिंग अपने तौर पर बुलाई थी ?

उत्तर

(1) 9598) रु. की धनराशि दिनांक 30-3-66 को दी गयी। पंचायत द्वारा यह कार्य नहीं करवाए गये। अतः रकम वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। पंचायत समिति ने इस सम्बन्ध में कोई सूचना राज्य सरकार को नहीं दी। इसलिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

(4) जी हां। विकास अधिकारी ने विकास कार्यों के लिये विचार-विमर्श हेतु 11-1-69 को पंचायत की बैठक आमन्त्रित करने के लिये सरपंच को लिखा था।

प्राथमिक शाला किशनगढ़ का स्थान

209. श्री सुमेरसिंह (किशनगढ़): क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि किशनगढ़ में वर्तमान में जहां लड़कों की प्राथमिक शाला

(श्री सुमेरसिंह)
राज्य सरकार द्वारा चालू कर रखी है वह उपयुक्त स्थान है ?

(2) क्या यह भी सही है वर्तमान में प्राथमिक शाला बच्चों की सड़क के तंग स्थान पर कायम है और उस सडक पर रात व दिन मोटर गाडियां व बैल गाड़ियां चलती रहती हैं ?

(3) यदि हां, तो इस स्थान से अब तक इस पाठशाला को अन्यत्र क्यों नहीं बदला गया व अब कब तक इस स्थान से इस पाठशाला को बदल दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) वह उपयुक्त स्थान नहीं था ।

(2) जी हां ।

(3) सम्बन्धित शाला का भवन रिक्त कर दिया गया है वह अब शाला एक सुरक्षित स्थान पर दिनांक 1-8-69 से स्थानान्तरण कर दी गई है । ये शालाएं दिनांक 1-8-69 से सन्तों की हवेली में चल रही है ।

रटलाई में हाट एरिया की भूमि का बेचान

210. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन)—क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विकास पंचायत रटलाई द्वारा हाट एरिया की भूमि किन्हीं व्यक्तियों को सन् 1966-67 व 68 में बेची गई ? यदि हां, तो किन किन व्यक्तियों को कितनी कितनी भूमि कितने कितने रुपये में दी गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह भूमि राजस्व विभाग की थी ? यदि हां, तो फिर पंचायत द्वारा कैसे बेची गई ? इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही कब की गई और उसका क्या नतीजा रहा ?

(3) क्या भूमि पर खरीददारों का कब्जा होकर पट्टे पंचायत द्वारा दिये जा चुके हैं और मकान आदि बन चुके हैं ?

उत्तर

(1) पंचायत रटलाई द्वारा हाट क्षेत्र में जमीन वर्ष 1967 में बेची गई जिसके विवरण की सूची सदन की मेज पर रखी गई है । सन् 1968 में कोई जमीन नहीं बेची गई है ।

(2) भूमि राजस्व विभाग की है जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने का दायित्व राजस्व विभाग का है ।

(3) पंचायत द्वारा पट्टे दिये गये हैं किन्तु मकान अभी नहीं बने हैं ।

पंचायत रटलाई द्वारा हाट एरिया की भूमि जो सन् 1967 में बेची गई उसकी सूची

क्र.सं.	प्लाट नं.	रकम नीलाम	नाम खरीददार
(1)	7	281) रु०	श्री हजारी लाल सीताराम रटलाई
(2)	5	225) रु०	श्री द्वारकालाल भंवर लाल रटलाई
(3)	8	300) रु.	श्री धनराज कम्पाउण्डर रटलाई
(4)	4	425) रु.	श्री रमजान चांद मिर्जा रटलाई
(5)	6	230) रु.	श्री सीताराम झुमकी ।

नहर सूरतगढ़ ब्रांच का पुल

211. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान केनाल की सूरतगढ़ ब्रांच की आर. डी. नम्बर 15 का पुल टूट गया है ?

(2) यदि हां, तो यह पुल इतने कम समय में कैसे टूट गया है ?

(3) यह पुल किस ठेकेदार से बनवाया गया था और कितने रुपये का इस पुल का ठेका था ?

(4) ठेकेदार के साथ में पुल बनाते समय क्या शर्तें रखी गयी थीं ?

(5) क्या इस पुल को फिर से उसी ठेकेदार से बनवाया जावेगा ? यदि हां, तो क्यों ?

(6) क्या यह सही है कि इस नहर के कुछ और भी पुल इसी प्रकार के बने हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान परियोजना विभाग द्वारा राजस्थान केनाल से निकली सूरतगढ़ ब्रांच की आर. डी. 15 पर कोई पुल नहीं बनाया गया है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

(5) प्रश्न नहीं उठता।

(6) जी नहीं।

ग्राम पंचायत नोलाई की बैठकें

212. श्री जुझारसिंह (रामगंज-मण्डी): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत नोलाई समिति पिड़ावा की मीटिंग पिछले डेढ़ वर्ष से नहीं बुलाई गई है और ग्राम पंचायत के पंचों की मीटिंग की सूचना भी नहीं दी गई है ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत नोलाई के पंचायत सेक्रेटरी को उनके विरुद्ध शिकायत होने के कारण पंचायत से अलग कर दिया गया था परन्तु सरपंच उससे अभी भी काम करवा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत भवन बनाने हेतु 3000 फुट पत्थर पंचायत को सुपुर्द किए गए थे जो गायब हैं और आदर्श कुइया बनाने हेतु स्वीकृत रकम का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। दिनांक 1-[illegible]-68 से 18-2-69 तक पंचायत की 21 बैठकें बुलाई गई जिनमें से 12 में कोरम बना है।

(2) जी नहीं। सचिव को अलग नहीं किया।

(3) 2000 फुट पत्थर भूतपूर्व सरपंच ने चार्ज में नहीं दिया। जिलाधीश द्वारा तहसीलदार को पंचायत का पूरा चार्ज

(पंचायत मंत्री).

बिजाने के लिये लिखा गया है । आदर्श कुआ बनाने हेतु रु. 250)00 का अनुदान दिया गया । जिसका कार्य पूरा हो चुका है ।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छीपा बड़ोद में गणित विषय में अनुत्तीर्ण छात्र

213. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि सन् 1968-69 के सत्र में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, छीपाबड़ोद में 6 मास तक गणित के अध्यापक के नहीं होने के कारण विद्यार्थी बड़ी संख्या में फेल हुए ?

(2) क्या सरकार गणित के अध्यापक की समय पर नियुक्ति करने में असफल रही है ? इसके कारण से इस विद्यालय के छात्रों की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि इस कारण अधिकांश विद्यार्थी फेल हुए ?

(4) क्या सरकार इन विद्यार्थियों को जो गणित में अध्यापक के समय पर नियुक्ति नहीं होने के कारण फेल हुए हैं कुछ मासिक सहायता देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि सत्र के करीब 4 महीने तक गणित का अध्यापक नहीं रहा ।

(2) यह कहना सत्य नहीं है कि सरकार अध्यापक की व्यवस्था करने में असफल रही है। नियुक्ति की गई थी किन्तु अध्यापकों ने ज्वाइन नहीं किया ।

(3) केवल यही कारण नहीं है ।

(4) ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ।

स्कूल भवन बनाने के लिये एकत्रित धनराशि

214. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रामगंज मंडी तहसील में कितने प्राईमरी स्कूल ऐसे हैं जिन पर 1959-60 के पूर्व विकास विभाग द्वारा जनता से रकम वसूल की जाकर बिल्डिंग बनाने की जिम्मेवारी ली गई थी और जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है ? गांव के नाम, जनता से वसूली की गई रकम व सरकारी सहायता से मिलने वाली धनराशि को अलग अलग बतलाने की कृपा करें ।

(2) प्राईमरी स्कूल की इमारत का क्या कोई नक्शा दिया हुआ है ? यदि हां, तो इसके मुताबिक कितनी रकम में यह इमारत तैयार हो जानी चाहिए थी और क्यों नहीं हुई ?

(3) जिन ठेकेदारों को सरकार द्वारा मकान बनाने का ठेका दिया गया था उनसे काम पूरा करवाने या रकम वसूल करने के लिये क्या कदम उठाए हैं और कितनी रकम वसूल की जा सकी है ?

उत्तर

(1) विकास विभाग द्वारा जनता से रकम वसूल कर प्राईमरी स्कूल बनाने की

(पंचायत मंत्री)

कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई थी। स्थानीय विकास कार्यों के लिये तहसील रामगंज मंडी के द्वारा प्राथमिक शाला भवनों के लिए अनुदान दिया गया जिसकी सूची कार्य की पूर्णता सम्बन्धी विवरण सहित सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) कार्य ठेकेदारों द्वारा नहीं कराया गया। अतः रकम वसूल करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

तहसील रामगंजमंडी में वर्ष 1959-60 से पूर्व प्राथमिक स्कूल भवनों के लिये दिये गये अनुदान का विवरण।

क्र.सं.	कार्य का नाम	सरकारी सहायता की रकम	जन सहयोग	कार्य की स्थिति
(1)	स्कूल भवन स्टेशन मोडक	6000)	6000)	अपूर्ण
(2)	स्कूल भवन आलोद	500)	500)	अपूर्ण
(3)	स्कूल भवन ढाबया	1000)	954)	पूर्ण
(4)	स्कूल भवन देवली	1000)	1229)08	पूर्ण
(5)	स्कूल भवन खेडारूद्धा	1500)	1500)	अपूर्ण
(6)	स्कूल भवन ऊंडवा	4000)	4000)	पूर्ण
(7)	स्कूल भवन खींमच	1500)	1550)	पूर्ण

ओवरसियरों का स्थानान्तरण

215. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डौन): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सिंचाई विभाग के ओवरसियरों का स्थानान्तरण करने के विषय में क्या सरकार ने कोई नियम बना रखे हैं? अमुमन स्थानान्तरण कितने अर्से के बाद और कब होना चाहिये?

(2) जिला बून्दी के गुढा बांध पर कितने ओवरसियर कार्य कर रहे हैं, वे कौन हैं और वहां पर कब से कार्य कर रहे हैं?

(3) क्या सिंचाई के सेशन के दौरान स्थानान्तरण किया जा सकता है?

(4) क्या हाल में ही श्री जोगेन्द्रसिंह ओवरसियर का स्थानान्तरण किया गया है?

उत्तर

1. जी नहीं, अमुमन एक स्थान से स्थानान्तरण दो साल पहिले नहीं किया जाता है।

(सिंचाई मंत्री)

2. बांध पर सिर्फ एक ओवरसियर श्री बालू सिंह चौधरी दिनांक 1-3-66 से कार्य कर रहे हैं।

3. जी हां।

4. जी नहीं।

अध्यापकों से वसूली

216. श्री गंगा सहाय कोली (कठूमर सु.): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जो अध्यापक 1-4-59 को शिक्षा विभाग के अन्तर्गत थे उनको 50-4-70-5-80 की ग्रेड देकर 50 रु. पर फिक्स किया गया था जो उन्हें आज भी मिल रहा है परन्तु जो अध्यापक पंचायत समितियां बनने के कारण उसके अन्तर्गत आ गये हैं उनसे, 1959 से लेकर आज तक जो वेतन 54 रु. के हिसाब से मिला उसकी रिकवरी की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग में मेट्रिक ट्रेन्ड ग्रेड 60-4-80 दी गई थी परन्तु पंचायत समितियों में नहीं दी गई ? यदि हां तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

गुढा बांध की माइनर का पानी

217. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली) क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील हिन्डोली के गुढा बांध की माइनर नं. 5 आर. डी. 49 बाईं मुख्य नहर से क्या बराबर फालतू पानी बहता रहा है ?

(2) क्या यह सत्य है कि इस माइनर पर दो फुट की नाली लगा रखी है जब कि इस माइनर से केवल 40-50 बीघा का रकबा ही सिंचित होता है ?

(3) क्या यह सत्य है कि सिंचाई विभाग की लापरवाही के कारण एक तरफ पानी फालतू बहता रहा है और दूसरी तरफ दबलाना माइनर पर करीब 50-60 बीघा आराजी बगैर पानी के रह गई है ?

(4) क्या यह सही है कि यह नहर एक फसल को 2-3 से अधिक पानी नहीं दे सकती है ?

उत्तर

1. जी नहीं, परन्तु नहर की झरन का पानी नाले में बहता है।

2. जी नहीं।

3. जी नहीं।

4. जी नहीं।

अलवर में हनुमानजी के मंदिर की छतरी का निर्माण

218. श्री गंगा सहाय कोली (कठूमर सु.): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलवर में खण्डेलवाल छात्रावास के पीछे श्री हनुमानजी के मन्दिर पर छतरी बनाई गई है ? यदि हां, तो यह छतरी कब बनाई गई और इसके बनाने में कितना रुपया लगाया गया ?

(श्री गंगासहाय कोली)

(2) क्या यह भी सही है कि इस छतरी में भयंकर दरारें पड गई है ? क्या यह भी सही है कि छतरी वर्षा अथवा आंधी में कभी भी गिर सकती है ?

(3) क्या सरकार ने इसकी जांच कराई है कि निर्माण के थोडे समय बाद ही छतरी में दरारें पडने का क्या कारण है ? यदि कराई है, तो कब और इसके लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है।

उत्तर

1. यह छतरी देवस्थान विभाग ने नहीं बनाई और न मन्दिर की भूमि पर है। जहां तक जानकारी मिली है, यह छतरी नगर परिषद् अलवर की बनाई हुई है। अतः इसका देवस्थान विभाग से कोई संबंध नहीं है।

2. इसका इल्म विभाग को नहीं है।

3. प्रश्न नहीं उठता है।

बूंदी के एस. टी. सी. स्कूल का छात्रावास

219. श्री केशरी सिंह हाडा (हिन्डोली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बूंदी कन्या एस. टी. सी. का होस्टल अब तक कहां पर था और उसका क्या किराया दिया जा रहा था ?

(2) क्या छात्रावास में कुल 30 कन्यायें निवास करती हैं ?

(3) किन कारणों से विभाग द्वारा श्री भैरों प्रकाश माथुर, जिला प्रमुख का पुराना मकान छात्रावास हेतु लिया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि जिला प्रमुख को विभाग ने 450) रु. माहवार किराया देना तय किया है ?

(5) पहिले के छात्रावास भवन का किराया अदा कर दिया गया है या बकाया है ?

उत्तर

1. बून्दी कन्या एस. टी. सी. के लिये राज्य व विभाग की ओर से किसी भी छात्रावास (होस्टल) का प्रबन्ध नहीं था और इस कारण किराये का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

2. इस छात्रावास में कुल प्रवेश संख्या केवल 41 है। गत वर्ष 55 छात्रायें थीं।

3. जी नहीं। मकान श्री भैरों प्रकाश माथुर जिला प्रमुख से नहीं लिया गया है, परन्तु श्री किशन वल्लभ माथुर से लिया गया है।

कारण :—

(1) अब तक कोई राजकीय छात्रावास (होस्टल) कन्याओं के लिये नहीं था और अधिकांश कन्यायें जो भरती होती हैं वह कोटा, बूंदी एवं झालावाड जिले आदि की होती हैं उनके लिये आवश्यक था।

(2) किसी भी एस. टी. सी. शाला के लिये नियमानुसार छात्रावास होना राज्य की ओर से अनिवार्य है।

(3) भवन निर्माण विभाग द्वारा व जिलाधीश से नियमानुसार सीधी कार्यवाही कर मकान किराये पर लिया गया है।

(4) जी नहीं। जिला प्रमुख जी से मकान नहीं लिया गया है इसलिये उनसे किराया

Page No 235

(शिक्षा मंत्री)

तयकर लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। श्री किशन वल्लभ माथुर के मकान का किराया भवन निर्माण विभाग ने 427) रुपये निर्धारित किया था, परन्तु निदेशक (प्रा. एवं मा.) की शर्तानुसार मकान 400) रु. पर ही देने को उन्हें राजी कर लिया गया। मकान श्री किशन वल्लभ माथुर से लेने में कोई अनियमितता नहीं बरती है। मकान बड़ा सुरक्षित और शाला से निकट था केवल इसी दृष्टिकोण से लिया गया।

(5) जी नहीं। पहले कोई छात्रावास नहीं था। छात्राओं ने आपस में मिलकर बोरों की बगीची में निवासस्थान ले लिया था उसका किराया वे जाते समय मई 68 में जून 68 तक का प्रसन्नता पूर्वक दे गई। मकान मालिक का कोई किराया बकाया नहीं है।

परिशिष्ट 2

(अ. प्र. सं. 244 की सूची)

जिला नागौर के वर्ष 1967-68 व 1968-69 में हस्तगत की गई बही खातों की स्थिति

क्रमांक	अधिकारी का नाम जिससे बही खाते हस्तगत किये	बही खाते हस्तगत करने की तिथि	व्यापारी का नाम जिसके बही खाते हस्तगत किये गये	केस का निर्णय: कर निर्धारण की गई राशि	केस का निर्णय: धरोपित शास्ती की राशि	केस का निर्णय: प्रशमन की गई राशि	केस का निर्णय: योग	यदि तय नहीं हुआ तो केस की स्थिति	हस्तगत बही खाते किस अवधि से सम्बन्ध रखते है।	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1967-68						
1.	श्री रूपराज माथुर	25-7-67	मैं. जगन्नाथ गणेशीलाल, बंड	143.79	47.00	—	190.79	—	1965-66	
2.	,,	7-10-67	मै. बिड़दीचन्द तातेर, मेडता सिटी	50.00	50.00	—	100.00	—	1967-68	
3.	,,	7-10-67	मै. बादर मल पूनमचन्द	240.00	—	—	240.00	—	1967-68	
4.	श्री मनमोहन चंद	1-8-67	मै. राजाराम घनश्यामदास, मकराना	63.45	136.90	—	200.35	—	1966-67	
5.	,,	25-7-67	मै. परमानन्द एण्ड ब्रादर्स, मकराना	320.00	80.00	—	400.00	—	1966-67	

Page No 237

6. श्री मनमोहनचंद	12-7-67	मै. नजीर वजीर, मकराना	—	100.00	—	100.00	—	1966-67	टेक्स की चोरी नहीं पाई
7. श्री लक्ष्मीचन्द भंडारी	20-7-67	मै. लक्ष्मीनारायण जगन्नाथ डीडवाना	—	—	—	—	—	1963-64	
8. श्री दलीपसिंह यादव	20-2-68	मै. रामदयाल रामसुख लाडिया	—	—	1000.00	1000.00	—	1967-68	
9. ,,	28-2-68	मै. दूसाराम रामगोपाल भकरी	—	—	270.00	270.00	—	1967-68	
10. ,,	28-2-68	मै. चुन्नीलाल छोगालाल, हरसोर	214.00	453.00	—	667.00	—	1967-68	
			1968-69						
1. श्री गोपीकिशन	18-12-68	मै. मूलचन्द पूनमचन्द, खातोली	20.00	20.00	—	40.00	—	1966-67	
2. ,,	18-12-68	मै. गणेशराम दूलीचन्द, खतोली	14.00	28.00	—	42.00	—	1966-67	
3. ,,	16-1-69	मै. रामचन्द दामोदर प्रसाद, डीडवाना	1592.76	3185.52	—	4778.88	—	1966-67	
4. श्री बलवीर राम	23-9-68	मै. लक्ष्मीनारायण रामवल्लभ, खाटूबाडी	48.57	146.00	—	194.57	—	1968-69	
5. ,,	,,	मै. शंकरलाल हीरालाल खाटू बडी	—	51.00	—	51.00	—	1968-69	टेक्स की कोई चोरी नहीं पाई गई है
6. श्री दिलीपसिंह यादव	13-12-68	मै. मोहन मल मगन मल नागोर	270.00	540.00	—	811.20	—	1966-67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	श्री दलीपसिंह यादव	23-4-68	मै. पूनमचन्द राठी एण्ड कम्पनी नागौर	—	—	—	—	—	1961-62	इस केस का अभी निर्णय नहीं किया गया है तथा यह अब अंतिम निर्णय की स्थिति में है
8.	,,	1-8-68 22-8-68 22-8-68	मै. पूनमचन्द नन्द लाल, लाडनूं मै. रामनिवास लादूराम लाडनूं	—	—	—	—	जांच की जा रही है	सं. 2017-2018 से 2024-25	
9.	,,	22-8-68	मै. रामनिवास लादूराम, लाडनूं	—	—	—	—	,,	सं. 2019-2020 से 2024-25	
10.	,,	1-8-68	मै. देवीदत्त विमल कुमार लाडनूं	—	—	—	—	,,	दीवाली 68 से जुलाई, 69	
11.	,,	1-8-68	मै. खूबचन्द लच्छीराम लाडनूं	—	—	—	—	,,	,,	
12.	,,	1-8-68	मै. रंगलाल अग्रवाल, लाडनूं	—	—	—	—		सं. 2012 से 2022-23	

परिशिष्ट 3

(अ. प्र. स. 247 की सूची)

रोडवेज की बसें राजस्थान के जिन जिलों में चलाई जाती हैं उन जिलों की सूची।—

1. जयपुर
2. टोंक
3. बूंदी
4. कोटा
5. झालावाड़
6. अलवर
7. भरतपुर
8. अजमेर
9. पाली
10. जोधपुर
11. सिरोही
12. सवाईमाधोपुर
13. चित्तौड़
14. उदयपुर
15. डूंगरपुर
16. श्रीगंगानगर
17. झुन्झुनूं

सूची "ब"

1. अजमेर–भीलवाड़ा,
2. अजमेर–विजयनगर
3. विजयनगर–भीलवाड़ा,
4. अजमेर–भिनाय,
5. उदयपुर–भीलवाड़ा
6. उदयपुर–चित्तौड़,
7. उदयपुर–मंगलवारा,
8. चित्तौड़–भीलवाड़ा,
9. सिरोही–मण्डार,
10. सिरोही–अनादरा,
11. सिरोही–कालन्दरी–रामसीन,
12. सिरोही–सिरोहीरोड–रामसीन,
13. अलवर–भरतपुर,
14. अलवर–जालूकी–गोविन्दगढ़,
15. अलवर–जालूकी–लक्ष्मणगढ़,
16. अलवर–डीग,
17. नगर–भरतपुर,

18. अलवर-खेरली,
19. भरतपुर-डीग-कामां-पहाड़ी,
20. फालना-सांडेराव-तखतगढ़-जालौर,
21. एरिनपुरा-सुमेरपुर-तखतगढ़-जालौर,
22. जोधपुर-नागौर
23. नागौर-नोखा,
24. नोखा-बीकानेर
25. जोधपुर-बीकानेर
26. किशनगढ़-पर्वतसर,
27. उदयपुर-रिखवदेव,
28. उदयपुर-डूंगरपुर
29. उदयपुर-रतनपुर,

Page No 241

परिशिष्ट 4

(अ. प्र. सं. 255 की सूची)

बांसवाडा खंड में अकाल राहत कार्यों की सूची

पंचायत समिति पीपल खूंट

क. सं.	नाम कार्य	नाम गांव	एस्टीमेट कोस्ट	खर्चा जो एक अगस्त तक हुआ
1	लाम्बा डाबरा टैंक	लाम्बा डाबरा	1.50	0.76
2.	मेल टैंक	मेल	4.50	2.21
3.	डूंगला वानी	टैंक डूंगलावानी	8.0	0.22
4.	पोडी तेजपुर टैंक	पोडी तेजपुर	1.50	0.43
5.	दानपुर का नाला	दानपुर	1.00	0.44
6.	सागवारी टैंक	सागवारी	0.80	8.33
7.	बोरी बानगढी	बोरी बानगढी	0.50	0.14
8.	कमली पाडा मजरा सरवन	कमली पाडा मजरा सरवन	7.85	0.34
9.	पुनिया खेडी (फेंकर)	पुनिया खेडा	0.75	0.07
10.	महुडी खेडा टैंक	महुडी खेडी	0.80	0.18
11.	कुन्डल	कुन्डल	0.70	0.04

Page No 242

परिशिष्ट 5

(अ. प्र. सं. 262 की सूची)

शिक्षा प्रकोष्ठ-7 विभाग

क्रमांक:-एफ. 9(14) शिक्षा, 7169:-- जयपुर, जुलाई 16, 1969

आदेश

राज्यपाल महादय के आदेश से शिक्षा प्रशिक्षण विद्यालयों के पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार-विमर्श करके निम्नलिखित आदेश प्रदान किये जाते है :–

1. निम्नलिखित प्रशिक्षण विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रशिक्षण विद्यालयों को बन्द कर दिया जाये :--

1. अभिनवन प्रशिक्षण केन्द्र, आबू पर्वत (सिरोही)
2. अभिनवन प्रशिक्षण केन्द्र, गोनेर (जयपुर)
3. अभिनवन प्रशिक्षण केन्द्र, टोंक
4. अभिनवन प्रशिक्षण केन्द्र राजसमन्द (उदयपुर)
5. अभिनवन प्रशिक्षण केन्द्र, भरतपुर
6. अभिनवन प्रशिक्षण केन्द्र, अन्ता (कोटा)
7. अभिनवन प्रशिक्षण केन्द्र, शाहपुरा (भीलवाडा)
8. अभिनवन प्रशिक्षण केन्द्र, मसूदा (अजमेर)
9. अभिनवन प्रशिक्षण केन्द्र, फलोदी (जोधपुर)
10. अभिनवन प्रशिक्षण केन्द्र, बीकानेर
11. अभिनवन प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर
12. अभिनवन प्रशिक्षण केन्द्र, करौली (सवाई माधोपुर)
13. विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र, गोवर्धन विलास, उदयपुर

2. केवल 6 राजकीय महिला प्रशिक्षण केन्द्र कायम रहेंगे।

3. समस्त भारत में एकरूपता लाने की दृष्टि से प्रशिक्ष का समय एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष का किया जाता है।

4. निम्नलिखित शर्तों का पालन करने वाले निजी शिक्षा प्रशिक्षण विद्यालय ही चालू रखे जावेंगे :--

(क) मान्यता की जो तमाम शर्तें हैं उनका कड़ाई से पालन किया जावे।
(ख) प्रशिक्षण का समय दो साल का होगा।
(ग) उन्हें कोई अनुदान नहीं दिया जायगा।

5. यदि राव मसूदा निःशुल्क भवन की व्यवस्था कर दें तो अभिनवन प्रशिक्षण केन्द्र, किशनगढ की बजाय मसूदा में चलाया जावे ।

आदेश से,
हस्ताक्षर–जे. एस. मेहता,
शासन सचिव ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

(1) महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर

(2) निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

(3) संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

(4) समस्त प्रशिक्षण केन्द्र ।

(5) समस्त विद्यालय निरीक्षक

(6) राव नारायण सिंह मसूदा, अजमेर

हस्ताक्षर : गंगा प्रसाद सक्सेना सहायक,
शासन सचिव ।

सूची (ब)

सत्र 1969-70 से बन्द होने वाले शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों/अभिनवन प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची।

शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय

1. सुजानगढ (चूरू)
2. जैसलमेर
3. सिवाना (बाडमेर)
4. कुचामनसिटी (नागौर)
5. बगड़ी सज्जनपुर (पाली)
6. शिवगंज (सिरोही)
7. जसवन्तपुरा (जालौर)
8. बेदला, उदयपुर
9. डूंगरपुर
10. प्रतापुर (बांसवाड़ा)
11. कपासन (चित्तौड़)
12. बदनौर (भीलवाड़ा)
13. इन्द्रगढ (कोटा)
14. बून्दी
15. झालरापाटन (झालावाड)
16. बगड़ (झुन्झुनूं)
17. खेतडी (झुन्झुनूं)
18. अमरसर (जयपुर)
19. सांगानेर (जयपुर)
20. सामोद (जयपुर)
21. शाहपुरा (जयपुर)
22. धौलपुर (भरतपुर)
23. डिग्गी (टोंक)
24. सवाई माधोपुर
25. पीसांगन (अजमेर)
26. राजगढ (अलवर)

अभिनवन प्रशिक्षण केन्द्र

27. चिड़ावा (झुन्झुनूं)
28. किशनगढ (अजमेर)
29. गोनेर (जयपुर)

Page No 245

परिशिष्ट 6

(प्र. प्र. सं. 2[illegible]7 की सूची)

UNIVERSITY OF RAJASTHAN

P. G. Examination Results 1969, Regular Students of University Department.

Name of the Department.	No. Appeared	No. Passed.	Pass %
Political Science	55	55	100%
Philosophy	7	7	100%
Sanskrit	10	10	100%
English	30	20	66.66%
History	43	42	97.07%
Economics	50	50	100%
Mathematics	1	1	100%
Sociology	45	45	100%
Public Administration	46	46	100%
Statistics	1	1	100%
Hindi	47	47	100%
Faculty of Science.			
Geology	10	10	100%
Statistics	7	7	100%
Physics	22	21	95.45%
Botany	35	35	100%
Mathematics	14	13	92.85%
App. Geology	10	10	100%
Zoology	12	12	100%
Chemistry	30	29	96.66%

परिशिष्ट 7

(अ. प्र. सं. 268 की सूची)

सन् 1969-70 में राजकीय उच्च प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में क्रमोन्नत करने की सूची।

क्र. सं.	शाला का नाम	पंचायत समिति	जिला
1.	राजकीय उच्च प्राथमिक शाला, सतरावा	शेरगढ़	जोधपुर
2.	राजकीय उच्च प्राथमिक शाला, सायला	सायला	जालोर
3.	राजकीय उच्च प्राथमिक शाला, दानपुर	पीपलखूंट	बांसवाड़ा
4.	राजकीय उच्च प्राथमिक शाला, रामगढ़	सम	जैसलमेर
5.	राजकीय उच्च प्राथमिक शाला, मगने की ढाणी	सिन्धरी	बाड़मेर
6.	राजकीय उच्च प्राथमिक शाला, गूंगा	शिव	बाड़मेर

सन् 1969-70 में राजकीय माध्यमिक शालाओं को उच्च माध्यमिक शालाओं में क्रमोन्नत करने की सूची।

क्र. सं.	शाला का नाम	पंचायत समिति	जिला
1.	मा. वि. खेतड़ी	खेतड़ी	झुंझुनूं
2.	मा. वि.	आबूरोड	सिरोही

परिशिष्ट 8

(अ. प्र. सं. 275 की सूची)

क. सं.	ग्राम और लोकेशन	जिला	प्रति घंटा पानी निकालने की क्षमता	क्या सिंचाई की जाती है।
1	2	3	4	5
1.	जेठा	जैसलमेर	30,000	हां
2.	सांगडा	जैसलमेर	8,000	हां
3.	राजमथाई	जैसलमेर	16,000	हां
4.	साजीत	जैसलमेर	5,000	नहीं
5.	नाचना	जैसलमेर	15,000	हां
6.	पल्ली (1)	जैसलमेर	8,000	हां
7.	रानसू	जैसलमेर	5,000	हां
8.	कूरी	जैसलमेर	8,000	हां
9.	खियासरिया	जोधपुर	15,000	हां
10.	जेठानिया	जोधपुर	25,000	हां
11.	कलाऊ	जोधपुर	15,000	हां
12.	बाडी	जोधपुर	5,000	हां
13.	ग्रासरलाई	जोधपुर	18,000	हां
14.	लोडता	जोधपुर	12,000	हां
15.	शेरगढ़	जोधपुर	6,000	हां
16.	पीलवा	जोधपुर	12,000	हां
17.	चौमू	जोधपुर	6,000	हां
18.	दनावरा	जोधपुर	5,000	हां
19.	ग्रानाखरा	जोधपुर	4,000	हां
20.	मेघासर	बीकानेर	6,000	हां
21.	बरसलपुर	बीकानेर	5,000	हां
22.	गोडू	बीकानेर	5,000	हां
23.	लालमदेसर	बीकानेर	4,000	हां
24.	मोतीगढ़	बीकानेर	4,000	हां
25.	बज्जू	बीकानेर	5,000	हां
26.	मोठडिया	बीकानेर	6,000	हां
27.	रातडी	बाड़मेर	15,000	हां
28.	धारवी	बाड़मेर	5,000	हां
29.	घोरीमन्ना	बाडमेर	5,000	हां
30.	पादरू	बाड़मेर	15,000	हां
31.	साजीतरा	बाडमेर	5,000	हां
32.	कोटडा	जोधपुर	6,000	हां
33.	लोहांखो	जोधपुर	5,000	हां
34.	डोली	जोधपुर	1,000	हां
35.	ग्रलरवार	नागौर	3,500	हां

Page No 248

1	2	3	4	5
36.	पांचौडी	नागौर	5,000	हां
37.	खजवाना	नागौर	4,500	हां
38.	डेगाना रेल्वे स्टेशन	नागौर	4,000	हां
39.	नीम्बीजोधां	नागौर	4,000	हां
40.	भागली	जालौर	12,000	हां
41.	डेगाना	गांव	2,000	हां
42.	डूंगरगढ	चुरू	5,000	हां
43.	सम	जैसलमेर	1,500	हां

Page No 249

परिशिष्ट-9

(ध. प्र. सं. 278 की सूची)

नक्शा राहत कार्य जो 1 अक्टूबर से खोले गयें। उन पर कार्य बाबत जिला कोटा।

नाम तहसील	नाम ग्राम	कार्य का प्रकार	खर्च राशी	विशेष विवरण
इन्द्रगढ	बलवन	तालाब खुदाई	3928.75	
	इन्द्रगढ	,,	8000.12	
	बाबलेया	,,	988.25	
	रेलांगंज	,,	200.00	
	बालापुरा	तलाई खुदाई	999.50	
	सोहानपुरा	तालाब खुदाई	1499.75	
	दोलतपुरा	तलाई खुदाई	618.75	
	देवपुरा	,,	17.25	
	टीकमपुरा	,,	180.00	
	कॅमठया	,,	49.75	
	हस्मोरा	,,	499.25	
	जयनगर	,,	997.25	
	बांको ग्राम	[illegible] का तालाब खुदाई	5183.00	
	मोहनपुरा	मोहनपुरा तालाब	7220.75	
	वन विकास कार्य		16019.00	

Page No 250

परिशिष्ट—10

(प्र. प्र. स. 28 1 की सूची)

क्रम सं. 1	ग्राम और लोकेशन 2	जिला 3
1.	झेंठा	जैसलमेर
2.	सांगड	,,
3.	राजमथाई	,,
4.	साजीत	,,
5.	नाचना	,,
6.	पल्ली	,,
7.	रानसू	,,
8.	कूरी	,,
9.	खियासरिया	जोधपुर
10.	जेठानिया	,,
11.	कलाऊ	,,
12.	चाडी	,,
13.	आसरलाई	,,
14.	लोडता	,,
15.	शेरगढ	,,
16.	पीलवा	,,
17.	चौमू	,,
18.	देनावरा	,,
19.	बानासर	,,
20.	मेघासर	बीकानेर
21.	बरसलपुर	,,
22.	गोडू	,,
23.	लालमदेसर	,,
24.	मोतीगढ	,,
25.	बज्जू	,,
26.	मीठडिया	,,
27.	रातडी	अजमेर
28.	धारवी	,,
29.	पादकू	,,
30.	धंधोलिया	,,
31.	सार्जनतरा	,,
32.	कोटडा	जोधपुर
33.	लोहरवां	,,
34.	डोली	,,
35.	अरवार	नागौर
36.	पचाडी	,,
37.	खजवाना	,,
38.	डेगाना (रेल्वे स्टेशन)	,,

Page No 251

1	2	3
39.	डेगाना गांव	नागौर
40.	नीम्बीजोधां	,,
41.	भागली	जालौर
42.	डूंगरगढ़	चूरू
43.	सम	जैसलमेर

परिशिष्ट–11

(अ. प्र. सं. 283 की सूची)

सूची

1. अजमेर
2. अलवर
3. बांसवाडा
4. बाड़मेर
5. भरतपुर
6. भीलवाडा
7. बीकानेर
8. बूंदी
9. चित्तौडगढ
10. चूरू
11. डूंगरगढ
12. गंगानगर
13. जयपुर
14. जैसलमेर
15. जालौर
16. झालावाड
17. झुन्झुनू
18. जोधपुर
19. कोटा
20. नागोर
21. पाली
22. सवाई माधोपुर
23. सीकर
24. सिरोही
25. टोंक
26. उदयपुर

परिशिष्ट-12

(अ. प्र. सं. 285 की सूची)

पंचायत समिति छीपाबडोद के अधीनस्थ पंचायतों के सरपंचों द्वारा रकम का दुरुपयोग किया उन मामलों की सूची जो विभाग में चल रहे हैं।

क्र. सं.	नाम पंचायत	नाम सरपंच	आरोपों का विवरण	कार्यवाही का विवरण
(1)	कचनारिया	श्री लक्ष्मीनारायण पूर्व सरपंच	भूमि अलोट मेन्ट के संबंध में 65 भूमि हीन किसानों से 500) तहसील के नाम से अवैधानिक रूप से एकत्रित कर रकम का दुरुपयोग किया।	विभागीय जांच से पूर्व सरपंच के विरुद्ध आरोप प्रमाणित हो जाने से दिनांक 26-10-68 को राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 की धारा 17 (4) प्रोवीजों के अन्तर्गत फाइन्डिगदी गई।
(2)	छीपाबडोद	श्री रामकरण सरपंच	अनियमित कार्यवाही करना तथा नालियों के निर्माण की रकम 5000) रु. अनावश्यक रख दुरुपयोग करना।	विकास अधिकारी द्वारा सूचना प्राप्त होने पर जिलाधीश कोटा का प्रारम्भिक जांच हेतु 4-12-67 को लिखा गया। प्रारम्भिक जांच प्रतिवेदन 10 अक्टूबर, 1968 को प्राप्त हुआ। जांच से पाया गया कि कार्य न होने के कारण रकम वापस जमा करवाली गई।

परिशिष्ट-13

(अ. प्र. सं. 286 की विषय सूची)

(नकल ग्राम वासियों द्वारा उप नियम बनायें गये)

लिखत 1 गांवाई मेरा की मशीन चालू करने के लिये भी तय करनी तारीख 2?-1-67 का आदमी पर मा 1 का 70 नयन पैसा सीतर का हिसाब सूं पी उगावेला व रसीद धनी ने देय देवेला आगाडी की पी गई साल की दिन 24 की बाकी रही जिकी बारा आना का हिसाब से उगाय ली जावे सात दिन के अन्दर भी देय देवणी । अगर सात दिन के अन्दर नहीं दिया तो मेरे आय कर देणा हुवेगा मकाना का तथा धरवादा को मकान वगैरा की अथवा बीयाव साजा की लाग छूट आगे मुजबई छः, एवंड की पी अगाडी रिवाज मुजबई छः पाणी आप 2 की घडाई सूं भरणों चाईजे बेरा उपर जुता वगैरा कोई नहीं ले जाणा लिखा वडी के मुजब कोई सगस गल्ती करेगा तो पंचायत सु जरीवानों होवेला ।

आदमी अेकरा सीतर पैसा नया]
भैंस की पी 15 नया पैसा पनरा
पाडी की पी आदी
पाडा की चार आना
ऊंट सांड का आठ आना
अेवड का सैकडा 5)

कुमारी नीआवाडा की मुणिया आवे तीकी किसणजी का मन्दिर में देवणा बगैर की पी अगाडी मुजबलेव लेवणा ।

आ लिखत संवत् 2023 का पोह सुद 14 ने हुवीयो है पी माह बद 3 सु तारीख 28-1-68 सुं चालू है मशीन माह वद 2 ने चालू कर देवणा ओ लिखत ऊपर मुजब सही छः गांव का सब भेला हुए कर लिखाई है लिखावटरा दसखत कोठारी जवरचन्द का छः ।

सही तगल मल
सही भैरू राम
सही रामदयल
अ. नि. रामकिशन रोज
अ. नि. रामकरण मुंड
अ. नि. लाला लामरोड
अ. नि. मोडा सेठ
अ. नि. नेना जाकड
अ. नि. सुखदेव मुडेल

सही खेमाराम
अ.नि नि. जेटाकुमार
सही राम चन्दर सुनार
अ. नि. आईदान भांबी

प्रमाणित किया जाता है कि असल : नकल दी गई तारीख 16-2-39

सही - जेताराम लामरोड,
सरपंच
ग्राम पंचायत, खजवाना
तहसील नागोर (राजस्थान)

परिशिष्ट 14

(ता.प्र. सं. 287 की सूची)

ग्राम पंचायत, रामपुरा, पंचायत समिति जमवारामगढ, को जनवरी, 1965 से जुलाई, 1969 तक विभिन्न कार्यों के लिये दी गई धन-राशि की सूची : —

क्र.	कार्य	रकम जो दी गई	रकम देने का दिनांक	क्या दी गई रकम का उपयोग कर लिया गया है	विशेष विवरण
(1)	तलाई की खुदाई	220.00 (तीसरी किश्त)	4-11-65	हां	कार्य पूरा हो गया है व उपयोगिता प्रमाण-पत्र दे दिया गया है।
(2)	डिस्पेन्सरी भवन की मरम्मत	50.00 (दूसरी किश्त)	4-11-65	हां	कार्य पूरा हो गया है। प्रमाण-पत्र दे दिया गया है।
(3)	कूप निर्माण	50.00 (तीसरी किश्त)	4-11-65	हां	उपयोगिता प्रमाण-पत्र दे दिया गया है
(4)	शाला उद्यान	200.00	28-2-67	नहीं	सरपंच कार्य नहीं करा सके।
	(क) चारागाह का मेंडकी डोल बन्दी				
	(ख) कुए की मरम्मत	750.00 (पहली किश्त)	28-7-67	नहीं	
(5)	तलाई घावड का मण्ड	250.00 पहली किश्त)	17-10-68	नहीं	कुछ कार्य करवाया गया है। [illegible] मेजर मेन्ट नहीं लिया गया है।

परिशिष्ट 15

(अ. प्र. सं. 289 क सूची)

विकास अधिकारी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों का विवरण

(1) श्री रामलाल मीना ने दिनांक 6-5-68 को पंचायत समिति की लोग बुक में मिथ्या यात्रा भर कर पंचायत समिति कोष से पैसा प्राप्त किया तथा पंचायत समिति व सरकार को धोखा दिया।

(2) श्री रामलाल मीना ने दिनांक 6-5-68 की यात्रा पर श्री रामकृष्ण शर्मा कृषि प्रसार अधिकारी द्वारा अंकित नोट को मिटा कर कागज चिपकाया एवं तथ्यों को छुपाने का प्रयास कर सरकारी रिकार्ड को खराब किया तथा फोरजरी की।

(3) श्री रामलाल मीना ने पंचायत समिति ट्रस्ट का Breach किया तथा सरकारी सम्पत्ति का हनन किया।

(4) श्री रामलाल मीना ने दिनांक 3-9-68 ता. 5-9-68 व 24-9-68 एवं 25-9-68 को गैर हाजिर रहते हुये आकस्मिक अवकाश बतलाकर धोखा दिया व वेतन प्राप्त किया।

पंचायत समिति निकराय एवं पंचायत समिति की प्रशासन स्थाई समिति द्वारा विकास अधिकारी के विरुद्ध पारित प्रस्तावों का विवरण :—

क्रम सं.	दिनांक	प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण
(1)	28-12-68	पार्टीबाजी में भाग लेना तथा पंचायत समिति के सदस्यों में परस्पर विरोध फैलाना। अतः स्थानान्तरण किया जावे।
(2)	17-10-68	(1) अभद्र व्यवहार के लिये खेद प्रगट करते हुए जिलाधीश द्वारा जांच का निर्णय। (2) विकास अधिकारी को निलम्बित करना या स्थानान्तरण करने का निर्णय। (3) स्थाई समितियों के पारित प्रस्तावों की पालना कर रिपोर्ट करने का निर्णय।
(3)	13-11-68	51-00 रुपये जुर्माना करने व दिनांक 27-11-68 तक स्थाई समिति के निर्देशित कार्य-क्रम की पालना करने का निर्णय।
(4)	5-6-69	निलम्बित करना तथा इसकी स्वीकृति के लिये राज्य सरकार को लिखने जांच के दौरान मुख्यालय अन्यत्र रखने के लिये भी राज्य सरकार को लिखने। अवकाश से लोटने पर विकास अधिकारी का चार्ज न देने तथा भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत किये गये अपराधों के लिये अदालत में अभियोग चलाने का निर्णय।

परिशिष्ट 16

(अ. प्र. सं. 203 की सूची)

सूची (अ)

शूटिंग ब्लाक में जिसकदर फोरेस्ट ब्लाक्स हैं उनकी सूची :—

क्रमांक	शूटिंग ब्लाक	फोरेस्ट ब्लाक
(1)	रामगढ़	भैरूपुरा, विषधारी, पीपल्या मानक चौक, तलवास, आंतरदा ।
(2)	खटकड़	भरपीर, खटकड, पोलाई ।
(3)	गेन्डोली	गेन्डोली, कांकरा, लाखेरी, अलियारी, बूर, करवर ।
(4)	डाटुन्दा	सथूर, डाटुन्दा, नाहरगढ़, गेजगढ, छीनिया, मरारी, बांदी का खेडा, ओवन, उपरमाता ।
(5)	ओथेन्दा	जजावर, ओथन्दा ।
(6)	गुढ़ा	कोटा अस्तोली, गुढ़ा नीम का खेड़ा, भीमलत ।
(7)	धनेश्वर	गोलपुर, गर्डदा, धोरेला गर्डदा, डाबी पलका, गुवार, असलात, अनारखेड़, लक्ष्मीपुरा, देवडूंगरी, कछालिया, छड़ीपुर, धनेश्वर, अम्बारानी, धनेश्वर, डसालिया, गुढ़ा राजपुरा, लाम्बाखोह ।

सूची (ब)

सूची ठेकेदारान जिनमें ठेके की राशि बकाया है :--

क्रमांक	नाम ठेकेदार या समिति	बकाया ठेका राशि
(1)	श्री धांधूवाला, बूंदी	104-25
(2)	श्री जगन्नाथ सिंह राजपूत, बूंदी	118-00
(3)	श्री गुर्गा लाल आत्मज कालूलाल माली सा. बूंदी ..	1,275-00
(4)	श्री श्रीलाल महाजन रिहजोलिया	700-00
(5)	श्री पीतान्पुरा वन श्रमिक सहकारी समिति ..	1,044-51
(6)	श्री मोज्युरा वन श्रमिक सहकारी समिति	5,380-09
(7)	खेडा वन श्रमिक सहकारी समिति	12,279-55
(8)	गुडा आदिवासी वन श्रमिक सहकारी समिति	8,516-34
(9)	मोती मजदूर वन श्रमिक सहकारी समिति	5,905-80
(10)	पीपल्या वन श्रमिक सहकारी समिति	2,499-37
(11)	जंगल लकडी मजदूर सहकारी समिति	17,122-30
(12)	हाडोती वन उपज उत्पादन सहकारी समिति	35,500-00

परिशिष्ट 17

(अ. प्र. सं. 304 की सूची)

विवरण नाजायज काश्त छीपाबड़ोद रेन्ज

क्रम सं.	स्थान का नाम मय वन खण्ड	अनुमानित क्षेत्रफल बीघों में	वर्ष काश्त
1	2	3	4
1.	हान्का पीपल्या मालोनी पीपलिया घाटा वन खण्ड बिलेण्डी	300)	1967
2.	माधोपुर जंगल ,, ,, ,, ,,	407) 5वि.	1958
3.	अचलपुरा जंगल (डांगर) ,, ,, ,,	100)	1962
4.	मोखमपुरा जंगल ,, ,, ,,	300)	1960
5.	कोहड़ी वन खण्ड राई ,, ,, ,,	63)	1967
6.	गडारी जंगल ,, ,, ,, ,,	17)	1967
7.	दुर्गा खोह जंगल ,, ,, ,, ,,	6)	1967
8.	बीड़ घास राई ,, ,, ,, ,,	10)	1967
9.	चारपुरा वन खण्ड राई ,, ,, ,,	322)	1966
10.	सारगखेड़ा जंगल पहाड़ खोह बाजरिया वाली वन खंड राई खण्ड	80)	1965
11.	जंगल सारखेड़ा वन खंड राई	15)	1963
12.	वन खण्ड राई में	7)	1962
13.	बीड़ चास अमलावदा खरन ख. नं. 3 वन खण्ड सारथल	35)	1967
14.	बीड़ घास अमलावदा खरन नं. 3 वन खण्ड सारथल	90)	1967
15.	जंगल चूल्यावाला वन खण्ड सारथल	55)	1967
16.	जंगल भील वाली खोयली वन खण्ड सारथल ..	85)	1967
17.	बीड़ घास चूल्या वाली बीलीवाली खजूरिया वन खण्ड झनझानी	150)	1967
18.	बीड़ घास खजूरिया वन खण्ड उत्तरी झनझानी ..	70)	1967
19.	जंगल सेजली खोह	75)	1967
20.	बीड़ घास दातावाली खजूरिया वन खण्ड उत्तरी झनझानी	18)	1967
21.	बीड़ घास मोहम्मदपुरा ,, ,, ,,	7)	1964
22.	बीड़ घास झनझानी ,, ,, ,,	161)	1962
23.	जंगल खेवड़ी अमलावदा आली वन खण्ड ..	1)	1967
24.	जंगल खेवडी वन खण्ड अमलावदा आली ..	4)	1967
25.	अमलावदी आली जंगल वन खण्ड ,, ,,	15)	1967
26.	जंगल अमलावदा (महादेव खोह) वन खण्ड अमलावदा-आली	4)	1967
27.	जंगल अमलावदा (महादेव खोह)	11)	1967
28.	जंगल अमलावदा (वन खण्ड अमलावदा आली)	6)	1967
29.	जंगल राडी अमलावदा आली वन खण्ड अमलावदा आली	57)	1967

1	2	3	4
30.	जंगल डोकरी मार (लाम्बाखेड़ा प्लांटेशन) वन खण्ड सेतकोलू	4)	1966
31.	बीड़ घास सेवन्या वन खण्ड सेतकोलू	117)	1966
32.	बीड़ घास सेवन्या	15)	1965
33.	बीड़ एवं जंगल चारखोह वन खण्ड सेतकोलू ..	80)	1966
34.	जंगल सेतकोलू ,, ,, ...	85)	1964
35.	बीड़ घास सेवन्या एवं जंगल सेतकोलू	90)	1966
36.	बीड़ घास चेहली वन खण्ड हरनावदा	10)	1967
37.	जंगल अमरपुरा कुसुम खोह,, ...	10बी. 8 वि.	1967
38.	जंगल धामनिया (तारागढ़)	492)बी. 11वि.	1958
39.	जंगल पीपलहेड़ा वन खण्ड हरनावदा	7)बी. 1वि.	1960
40.	जंगल मानपुरा वन खण्ड बजाजपुर	365) 10वि.	1962
41.	जंगल सूरडी बह ,, ,, ...	58) 12वि.	1962
42.	जंगल पाटड़ी ,, ,, ...	603) 1वि.	1962
43.	जंगल भटयाव ,, ,, ...	57) 12वि.	1962
44.	जंगल कुमाखेड़ी ,, ,, ...	158) 18वि.	1962
45.	जंगल देवरी भात वन खंड बजाजपुर ..	57) 3वि.	1963
46.	जंगल सहजलपुर ,, ,, ...	27) 1वि.	1963
47.	जंगल देवरी मूड़ ,, ,, ...	114) 18वि.	1962
48.	बीड़ घास सुण्डा कल्याणपुरा वन खण्ड नाहरिया ..	375)	1959
		5200) बीघा अनुमानित क्षेत्रफल	

परिशिष्ट 18

(अ. प्र. सं. 305 की सूची)

जिला	तहसील	वन विभाग से राजस्व विभाग को हस्तान्तरित योग्य भूमि	राजस्व विभाग से वन विभाग को हस्तान्तर योग्य भूमि
कोटा	सांगोद	898 बी. 6 बि. तहसील स्तर समिति की सिफारिश अनुसार जिला स्तर समिति के विचाराधीन	6,132 बी. 8 बिस्वा
	किशनगंज	1927 बी. 14 बि.	-- --
	शाहबाद	4870 बी. 10 बि.	-- --
	छीपाबड़ोद	185 बी. --	-- --
झालावाड़	अकलेरा	6330-08 एकड़)	585.30 एकड़
	झालरापाटन तहसील	791.72 एकड़)	
	असनावर	427.56 एकड़)	
	बकानी	6,966.12 एकड़)	
	खानपुर	7,020.81 एकड़	
	पिडावा	7,48.52 एकड़)	18605.48 एकड़

परिशिष्ट 19

(अ. प्र. सं. 303 की सूची)

Statement showing the Achievements against Targets for Sterilization Operations and I. U. C. D. Insertions during Family Planning Fortnights 1967-68

S. No.	Name of the District.	*September*, 1967 16-9-67 *to* 30-9-67		*December*, 1967. 16-12-67 *to* 31-12-67		*March*, 1968. 16-3-68 *to* 31-3-68.	
		Target	Achivements.	Target	Achievments.	Target	Achievments.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ajmer	1200	846	1200	646	1000	228
2.	Alwar	800	346	800	519	800	153
3.	Bharatpur	400	255	900	335	1000	385
4.	Bikaner	400	240	400	206	600	108
5.	Bundi	200	200	200	77	300	35
6.	Barmer	200	55	500	140	200	37
7.	Banswara	600	284	400	197	300	98
8.	Bhilwara	600	406	700	362	200	211
9.	Churu	300	340	500	351	250	172
10.	Chittorgarh	200	187	500	180	500	51
11.	Dungarpur	200	275	300	325	200	104
12.	Ganganagar	1000	879	1000	398	500	160
13.	Jhunjhunu	300	503	500	882	800	393
14.	Jaipur	2000	851	1500	392	1000	280
15.	Jodhpur	600	‡609	700	232	800	45
16.	Jaisalmer	100	41	100	10	50	13
17.	Jalore	400	94	400	170	1000	34
18.	Jhalawar	200	193	300	368	600	125
19.	Kotah	1500	325	700	311	600	143
20.	Nagaur	500	400	700	538	600	166
21.	Pali	400	89	600	225	400	68
22.	S. Madhopur	200	147	700	94	700	58
23.	Sikar	300	603	600	639	1000	275
24.	Sirohi	300	225	300	68	300	20
25.	Tonk	200	59	400	126	200	45
26.	Udaipur	1000	519	1100	506	1000	164
	TOTAL RAJASTHAN	14,100	8,971	16,000	8,304	15,000	3,569

‡Provisional.

IUCD Insertions.

1.	Ajmer	2500	456	1200	516	600	337
2.	Alwar	1500	171	800	139	500	83
3.	Bharatpur	800	85	900	89	1200	68
4.	Bikaner	800	195	400	153	600	79
5.	Bundi	400	25	200	17	300	8
6.	Barmer	400	12	500	..	100	14
7.	Banswara	400	42	400	41	300	24
8.	Bhilwara	500	122	700	55	300	28
9.	Churu	600	475	500	221	500	116
10.	Chittorgarh	400	57	500	38	100	41
11.	Dungarpur	400	61	300	31	50	9
12.	Ganganagar	400	155	1000	84	200	96
13.	Jhunjhunu	500	175	500	324	400	59
14.	Jaipur	4000	888	1500	316	1000	188
15.	Jodhpur	1200	*701	700	557	500	420
16.	Jaisalmer	100	18	100	13	..	53
17.	Jalore	400	210	400	297	400	235

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	Jhalawar	400	82	300	60	300	9
19.	Kotah	500	86	700	44	200	57
20.	Nagaur	1000	360	700	298	600	98
21.	Pali	1000	133	600	330	400	122
22.	S. Madhopur	400	215	700	106	300	23
23.	Sikar	500	171	600	154	200	67
24.	Tonk	400	123	400	200	200	48
25.	Sirohi	300	133	300	63	100	32
26.	Udaipur	2000	88	1100	62	360	30
	TOTAL RAJASTHAN ..	21,800	5,239	16,000	4,208	9,650	2,344

*Provisional.

परिशिष्ट 20

(अ.प्र.सं. 314 की सूची)

Statement showing the progress of Sterilization & I. U. C. D. Insertion since Inception to June, 1969.

S. No.	Name of the District.	Sterilization.	I. U. C. D.
1.	Ajmer	14004	12166
2.	Alwar	6795	2586
3.	Bharatpur	5161	2599
4.	Bikaner	7356	3700
5.	Bundi	854	574
6.	Barmer	892	480
7.	Banswara	2196	684
8.	Bhilwara	8011	1464
9.	Churu	3810	2991
10.	Chittorgarh	2466	894
11.	Dungarpur	2310	471
12.	Ganganagar	8184	4206
13.	Jhunjhunu	4724	1638
14.	Jaipur	19516	10588
15.	Jodhpur	275	7454
16.	Jaisalmer	157	1214
17.	Jalore	1243	2833
18.	Jhalawar	2945	1257
19.	Kotah	5277	2245
20.	Nagaur	3411	2471
21.	Pali	2634	2889
22.	S. Madhopur	2098	1962
23.	Sikar	8308	2739
24.	Sirohi	2062	2084
25.	Tonk	2001	1858
26.	Udaipur	8671	3265
	RAJASTHAN : TOTAL	132561	77302

NOTE:—The figures upto Aug., 68 of District of Jhunjhunu Bundi, Barmer, and Jaisalmer had been included in Districts Sikar, Kotah Jalore, and Jodhpur respectively.

परिशिष्ठ 21

अ. ता. प्रश्न संख्या 275 की सूची

तहसील सांचोर

सहायता केम्पों पर अनाज वितरण की सूची

गोदाम में अनाज प्राप्त करने की दिनांक	नाम कैम्प		
	367		
1	2	1	2
22-2-69		10-4-69	डोलीगांव
24-2-69		8-4-69	बीरोल
27-2-69	सांचोर	25-5-69	
8-5-69		10-4-69	
26-5-69		25-5-69	बोडिया
7-6-69		26-5-69	
14-6-69		12-4-69	खारा
22-2-69	रडका	26-5-69	
17-6-69		26-2-69	सवातडा बोड व अन्या
27-2-69		14-4-69	
8-4-69	वामनबोडा		
15-3-69		273	

शुद्धि-पत्र

मंगलवार, दिनांक 19 अगस्त, 1969

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
1	2	8	4
2	9	व्यं तयों	व्यक्तियों
6	5	कत्म	खत्म
7	9	करन	करने
7	10	अर ला	और लॉ
7	अन्तिम से 8	हाउस	हाऊस
7	अन्तिम से 7	महा था	कहा था
7	अन्तिम से 3	फैट्री	फैक्ट्री
8	4	सोमिल फट्री	सोमिल फैक्ट्री
8	10	बरबाद	बरबाद
8	15	मंगी	मांगी
8	16	अ र	और
8	19	श्री नाथुराम	श्री नाथूराम
10	अन्तिम से 13	चाहता 1 टिल नहीं	चाहता हूँ डिटेल नहीं
10	अन्तिम से 5	ने शियेशन्स	नेगोशियेशन्स
10	6	सन्तष	सन्तोष
10	अन्तिम से 7	श्र नारायणसिंह	श्री नारायणसिंह
15	अन्तिम से 2	न ता	नेता
15	शीर्षक	19 अगस्त. 99	19 अगस्त, 1969
18	7	मंत्री त्मज कल्याण	मंत्री समाज कल्याण
18	9	श्रो नारा णसिंह	श्री नारायणसिंह
19	अन्तिम से 8	श्री भेर सिंह	श्री भैरोंसिंह
21	7	श्र अध्यक्ष	श्री अध्यक्ष
25	8	डागनोसिस	डाइगनोसिस
26	अन्तिम से 3	फुल सून्ड	फलसून्ड
27	अन्तिम से 8	।.ल्लुक	ताल्लुक
29	अन्तिम से 8	वेटगरीज	केटगरीज
33	1	श्रमत वुम री चूवव	श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत
37	अन्तिम से 12	0 हजार	40 हजार
37	अन्तिम से 9	प्राविजन	प्रोविजन
38	अन्तिम से 6	श्री वि म्वरनाथ जोशी	श्री विश्वम्भरनाथ जोशी
43	अन्तिम से 13	जित	जिस
49	अन्तिम से 14	क्षा	शिक्षा
49	अन्तिम से 4	खलेन	खोलने
49	अन्तिम से 2	से. न्डरी	सेकन्डरी
58	अन्तिम से 9	श्री रघनाय वि नोई	श्री रघुनाथ विश्नोई
59	1	कपोत-वाली	कोतवाली

1	2	3	4
61	4	इा प्रकार	इस प्रकार
67	अन्तिम से 12	एडजोनमेन्ट	एडजोर्नमेन्ट
67	अन्तिम से 14	किया	दिया
69	10	श्र शिवचरण माथुर	श्री शिवचरण माथुर
72	अन्तिम से 8	आंर्डव	आँर्डर
72	अन्तिम से 3	श्री रामान अग्रवल	श्री रामानन्द अग्रबाल
75	10	निश्चत	निश्चित
76	अन्तिम से 6 व 8	कामेश्वर प्रसाद	रामेश्वर प्रसाद
78	अन्तिम लाइन	नहीं कि या या	नहीं किया गया
80	अन्तिम लाइन	रा स्थान सवा स डुगसुर	राजस्थान सेवा संघ डूंगरपुर
81	अन्तिम से 8	21	214
81	अन्तिम से 13	पर दी गई	पर रखदी गई
82	11	———	{ उत्तर स्थगित किया गया
84	अन्तिम से 15	श्री म ोहर्रसिह	श्री मनोहर्रसिह
87	अन्तिम से 5	24	245
88	अन्तिम से 13	माण-पत्र	प्रमाण पत्र
96	अन्तिम से 9	दिन अ	दिन अन्दर
106	अन्तिम से 4 व 6	पपिल खंट	पीपलखूंट
107	अन्तिम से 9	श्री मनहर्र ह	श्री मनोहर्रसिह
109	10	श्री पृथ्वसिह	श्री पृथ्वीसिह
115	5	श्र चुन्न लाल	श्री चुन्नीलाल
128	अन्तिम से 10	सिल्प	स्लिप
133	अन्तिम से 4	में व लिया	में वसूलियां
161	6	ि जुझार सिह	श्री जुझारसिह
162	3	जा वाली	जाने वाली
168	अन्तिम से 8	श्री वीदत्त गाडिया	श्री देवीदत्त गाडिया
169	9	श्री ल दूरा सुलनिया	श्री लादुराम सुलानिया
174	1	प्रति दन उस्थप	प्रतिवेदन का उपस्थापन
174	2	श्री ल चन्द डाग	श्री मूलचन्द डागा
175	1	श्री म दास माथुर	श्री मथुरा दास माथुर
176	19	मंत्री हृदम	मंत्रीमहोदय
177	1	श्री उ वक्ष	श्री अध्यक्ष
190	5	नतिया	नीतियां
191	14	प्र विन्ध	प्रतिबन्ध
208	15	श्री रामनन्द शुक्ल	श्री रामानन्द अग्रवाल
209	14	नरसर	नर्सिंग
214	1	निकला	निकाल
222	शीर्षक	ध्यानाकर्ष	ध्यानाकर्षन
222	अन्तिम से 5	श्री मकि	श्री राम किशन
222	अन्तिम से 2	श्री शव नाहर	श्री यशवन्तसिंह नाहर

1	2	3	4
225	12	श्री कुषकुार	श्री कृष्ण कुमार
225	अन्तिम से 10	आर्गनाइर	आर्गनाइजर
226	14	voked	evoked
226	21	ha	have
227	अन्तिम से 2	जसा	जैसा
229	अन्तिम से 8	विरध	विरोध
231	3	श्री रामानद	श्री रामानन्द
241	अन्तिम लाइन	द बार पण	दो बार पत्र
241से420	शीर्षक	स्थगन प्रस्तावों पर-19 अगस्त, 1969-अध्यक्षीय व्यवस्था	श्री बृजसुन्दर शर्मा संबंधित-19 अगस्त, 1969-प्रस्तावों पर अग्रेतर विचार
241	7	विरध	विरोध
242	16	वहां क. ए. डा. आ.	वहां के ए. डी. ओ.
244	5	व भी	वह भी
245	अन्तिम से 6	ख िददा	खरीददारी
246	19	ब ाना	बताना
249	8	फ इल्स	फाइल्स
249	20	निणय	निर्णय
251	14	श्न	प्रश्न
253	7	ो यह ो	तो यह तो
253	अन्तिम से 12	मशन	मीशन
254	1	श्री तीशचद ग्रल	श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल
254	अन्तिम से 13	श्री रामच आर्य	श्री रामचन्द्र आर्य
254	अन्तिम से 11	श्री मूल चन् डगा	श्री मूलचन्द डागा
254	अन्तिम से 11	राज कानन	राज कानून
273	अन्तिम से 11 व 12	मन्जी मण्डल	मन्त्रि मण्डल
274	अन्तिम से 12	(अ सीन्द)	आसीन्द
275	अन्तिम से 18 व 26	अचारण	आचरण
277	17	श्री राम िशन	श्री रामकिशन
280	अन्तिम से 10	श्री नत्य सिह	श्री नत्थी सिंह
280	अन्तिम से 4	श्रा गिरधारी लाल	श्री गिरधारी लाल
281	अन्तिम से 13	श्री म न सि	श्री मदन सिंह
281	अन्तिम से 12	श्री रणजीत सि	श्री रणजीत सिंह
281	अन्तिम से 10	श्री दन सि	श्री मदन सिंह
281	अन्तिम से 7	धमपत्नियों	धर्म पत्नियों
283	अन्तिम से 10	श्री रामकि न	श्री राम किशन
287	अन्तिम से 11	श्री रघनाथ विश्नाई	श्री रघुनाथ विश्नोई
289	अन्तिम से 11	मरड	मरोड
293	अन्तिम से 11	श्री भैर सिंह	श्री भैरोंसिंह
294	अन्तिम से 16	श्री मु विहारी गोयल	श्री मुकुट बिहारी गोयल
297	अन्तिम से 13	आरपों	आरोपों

Page No 270

4

1	2	3	4
297	अन्तिम लाइन	उनें में	गुरुजनें में
299	अन्तिम से 7	लेकन	लेकिन
301	अन्तिम से 14	कया	किया
304	अन्तिम से 9	विरघ	विरोघ
314	अन्तिम से 2	इसारकी वहलीलें हैं	इस प्रकार की दलीलें हैं
324	अन्तिम से 9	अतहनी	अनहोनी
325	अन्तिम से 15	आरतप	आरोप
326	अन्तिम से 19	महब्बतो	मोहब्बतों
336	शीर्षक	अ ध्क्ष व्य स्था	अध्यक्षीय व्यवस्था
351	4	श्री रघुनाथ ा श्नोई	श्री रघुनाथ विश्नोई
360	15	श्री ा म किशर यसा	श्री रामकिशोर व्यास
398	1	श्री बृज सुन्दर भ	श्री बृज सुन्दर शर्मा
415	13	श्री दे वीदत्त गडिया	श्री देवीदत्त गाड़िया
416	अन्तिम लाइन	श्री उपाम्य	श्री उपाध्यक्ष
421	3	मि	भूमि
423	1	सामोन्यत	सामान्यतः
423	16	स्वीक्रात	स्वीकृति
424	शीर्षक	अगस्त, 16 69	अगस्त, 1969
425	7	थ	थे
427	8	तहील	तहसील
427	10	ो	को
431	1	431	434
436	10	पदा	पैदा
436	1	या	क्या
437	11	शिकाय	शिकायत
438	13	वस्ल:	वसूल
440	7	स ि ति	समिति
441	अन्तिम से 2	हक ना स त नी है जि रकार	यह कहना सत्य नहीं है कि सरकार
441	12	गई थ	गई थी
442	3	शाखा भवों	शाखा भवनों
442	1	कीमज	की मेज
444	अन्तिम से 10	श्री कसरी सिंह	श्री केशरी सिंह
444	अन्तिम से 8	बूंदा	बूंदी
458	शीर्षक	परि ि ष्ट	परिशिष्ट
463	6	दुरुपयो ा ि या	दुरुपयोग किया
466	1	वार्यों	कार्यों
466	8	उपयगिता	उपयोगिता
476	1	परिशि ष्ठ	परिशिष्ट